अष्टम माला, खंड 8, अंक 16

मंगलवार, 13 अगस्त, 1985

22 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 8 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 8, तीसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 16, मंगलवार, 13 अगस्त, 1985/22 श्रावण, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 304 से 306 और 310 से 314	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	22—182
तारांकित प्रश्न संख्या : 307 से 309 और 315 से 324	22—30
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3204 से 3216, 3218 से 3301, 3303 से 3376, 3378 से 3383, 3385 से 3408 3410, 3411 और 3413 से 3416	30—179
दिनांक 30 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4801 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	180—181
दिनांक 23 जुलाई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 213 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	181—182
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	187—190
प्राक्कलन समिति	191
पहला प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले	191—195
(एक) सातवीं योजना की अवधि के दौरान केरल में प्रस्तावित मत्स्य उद्योग विश्वविद्यालय की स्थापना कराने की आवश्यकता	
श्री टी० बशीर	191
(दो) गंगा नदी द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे के एक भूखंड के कटाव के कारण पटना जिले के दानापुर और नकटादियारा क्षेत्रों के प्रभावित लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता	
श्री सी०पी० ठाकुर	192

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(तीन) पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय पटसन निगम को रक्षित भंडार बनाने हेतु पर्याप्त मात्रा में पटसन रेशा खरीदने का निदेश देने की आवश्यकता

श्री इन्द्रजीत गुप्त 192

(चार) विदर्भ के समग्र विकास के लिए उस क्षेत्र में कुछ औद्योगिक एककों की स्थापना करने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार 192

(पांच) उत्तर प्रदेश में कानपुर की बिल्हौर तहसील में भूमिगत जल तथा गंगाजल का प्रदूषण रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री जगदीश अवस्थी 193

(छः) तिरुची से डिंडीगुल तक रेल द्वारा पीने का पानी ले जाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री के०आर० नटराजन 194

(सात) कपास का न्यूनतम मूल्य 600 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित करने और कपास का प्रस्तावित आयात रोकने की आवश्यकता

श्री सी० जंगा रेड्डी 194

(आठ) गोडावन पक्षी (ग्रेट इंडियन बस्टार्ड) और विशेषकर "सुरूसुण बस्टार्ड सैन्क्चुअरी" के संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता

श्री जुझार सिंह 195

बालक नियोजन (संशोधन) विधेयक–(जारी) 196 - 209

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री मूल चन्द डागा 196

श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर 198

श्री पी० नामग्याल 198

श्री काली प्रसाद पाण्डेय 202

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 203

श्री टी० अंजैय्या 204

खण्ड 2 और 1 207

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री टी० अंजैय्या 208

भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक 209—223

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री बन्सी लाल 209

श्री डी०एन० रेड्डी 210

प्रो० पी०जे० कुरियन 214

श्री वी० कृष्ण राव 217

श्री बसुदेव आचार्य 219

श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर 221

उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और देश के कुछ अन्य भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर हुए कथित अत्याचारों, जिनके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अनेक घायल हुए, के बारे में चर्चा 223—301

श्री अमर राय प्रधान 225

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 229

श्री एस०एम० भट्टम 233

श्री जी० भूपति 239

श्री गंगा राम 242

श्री राम प्यारे पनिका 247

श्री राम प्यारे सुमन 250

श्री बाजूबन रियान 256

श्री के०एस० राव 259

श्री मानकू राम सोडी 265

श्रीमती वैजयन्ती माला बाली 268

श्री एन० महालिंगम 270

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ 272

डा० बी०एल० शैलेश 274

श्री राम स्वरूप राम 276

श्री राम बहादुर सिंह 281

श्री जैनुल बशर 285

श्री दिलीप सिंह भूरिया 288

विषय	पृष्ठ

श्री के०डी० सुलतानपुरी 289

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव 291

श्री सलीम आई० शेरवानी 295

श्री बृज मोहन महन्ती 296

श्री कमोदी लाल जाटव 298

श्री पीयूष तिरकी 299

कार्य मंत्रणा समिति 302

ग्यारहवां प्रतिवेदन

लोक सभा

मंगलवार, 13 अगस्त, 1985/22 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

*304. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण की कोई भावी योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है, और उस पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) देश के लिए भावी योजना विभाग द्वारा तैयार की जाती है। राज्य स्तर पर इस प्रकार की योजना दूरसंचार सर्किलों द्वारा तैयार की जाती है। केरल राज्य की भावी योजना सन् 2001 तक के लिए तैयार कर ली गई है।

(ख) वर्ष 2001 तक 7,10,000, लाइनों की कुल सज्जित क्षमता वाले लगभग 600 टेलीफोन एक्सचेंज उपलब्ध कराने की योजना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। मौजूदा प्रति लाइन लागत के आधार पर उपर्युक्त क्षमता के टेलीफोन उपस्कर की लागत लगभग 350 करोड़ रुपये है।

श्री वी०एस० विजयराघवन : मुझे खुशी है कि सन् 2001 तक के लिए केरल राज्य के लिए एक भावी योजना तैयार की गई है।

मैं जानना चाहता हूं कि सातवीं योजना के दौरान कितना धन खर्च किया जायेगा और उन स्थानों के नाम क्या हैं, जिनका आधुनिकीकरण किया जायेगा।

श्री राम निवास मिर्धा : हमारे विभाग को सातवीं योजना के दौरान कितने धन का आबंटन किया जायेगा, इस बारे में अन्तिम आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, अत: माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर दे पाना सम्भव नहीं है। जैसे ही योजना आयोग से हमें अन्तिम संकेत प्राप्त हो जाएगा हम उसी के अनुसार अपना आयोजन करेंगे।

श्री वी०एस० विजयराघवन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार केरल में एस.टी.डी. सुविधा आरम्भ करने जा रही है ताकि विदेशों से विशेषकर खाड़ी के देशों से सीधा सम्पर्क किया जा सके।

श्री राम निवास मिर्धा : वर्तमान में केरल में तीन टेलीफोन एक्सचेंज ऐसे हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन कालों को आगे प्रेषित करते हैं। वे अभी एस. टी. डी. नहीं हैं लेकिन सन्तोषजनक ढंग मे कार्य कर रही हैं। सातवीं योजना के दौरान विदेश संचार सेवा की विकास योजना के तहत केरल की तीन एक्सचेंजों को एस. टी. डी सुविधा में बदलने की व्यवस्था है।

श्री वी० एस० विजयराघवन : वे कौन सी तीन एक्सचेंज हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इतना ही पर्याप्त है।

श्री अमिताभ बच्चन : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इलाहाबाद में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई योजना थी जहां अभी एक पुराना उपकरण काम कर रहा है और क्या इसे वापिस ले लिया है।

श्री राम निवास मिर्धा : केरल इलाहाबाद से काफी दूर है :

प्रो. पी० जे० कुरियन : श्रीमान, अगर इलाहाबाद में इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित होता है तो हमें कोई एतराज नहीं है······

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

प्रो. पी० जे० कुरियन : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि केरल के लिए एक भावी योजना है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि दूरसंचार सर्किल, केरल द्वारा जो भावी योजना तैयार की गई थी उसे उपकरणों के कमी के कारण लागू नहीं किया जा सका क्योंकि उपकरणों की मंजूरी करने में तकनीकी और व्यवहारिकता और प्रतीक्षा सूची के अलावा अन्य बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। क्या यह सच नहीं कि केरल में प्रतीक्षा सूचा सबसे अधिक लम्बी है ? क्या यह भी सच नहीं है कि राज्यों में केरल राज्य म सबसे अधिक विदेशों से टेलीफोन कालें आती हैं ? क्या इन बातों को ध्यान में रखते हुए, मन्त्री महोदय अपनी प्राथमिकताओं पर पुनः विचार कर, केरल दूरसंचार, सर्किल द्वारा प्रस्तुत भावी योजना के आधार पर आवश्यक उपकरणों को आबंटित करेंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : देश में कई अन्य राज्यों की तुलना में केरल में अच्छी सेवाएं उपलब्ध हैं—जिससे पता चलता है कि हम केरल की आवश्यकताओं को उचित महत्व देते हैं और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे।

प्रो. पी० जे० कुरियन : मुद्दा यह नहीं है। प्रतीक्षा सूची की बाबत क्या कर रहे हैं ?

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष महोदय······

अध्यक्ष महोदय : अगर इस प्रश्न का सम्बन्ध केरल से न हुआ या असंगत हुआ तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरी कान्स्टीचूयेंसी का नहीं है। एक छोटा सा सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : नो-क्वेश्चन-आफ छोटा-सा, पोटा-सा।

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि

आगामी 10-15 वर्षों में 600 नए एक्सचेंजेज स्थापित करके सात लाख दस हजार अतिरिक्त लाइनों की क्षमता स्थापित कर दी जाएगी, लेकिन उसमें "सब्जैक्ट-टु-अवेलेबिलिटी" लगा दिया है। जबकि अवेलेबिलिटी 350 करोड़ की थी……

अध्यक्ष महोदय : बगैर पैसे के कोई चीज मिलती हो तो बता दीजिए।

श्री प्रताप भानु शर्मा : मैं कहना चाहता हूं कि देश के विकास में आधुनिक संचार व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि प्लान आउट-ले नहीं मिल रहा है तो पब्लिक इक्विटी से या पब्लिक बांड इशू करके रिसोर्सेज डेवेलप किए जा सकते हैं। जब यह तय कर लिया है कि 350 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तो पैसे की प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस बारे में मन्त्री जी का क्या सुझाव है ?

श्री राम निवास मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट अधिवेशन में यह घोषणा की गई थी कि टेलीकाम्यूनिकेशन्स के लिए विशेष प्रकार के बांड जारी किए जायेंगे और हम उसका इन्तजार कर रहे हैं कि बांड कब जारी होंगे। फिर भी हमने जिस प्रकार से सातवीं पंचवर्षीय योजना बनाई है, अगर उसके साधन उपलब्ध नहीं किए गए तो जो भी परसपैक्टिव प्लान बनाया गया है, उसको पूर्ण रूप से कार्यान्वित करना सम्भव नहीं होगा।

[अनुवाद]

घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों से उद्योगों को अन्यत्र ले जाना

*305. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) पर्यावरणिक आधार पर घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों से उद्योगों को अन्यत्र ले जाने के लिए 1983 के बजट में दी गई रियायतों से लाभ उठाने वाले उद्योगों की संख्या कितनी है; और

(ख) उद्योगों को घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों से अन्यत्र ले जाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां):

(क) उद्योग मंत्रालय में यह सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) "उद्योग रहित" जिलों और पिछड़े क्षेत्रों के विकास का सुनिश्चय करने की दृष्टि से वर्ष 1983 में देश में पिछड़े जिलों का तीन वर्गों में पुनर्वर्गीकरण कर दिया गया था, जो पिछड़ेपन के स्तर पर निर्भर करता है और ऐसे जिलों में एकक स्थापित करने के लिए विभिन्न दरों पर प्रोत्साहन निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, एम आर टी पी/फेरा कम्पनियों को अधिसूचित पिछड़े जिलों में भी कम निर्यात दायित्व के आधार पर परिशिष्ट-1 में दिए गए उद्योगों से भिन्न उन औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है जो लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : श्रीमान्, मेरे प्रश्न में जोर उद्योगों को अन्यत्र ले जाने पर है। क्या यह उचित नहीं होता अगर मेरे प्रश्न के भाग (क) का उत्तर मात्र "कोई नहीं" ही दिया जाता। ऐसा कोई उद्योग नहीं है जिसे अन्यत्र ले जाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया हो। जहां तक प्रश्न के भाग (ख) का संबंध है, क्या यह पता है कि 1983 के बजट में घनी आबादी वाले

क्षेत्रों से उद्योगों को अन्यत्र ले जाने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव किया गया था और इसके तहत प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान था। यह प्रस्ताव था कि खाली की गई भूमि को अगर उद्योग बेचता है तो उस पर पूंजीगत लाभ नहीं लिया जाएगा, बशर्ते कि वह तीन वर्ष के भीतर उस पैसे को किसी दूसरे उद्योग में लगा देता है, जोकि घनी आबादी वाले क्षेत्र से बाहर स्थापित की गई हो। यह एक विशिष्ट प्रस्ताव है लेकिन किसी भी उद्योग ने इसका लाभ नहीं उठाया। अतः, मैंने बम्बई के सन्दर्भ में यह विशिष्ट प्रश्न पूछा था कि जब 11-12 माह तक सारा कपड़ा उद्योग बन्द रहा; तब यह उचित समय था कि इन मिलों को बम्बई से बाहर स्थापित किया जाता। लेकिन उद्योग मंत्रालय ने 1983 के बजट में किये गये इस प्रावधान का लाभ क्यों नहीं उठाया ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन, सरकार ने घनी आबादी वाले क्षेत्र से उद्योगों को अन्यत्र ले जाने के लिए कई प्रोत्साहनों की घोषणा की है। जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि 1983 में केन्द्रीय बजट में यह घोषणा की गई थी कि घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों से उद्योगों को अन्यत्र ले जाने को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि घनी आबादी वाले शहरों में जनसंख्या के दबाव को कम किया जा सके और प्रदूषण को रोका जा सके। भूमि या भवन के अन्तरण करने से होने वाले पूंजीगत लाभ को कर से छूट दी जाती है, बशर्ते कि उस राशि का उपयोग अन्य जगह पर उद्योग के वास्ते भवन निर्माण के लिए किया जाए और इस पूंजीगत लाभ को मशीनरी और संयंत्र के अन्तरण के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। पर्यावरण के आधार पर भी कई छूटों की पहले ही घोषणा की गई है, जैसे मूल्यह्रास छूट, पूंजी निवेश-छूट की दर अब बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दी गई है। अन्य कई प्रोत्साहन भी दिये गये हैं। श्रीमन्, मैंने अपने मुख्य उत्तर में यही कहा है कि ये प्रोत्साहन अब भी हैं। लेकिन सरकार उन उद्योगों का लेखा-जोखा नहीं रखती जिन्होंने इन प्रोत्साहनों का लाभ उठाया है।

श्री दिग्विजय सिंह : श्रीमन्, क्या उद्योग मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों ने तालमेल बिठाकर उन प्रस्तावों का समर्थन किया था, जब डेढ़ वर्ष पूर्व बम्बई में सभी कपड़ा मिलें लम्बे अर्से के लिए बन्द हो गई थीं। सरकार द्वारा दी गई ये सारी सहायताओं को देखते हुए, क्या किसी कारण उद्योग को शहर से बाहर जाने के लिए इन प्रस्तावों का समर्थन करके क्या आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि महानगरों और घनी आबादी वाले शहरों में कम भीड़-भाड़ होगी ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय सदस्य ने यह मूल्यवान सुझाव दिया है और हर सम्भव कोशिश करेंगे कि हमारी नीति का यह एक भाग हो।

श्री डी० एन० रेड्डी : क्या मन्त्री महोदय को उन उद्योगों की संख्या के बारे में जानकारी है जिन्होंने स्वेच्छा से पर्यावरण के आधार पर घनी आबादी वाले क्षेत्रों से अन्यत्र स्थानांतरण कर लिया है ? माननीय मन्त्री महोदय ने स्वयं कहा है उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि कितने उद्योगों ने शिफ्ट किया है। उन्हें हमारी जनसंख्या के लाखों लोगों के स्वास्थ्य के खतरे को देखते हुए अवश्य शिफ्ट कर देना चाहिए। सीमेंट, रसायन जैसे उद्योगों से वातावरण में काफी प्रदूषण होता है। क्या सरकार ऐसा कानून पारित करने पर विचार करेगी जिससे हानिकर उद्योगों को घनी आबादी वाले लोगों से अन्यत्र ले जाने के लिए मजबूर किया जा सके ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जहां तक वर्तमान पुराने एककों का सम्बन्ध है, हम उन्हें

प्रोत्साहन और योजनाओं को अधिक आकर्षक बनाकर अन्यत्र ले जाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। हम अब भी यही कर रहे हैं। लेकिन जहां तक नये एककों का सम्बन्ध है, कई नये उपाय किये जाने हैं जिससे पहले से ही विकसित क्षेत्रों में उद्योगों के केन्द्रीकरण को आगे रोका जा सके। ये उपाय हैं नये एकक स्थापित करना, वर्तमान एककों का विस्तार करना आदि की अनुमति ऐसे महानगरों जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है या 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की नगर निगम सीमा के भीतर नहीं दी जाती। अतः हम इन शहरों में किसी भी एकक को स्थापित करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। जहां तक पुराने एककों का सम्बन्ध है, हम उन्हें केवल प्रेरित ही कर सकते हैं और उन्हें अधिक प्रोत्साहन देकर इसके लिए राजी कर सकते हैं।

श्री डी० एन० रेड्डी : आप इस सम्बन्ध में विधान क्यों नहीं पारित करते ?

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने नई यूनिट्स को सेट-अप करने के बारे में जिस नीति का अभी वर्णन किया है, उसका कुछ दुरुपयोग हो रहा है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं गोरखपुर जैसे शहर की तरफ जिसकी 5 लाख से ऊपर अभी आबादी नहीं हुई है। उन जगहों पर आपने वे कन्सेशन्स नहीं दिये हैं जिनकी वजह से नई यूनिट्स सेट-अप हो सकें और सरकार अपने स्तर पर वहां पर नई यूनिट्स सेट-अप नहीं कर रही है और जिन स्थानों पर आप सुविधाएं दे रहे हैं, उन स्थानों पर जाने के लिए इसलिए तैयार नहीं हैं कि वे स्थान सड़कों से और रेल से और अन्य मार्गों से जुड़े हुए नहीं हैं। क्या इस पर पुनर्विचार करके मंत्री जी फिर से नीति निर्धारण की प्रक्रिया आरम्भ करेंगे ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सारी समस्या तो यही है कि हम चाहते हैं कि संतुलित औद्योगिक विकास होना चाहिए और सभी क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। जो सड़कों से या रेल से जुड़े हुए इलाके नहीं हैं, कहीं ऐसा न हो कि वे हमेशा ही बगैर जुड़े हुए रह जाएं। इसलिए उनके लिए कुछ खास तौर से इस योजना को आकर्षक बनाया गया है और ज्यादा सुविधाएं उन इलाकों के लिए दी गई हैं।

जहां तक पुनर्समीक्षा और पुनर्विचार का सवाल है, पहले ही इस सदन में यह बताया जा चुका है कि एक अन्तर-मंत्रालय समिति बना दी गई है और जो पिछड़े हुए इलाके हैं, वह उसकी पुनर्समीक्षा कर रही है और उम्मीद है कि दिसम्बर तक वह समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देगी।

[अनुवाद]

दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र

*306. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कितने प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गए हैं;

(ग) क्या देश में दूरसंचार के कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए चालू वित्तीय वर्ष में क्या विशिष्ट कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्यवार संस्था संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस दिशा में चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है :—

1. प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार लाना अर्थात प्रशिक्षण संकाय में सुधार लाना, संशोधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि के लिए अपेक्षित उपरकर लगाना।
2. व्यवसाय प्रधान माड्यूलर पाठ्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा विकास।
3. नई टेक्नालाजी के क्षेत्रों सहित सेमिनार और पाठ्यक्रम आयोजित करना।
4. अन्य दूर संचार प्रसाशनों में चुने गए तकनीकी कार्मिकों का पता लगाना जिसमें विदेशों में उच्च टेक्नालाजी में प्राप्त प्रशिक्षण भी शामिल है।

विवरण

प्रशिक्षण केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा :

आन्ध्र प्रदेश	3
बिहार	1
गुजरात	3
दिल्ली	1
जम्मू एवं काश्मीर	1
केरल	2
कर्नाटक	4
मध्य प्रदेश	2 (टी टी सी जबलपुर सहित)
महाराष्ट्र	6 (इनमें से एक को बन्द करने के आदेश दे दिए गए हैं)
उड़ीसा	1
राजस्थान	1
पंजाब	2
उत्तर पश्चिम सर्किल :	
असम	1
उत्तर पूर्व सर्किल :	
उत्तर प्रदेश	4 (ए एल टी टी सी गाजियाबाद सहित)
तमिलनाडु	3
पश्चिम बंगाल	3

श्रीमती जयन्ती पटनायक : सातवीं योजना में सरकार के पास दूर-संचार प्रणाली के उन्नयन का प्रस्ताव है और सरकार इलैक्ट्रोनिक प्रणाली अपना रही है। क्या मंत्री महोदय को पता है कि नए इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे है ? क्या इसका

कारण यह है कि गैर-प्रशिक्षित कार्मिक एक्सचेंजों में लगे हुए हैं। जब भी एक्सचेजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदला जाता है तो क्या कार्मिकों को समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है ? क्या अपेक्षित प्रशिक्षण के लिए देश में पर्याप्त केन्द्र हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह सच है कि हम अपनी दूर संचार प्रणाली में आधुनिकतम टैक्नालाजी को सम्मिलित कर रहे हैं, तथा इलैक्ट्रानिक और अंकीय एक्सचेंज और प्रेषण प्रणाली लागू की जा रही हैं। इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए हम प्रशिक्षण सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जब भी हम इलैक्ट्रानिक प्रणाली अथवा उच्च टेक्नालाजी प्रणाली शुरू करते हैं हम अपने कार्मिको को पूर्तिकर्त्ताओं की फैक्टरी में प्रशिक्षण देते हैं। फिर गाजियाबाद में हमारा एक सुसंगठित उच्च स्तरीय दूर-संचार प्रशिक्षण केन्द्र है, जहां पर प्रशिक्षकों को उच्च स्तरीय, प्रशिक्षण देने की सुविधाएं उपलब्ध हैं जोकि भिन्न-भिन्न स्थानों पर उच्च टेक्नालाजी एक्सचेंजों की स्थापना और संचालन करेंगे। हम इस बात के लिए सजग हैं कि जैसे-जैसे हम उच्च टैक्नालाजी को अपना रहे हैं हमें अपनी प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाना होगा तथा माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त चिन्ता एवं विचारों की मैं बहुत प्रशंसा करता हूं और मैं उन्हें तथा सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि हम इस बारे में प्रशिक्षण की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह सजग हैं तथा इस बारे में सभी प्रयास करेंगे।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या हम अपने गाजियाबाद केन्द्र में विकासशील देशों के तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षण दे सकते हैं तथा इसमें अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार केन्द्र की भूमिका क्या है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : अपने तकनीकी कार्मिकों को विदेश भेजने की हमारी बहुत-सी योजनाएं हैं। अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ के बहुत से कार्यक्रमों में हमारे विशेषज्ञ भाग लेते हैं। अन्य देशों के दूर-संचार कार्मिकों को भी हम उच्च स्तरीय दूर संचार-केन्द्र में प्रशिक्षण देते हैं।

जैसाकि मैंने पहले बताया है जब भी हम नई एक्सचेंज लगाते हैं अथवा कोई नई प्रणाली लागू करते हैं हम अपने कार्मिकों को निर्माताओं की फैक्टरियों में इस प्रणाली के कार्यकरण से अवगत होने के लिए भेजते हैं। पिछले वर्षों में हमने 30,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जिनमें से 2,000 उच्चस्तरीय दूर-संचार केन्द्र गाजियाबाद में प्रशिक्षित किये गये।

एक बार फिर मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हम इस बारे में सजग हैं तथा हम प्रशिक्षण कार्यक्रम की क्षमताओं में काफी वृद्धि कर रहे हैं, न केवल उच्च टैक्नालाजी में अपितु हम महसूस करते हैं कि हमारे विभाग में प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह लाइनमैन हो अथवा टेलीफोन आपरेटर हो, को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। हमारे सभी स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं और हम आने वाले वर्षों में इस कार्यक्रम में पर्याप्त वृद्धि करना चाहते हैं।

श्री पी० नामग्याल : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि ऐसे प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों के चयन में पर्वतीय जन-जातीय और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को ऐसी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का अवसर नहीं मिलता है, हालांकि उनके पास न्यूनतम अर्हताएं हैं, जिसके परिणामस्वरूप विभाग को ऐसे स्थानों पर कार्मिकों की नियुक्ति में भी कठिनाई होती है। यहां पर मैं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की बात नहीं कर रहा अपितु टेलीफोन ऑपरेटरों तथा लाइनमैनों के पाठ्यक्रमों की बात कर रहा हूं। यदि ऐसा है, तो

क्या सरकार जन-जातीय पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के लिए कुछ स्थान आरक्षित रखेगी ताकि विभाग द्वारा इस समय अनुभव की जा रही कार्मिकों की नियुक्त सम्बन्धी कठिनाई पैदा न हो।

श्री राम निवास मिर्धा : जबकि यह संभव नहीं होगा कि पिछड़े क्षेत्रों और जन-जातीय क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं में वास्तव में स्थान आरक्षित किये जा सकें, परन्तु जहां तक जनजातीय क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा नयी प्रणाली के संभाले जाने का संबन्ध है इस आवश्यकता को मान लिया गया है तथा वास्तव में हमें पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर्मचारी भेजने में कठिनाई हो रही है। अत: हम उन व्यक्तियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं जो कि वास्तव में वहां पर स्थित हैं। अत: माननीय सदस्य द्वारा आरक्षण संबन्धी प्रश्न पैदा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि इन क्षेत्रों का कार्य सही रूप से चले तथा उस क्षेत्र के व्यक्तियों को उन संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे उस क्षेत्र में काम कर सकें।

[हिन्दी]

श्री सरफराज अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बिहार में ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है, अगर नहीं है तो कब तक वहां पर खोलने का इरादा रखते हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा : बिहार में एक ट्रेनिंग सेंटर है। जैसा कि मैंने लिस्ट में बताया है कि एक सेंटर वहां पर है और आवश्यकताओं को देखते हुए और भी बढ़ाए जायेंगे।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों के लिए भण्डारण स्थल

*310. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक धनराशि की कमी होने के कारण देश में पेट्रोलियम पदार्थों के लिए भंडारण स्थलों की भारी कमी हो जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो देश में पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए इस समय कितने भंडारण स्थल हैं और उनकी क्षमता कितनी है?

पेट्रोलियम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) देश में पेट्रोलियम उत्पादकों की भण्डारण क्षमता की पर्याप्तता की लगातार पुनरीक्षा की जाती है तथा धन उपलब्ध होने पर जहां कहीं आवश्यक होता है उसकी क्षमता बढ़ायी जाती है। लोकहित में कोई और विवरण देना उचित नहीं होगा।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं नहीं समझ सका कि ऐसा कौन-सा लोकहित है जो मंत्री महोदय को अधिक विवरण देने से रोकता है। फिर भी मैं उनसे निम्न जानकारी चाहूंगा। पिछला सर्वेक्षण कब किया गया था। उस सर्वेक्षण के अनुसार पेट्रोलियम की भण्डारण क्षमता क्या है, वर्तमान उपलब्धता क्या है तथा और कितनी आवश्यकता है? स्थिति सुधारने के लिए

क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ? भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिए सातवीं योजना में कितनी राशि का आबंटन किया गया है ?

श्री नवल किशोर शर्मा : महोदय, भण्डारण क्षमता में वृद्धि एक निरन्तर प्रक्रिया है तथा बढ़ती हुई मांग के अनुसार हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि पर्याप्त भंडारण क्षमता तैयार की जाए। साधारणतः हम 45 दिन के लिए भण्डारण क्षमता चाहते हैं। परन्तु संसाधनों की कमी होने के कारण कभी-कभी इतनी भंडारण क्षमता रखी नहीं जा पाती। सामरिक महत्व के कारण तथा सुरक्षा तथा उत्पादों की संवेदनशील प्रकृति के कारण मैंने निवेदन किया था कि विवरण देना लोकहित में नहीं होगा। जहां तक सातवीं पंचवर्षीय योजना के आबंटन का प्रश्न है हमें उस योजना के भंडारण के लिए आवश्यक धन जुटा पाना कठिन हो रहा है। परन्तु कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में उचित सुविधाओं के अभाव में क्या कठिनाइयां तथा असुविधाएं होंगी। उन कमियों को दूर करने तथा उनसे पैदा होने वाली असुविधाओं से बचने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है। वे उन पर कैसे काबू पाना चाहती है अथवा क्या पेट्रोलियम उत्पादों में कोई आधुनिकतम टैक्नालोजी अपेक्षित है तथा क्या विदेशी सहयोग के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : उचित भण्डारण क्षमता की कमी के कारण उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है जोकि स्पष्ट है। परन्तु प्रश्न भण्डारण क्षमता निर्मित करने के लिए संसाधन जुटाने का है। इसलिए योजना आयोग द्वारा धन की मंजूरी दी जाती है, और यदि योजना आयोग द्वारा धन उपलब्ध कर दिया जाता है तो अपेक्षित भण्डारण क्षमता निर्मित करना कठिन नहीं है। जहां तक टैक्नालोजी का सम्बन्ध है इसमें कोई आधुनिक विधि नहीं है और हम भंडारण क्षमता के लिए सक्षम हैं। इसमें किसी विदेशी सहयोग की आवश्यकता नहीं है।

डा० कृपासिन्धु भोई : महोदय, मंत्री महोदय मेरे मित्र श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही के प्रश्न का अलंकारी उत्तर दे रहे हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभी अलंकरणों से सुसज्जित करने पर प्रश्न अब कैसा लगता है ?

डा० कृपासिन्धु भोई : कच्चा तेल अथवा पेट्रोलियम कोई एक उत्पाद नहीं है अपितु इसमें बहुत से उप-उत्पाद हैं। उन्होंने विशेष रूप से पूछा है कि हमारे देश की अधिष्ठापित भंडारण क्षमता कितनी है ? मंत्री महोदय ने बताया कि सुरक्षा के कारण जानकारी नहीं दी जा सकती। हम स्थानों के बारे में नहीं पूछ रहे हम 45 दिन के सुरक्षित भंडार के लिए भंडारण क्षमता के बारे में पूछ रहे हैं, उसकी उपलब्धता अधिष्ठापित क्षमता और उपयोग में लाये जाने के बारे में पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जानकारी देने से इन्कार करने में उनकी कार्यवाही ठीक है।

डा० कृपासिन्धु भोई : हमें भण्डारण क्षमता अवश्य बताई जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं समझता । मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

डा० कृपासिन्धु भोई : स्थान वह नहीं बता सकते । लोकहित में वह नहीं बता सकते । अत: आप हमें केवल वित्तीय कठिनाइयों के बारे में बता रहे हैं । ये प्रति वर्ष, प्रति दिन बढ़ती जा रही है तथा दो वर्ष पूर्व हुए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हमें इसमें आत्म-निर्भर होना चाहिए । मंत्री महोदय को विस्तार से बताना चाहिए कि व्यापक उत्पाद तथा खोज कार्य किये जाने के बाद हम अपने पेट्रोलियम तथा कच्चे तेल के उत्पादन को सातवीं योजना के दौरान कैसे उपयोग में लाना चाहते हैं ? क्या धन उपलब्ध कराया जायेगा । मैं आशा करता हूं ये ब्योरे पूछने पर सारा सदन मेरा साथ देगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह बिलकुल संगत नहीं है । प्रश्न भण्डारण के बारे में है ?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि पैट्रोलियम प्रोडक्टस की प्रौपर स्टोरेज कैपेसिटी न होने के कारण बाजार में उसकी क्या हालत हो जाती है, उससे आप अच्छी तरह अवगत हैं । उसके कारण प्राइसेज बढ़ जाती हैं और दूसरी कई व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं । इस साल बजट में आपने डीजल, पैट्रोल आदि पर जो पैसा बढ़ाया है, उसमे सरकार को कितनी राशि प्राप्त होगी और स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या उस राशि में कुछ भाग का उपयोग किया जाएगा अथवा नहीं ?

श्री नवल किशोर शर्मा : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, यह बात सही है कि स्टोरेज कैपेसिटी प्रौपर न होने की वजह से कई तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं और कभी-कभी उससे कीमतें भी बढ़ जाती हैं और मुनाफाखोर उस स्थिति का दुरुपयोग करने लगते हैं, मुनाफा कमाने लगते हैं । जहां तक कीमत बढ़ाने से मिलने वाली राशि का सम्बन्ध है, वह पैसा सिर्फ हमको नहीं मिलता, उसका बहुत बड़ा हिस्सा सरकार के पास चला जाता है और उस पैसे को खर्च करने की छूट हमें नहीं है, उसके लिए प्लानिंग कमीशन से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है । प्लानिंग कमीशन की एलोकेशन के मुताबिक ही हम पैसा खर्च कर सकते हैं । चूंकि अभी प्लानिंग कमीशन से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, हम आशा करते हैं कि आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग कमीशन हमें ज्यादा पैसा स्वीकृत करेगा ।

[अनुवाद]

विदेशी औषध कम्पनियों के प्रमुखों को रुकने की अनुमति देने की प्रक्रिया

*311. **श्री प्रकाशचन्द्र** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी औषध कम्पनियों के प्रमुखों को रुकने की अनुमति देने की प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या कुछ मामलों में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) विदेशी औषध कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्तियां और कार्यकाल में वृद्धि की मंजूरी कम्पनी कार्य विभाग द्वारा कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत दी जाती है । कुछ

मामलों को कम्पनी कार्य विभाग अपने विवेक पर इस मंत्रालय के दृष्टिकोण से अनापत्ति के बारे में सलाह हेतु भेजता है। जहां इस प्रकार अनुमोदित प्रबन्ध निदेशक यदि विदेशी है तो उसे सम्बन्धित देश में भारतीय मिशन/गृह मंत्रालय और इसकी सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा उचित जांच पड़ताल के बाद दिया जाने वाला उपर्युक्त बीसा प्राप्त करना होता है।

(ख) जी, नहीं

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री प्रकाश चन्द्र : कौन से मामले हैं जो कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा कम्पनी कार्य विभाग को 'अनापत्ति' के पहलू के अध्ययन के लिए भेजे गये हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यह आवश्यक नहीं है कि कम्पनी कार्य विभाग सभी मामले प्रशासनिक मंत्रालय को भेजे, जिन मामलों को आवश्यक समझते हैं। उन्हें वे भेजते हैं, परन्तु यदि माननीय सदस्य मामलों की संख्या और इनके ब्यौरे जानना चाहते हैं तो उन्हें एक पृथक प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री प्रकाश चन्द्र : मैसर्स रोश एक विदेशी फर्म औषधि के उत्पादन के लिए लाइसेंस प्राप्त है जोकि अपने लाइसेंस का प्रतिवर्ष नवीकरण करा रही है। यदि हां, तो कितने वर्षों से ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य ने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है जिसके लिए मुझे नोटिस चाहिए।

उड़ीसा के कोरापुट जिले में दूरसंचार की सुविधाएं

*312. **श्री अनादि चरण दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोरापुट जिले को, जो औद्योगिक और पन-बिजली के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अभी तक सीधी डायल सेवा की सुविधाओं से नहीं जोड़ा गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने कोरापुट जिले के आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर दूरसंचार की सुविधाएं प्रदान करने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) कोरापुट जिले के सभी खण्ड मुख्यालयों को भुवनेश्वर के साथ टेलीफोन की सुविधाओं से तुरन्त जोड़ने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, उपर्युक्त क़िस्म के स्वचल टेलीफोन एक्सचेंजों और विश्वसनीय संचारण सम्पर्कों के उपलब्ध न होने के कारण कोरापुट जिले में एस०टी०डी० सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकीं।

(ख) जी, हां।

(1) जेपोर (के), कोरापुट तथा कोरापुट जिले के रायगडा टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचल बनाने का प्रस्ताव है।

(2) कोरापुट जिले में समन्वित अंकीय नेटवर्क प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसमें छोटे इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की स्थापना करने और उन्हें अंकीय रेडियो प्रणाली द्वारा कोरापुट से जोड़ना शामिल है। हालांकि, यह निधि और उपस्कर की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(3) कोरापुट जिले के जन-जातीय क्षेत्र के 185 गांवों की लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) सभी ब्लाक मुख्यालयों को भुवनेश्वर के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कोरापुट जिले के टेलीफोन एक्सचेंज अपने मूल (पैरेंट) एक्सचेंज द्वारा भुनेश्वर से सम्पर्क कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : अध्यक्ष महोदय, कोरापुट में एस.टी.डी. लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि यह जिला स्टेट कैपीटल से बहुत दूर हो जाता है, वैसे भी यह बड़ा जिला है और वहां आदिवासी लोग ज्यादा हैं तथा वहां पर अभी थोड़ी इंडस्ट्री लग गई है और नई इंडस्ट्री लगने जा रही हैं। वहां पर कुछ न कुछ अभी हर रोज ऐसा हो जाता है कि वे जो कैपीटल से सम्बन्ध करना चाहते हैं, वह नहीं हो पाता है दो-चार दिन तक लाइन कटी रहती है, यानि सम्पर्क स्थापित नहीं हो पाता है और खबर ठीक टाइम पर नहीं पहुंच पाती है, इसलिए इसको एस.टी.डी. प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर नाल्को वगैरह बड़ी-बड़ी फैक्ट्री लग रही हैं, उनको एस.टी.डी. की बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए खबर इत्यादि देने में गड़बड़ न हो, तथा जो फैक्ट्रीज वहां लगने वाली हैं, उनको सुविधा मिल सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर जल्दी से जल्दी एस.डी. टी. सुविधा देने पर वे विचार कर रहे हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, किसी भी एक्सचेंज को एस.टी.डी. में लाने के लिए दो-तीन बातें करनी होती हैं—पहली बात तो यह कि उस एक्सचेंज को औटोमेटिक बनाना होता है, कोरापुट एक्सचेंज अभी औटोमेटिक एक्सचेंज नहीं है, लेकिन कार्य चल रहा है और उस एक्सचेंज के लिए जो मशीनरी है, उसको बाहर से मंगाने की कोशिश की जा रही है और 400 लाइन का औटोमेटिक स्वरूप का एक्सचेंज वहां शीघ्र ही चालू हो जाएगा। उसके पश्चात् हमारी योजना है कि कोरापुट एक्सचेंज को कटक ट्रंक औटोमेटिक एक्सचेंज के साथ जोड़ा जाए। कटक में ट्रंक एक्सचेंज अभी नहीं बना है, लेकिन उसको बनाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पहले कोरापुट को औटोमेटिक एक्सचेंज बनाएंगे, तत्पश्चात् उसको कटक ट्रंक औटोमेटिक एक्सचेंज के साथ जोड़ा जाएगा।

श्री अनादि चरण दास : अध्यक्ष महोदय, ये कब तक होगा, इसकी भी जानकारी हमें चाहिए तथा अपने प्रश्न के साथ में मैंने यह भी पूछा था कि ब्लाक को राजधानी से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है या नहीं क्योंकि कोरापुट के अलावा जिले के अन्य ब्लाकों तक तो लाइन भी नहीं बिछाई गई है, तो क्या वहां पर लाइन बिछाने के लिए कोई प्रावधान कर रहे हैं, क्या उसके लिए आपकी कोई प्रास्पेक्टिव प्लानिंग है, बल्कि कोरापुट के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे उड़ीसा के लिए कोई इस प्रकार की प्लानिंग है ? अगर है, तो आप हमें उसकी जानकारी दीजिए।

श्री रामनिवास मिर्धा : श्रीमन्, ब्लाक तक जोड़ने का अभी हमारी योजना में कोई उल्लेख नहीं है। ये कोशिश हम अवश्य कर रहे हैं कि जिला मुख्यालय राजधानी से जोड़ें जाएं और उनको हम उच्चतम प्राथमिकता दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुड्डी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि भारत में कितने जिला मुख्यालय ऐसे हैं जिन्हें एस.टी.डी. से नहीं जोड़ा गया है और इन जिला मुख्यालयों को भारत सरकार एस.टी.डी. से कब जोड़ देगी ?

[हिन्दी]

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, अभी भी काफ़ी ऐसे जिला मुख्यालय हैं जहाँ पर एस.टी.डी. की सुविधा नहीं है लेकिन हम कोशिश करेंगे सातवीं योजना में कि कम से कम जिला मुख्यालयों को पहले औटोमेटिक बनाएं और उसके पश्चात् उनको राजधानी से जोड़ा जाए, लेकिन यह कार्य हमारी सातवीं योजना के आकार पर निर्भर करता है। इसलिए इस बारे में निश्चित रूप से इस समय कुछ कहना सम्भव नहीं है।

श्री मोहम्मद अयूब खां : अध्यक्ष महोदय, क्या राजस्थान के झुंझनू और सीकर जिले भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं ?

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : बड़ा इम्पार्टेण्ट सवाल है।

श्री राम निवास मिर्धा : अवश्य फायदा उठा सकते हैं।

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : श्रीमन् इस सीकर के सवाल पर, यदि थोड़ा सा हम भी पूछ लें, तो हमें भी कुछ उत्तर मिल जाए, जिससे हम भी सुरक्षित हो जाएं…

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब कहा, मैं तो आपके आदेश पर बैठा हूं, मेरी रक्षा भी आपके सहारे है, आप मेरी रक्षा करेंगे, तो मैं बचा रहूंगा……

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि तमाम सुविधायें देने के बावजूद तथा इलेक्ट्रिक उपकरणों में बदलने के बावजूद जनता की टेलीफोन सम्बन्धी कठिनाइयों में कटौती नहीं होती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या माइक्रोवेव सिस्टम को डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर इंट्रोड्यूस करने का सरकार का कोई इरादा है, यदि है, तो यह कब तक इंट्रोड्यूस हो जाएगा ?

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, मायक्रोवेव प्रणाली हम कई जगह पर कई स्थानों पर लगाएंगे और मायक्रोवेव ही नहीं बल्कि सैटेलाइट व्यवस्था जो आज है, उसको हम बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्य के इस कथन से सहमत हूं कि केवल एक्सचेंज बढ़ाने से, टेलीफोन बढ़ाने से हमारी समस्याएं हल नहीं होंगी, जब तक जोड़ने वाले सिस्टम की कमी रहेगी। इसलिए चाहे मायक्रोवेब हो, चाहे वह सैटेलाइट हो या अन्य प्रकार से हो, इसको जल्दी से जल्दी किया जाए, इसके बारे में हमारी योजनाएं हैं।

श्री मानकू राम सोडी : अध्यक्ष महोदय, बस्तर जिले में एक माइक्रोवेव टावर का

निर्माण कार्य आरम्भ हुआ है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो कार्य आरम्भ हुआ है, उसकी कोई समय सीमा है या नहीं ? हम 5 साल से देख रहे हैं कि वह टावर बन रहा है। हमारे आदिवासी भाई बोल रहे हैं कि उस टावर में आसमान के किसी फरिश्ते के लिए जगह बनाई जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इस कार्य के पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय : अगर किसी फरिश्ते के उतारने का है तो उसके लिए कौन-सी तिथि निर्धारित की गई है, यह भी जोड़ दें।

श्री मानकू राम सोडी : वह तिथि भी अगर मालूम पड़ जाये तो मैं अपने आदिवासियों को बता दूंगा।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि किस माइक्रोवेव टावर का माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं। लेकिन जो कार्य आरम्भ हुआ है वह अवश्य ही सम्पन्न होगा।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना : क्या यह सच है कि हमारे देश के बहुत से जिला मुख्यालयों में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है जिससे कि जिला मुख्यालयों के सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों में परिवर्तित किया जा सके ? यदि हां तो, इस कार्यक्रम को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री रामनिवास मिर्धा : यह सच है कि देश के सभी जिला मुख्यालयों में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज नहीं हैं। हम उन्हें सातवीं योजना में स्वचालित बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

लालगढ़ रेल स्टेशन के समीप माइक्रोवेव टावर का गिरना

* 313. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में लालगढ़ रेल स्टेशन के समीप निर्माणाधीन माइक्रोवेव (सूक्ष्मतरंग) टावर एक मामूली अंधड़ से धराशायी हो गया;

(ख) यदि हां, तो उसके गिर जाने के क्या कारण थे;

(ग) क्या इसके बारे में उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है, और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या देश में बने अन्य माइक्रोवेव टावरों का सुदृढ़ता की जांच कराने का सरकार का विचार है, ताकि उनकी मजबूती सुनिश्चित की जा सके ?

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) आरम्भिक रिपोर्टों से पता चलता है कि यह टावर तेज चक्करदार-हवाओं से गिरा था।

(ख) इसके कारणों की जांच की जा रही है।

(ग) जिम्मेदारी तभी निर्धारित की जा सकती है जबकि जांच कार्य पूरा हो जाए।

(घ) टावरों के दैनिक रख-रखाव के बारे में हिदायतें पहले ही जारी की जा चुकी हैं। टावर के गिरने के निश्चित कारणों का जब पता लग जाएगा, उसके बाद यदि आवश्यक हुआ, तो और हिदायतें जारी की जाएंगी।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में टावर तेज चक्करदार हवाओं से गिरने के कारण दिये हैं और कहा है कि इसके कारणों की जांच हो रही है। इसमें कई प्रश्न सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो टावर का निर्माण हुआ है वह किसने और कब किया था ? सरकार जिन टावर स्टेशनों का निर्माण कराती है, उसकी मजबूती के बारे में किस प्रकार जानकारी की जाती है ?

कहां-कहां माइक्रोवेव टावर बनाये गए हैं, क्या उनके निर्माण की सुदृढ़ता की जांच कर ली गई है और आने वाले वर्षों में सातवीं पंचवर्षीय योजना में टावर का जो जाल हम दूर तक बिछा रहे हैं, उनमें आगे ऐसी दुर्घटनायें न होने देने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी ?

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन् लालगढ़ बीकानेर के पास यह टावर बन रहा था जो कि निर्माणाधीन था। इसका काम अप्रैल 1985 में प्रारम्भ हुआ और इसकी ऊंचाई 80 मीटर तक बन गई थी, लेकिन यह करीब 100 मीटर तक बनने वाला था तो बीच में 12 जून 1985 को एक बहुत तेज हवा आई जिसकी वजह से यह टावर जो कि निर्माणाधीन था, वह गिर गया और बीकानेर पावर हाऊस में जो चिमनी थी वह भी इसी के साथ गिर गई क्योंकि बहुत तेज हवा आई थी, इसके कारण ही ऐसा हुआ था।

श्री हरीश रावत : महोदय, मन्त्री महोदय हवा की स्पीड भी बता दें।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : मन्त्री महोदय अन्धड़ या तूफान कह देते तो ज्यादा अच्छा रहता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राजस्थान में हवा ही तेज चलती है।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, इसकी जांच की जा रही है। इसकी फाउंडेशन बिल्कुल ठीक है, वह नहीं गिरी है। बीच में बनते-बनते आंधी आने की वजह से गिर गई और हम इसकी जांच कर रहे हैं। डिजाइन में कोई दिक्कत थी, या स्ट्रक्चर कमजोर था, इसकी जांच की जा रही है और उस जांच के आधार पर जो कुछ निष्कर्ष निकलेगा, उस पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री विलास मुत्तेमवार : क्या आने वाले समय में यह दुर्घटनायें टालने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : हमने जहां तक जानकारी की है उससे पता लगा है कि पिछले इतने

वर्षों में केवल तीन ऐसी घटनायें हुई हैं जिसमें निर्माणाधीन टावर गिरे हों। उनकी भी जांच की थी, उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है, उसके आधार पर हम रिसर्च वालों को कह रहे हैं कि डिजाइन बदलें, लेकिन यह घटना बहुत आकस्मिक हो गई और आगे के लिए इसको किस प्रकार रोका जा सकता है, उस पर कदम रिपोर्ट आने के बाद ही उठाये जायेंगे।

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी : महोदय,आन्ध्र प्रदेश में विधायकों को टेलीफोन सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। जो विधायक 1983 में चुनकर आये थे, सौभाग्य से वे 1985 में भी जीतकर आ गये हैं। हमने अनेक अभ्यावेदन भेजे हैं परन्तु आन्ध्र प्रदेश में एक भी विधायक को टेलीफोन सुविधा प्रदान नहीं की गयी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, क्योंकि इस पर 'तेलुगु देशम' शासन कर रहा है अथवा क्या मंत्री महोदय सभी विधायकों को टेलीफोन सुविधा तुरन्त प्रदान करने जा रहे हैं। चूंकि वे भी जन-प्रतिनिधि हैं और वे अपने निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उन्हें तुरन्त टेलीफोन सुविधा प्रदान की जाए।

श्री राम निवास मिर्धा : आन्ध्र प्रदेश में कोई बड़ा टावर नहीं गिरने जा रहा है।

यात्री वाहनों का निर्माण

*314. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने देश में यात्री वाहनों के निर्माण के लिए लाइसेंस देने की नीति अधिक उदार कर दी है;

(ख) यात्री वाहनों के निर्माण के लिए अब तक कितने आशय पत्र जारी किये गये हैं और उनके विदेशी सहयोगियों के नाम क्या हैं;

(ग) प्रत्येक निर्माणकर्ता कम्पनी के वाहनों की वार्षिक निर्माण क्षमता कितनी है; और

(घ) उनका सम्भावित बाजार मूल्य कितना होगा ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जनवरी, 1985 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार लाइसेंस देने के प्रयोजन से मोटरगाड़ियों को दुपहियों और चौपहियों की दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है।

(ख) तथा (ग) प्रमुख निर्माताओं के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(घ) चूंकि मूल्यों पर कोई नियन्त्रण नहीं है इसलिए विभिन्न मेकों और माडलों की गाड़ियों के मूल्यों के बारे में जानकारी सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है। किन्तु यह जानकारी निर्माताओं विक्रेताओं के पास उपलब्ध है।

विवरण

क्रमांक	निर्माता का नाम	स्वीकृत क्षमता (नगों में)	वर्तमान सहयोगी, यदि कोई हो, का नाम
1	2	3	4
I	**चौपहिए**		
	(क) यात्री कारें :		
1—	मेसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड	1,00,000	मेसर्स सुजुकी मोटर कम्पनी, जापान
2—	मेसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड	28,600	मेसर्स निसान, जापान (इंजन ट्रांसमिशन)
3—	मेसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड	50,000	मेसर्स इसुजु मोटर कम्पनी, जापान (इंजन ट्रांसमिशन और एक्सल के लिए)
	(ख) वाणिज्यिक गाड़ियां :		
1—	मेसर्स टेल्को	78,000	मेसर्स लेलैंड यू०के० (केवल कैब के लिए)
2—	मेसर्स अशोक लेलेंड लिमिटेड	45,000	मेसर्स आटोमोबाइल्स पीगाट, फ्रांस
3—	मेसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड	13,000	मेसर्स डैम्लेर बेंज, प० जर्मनी
4—	मेसर्स बजाज टेम्पो लिमिटेड	30,000	मेसर्स सुजुकी मोटर कम्पनी, जापान
5—	मेसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड	40,000	आस्टिन रोवर, यू०के० (यात्री कार और
6—	मेसर्स स्टैन्डर्ड मोटर प्रोडक्टस आफ इण्डिया लिमिटेड	27,500	एल.सी.वी. इंजन)
7—	मेसर्स आल्विन निस्सान	10,000	मेसर्स निस्सान मोटर कम्पनी, जापान

1	2	3	4
8—	मेसर्स डी०सी०एम० टोयोटा लिमिटेड	15,000	टोयोटा मोटर कारपोरेशन, जापान
9—	मेसर्स आइशर मोटर लिमिटेड	12,000	मित्सुबिशी मोटर कारपोरेशन, जापान
10—	मेसर्स स्वराज मजदा	10,000	माजदा मोटर कारपोरेशन, जापान
II दुपहिए			
1—	मेसर्स बजाज आटो लिमिटेड	570,000	मेसर्स कावासाकी हेवी इन्डस्ट्रीज, जापान
2—	काइनेटिक होंडा	150,000	मेसर्स होन्डा मोटर कम्पनी, जापान
3—	मेसर्स इन्ड-सुजुकी	200,000	मेसर्स सुजुकी मोटर कम्पनी, जापान
4—	मेसर्स हीरो होन्डा	200,000	मेसर्स होन्डा मोटर कम्पनी, जापान
5—	मेसर्स स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड	150,000	—
6—	मेसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड	100,000	मेसर्स पीयागिओ एस०पी० ए०, इटली
7—	मेसर्स एस्कोर्ट्स लिमिटेड	230,000	मेसर्स यमाहा मोटर कम्पनी, जापान
8—	मेसर्स इन्फील्ड इण्डिया लिमिटेड	120,000	जन्डापी वर्क्स, प० जर्मनी
9—	मेसर्स आइडियल जावा	92,000	पालिटेबना, चेकोस्लोवाकिया
10—	महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड	73,900	—
11—	मेसर्स वैस्पा कार कम्पनी	200,000	पियागिओ एस०पी०ए०, इटली
12—	किनेटिक इंजी० कम्पनी	400,000	—
13—	मेसर्स मेजेस्टिक आटो	110,000	—
	मेसर्स सुन्दरम क्लेटन	354,000	—

श्री रणजीतसिंह गायकवाड़ : महोदय, प्रश्न के प्रथम भाग को देखते हुए, मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर बिलकुल संतोषजनक नहीं है और न ही यह संगत है। मैंने यह पूछा है कि क्या सरकार ने यात्री वाहनों के निर्माण के लिए लाइसेंस देने की नीति अधिक उदार कर दी है। इसके अतिरिक्त मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार के पास यात्री वाहनों के निर्माण हेतु और कितने आवेदन पत्र अभी भी लम्बित पड़े हैं और क्या देश में ऐसे वाहनों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, माननीय सदस्य ने मुझसे उन उपायों को स्पष्ट करने के लिए पूछा है जो नीति को उदार बनाने के लिए किये गये हैं। वह किसी भी शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं, परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने आटोमोबाइल उद्योग के बेहतर विकास के लिए कई कदम उठाए हैं और उनमें से एक उन्हें अधिक प्रोत्साहन देना है। उसके अतिरिक्त बहुत से अन्य प्रोत्साहन भी दिये गये हैं। वाणिज्यिक वाहन उद्योग को, बड़े औद्योगिक गृहों की भागीदारी के लिए खुला घोषित कर दिया गया था। इसी प्रकार, अप्रैल 1982 में, सरकार ने यात्री कारों को भी परिशिष्ट-I में सम्मिलित कर लिया था और इस प्रकार बड़े गृहों तथा :फेरा' गृहों को इन उधोग की स्थापना में भागीदार बनने की अनुमति दे दी गई और उन्हें बढ़ी हुआ क्षमता को नियमित करने और स्वचालित वृद्धि का लाभ लेने की भी अनुमति दे दी गई। डी.जी.टी.डी. तथा भारी उद्योग विभाग द्वारा चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम की स्वीकृति तथा ईंधन कुशलता प्रमाणीकरण की शर्त पर, सरकार ने वाणिज्यिक वाहनों और यात्री कारों के निर्माण हेतु आवश्यक कल-पुर्जों के आयात पर घटी दर पर सीमा शुल्क की भी अनुमति दे दी है।

जहां तक लम्बित पड़े आवेदन पत्रों की संख्या का प्रश्न है, मेरे पास इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है। मैं वह सूचना माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

श्री रणजीतसिंह गायकवाड़ : वाहनों के और अधिक निर्माताओं का मतलब है सड़क पर और अधिक वाहन होने का अर्थ है सड़क पर भीड़-भाड़ और वायु तथा ध्वनि का प्रदूषण। यदि सड़क पर और अधिक वाहन होंगे तो इन खतरों का जनता को सामना करना पड़ेगा। अतः, मैं यह जानना चाहूंगा, यद्यपि इससे पहले के प्रश्न में मैंने उल्लेख किया था कि क्या और अधिक वाहनों की आवश्यकता को लेकर क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है और क्या वाहनों के निर्माण हेतु लाइसेन्स जारी करते समय इन खतरों पर भी ध्यान दिया गया है।

रसायन तथा उर्वरक और उद्योग तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : यात्री कारों के निर्माण हेतु तीन प्रमुख कम्पनियों को लाइसेन्स दिये गये हैं जिनमें से एक है मारुति उद्योग लिमिटेड, दूसरी है प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड और नम्बर तीन है हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड। जहां तक वाणिज्यिक मोटरगाड़ियों का सम्बन्ध है भारी सेवा मोटरगाड़ियां और हल्की वाणिज्यिक मोटरगाड़ियों के निर्माण हेतु दस लाइसेन्स जारी किए गये हैं और अभी हाल ही में सरकार ने मुख्य प्रोत्साहन योजना भी लागू की है। मुझे यह स्पष्ट करने की अनुमति दी जाए कि यह मुख्य प्रोत्साहन योजना क्या है। जहां तक चार पहिया मोटरगाड़ियों का सम्बन्ध है, यदि कोई कम्पनी ट्रक बना रही है तो लाइसेन्स क्षमता के भीतर उन्हें यात्री कारें बनाने की भी छूट है और यदि कम्पनी यात्री कारें बना रही है तो उन्हें लाइसेन्स क्षमता के भीतर ट्रक बनाने

की छूट है और यदि कम्पनी जीप बना रही है तो लाइसेन्स क्षमता के भीतर उन्हें अन्य कोई भी चार पहिया मोटरगाड़ी बनाने की स्वतन्त्रता है।

श्री रणजीतसिंह गायकवाड़ : महोदय, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है।

मैंने कहा था कि और अधिक गाड़ियां बनाने का अर्थ है। सड़कों पर और अधिक गाड़ियां जिनसे भीड़-भाड़ बढ़ेगी और सड़कों पर दुर्घटनाएं बढ़ेंगी और इसके साथ-साथ और भी अधिक वायु और ध्वनि प्रदूषण होगा जिसका आम जनता को सामना करना पड़ेगा। उस प्रयोजनार्थ मन्त्री महोदय से पूछा था कि सड़कों पर लाई जाने वाली अतिरिक्त मोटर गाड़ियों की संख्या जानने के लिए क्या कोई सर्वेक्षण कराया गया है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, मुझे उसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं अपने को चार पहिया यात्री कारों तक ही सीमित रखूंगा। मन्त्री महोदय ने सदन को यह बताकर अच्छा किया है कि केवल तीन कम्पनियों को ही यह लाइसेन्स दिया गया है, परन्तु मुख्य प्रोत्साहन योजना के अधीन अन्य सभी कम्पनियों को यात्री कारें बनाने की अनुमति दी जायेगी जिसके परिणामस्वरूप स्टैन्डर्ड मोटर्स ने 'स्टैन्डर्ड रोवर्स' बनाने के लिए आस्टिन रोवर्स के साथ सहयोग किया है।

मैं अब जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि यात्री कारों के निर्माण हेतु दिए गए लाइसेन्सों की क्षमता 5 लाख तक होगी। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि प्रधान मन्त्री महोदय ने इस क्षेत्र की समीक्षा करते समय हाल ही में यह पाया था कि देश का घरेलू बाजार घरेलू मांग से आगे निकलने जितना बड़ा नहीं होगा। यदि हां, तो इतने सारे लाइसेन्स प्रदान करने और ऐसी लाइसेंन्सिग क्षमता प्रदान करने के क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने स्पष्ट किया है कि ये कम्पनियां चौपहिये के किसी अन्य माडल को अपनाने की बात सोचने से पहले बाजार का सर्वेक्षण करती हैं और परियोजना के आर्थिक पहलुओं को तैयार करती हैं और उसके बाद ही वे उस बारे में सोच सकती हैं। जहां तक स्टैन्डर्ड मोटर्स का सम्बन्ध है माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख किया है। स्टैन्डर्ड मोटर्स अपनी लाइसेन्सिग क्षमता में पहले से ही स्टैन्डर्ड मोटर्स का निर्माण कर रहे हैं तथा रोवर्स अर्थात् ब्रिटेन के सहयोग से उसी क्षमता में स्टैंडर्ड रोवर्स का निर्माण करना चाहते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : क्या यह सच नहीं है कि कुछ वर्ष पूर्व तब एक अध्ययन किया गया था जब यह पता चला था कि यात्री मोटरगाड़ियों की परिसीमित मांग केवल एक लाख गाड़ियां प्राक्कलित की गई थीं ? यदि हां, तो बिना वार्षिक मांग और मांग में वार्षिक वृद्धि के भी प्राक्कलन के सरकार ने इतनी सारी यात्री गाड़ियों के लिए लाइसेंन्स कैसे प्रदान कर दिए ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि जब तक मारुति सामने आई और उत्पादन आरम्भ किया, जहां तक सवारी कारों का सम्बन्ध था, बाजार बेचने वालों के हाथ में था, खरीददारों के हाथ में नहीं। सरकार की नीति यह सुनिश्चित करना है कि यात्री कार हो या ट्रक हो, जो कुछ भी हो, बाजार सदैव खरीददार के ही हाथ में रहे, बेचने वाले के हाथ में नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह खरीददारों का बाजार हो तो हमें अधिक

उत्पादन करना पड़ेगा। अतः उस सीमा तक, मेरे विचार से हम इस अवस्था तक, नहीं पहुंच सके हैं जहां हम कह सकते हैं कि हम देश में उपयोग से बहुत अधिक उत्पादन कर रहे हैं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : स्वतन्त्रता के बाद गत 38 वर्षों से हमें देश में घटिया किस्म की कारों से काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि निर्माताओं को बहुत अधिक संरक्षण प्रदान किया गया है। सभी अन्य देशों में गुणवत्ता को बहुत ऊंचा रखा जाता है क्योंकि वहां प्रतियोगिता की अनुमति है। मारुति कारों के मामले में भी एक आशंका है कि जैसे-जैसे कल-पुर्जों का स्वदेशीकरण होता चला जायेगा इसकी गुणवत्ता घटती चली जायेगी। इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतियोगिता प्रोत्साहन हेतु क्या-क्या कदम उठा रही है कि देश के बाजार में आने वाली सभी यात्री कारों की मारुति स्तर की गुणवत्ता कैसे बनाई रखी जा सके ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अब आटोमोबाइल उद्योग में भी प्रतियोगी बाजार है। क्योंकि इससे पूर्व केवल 2 या 3 कम्पनियां ही कारें बना रही थीं। जैसा कि मैंने पहले ही यह कहा है यह बेचने वालों का बाजार था। अम्बेसेडर प्राप्त करने के लिए भी, प्रिमियर प्राप्त करने के लिए भी प्रयोक्ताओं को पंजीयन के बाद भी कई वर्षों तक लगातार प्रतीक्षा करनी पड़ती थी और आज, मारुति के बाद प्रतियोगिता हो गई है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि हम विदेशी सहयोग के बिना गुणवत्तापूर्ण कारें नहीं बना सकते हैं। अतः विदेशी सहयोग की अनुमति इस शर्त के साथ दे रहे हैं कि जो कुछ भी विदेशी सहयोग लिया जाता है, जो कुछ भी प्रौद्योगिकी की अनुमति दी, जाती है उस प्रौद्योगिकी को 5 वर्ष के भीतर-भीतर अपनाना पड़ेगा। अतः विदेशी सहयोग समझौते को स्वीकृति करने से पूर्व, हम उत्पादन के स्वदेशीकरण कार्यक्रम पर बल देते हैं और उसमें हम इस बात पर बल देते हैं कि लगभग सारे के सारे उत्पादन का 5 वर्ष में स्वदेशीकरण हो जाना चाहिये। आज केवल 3 या 4 कम्पनियाँ ही यात्री कारों का उत्पादन कर रही हैं परन्तु लगभग आधा दर्जन कम्पनियां यात्री कारें बनायेंगी। मेरे विचार से अति शीघ्र ही यह खरीददारों का बाजार बन जायेगा और देश को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण यात्री कारें मिलने लगेंगी।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मोटर्स 'कोन्टेसा' का एक मॉडल लाये थे जिसमें अनेक खामियां थीं और बिना तकनीकी स्वीकृति के इसे बाजार में बेच दिया गया ? खरीददार अब इन्जन में गम्भीर तकनीकी कमियों की शिकायतें कर रहे हैं परन्तु उसकी क्षतिपूर्ति हेतु प्रबन्धकों ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। क्या मंत्री महोदय प्रबन्धकों को खरीददारों की क्षतिपूर्ति करने को प्रोत्साहित करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी बातें न दोहराई जाएं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड का प्रश्न है, उनकी स्वीकृति क्षमता 50,000 है। उनकी वर्तमान सहभागी कम्पनी का नाम इसुजू मोटर कम्पनी, जापान है। यदि कोई शिकायत है तो हम निश्चय ही उस पर गौर करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

*307. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों की वर्तमान प्रतीक्षा-सूची को, गैस कनेक्शन देकर समाप्त करने के उद्देश्य से हाल ही में अपनी नीति का पुनर्विलोकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) एल० पी० जी० कनेकशनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को वार्षिक नामांकन कार्यक्रम के अधीन एल.पी.जी. कनैक्शन देने का प्रस्ताव है। वर्ष 1985-86 में 17.50 लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। एल.पी.जी. की प्राप्यता, भरण क्षमता में वृद्धि, तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भावी वर्षों में नये एल.पी.जी. कनेक्शन दिये जाएंगें।

आसाम को पर्याप्त मात्रा में वसूली वाले सीमेंट सम्भरण

*308. **श्री आनन्द पाठक** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम द्वारा निर्धारित कोटे के अनुसार असम राज्य को लेवी सीमेंट की सप्लाई करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप आसाम में निर्माण कार्य रुके पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) सीमेंट की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने और ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) असम राज्य को राज्य के कोटे के अन्तर्गत, जिसमें सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं सम्मिलित हैं, 1985 की दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून, 1985) में लेवी सीमेंट का आबंटन और प्रेषण निम्न प्रकार किया गया :—

सिंचाई एवं विद्युत सहित राज्य के कोटे के अन्तर्गत किया गया आबंटन	सिंचाई एवं विद्युत के सहित प्रेषण
69,800 मी० टन	38,83 4 मी० टन (अनन्तिम)

उपर्युक्त में से, सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया (सीसीआई) के सीमेंट कारखानों अर्थात् बोकाजन (असम) मंधार (म०प्र०) अकलतरा (म०प्र०) से किया गया सीमेंट प्रेषण 20,77

(अनन्तिम) मी० टन था जो 53·50 प्रतिशत को दर्शाता है। अतः यह कहना सही नहीं है कि सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया के सीमेंट कारखानों द्वारा लेवी सीमेंट का संभरण न किए जाने के कारण असम में निर्माण कार्य रुक गए हैं।

आबंटन की तुलना में प्रेषण में मुख्यतः फरक्का से पार रेल से सीमेंट भेजने में आने वाली कठिनाईयों के कारण कमी हो गई है। स्थिति में सुधार लाने के लिए असम को सीमेंट का प्रेषण करने में प्राथमिकता दी जा रही है।

सरकारी क्षेत्र की औषध कम्पनियों द्वारा गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को सस्ती दरों पर औषधों की बिक्री

*309. **श्री निर्मल कांति घोष :** क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कुछ औषध कम्पनियों ने पिछले पन्द्रह महीनों के दौरान अपने उत्पादन गैर सरकारी क्षेत्र की 6 एपीए का उत्पादन करने वाले कुछ एककों को सरकार द्वारा निर्धारित दरों से कम दरों पर बेचा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) इस प्रकार की बिक्री से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कितना नुकसान हुआ; और

(घ) 6 एपीए के जिन उत्पादकों को उनकी खपत के लिए कम दरों पर ये औषध बेची गई हैं, क्या उन्होंने उन औषधों को पुनः ऊंची दरों पर अन्य कम्पनियों को बेच दिया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य अधिकतम बिक्री मूल्य हैं। बाजार स्थिति और उनके वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर उत्पादक, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित, प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशनों को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतग बिक्री मूल्यों से अनिधिक मूल्यों पर बेचने को स्वतन्त्र हैं। पोटाशियम पोसिलिन जी फर्स्ट क्रिसटल्स के लिए निर्धारित मूल्य 582/ रुपए प्रति वीयू है। पिछले वर्षों में पेंसिलिन फार्मूलेशनों का मांग लगभग स्थिर रही, क्योंकि इसे नवीनतम एम्पिसिलिन तथा एमोक्सोसिलिन जैसे एंटिवायोटिक्स ने प्रतिस्थापित कर दिया है। आई.डी.पी.एल. तथा एच.ए.एल. पेंसिलिन फार्मूलेशनों कल विपणन करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, अगस्त, 1984 में आई. डी. पी. एल. और एच. ए. एल. 6 एपीए के उत्पादकों को पेंसिलिन फर्स्ट क्रिस्टल्स की आपूर्ति 500/-रुपए प्रति वीयू पर करने को सहमत हो गए ताकि उनकी क्षमता उपयोगिता बढ़ सके और पेंसिलिन के आयात से बचा जा सके। 6 एपीए के उत्पादन के लिए पेंसिलिन जी फर्स्ट क्रिस्टल्स के उच्चतर मूल्य से 6 एपीए के लिए पूल्ड मूल्य में वृद्धि करना आवश्यक हो जाएगा उसके परिणामस्वरूप एम्पिसिलिन/एमोक्सीसिलिन के मूल्य बढ़ेंगे। जिसका जनता पर प्रभाव पड़ेगा।

(घ) 6 रुपए के एक उत्पादन द्वारा एच. ए. एल. से प्राप्त किए गए पेंसिलिन फर्स्ट क्रिस्टल के पुनः बिक्री करने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। एच. ए. एल. ने पहले ही 6 एपीए के

उत्पादक को कहा कि अधिसूचित मूल्य तथा रियायती मूल्यों जिन पर उन्हें पेंसिलिन फर्स्ट क्रिस्टल की आपूर्ति की गई थी, के बीच के अन्तर की राशि उन्हें वापस की जाए। आगे के ब्यौरों का पता लगाया जा रहा है।

बम्बई शहर में नागरिक सुविधाओं से रहित किराये की इमारतों में डाक घर

*315. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक और तार विभाग बम्बई शहर में डाकघरों के लिए विभाग द्वारा प्रयोग में लाई जा रही इमारतों के लिए बहुत अधिक किराया दे रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बम्बई में कुछ डाक-घर ऐसी इमारतों में हैं, जो अवैध रूप से निर्मित हैं और जिनमें पानी जैसी नागरिक सुविधायें भी नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन सभी पहलुओं की जांच करने का सरकार का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बम्बई शहर में डाकघर भवनों के किराये को प्रचलित दरों की तुलना में अधिक नहीं कहा जा सकता। इन भवनों को बिना किसी अग्रिम का भुगतान किए अथवा ऋण दिए बिना, जैसी कि बम्बई में प्रथा है, किराये पर लिया जाता है। इन सभी मामलों में मकान मालिक ही नगर पालिका के अन्य सभी कर अदा करता है। इसमें अन्य खर्च (आउटगोइंग्स) भी शामिल हैं।

(ख विभाग को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बम्बई में डाकघर उन भवनों में स्थित हैं, जिनका अनधिकृत निर्माण हुआ है और उनमें पानी की सप्लाई जैसी सुविधाएं नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं।

लेह-दिल्ली टेलीफोन सेवा

*316. **श्री पी० नामग्याल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेह-दिल्ली टेलीफोन सेवा गत कुछ महीनों के दौरान अधिकतर खराब रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब कभी लेह-दिल्ली लाइन ठीक होती है, तो दिल्ली एक्सचेंज में लेह चैनल पर कार्यरत टेलीफोन आपरेटरों की समुचित व्यवस्था नहीं होती है; और

(ग) यदि हां, तो लेह-दिल्ली टेलीफोन सेवा की कार्य कुशलता को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। लेह-दिल्ली टेलीफोन सर्किटों की कार्यकुशलता गत कुछ माह के दौरान 70 प्रतिशत से भी अधिक रही।

(ख) जी, नहीं। लेह-दिल्ली सर्किट की दिन-रात देख-रेख की जाती है।

(ग) लेह-दिल्ली टेलीफोन सर्किट की कार्य कुशलता में और अधिक सुधार करने की दृष्टि से सर्किट की दिन में दो बार जांच और परीक्षण किया जाता है तथा उस पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है।

पेट्रोल तथा डीजल पम्प

*317. **श्री पी० आर० कुमार मंगलम** : क्या **पेट्रोलियम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की यह नीति है कि भारतीय तेल निगम के डीजल पम्प चलाने वाले वर्तमान डीलरों को पेट्रोल पम्प चलाने की अनुमति दी जाएगी, जबकि वर्तमान पेट्रोल विक्रेताओं को डीजल बेचने की अनुमति नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्णय के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) उन व्यस्त शहरी केन्द्रों तथा बाजारों में अकेले मोटर स्पिरिट के आउटलेट दो-पहिया स्कूटरों, तिपहिया-स्कूटरों तथा कारों की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से खोले गए हैं जहां भारी डीजल वाहनों के चलने के यातायात तथा अन्य प्रकार की कठिनाइयां होती हैं। इसके अतिरिक्त अकेली मोटर स्पिरिट आउटलेटों को खोलने की योजना आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है।

[हिन्दी]

अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में अनुसंधान और विकास कार्य की उपलब्धियां

*318. **श्री हरीश रावत** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा विभाग द्वारा अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में रक्षा कृषि अनुसंधान केन्द्र में अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए प्रतिवर्ष भारी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र की मुख्य उपलब्धियां क्या हैं और क्या इस क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्य सरकारी संस्थानों के साथ उपलब्धियां और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) रक्षा कृषि अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए 1985-86 के बजट में केवल 53·65 लाख रुपये रखे गए हैं।

(ख) रक्षा कृषि अनुसंधान प्रयोगशाला ने सब्जियों और मक्के की अनेक किस्मों का विकास किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ऐसी एक किस्म को स्वीकार कर लिया है और बड़े पैमाने पर खेतों में इनका परीक्षण किया जा रहा है। विभिन्न सेना यूनिटों और मध्य हिमालय के स्थानीय निवासियों द्वारा खुमी का विकास और खेतीबाड़ी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। रक्षा कृषि अनुसंधान प्रयोगशाला पशुपालन, मुर्गीपालन और उर्जा के गैर-परम्परागत साधनों के प्रयोग के क्षेत्रों में भी कार्य कर रहा है। रक्षा कृषि अनुसंधान प्रयोगशाला और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मिलिटरी फार्म, रिमाउंट वेटरनरी कोर, राज्य सरकार के कृषि

विभागों और विश्वविद्यालय जैसे अन्य राज्य-केन्द्रीय संस्थानों विश्वविद्यालयों के बीच आपस में नियमित रूप से वार्ताएं होती हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों को मिट्टी के तेल की सप्लाई

*319. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रत्येक राज्य को उसकी मांग के अनुसार मिट्टी के तेल की सप्लाई की जाती है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य द्वारा जनवरी, 1985 से अब तक कितनी मात्रा में मिट्टी के तेल की मांग की गई है और प्रत्येक राज्य को महीने वार कितनी मात्रा में मिट्टी के तेल की सप्लाई की गई;

(ग) प्रत्येक राज्य में मिट्टी का तेल किस मूल्य पर बेचा जाता है; और

(घ) दूरस्थ गांवों में, गरीब लोगों को उनकी आवश्यकतानुसार सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर मिट्टी का तेल उपलब्ध हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की मिट्टी के तेल की आवश्यकता का मूल्यांकन चार-महीने के ब्लॉक के आधार पर गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान किये गये आबंटन में 5 प्रतिशत की वृद्धि देकर किया जाता है । नियमित आबंटनों के अतिरिक्त, बाढ़, सूखा तूफान, एल.पी.जी सोफ्ट कोक की कमी इत्यादि जैसी विशेष परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए तदर्थ आधार पर भी मिट्टी का तेल दिया जाता है । जनवरी-जुलाई, 1985 के दौरान राज्यवार माहवार मिट्टी के तेल के किये गये आबंटन व हुई बिक्री दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) सरकार मिट्टी के तेल का जो उच्चतम विक्रय मूल्य निर्धारित करती है उसमें विभिन्न राज्यों में 1821·93 रुपये प्रति किलो लीटर से 1968·73 रुपये प्रति किलो लीटर का अन्तर होता है । सक्षम स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किराया भाड़ा, स्थानीय कर, डीलर की कमीशन इत्यादि जोड़ कर खुदरा मूल्य निर्धारित किया जाता है ।

(घ) बाजार सर्वेक्षण के आधार पर, तेल उद्योग ने देश में मिट्टी तेल के वितरकों के जाल तन्त्र (नेट वर्क) का 5,220 स्थानों तक विस्तार किया है । शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित खुदरा डीलरों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा खुदरा वितरण किया जाता है । दूर-दराज के तथा पहाड़ी क्षेत्रों में उचित मूल्य पर मिट्टी के तेल की आपूर्ति के लिए तेल उद्योग ने ताल्लुका मिट्टी के तेल के डिपो खोले हैं ।

विवरण

जनवरी से जुलाई, 1985 तक की अवधि के दौरान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल के किये गये आबंटन व हुई बिक्री

(आँकड़े मी० टनों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जनवरी, 85		फरवरी, 85		मार्च, 1985	
	आबंटन	बिक्री	आबंटन	बिक्री	आबंटन	बिक्री
आन्ध्र प्रदेश	38010	38629	39510	38510	33500	34021
अरुणाचल प्रदेश	630	575	630	679	530	712
अण्डमान और निकोबार	210	114	210	147	110	198
असम	16070	16400	16070	15149	14650	17732
बिहार	27000	26681	27000	27551	25570	25434
चण्डीगढ़	1370	1390	1370	1410	1310	1310
दादर और नगर हवेली	210	435×	210	477×	110	311×
दिल्ली	15650	15730	15650	15000	13180	13190
गुजरात	49610	49667	51110	50999	45100	45133
गोआ दमन और दीयू	1890	1838*	1890	166*	1590	141*
हरियाणा	10700	10760	10900	10860	9700	9610
हिमाचल प्रदेश	2310	2360	2600	2076	2000	1890
जम्मू और कश्मीर	5320	5140	5070	4384	3150	4320
कर्नाटक	28250	27774	28250	26595	25390	24107
केरल	15750	15830	16250	15803	15000	13382
मध्य प्रदेश	23000	23225	25500	24456	22000	22035
महाराष्ट्र	92400	93002	95400	94292	84360	84543
मणिपुर	1420	1392	1420	1186	1168	1143
मेघालय	950	1132	1950	962	11840	868
मिजोरम	440	378	440	304	370	325
नागालैंड	660	625	660	599	580	638
उड़ीसा	8930	8922	1000	9138	8370	860
पंजाब	19500	19560	18900	19160	19000	1906
पाँडिचेरी	1020	966	1020	1028	890	853
राजस्थान	16360	16410	18360	17880	15000	14670
सिक्किम	710	280	710	252	320	257
तमिलनाडु	41850	41581	40850	39148	39070	37102
उत्तर प्रदेश	56000	56740	61500	61090	55000	55110
पश्चिम बंगाल	47500	47349	48000	48097	46000	46612
लक्ष्यद्वीप	50	एन. ए.	50	एन. ए.	60	एन. ए.
त्रिपुरा	1580	1135	1580	1200	1200	1052

(आंकड़े मी० टनों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अप्रैल, 85 आबंटन	अप्रैल, 85 बिक्री	मई, 85 आबंटन	मई, 85 बिक्री	जून, 85 आबंटन	जून, 85 बिक्री	जुलाई, 85 आबंटन	जुलाई, 85 बिक्री
आन्ध्र प्रदेश	32500	34172	32500	31376	33500	32664	34060	13468
अरुणाचल प्रदेश	700	750	530	595	530	417	500	232
अंडमान और निकोबार	110	188	110	167	110	170	220	106
असम	15150	16621	13650	15373	13650	14496	14330	7190
बिहार	27570	25919	25070	25280	25070	25253	25990	12166
चण्डीगढ़	1310	1280	1110	1150	1110	1125	1240	465
दादर और नगर हवेली	110	298×	110	296×	110	एन. ए.	220	एन. ए.
दिल्ली	13180	13940	13180	12970	13180	12486	13770	6641
गुजरात	45100	44906	45100	45854	45100	45224	44660	21754
गोआ, दमन और दीयू	1590	1406*	1590	1410*	1590	1410*	1880	911
हरियाणा	9700	9660	9170	8760	8670	8368	9090	3674
हिमाचल प्रदेश	1780	1860	1830	1770	1680	1800	2100	1426
जम्मू और कश्मीर	3150	3610	3550	3790	3800	3777	3710	1800
कर्नाटक	25390	24786	25399	24688	24890	24122	26140	12615
केरल	14680	13918	14000	14384	13380	13554	14900	7200
मध्य प्रदेश	22000	21750	20690	20639	20690	18668	19780+	9718
महाराष्ट्र	84160	83469	83160	83124	83160	81408	89530	4206
मणिपुर	1160	1097	1160	1301	1160	1220	1100	598
मेघालय	840	987	1000	1094	840	1037	1000	551
मिजोरम	370	364	370	324	370	200	250	241
नागालैंड	580	636	580	664	580	962	560	303
उड़ीसा	8370	8125	8370	8417	8070	8070	8370	4010
पंजाब	18220	18260	18220	18310	18220	18107	21000	8285
पाँडिचेरी	890	788	850	800	890	805	780	338
राजस्थान	15000	14360	14250	13710	13550	13318	14210	61218
सिक्किम	320	266	320	271	320	160	280	131
तमिलनाडु	37070	36281	37870	36327	37870	35997	39220	18652
उत्तर प्रदेश	55000	54910	55000	55210	55000	53323	55000	25763
पश्चिम बंगाल	46000	47107	45890	46086	46000	45887	44110	22055
लक्षद्वीप	60	एन. ए.	60	एन. ए.	60	एन. ए.	50	एन. ए.
त्रिपुरा	1200	1205	1200	1028	1050	833	1200	679

एन. बी.—बिक्री के आँकड़े अनन्तिम हैं।

\+ :—भण्डारण के लिए अग्रिम रूप से दिए गए 2500 मीट्रिक टन के अतिरिक्त है।

× :—दमन और दीयू में की गई बिक्री सहित।

* :—दमन और दीयू में की गई बिक्री को छोड़कर।

एन. ए. :—उपलब्ध नहीं।

[अनुवाद]

केरल में औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्र द्वारा पूंजी निवेश

*320. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्र द्वारा कुल कितना पूंजीनिवेश किया गया है;

(ख) क्या गत तीन वर्षो में इसमें वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) केरल में स्थित केन्द्र सरकार के उपक्रमों में केन्द्रीय निवेश की राशि 1981-82 में 542.64 करोड़ रुपये थी जो 1982-83 में बढ़कर 617,53 करोड़ रुपये हो गई तथा 1983-84 में यह और अधिक बढ़कर 715.11 करोड़ रुपये हो गई है।

कलकत्ता में उपग्रह संचार परियोजना

*321. **श्री अजित कुमार साहा** :

श्री अमल दत्त : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता शहर में अनेक प्रमुख व्यापार और उद्योग मण्डलों और अनेक उद्योग और व्यापार संघों को प्रति सप्ताह सैंकड़ों बार समुद्र पार संचार सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार कलकत्ता के लिए एक उपग्रह संचार परियोजना की स्थापना का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कलकत्ता से व्यापार और उद्योग के कारण विदेशी परियात बड़ी मात्रा में आता है।

(ख) और (ग) जी, हां। कलकत्ता में आधुनिक स्विचिंग सुविधाओं के साथ विदेश संचार भवन स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो पूर्वी क्षेत्र के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार के परिषण और अभिग्रहण केन्द्र का काम करेगा। इस भवन के लिए उपयुक्त भूखण्ड प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यह योजना विदेश संचार सेवा की 7वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों का एक भाग है।

(घ) सवाल ही पैदा नहीं होता।

नेफ्था पर आधारित यूरिया का उत्पादन

*322. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेप्था की बेहतर उपलब्धता को देखते हुए वर्तमान उर्वरक संयंत्रों में यूरिया का उत्पादन बढ़ाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या नेप्था पर आधारित और अधिक यूरिया संयंत्र लगाने की योजना तैयार की गई है;

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इन संयत्रों के पूर्ण उत्पादन पर नैफ्था उपलब्धता कोई बाधा नहीं है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता;

(ग) नैफ्था पर आधारित अन्य यूरिया संयत्रों की स्थापना, 7वीं योजना को अन्तिम रूप देने और गैस सहित फीड-स्टाक की उपलब्धता पर निर्भर है।

"हाई-टैक" फोन प्रणाली के निर्माण के लिए जापानी फर्म के साथ समझौता

*323. **श्री मानिक रेड्डी** :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में "हाई-टैक" फोन प्रणाली के निर्माण के लिए भारत सरकार और जापानी फर्म के बीच समझौते को हाल ही में अंतिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की विस्तृत रूप रेखा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) मल्टी-एक्सेस ग्रामीण रेडियो टेलीफोन प्रणाली (एम. ए. आर. आर.) बनाने के लिए इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज (आई. टी. आई.) लिमिटेड और जापान की मेसर्स कोकुसई इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड के सहयोग के एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह प्रस्ताव पहाड़ी तथा दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए मल्टी-एक्सेस ग्रामीण रेडियो टेलीफोन प्रणाली तैयार करने के लिए है। इलाहाबाद के पास नैनी में प्रतिवर्ष ऐसी 24 प्रणालियों का उत्पादन होना है, जिनमें दूर-दराज के क्षेत्रों में 600 टेलीफोन लगाने की व्यवस्था होगी। परियोजना की मंजूर-शुदा लागत 97 लाख रुपए है। इस परियोजना पर अमल इसी वर्ष से शुरू होने की सम्भावना है। योजना तीन वर्षों में पूरी हो जाएगी।

इस करार में मल्टी-एक्सेस ग्रामीण रेडियो टेलीफोन प्रणाली उपस्कर के उत्पादन के लिए तकनीकी जानकारी के अन्तरण, विशेष प्रयोजन की मशीनों की आपूर्ति, मल्टी-एक्सेस ग्रामीण रेडियो टेलीफोन प्रणाली उपस्कर बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले परीक्षण उपस्करों की व्यवस्था की गई है।

पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादकों की कमी

*324. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न भागों में विशेषकर उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में पेट्रोल, डीजल तथा अन्य पेट्रोल उत्पादों की कमी है;

(ख) उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इस समस्या का समाधान करने और समस्त देश में इन उत्पादों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) :(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) देश में पेट्रोलियम उत्पादकों को आसानी से सुलभ कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं :—

1. पेट्रोलियम उत्पादकों के खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा डीलरशिपों के जाल तन्त्र (नेट-वर्क) का विस्तार।
2. उत्पाद पाइपलाइनों की योजना तैयार की जा रही है और उनका निर्माण किया जा रहा है।
3. पहाड़ी तथा दूरदराज क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की प्राप्यता को सुनिश्चित करने के लिए तातुक मिट्टी तेल डिपुओं (टी० के० डी०) की स्थापना की जा रही है।
4. भंडार तथा सड़क द्वारा लाने-ले-जाने की क्षमता में वृद्धि की जा रही है।

[अनुवाद]

अवक्रय अधिनियम, 1972 को लागू करना

*3204. **श्री मानिक रेड्डि** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवक्रय अधिनियम, 1972 को, जिसे प्रवर्तित करने के लिए दो बार अधिसूचित किया गया किन्तु बाद में उसे 1972-73 के दौरान वापस ले लिया गया था, लागू करने के उद्देश्य से अधिसूचना जारी करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) उक्त अधिनियम को अभी तक प्रवर्तित न करने के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जी, हां। इस मंत्रालय को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह निवेदन किया गया है कि बैंककारी विधि समिति ने वैयक्तिक सम्पत्ति सुरक्षा विधि (1977) पर अपनी रिपोर्ट में जो विभिन्न सिफारिशें की हैं उन्हें सम्मिलित करके या तो एक अधिनियम बनाया जाए या अधिनियम को, उसमें कुछ संशोधन करके, प्रवृत्त किया जाए। किन्तु, उक्त रिपोर्ट में, बैंककारी विधि समिति ने अधिनियम में कुछ दूरगामी संशोधनों का प्रस्ताव किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले यह सुझाव किया था कि बैंककारी विधि समिति की सम्पूर्ण रिपोर्ट की समीक्षा होने तक, अधिनियम को प्रवृत्त नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक

अब अन्तिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि वह बैंककारी विधि द्वारा समिति परिकल्पित कानूनी स्कीम को स्वीकार करने और उक्त समिति द्वारा बताए गए कानूनों का (जिसके अन्तर्गत अवक्रय अधिनियम, 1972 भी है) संशोधन करने के विरुद्ध है। ऐसी परिस्थितियों में, अधिनियम को प्रवृत्त करने के पूर्व, अधिनियम में किए जाने के लिए अपेक्षित संशोधनों को अन्तिम रूप देने की दृष्टि से सम्पूर्ण विषय की आगे समीक्षा की जा रही है।

तेल उद्योग की सुरक्षा और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए संस्थान की स्थापना

3205. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने सम्पूर्ण तेल उद्योग की सुरक्षा और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए एक संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने सिद्धान्त रूप से इस प्रकार के संगठन की स्थापना करने की आवश्यकता का अनुमोदन किया है। आयोग ने इसके उद्देश्य, काम का क्षेत्र तथा देश में मौजूदा सुविधाओं आदि के लिए सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी अनुमोदन दे दिया है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा मैसर्स आई.टी.सी. लिमिटेड, टाटा और मोदी ग्रुप के आवेदन पत्रों का अनुमोदन

3206. **श्री राम भगत पासवान :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा पिछले छः महीनों के दौरान भारत की दस शीर्षस्थ कम्पनियों के अनुमोदित आवेदन पत्रों का विवरण क्या है; और

(ख) क्या मेसर्स आई. टी. सी. लिमिटेड और टाटा, मोदी ग्रुप का कोई आवेदन-पत्र अनुमोदित किया गया है, यदि हां, तो पिछले छः महीनों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृहमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) यह कल्पना की जाती है कि विनिर्देश एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 21, 22 और 23 के अन्तर्गत शीर्षस्थ दस औद्योगिक घरानों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों से है। इस प्रकार के आवेदन पत्रों को केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करना अपेक्षित है तथा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग केवल तभी सामने आता है अगर आवेदन पत्र, केन्द्रीय सरकार द्वारा उसको जांच करने के लिए निर्दिष्ट किया जाता है। पिछले छः महीनों में न तो कोई आवेदन पत्र ही भेजा गया और न ही एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग से कोई रिपोर्ट ही प्राप्त हुई।

(ख) शीर्षस्थ दस औद्योगिक घरानों में टाटा और मोदी समूह भी श्रेणीबद्ध हैं और उपयुक्त श्रेणी में वे सम्मिलित हैं। मैसर्स आई. टी. सी. लिमिटेड के सम्बन्ध में भी वही श्रेयसे स्थिति है।

पेटेन्टों सम्बंधी पेरिस उपसन्धि

3207. **श्री समत कुमार मंडल : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेटेन्टों सम्बन्धी पेरिस उपसन्धि की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और यह वर्तमान भारतीय पेटेन्ट कानून से किस प्रकार भिन्न है; और

(ख) क्या सरकार ने इस उपसन्धि पर भारत द्वारा हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) औद्योगिक सम्पत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस उपसन्धि की मुख्य-मुख्य बातें जहां तक उनका पेटेन्टों से सम्बन्ध है, निम्नलिखित हैं :—

1. राष्ट्रीय और अन्यों के बीच किसी प्रकार के भेदभाव का होना;
2. आवेदक के द्वारा अपने ही देश में आवेदन-पत्र दे दिए जाने के बाद दूसरे देशों में पेटेन्ट के लिए आवेदन-पत्र दर्ज कराने हेतु उसे 12 महीने का समय दिया जाना ।
3. अन्य देशों में स्थिति का हवाला दिए बगैर प्रत्येक देश में आवेदन-पत्र की जांच की जानी चाहिए ।
4. प्रति संहरण अथवा आवश्यक लाइसेन्स की स्वीकृति आदि को न्यायोचित ठहराने के लिए पेटेन्ट अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए ।

विश्व प्रतिभा सम्पदा संगठन (डब्ल्यू. आई. पी. ओ.) जो पेरिस उपसन्धि को शासित करता है, का विचार है कि भारतीय पेटेन्ट अधिनियम, 1970 पेरिस उपसन्धि से पूरी तरह सक्षम है ।

विश्व प्रतिभा सम्पदा संगठन औद्योगिक सम्पत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस उपसन्धि पर सहमति प्रकट करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध कर रहा है । अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है ।

उद्योगों के लिए 'कास्ट एकाउंटिंग रिकार्ड' नियम लागू किया जाना

3208. **श्री विष्णु मोदी : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब तक केवल 33 उद्योग 'कास्ट एकाउंटिंग रिकार्ड' नियमों के अन्तर्गत लाए गए हैं जबकि कम्पनी अधिनियम के अनुसार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित 171 उद्योगों में 'कास्ट एकाउंटिंग रिकार्ड' रखने के आदेश हैं;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से इन सभी उद्योगों को 'कास्ट एकाउंटिंग रिकार्ड' नियमों के अन्तर्गत नहीं लाया गया है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने अमेरिका तथा अन्य विकसित देशों की तरह सभी उद्यमों के लिए 'कास्ट एकाउंटिंग रिकार्डों' के रखे जाने को आवश्यक माना है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृहमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) हां, श्रीमान् जी। यह सच है कि 33 उद्योगों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अन्तर्गत लागत लेखा अभिलेख नियमों द्वारा आच्छादित किया गया है। उद्योगों में लागत लेखा अभिलेख नियमों का विस्तार एव सतत अभ्यास है और समय-समय पर अधिक से अधिक कम्पनियों को लागत लेखा अभिलेख नियमों के अन्तर्गत लिया जा रहा है।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित उद्योगों की सूची केवल उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत लाइसेंस देने आदि के उद्देश्यों के लिए है ना कि लागत लेखा अभिलेख नियमों के रख-रखाव के लिए है।

(ग) कम्पनी अधिनियम की धारा 209 (1)(घ) के उपलब्ध, सभी उद्यमों पर लागू नहीं होते हैं परन्तु उत्पादन, तैयार करने, निर्मित करने या खनन गतिविधियों में लगी कम्पनियों के कतिपय वर्ग पर जब भी कभी सरकार द्वारा अधिसूचित किए जायें, पर लागू होते हैं।

उड़ीसा में सिलेंडर भरने के संयंत्र की स्थापना

3209. **श्री के० प्रधानी**
श्री बी० बी० देसाई: क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाना पकाने की गैस के सिलेंडर भरने की पर्याप्त क्षमता के अभाव में इस वर्ष 17.5 लाख नये कनेक्शन देने के लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा, यद्यपि इसका उत्पादन देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो सिलेंडर भरने की बाधाओं को दूर करने और सिलेंडर भरने के संयंत्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव उड़ीसा में भी इस प्रकार का कोई संयंत्र स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार करने का है ताकि इस पिछड़े राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में भी खाना पकाने की गैस ले जाई जा सके ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) चालू वर्ष में 17.5 लाख उपभोक्ताओं के नामांकन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित भरण क्षमता उपलब्ध है। सृजित की जा रही है।

(ग) एल. पी. जी. विपणन कार्यक्रम चरण III के अधीन उड़ीसा में कटक तथा बालासोर में एल. पी. जी. भरण संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं।

विदेशी सहयोग से 6-ए. पी. ए. का उत्पादन

3210. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र में कुछ एकक विदेशी सहयोग से 6-ए. पी. ए. के उत्पादन में समर्थ हो गए हैं अथवा क्या रायल्टी, पूंजीगत वस्तुओं आदि के आयात से कुछ विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है;

(ख) क्या 6-ए. पी. ए. का उत्पादन करने वाले संगठित क्षेत्र के लाइसेन्सधारी एककों ने भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च की है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे खर्च का एक मुश्त राशि भुगतान, पूंजीगत वस्तुओं की आयात दर के रूप में ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेंद्र पाटिल) : (क) सूचना मिली है कि लघु उद्योग क्षेत्र का एकक, अर्थात् मै० फार्माकेम बहादुरगढ़ 6-ए. पी. ए. का वाणिज्यिक उत्पादन स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इस एकक की जानकारी के स्रोत तथा पूंजीगत उपस्कर के आयात के ब्यौरे यदि कोई हों, उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) संगठित क्षेत्र में कुछ एककों को 6 ए. पी. ए. के उत्पादन के लिए जानकारी तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात की स्वीकृति दी गई है।

दिल्ली में एल. पी. जी. ग्राहकों की कठिनाईयों को दूर करना

3211. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि दिल्ली में खाना पकाने की गैस के व्यापारी सरकार के इस बारे में निदेशों के बावजूद भी नये ग्राहकों को चूल्हा उन्हीं से खरीदने पर बल देते हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी सूचना मिली है कि ग्राहकों द्वारा उनसे चूल्हा न खरीदने पर वे उन्हें कई प्रकार से नाजायज तंग करते हैं तथा गैस देने में विलम्ब कर देते हैं;

(ग) क्या ऐसा कोई तंत्र है जहां ग्राहक शिकायत दर्ज करा सकें, पावती ले सकें तथा न्याय प्राप्त कर सकें; और

(घ) यदि हां, तो उस तन्त्र का विवरण क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। एल. पी. जी. के डीलरों द्वारा नये उपभोक्ताओं को नये कनेक्शन देने से पूर्व उनसे ही स्टोव खरीदने के लिये बाध्य करने से सम्बन्धित शिकायतों की जांच-पड़ताल की जा रही है और दोषी डीलरों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई करने की सुविधा के लिए तेल कम्पनियों के स्थानीय प्रभागीय कार्यालयों में "ग्राहक सेवा कक्ष" कार्य कर रहा है और उपभोक्ता वहां अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

3212. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बहु-अभिगम्य ग्रामीण रेडियों प्रणाली के अन्तर्गत सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की व्यवस्था करने के लिए 5 किलोमीटर के अनेक षटभुजाकार स्थानों में विभाजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन षटभुजाकार गाँवों की संख्या तथा उनके जिलावार संभावित नाम क्या हैं जहां इस अवधि के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र बनाए जाएंगे;

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के लिए इस प्रयोजन हेतु षटभुजाकार स्थानों का कोई चयन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मल्टी एक्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणाली और ओपन वायर लाईनों दोनों प्रणालियों द्वारा लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को 5 कि. मी. की भुजा वाले अनेक षटभुजाकार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एम. ए. आर. आर. योजनाओं के अधीन टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश के लिए 177 षटभुजाकार क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है । टेलीफोन सुविधाएं तभी प्रदान की जा सकेंगी यदि वे तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हों और निधि उपलब्ध रहे। प्रस्तावित स्थानों के जिलेवार नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ग) और (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के दौरान एम. ए. आर. आर. योजना के अधीन लम्बी दूरी का कोई सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान नहीं किया जा रहा है ।

विवरण

मल्टी एक्सेस रुरल रेडियों योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में जिन स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन घर की सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है उनका ब्यौरा :

क्रमांक	बेस स्टेशन का नाम	जिले का नाम	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन के स्थान का नाम
1	2	3	4
1.	सुन्दर नगर	मंडी	1. जैदेवी
			2. बादु
			3. निहरी
			4. सुखीबान
			5. चैल चौक
			6. बाग्गी
			7. गोहर
			8. रवालसार
			9. बागछैद
			10. भंगरोतु
2.	बानेदार	शिमला	1. बलाग
			2. मिबर
			3. कुमारसैन

1	2	3	4
			4. बड़ागांव
			5. नरकांडा
			6. भुति
			7. ओदी
			8. जारोल
			9. सैंज
			10. नामधर
			11. नानखेश्री
			12. बाहली
			13. निरमांद
			14. नीरथ
3.	डलहौजी	चम्बा	1. बाकलोह
			2. दुनेहरा
			3. बथारी
			4. सुरगानी
			5. तिस्सा
			6. सन्वला
			7. सालूनी
			8. कैरी
			9. पुखारी
			10. मारुनेद
			11. चाकवू
4.	किराई	शिमला	1. देवरी-खानेती
			2. माहासू
			3. रावालाखुर्द
			4. कोट खाई
			5. गुम्मा
			6. मारहोग
			7. गाजय
5.	चैयोग	शिमला	1. चाइला
			2. चेओग
			3. डेहा
			4. पाराला
			5. फागू
			6. बाराकी
			7. संधू
			8. सीरोग
			9. धारमपुर

1	2	4	4
6.	हमीरपुर	हमीरपुर	1. भोता
			2. नादौन
			3. गालूर
			4. कांगू
			5. देओघ सिद्ध
			6. बिझरी
			7. लदरौर
			8. अवाह देवी
			9. तौनी देवी
			10. सुजानपुर
			11. भारेरी
			12. लाम्बलू
			13. तिक्कर विवान
			14. भुरांज
			15. जाहू
			16. घुम्पाल
			17. धानेता
	कुल्लू	कुल्लू	1. भुन्तेर
			2. उत
			3. पानारसा
			4. बाजोर
			5. गारसा
			6. रायसोन
			7. कैसा
			8. नग्गर
			9. कतराइन
			10. नागुनी
8.	कसौली	सोलन	1. पत्ता
			2. कालका
			3. नालागढ़
			4. बारोतीवाला
			5. जगजीत नगर
			6. कुथार
			7. धरमपुर
			8. दागशी
			9. सुभातू
			10. कुनिहार
			11. अरकी
			12. साइरी
			13. खालाग

1	2	3	4
			14. जाबली
			15. राजगढ़
			16. साराहन
			17. दरलाघाट
			18. ओचघाट
			19. शोगी
			20. मामलीघ
			21. रामश्वर
			22. चारती
9.	चिन्तपुरनी	उना	1. देहरा
			2. हरीपुर
			3. रानीताल
			4. बंखखेडी
			5. ज्वाला मुक्ति
			6. घोली कारा
			7. मेहरा पुखा
			8. परागपुर
			9. रक्कार
			10. बेदोल थोरे
			11. दादा सिबा
			12. बितु तिपरी
			13. कोटला
			14. संसारपुर टेरेस
			15. दौलतपुर चौक
			16. गाग्रेट
			17. अंब
			18. शोलाग
			19. भजाल
			20. बेहिन
			21. मेहरीओनी
			22. जावरी
			23. चानौर
			24. लाहरोध
			25. ओल
10.	धरमशीला	कांगड़ा	1. कांगड़ा
			2. शाहपुर
			3. गग्गल
			4. योल
			5. नागखेता
			6. राइत
			7. नूरपुर
			8. देओल
			9. बागरोता सुरियान

1	2	3	4
			10. चचियान
			11. दाध
			12. पतिहार
			13. राजोल
			14. चारी
			15. धमीरा
11.	ऊना	ऊना	1. नांगल
			2. मेहातपुर
			3. संतोषगढ़
			4. धुलेहर
			5. हारोली
			6. जोगीपंगा
			7. चौकी मिहार
			8. पाण्डोगा
			9. पंजवार
			10. नैना देवी
			11. मेहरियान
			12. देहलान
			13. कुमरेत
			14. पालकवाह
12.	पालमपुर	कांगड़ा	1. बैजनाथ
			2. अल्हीलाल
			3. पंचरुखी
			4. भाखाना
			5. थुराल
			6. धीरा
			7. टिम्बृ
			8. चन्दियार
			9. पाहरा
			10. गन्धार
			11. सुलाह
			12. चोबिन
13.	घुमारविन	बिलासपुर	1. गेहारविन
			2. स्वरघाट
			3. कंडरौर
			4. कुठेरा
			5. लेहरी सारैल
			6. बिलासपुर
			7. लखटला
			8. नामोल
			9. बेरथिन
			10. जानदुत्ता
			11. हटवार

भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के जगदीशपुर (अमेठी) कारखाने में घाटा

3213. **डा० ए० के० पटेल : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983-84 और 1984-85 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के प्रत्येक यूनिट का पृथक-पृथक कुल व्यय और आय कितनी थी तथा प्रत्येक प्रमुख मद का कुल कितने मूल्य का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या जापानी सहयोग के बावजूद जगदीशपुर (अमेठी) कारखाने में 1984-85 के दौरान करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है; और

(ग) जगदीशपुर संयंत्र की कुल परियोजना लागत क्या थी, 1984-85 में कितना उत्पादन हुआ, तथा कुल आय और व्यय कितना हुआ ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृहमंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) संलग्न विवरण एक और दो में प्रमुख मदों के उत्पादन के मूल्यों सहित 1983-84 में बी. एच. ई. एल. के प्रत्येक एकक की आय तथा व्यय का ब्यौरा दिया गया है।

वर्ष 1984-85 के लेखे-लेखा परीक्षाधीन हैं और 1984-85 से सम्बन्धित जानकारी लेखापरीक्षा के पूर्ण होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी। जगदीशपुर संयंत्र की परियोजना लागत 17.65 करोड़ रुपये है।

विवरण-एक

बी. एच. ई. एल. के एककों की आय व व्यय :

(करोड़ रु० में)

	1983-84	
एकक	आय	व्यय
भोपाल	279·6	267·3
झांसी	38·3	38·3
हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमैंट प्लांट, हरिद्वार	247·7	240.3
सेंट्रल फाउंड्री फोर्ज प्लांट, हरिद्वार	28·0	27·8
हैदराबाद	258.8	248·8
तिरुचि काम्पलैक्स	429.1	407·8
बायलर सहायक सामान संयंत्र, रानीपेट	66·1	59·4
कन्ट्रोल इक्विपमैंट डिवीजन, बंगलौर	37.5	34·5
इलेक्ट्रोपोर्सिलेन डिवीजन, बंगलौर	15·0	14·2
जगदीशपुर	*	*
रुद्रपुर	*	*
गोइन्दवाल	*	*
पावर ग्रुप	129.1	117.1

* निर्माणाधीन

विवरण-दो

1983-84 में बी. एच. ई. एल. के विभिन्न एककों की प्रमुख मदों के तैयार माल का मूल्य :

एकक	तैयार माल का मूल्य (लाख रु० में)
भोपाल	
रिवचगियर	1176.04
कन्ट्रोलगियर	1482.79
ट्रांसफार्मर	3285.98
इन्डस्ट्रियल एण्ड ट्रैक्शन मशीनें	5166.83
हाइड्रो	6646.43
थर्मल	3183.84
झांसी	
ट्रांसफार्मर	2351.92
हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट, हरिद्वार	
इलेक्ट्रिकल मशीनें	994.59
थर्मल	13061.10
हाइड्रो	3492.86
सेन्ट्रल फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट, हरिद्वार	
कास्टिंग्स तथा फोर्जिंग्स	311.57
तिरुचि	
बायलर	36185.72
वाल्वस	934.72
सीमलैस स्टील ट्यूबें	463.79
रानीपेट	
बायलर सहायक सामान	1969.87
हैदराबाद	
विद्युत जनित्रण सेट	3544.71
औद्योगिक टर्बो सेट	1148.15
पम्पस और हीटर	2208.24
कम्प्रेसर	4658.92
तेल रिंगे	4936.36
आयल सर्किट ब्रेकर्स	1276.56
कन्ट्रोल इक्विपमेंट डिवीजन	
इनर्जी मीटर्स	495.07
कन्ट्रोल इक्विपमेन्ट	1056.18
इलेक्टो-पोर्सिलेन डिवीजन	
इन्सुलेटर्स और बुशिंग्स	1160.84
पावर ग्रुप	
स्पेयर एण्ड सर्विसिज एण्ड टर्न-की जॉब	11634

[हिन्दी]

उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने के लिए सर्वेक्षण

3214. श्री आर० एम० भोये : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो वे स्थान कौन से हैं जहां गैस उपलब्ध है तथा जिन्हें इन उर्वरक संयत्रों की स्थापना के लिए चुना गया है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) बम्बई हाई में तेल तथा गैस की खोज तथा एक विशेषज्ञ दल द्वारा उसके सदुपयोग के सम्बन्ध में किए गए अध्ययन के आधार पर सरकार ने क्रमिक ढंग से गैस पर आधारित दस उर्वरक परियोजनायें स्थापित करने का निर्णय किया है। इन संयंत्रों के स्थान, उत्पादन, क्षमता तथा जीरो तारीख से सम्बन्धित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गैस पर आधारित नए उर्वरक कारखाने

क्रमांक	स्थान	उत्पादन	निर्धारित जीरो तारीख/ मेकेनिकल रूप से पूरा होने की तारीख
1.	थाल वेसठ, महाराष्ट्र	अमोनिया : 2 × 1350 टीपीडी यूरिया : 3 × 1500 टीपीडी	चालू हो चुका है
4.	हाजिरा, गुजरात	अमोनिया :2 × 1350 टीपीडी यूरिया : 4 × 100 टीपीडी	मैकेनिकल रूप से पूर्ण हो गया
3.	विजयपुर, जिला गुना, मध्य प्रदेश	अमोनिया : 1350 टीपीडी यूरिया : 2200 टीपीडी (2 × 1100)	1-6-1984 (जीरो डेट)
4.	अनोला, बरेली जिला, उत्तर प्रदेश	अमोनिया : 1350 टीपीडी यूरिया : 2200 टीपीडी (2 × 1100)	1-10-1984 (जीरो डेट)
5.	जगदीशपुर, जिला सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश	अमोनिया : 1350 टीपीडी यूरिया : 2200 टीपीडी (2 × 1100)	1-3-83 (जीरो डेट)
6.	विलोपा गाँव, सवाई माधोपुर जिला, राजस्थान	अमोनिया : 1350 टीपीडी यूरिया : 2200 टीपीडी (2 × 1100)	1-10-1985 (संभावित जीरो डेट)
7.	बबराला, जिला,बदायूं, उत्तर प्रदेश	अमोनिया : 1350 टीपीडी यूरिया : 2200 टीपीडी (2 × 1100)	1-12-1985 (सम्भावित जीरो डेट)
8.	शाहजहांपुर, जिला, उत्तर प्रदेश	अमोनिया : 1350 टीपीडी यूरिया : 2200 टीपीडी (2 × 1100)	1-4-1986 (जीरो डेट संभावित)

[अनुवाद]

सातवीं योजना के लिए दूरसंचार कार्यक्रम

3215. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत किए गये कम परिव्यय को ध्यान में रखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दूरसंचार कार्यक्रमों में संशोधन करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हाँ, तो धनराशियों की कमी के कारण दूरसंचार कार्यक्रम किस सीमा तक प्रभावित होंगे; और

(ग) सरकार सीमित संसाधनों से कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या उपाय करेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) दूरसंचार क्षेत्र के लिए अंतिम परिव्यय पर अभी विचार-विमर्श किया जा रहा है। मूल कार्यक्रमों में कितना संशोधन किया जाए, यह अन्तिम आबंटन पर निर्भर करेगा।

भारतीय सीमेंट निगम द्वारा सीमेंट का उत्पादन/सप्लाई

3216. **श्री बाजूबन रियान** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सीमेंट निगम की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार वास्तविक उत्पादन कितना था और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय सीमेंट निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को कितना सीमेंट सप्लाई किया है तथा उसका राज्य-वार वर्षवार क्या ब्यौरा है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया की वर्तमान उत्पादन (अधिष्ठापित) क्षमता 27·22 लाख मी. टन प्रति वर्ष है।

(ख)

वर्ष	उत्पादन (लाख मी. टन)
1982-83	19.49
1983-84	21·62
1984-85	21·71

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा विभिन्न राज्यों को भेजे गए सीमेंट (लेवी तथा गैर लेवी) के ब्यौरे :—

(मात्रा हजार मी० टनों में)

राज्य	1982-83	1983-84	1984-85
उत्तरी क्षेत्र:			
दिल्ली	105	67	76
हरियाणा	212	154	143
हिमाचल प्रदेश	80	114	83
पंजाब	116	96	67
राजस्थान	29	36	7
उत्तर प्रदेश	122	48	155
चण्डीगढ़	8	22	18
पश्चिमी क्षेत्र :			
गुजरात	12	7	9
मध्य प्रदेश	255	308	331
महाराष्ट्र	330	313	391
दक्षिणी क्षेत्र :			
आन्ध्र प्रदेश	122	148	177
कर्नाटक	89	117	49
केरल	—	66	127
तमिलनाडु	25	20	27
पाण्डिचेरी	—	2	—
पूर्वी क्षेत्र :			
अरुणाचल प्रदेश	5	15	29
आसाम	79	235	266
बिहार	9	3	15
मणिपुर	28	30	61
मेघालय	—	1	3
मिजोरम	7	4	11
नागालैंड	39	54	61
त्रिपुरा	6	18	17
पश्चिम बंगाल	169	133	50
उड़ीसा	82	69	5
कुल :	1929	2080	2178

लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और आगरा के स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों को बदलना

3218. **श्री जैनुल बशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और आगरा के अधिकांश स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज पुराने हो गए हैं और उनके कार्य करने की निर्धारित अवधि पूरी हो गई है;

(ख) क्या टेलीफोन की अधिकांश खराबियां उक्त स्वचालित एक्सचेंजों के कारण हैं;

(ग) प्रत्येक शहर में कितने स्वचालित एक्सचेंज इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं; और

(घ) इन एक्सचेंजों के बदलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) निम्नलिखित एक्सचेंजों का निर्धारित कार्यकाल समाप्त हो चुका है तथा उन्हें अभी बदला जाना है :—

स्टेशन का नाम	**एक्सचेंज की संख्या**	**लाइनों की संख्या**
लखनऊ	एक	5,500
कानपुर	एक	6,000
वाराणसी	शून्य	शून्य
इलाहाबाद	एक	1,400
आगरा	एक	2,500

(घ) इन सभी चारों शहरों में एक्सचेंज बदलने के लिए उपस्कर अलाट कर दिया गया है।

मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

3219. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी कितने आवेदन सरकार के पास मंजूरी के लिए लम्बित पड़े हैं और गुजरात राज्य से सिफारिशों के साथ प्राप्त कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं; और

(ख) यह आवेदन पत्र कब से लम्बित पड़े हैं और इन पर कब तक मंजूरी दिये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृहमंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए यह आवेदन निर्णयाधीन हैं। उनमें से कोई भी आवेदन गुजरात राज्य में लघु सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने के लिए नहीं हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम	आवेदन प्राप्ति की तारीख	कब तक निर्णय हो जाने की सम्भावना है
1	2	3	4
1.	जम्मू तथा कश्मीर	26.6.1983	पर्यावरण विभाग की ओर से टिप्पण प्राप्त हो जाने पर
2.	उत्तर प्रदेश	21.11.1984	सितम्बर-अक्तूबर 1985
3.	राजस्थान	18.6.1985	राज्य सरकार की ओर से टिप्पण प्राप्त होने पर

1	2	3	4
4.	आन्ध्र प्रदेश	12.7.1985	—वही—
5.	तमिलनाडु	5.8.1985	अगस्त 1985 से
6.	कर्नाटक	5.8.1985	—वही—

नियंत्रक फैक्टरी कमान, कलकत्ता के रेलवे सेक्शन को नियंत्रक रक्षा लेखा, पटना के साथ विलय

3220. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979 में नियंत्रक, फैक्टरी कमान कलकत्ता के रेलवे सेक्शन का नियंत्रक रक्षा लेखा, पटना के साथ विलय करने का निर्णय लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो 6 वर्षों की समाप्ति के बाद भी उक्त निर्णय को लागू करने में देरी के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

संचार मंत्रालय में कम्प्यूटर प्रणाली आरम्भ करना

3221. **श्री राम० रामचन्द्रन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संचार मंत्रालय में कम्प्यूटर प्रणाली शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या कम्प्यूटर कार्यक्रम का वर्तमान कर्मचारियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और अन्य लोगों के लिए नौकरी के अवसर कम हो जायेंगे; और

(ग) कम्प्यूटरीकरण के मामले में मान्यता प्राप्त यूनियनों का रुख क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास चार महानगरों में इन-हाउस कम्प्यूटर प्रणालियां स्थापित की जा रही हैं। हैदराबाद और लखनऊ टेलीफोन जिलों में डाइरेक्टरी पूछताछ सेवा को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों से परामर्श करने के बाद ही कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

केरल में एल. पी. जी. सिलेण्डरों के लिए आर्डर

3222. **श्री जी०एम० बनातवाला** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में संयुक्त क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के अधीन निर्माण एककों को एल. पी. जी. सिलेन्डरों के लिए तेल कम्पनियों को अपने आर्डर देने की अनुमति देने की माँग की है;

(ख) यदि हाँ, तो, केन्द्र सरकार से कब अनुमति मांगी गई थी;

(ग) क्या सरकार ने स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो कब;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. तो कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) 15 मार्च, 1985 को ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) और (च) केरल की यूनिटों को सिलिंडरों की सप्लाई के लिए कोई आर्डर नहीं दिया गया था क्योंकि उन्हें न तो विकास हेतु कोई आर्डर ही दिया गया था और न उन्होंने इसे पूरा किया था और उन्हें अप्रैल, 1985 से पूर्व तेल उद्योग तकनीकी समिति ने कोई अनुमोदन भी प्रदान नहीं किया था । जब तेल उद्योग द्वारा वर्ष 1986-87 की खरीदों को अन्तिम रूप दिया जाएगा तभी उन्हें आर्डर दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

इलेक्ट्रीकल और मैकेनिकल इन्जीनियरिंग कोर में नए ट्रेड शुरू करना

3223. **श्री सुभाष यादव** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति" (ई सी सी) ने अन्य ट्रेडमैनों द्वारा किए जा रहे कुछ ट्रेडों का पता लगाया है और सिफारिश की है कि सात नई ट्रेड बनाई जायें और अन्य ट्रेडमैनों द्वारा किए जा रहे इन कार्यों को इनके अनुरूप वेतनमानों के अनुसार पुनः पदनामित किया जाए;

(ख) क्या सरकार द्वारा 19 मई, 1984 और 19 मई 1983 को जारी किए गए आदेशों के बावजूद नए ट्रेड नहीं बनाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी आदेशों का क्रियान्वयन न करने के क्या कारण हैं और ये नए ट्रेड किस तारीख तक बनाए जाने की संभावना है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी, हां ।

ग) इस प्रस्ताव पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है और शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ।

देश में कनेक्शन के लिए विचाराधीन आवेदन-पत्र

3234. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 मई, 1985 को उन व्यक्तियों की संख्या राज्यवार कितनी थी जिन्होंने टेलीफोन कनेक्शन के आबंटन के लिए अपना पंजीकरण करा रखा है; और

(ख) किस क्षेत्र और एक्सचेंज में विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या सबसे अधिक है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) लंबित आवेदनों की संख्या बम्बई टेलीफोन प्रणाली में सबसे अधिक है। 1.5.1985 को इनकी संख्या 1,71,056 थी।

विवरण

क्रम सं०	राज्य और संघ क्षेत्र को सेवा प्रदान कर रही दूर संचार सर्किल	1.5.1985 को प्रतीक्षा सूची
1.	आन्ध्र प्रदेश	50,409
2.	बिहार	7,226
3.	गुजरात (दमन, द्वीप, दादरा और नागर हवेली सलवासा को सेवा प्रदान करते हुए)	88,155
4.	जम्मू व काश्मीर	7,102
5.	कर्नाटक	36,894
6.	केरल (माहे और लक्षद्वीप को सेवा प्रदान करते हुए)	57,577
7.	मध्य प्रदेश	23,531
8.	महाराष्ट्र (गोवा को सेवा प्रदान करते हुए)	2,45,880
9.	उत्तर पूर्व (असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को सेवा प्रदान करते हुए)	6,835
10.	उत्तर पश्चिम (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ को सेवा प्रदान करते हुए)	51,098
11.	उड़ीसा	3,717
12.	राजस्थान	3,883
13.	तमिलनाडु (पांडीचेरी को सेवा प्रदान करते हुए)	60,589
14.	उत्तर प्रदेश	31,416
15.	पश्चिम बंगाल	30,481
16.	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	1,36,222
		8,61,015

औषधियों के आयात के लिए एक सारणीकृत एजेंसी द्वारा निर्धारित हर्जाने की प्राप्ति

3225. **श्री सोमजी भाई डामर** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारणीकृत एजेंसी को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से औषधियों और औषध इंटर-मीडिएट्स के निर्यात के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार हर्जाने के रूप में कितनी धन-राशि प्राप्त हुई है;

(ख) क्या यह धनराशि, सरकार के औषध मूल्य समकरण खाते में या उद्योग को दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चिकित्सा निरीक्षण (एम० आई०) निदेशालय में निरीक्षकों के वेतनमान में संशोधन

3226. **श्री एच०जी० रामुलु :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल सेना मुख्यालय के चिकित्सा निरीक्षण निदेशालय में निरीक्षकों के पदोन्नति के अवसर और वेतनमान बहुत कम हैं;

(ख) क्या वर्ष 1949 में जब से यह निदेशालय बना है तब से उनके संवर्ग की पुनरीक्षा नहीं की गई है और उनके पुराने वेतनमानों के कारण उनकी पदोन्नति अवरुद्ध हो गई है;

(ग) यदि हां, तो उनके वेतनमानो और पदोन्नति के अवसरों में सुधार न लाने के क्या कारण हैं और उसका क्या औचित्य है;

(घ) क्या निरीक्षकों के वेतनमानों में संशोधन और उनके भविष्य को बेहतर बनाने सम्बन्धी मामला चतुर्थ वेतन आयोग के पास भेजा गया है या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जब से यह सेवा आरम्भ हुई है तब से इसकी संवर्ग पुनरीक्षा नहीं की गयी है। फिर भी सरकार की नीति के अनुसार उन्हें चयन ग्रेड दे दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। उनके वेतन-मानों आदि में संशोधन करने से सम्बन्धित प्रस्ताव चतुर्थ वेतन आयोग के पास भेज दिए गए हैं जिनमें निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल हैं :—

(1) 700-1300 के वेतनमान में निरीक्षक अधिकारी के तीन पदों का सर्जन।

(2) पर्यवेक्षी निरीक्षक (जिसका सहायक निरीक्षक अधिकारी बनाया जाना है) का वेतन मान 500-750 रु० से बढ़ाकर 650-2200 रु० करना।

(3) निरीक्षक का वेतनमान संशोधित करके 425-600 रु० से बढ़ाकर 550-800 रु० करना।

(4) सहायक निरीक्षक का वेतनमान 330-560 रु० से बढ़ाकर 425-700 रु० करना।

तेल उद्योग सुरक्षा प्रमाणीकरण एजेन्सी

3227. **श्री भोला नाथ सेन :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी भारतीय तेल क्षेत्रीय प्रमाणीकरण आजकल विदेशी एजेन्सियों द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा ऐसे प्रमाणीकरणों पर कितनी विदेशी मुद्रा की राशि खर्च की गई;

(ग) जो विदेशी एजेन्सियां भारत के लिए प्रमाणीकरण का कार्य कर रही हैं उनके नाम क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा भारत के लिए तथा विदेशों में तेल उद्योग सुरक्षा प्रमाणीकरण एजेंसियों के विकास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, तथा इस मामले में अब तक कितनी सफलता मिली है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में कौन से दीर्घकालिक कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी ।

वैध औद्योगिक अनुमोदन के बिना औषधों का उत्पादन

3228. **श्री के० रामभूर्ति :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैध औद्योगिक अनुमोदन के बिना औषधों के उत्पादन के प्रश्न पर विचार करने और इस प्रवृत्ति को रोकने के संभावित उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए वर्ष 1982 में गठित अन्तर्मंत्रालय कार्यदल ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं और इस कार्य में संलग्न औषधी कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) संदेहपूर्ण वैधता वाले औद्योगिक अनुमोदनों से औषध फार्मूलेशनों का उत्पादन करने के प्रश्न की जांच करने के लिए एक अन्तर मंत्रालय कार्यकारी दल गठित किया गया था । इन कम्पनियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं । अन्तर मंत्रालय कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ऐसे सभी फार्मूलेशनों का उत्पादन बन्द करने का आदेश देना उपयुक्त नहीं होगा । इसने ऐसे फार्मूलेशनों के चयनात्मक विनियमीकरण का भी सुझाव दिया है । सरकार को कार्यकारी दल की सिफारिशों पर अभी अंतिम निर्णय लेना है ।

विवरण

क्रमांक	कम्पनी का नाम
1.	मेसर्स हिन्दुस्तान सीबा-गीगी लिमिटेड
2.	मेसर्स फीजर लिमिटेड
3.	मेसर्स बरोज वैलकम और कम्पनी (इंडिया) प्रा० लिमिटेड
4.	मेसर्स जौनसन एण्ड जोन्सन आफ इण्डिया लिमिटेड
5.	मेसर्स रिर्चडसन हिन्दुस्तान लिमिटेड

6. मेसर्स स्मिथ कलाइन एण्ड फरेन्च (इण्डिया) लिमिटेड
7. मेसर्स बूटस कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड
8. मेसर्स बायर इंडिया लिमिटेड
9. मेसर्स बायथ लेबोरेटरीज लिमिटेड
10. मेसर्स सेन्डोज इण्डिया लिमिटेड
11. मेसर्स अल्काली एण्ड कैमिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
12. मेसर्स रोश प्रोडक्ट्स लिमिटेड
13. मेसर्स सेनामाइड इण्डिया लिमिटेड
14. मेसर्स पारके डेविस (इण्डिया) लिमिटेड
15. मेसर्स यूनि-कैम लेवोरटरीज लिमिटेड
16. मेसर्स अबोट लेबोरटरीज लिमिटेड
17. मेसर्स रेलीज इण्डिया लिमिटेड
18. मेसर्स स्टेंडर्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
19. मेसर्स एस-जी कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
20. मेसर्स साराबाई कैमिकल्स लिमिटेड
21. मेसर्स बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
22. मेसर्स ईस्ट इण्डिया फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
23. मेसर्स डाबर (डा० एस० के० बरमन) प्राईवेट लिमिटेड
24. मेसर्स साइनबायोटिक्स लिमिटेड
25. मेसर्स बोहींगर नोल इंडिया लिमिटेड
26. मेसर्स झण्डु फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लिमिटेड
27. मेसर्स डुफार इन्ट्राफरेन लिमिटेड
28. मेसर्स आस्ट्रा आई डी एल लिमिटेड
29. मेसर्स इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्राकृतिक गैस उत्पादन केन्द्र के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से गैस की सप्लाई का अनुरोध

3229. **श्री सी० सम्बु** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने केन्द्र सरकार से 200 मेगावाट की क्षमता के प्राकृतिक गैस पर आधारित एक जनरेटिंग स्टेशन की स्थापना की मांग की है;

(ख) क्या कम खर्च पर बिजली के उत्पादन और आन्ध्र प्रदेश की बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग प्रतिदिन 20 लाख घन मीटर गैस की सप्लाई सुनिश्चित कर सकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने हाल ही में मन्त्रालय को सूचित किया है कि उसका 200 मेगावाट क्षमता की गैस मूल की विद्युत उत्पादन की सुविधाएं स्थापित करने का इरादा है।

(ख) और (ग) इस स्थिति में अभी तक स्थापित भण्डारों के आधार पर प्रतिदिन 20 लाख घन मीटर तक गैस देने का दीर्घावधिक वचन देना सम्भव नहीं है।

मथुरा शोधनशाला के निकट पेट्रोरसायन परिसर की स्थापना

3230. **श्री आनन्द सिंह** :
श्री गुरुदास कामत : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति शोधनशालाओं के आस-पास पेट्रो-रसायन परिसरों की स्थापना करने की है;

(ख) यदि हां, तो क्या मथुरा शोधनशाला के आस-पास ऐसे एक परिसर की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसे कहां पर स्थापित किया जायेगा और मद वार उसकी स्थापित उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) ऐसी परियोजनाओं के लिए स्थानों का निर्धारण तकनीकी-आर्थिक विचारों के आधार पर किया जाता है।

(ख) और (ग) सलीमपुर जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में निम्नलिखित क्षमता का एक एरोमेटिक परियोजना स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है :—

बेंजीन	1.06 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष
जाइलीन	2.06 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष
इथिल बेंजीन	0.175 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष।

सार्वजनिक क्षेत्र में साधनों पर दबाव को देखते हुए परियोजना को लागू करने के लिए वैकल्पिक तरीकों का पता लगाया जा रहा है।

[हिन्दी]

तहसील मुख्यालयों में गैस कनेक्शन जारी करना

3231. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन की गम्भीर समस्या को देखते हुए सरकार देश में प्रत्येक तहसील मुख्यालय में गैस कनेक्शन जारी करेगी;

(ख) यदि हां, तो किस समय तक; और

(ग) यदि नहीं, तो ईंधन समस्या को हल करने के लिए सरकार का क्या सुधारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) 20,000 तथा उससे अधिक की आबादी वाले उन कस्बों (तहसील मुख्यालयों सहित) को तेल उद्योग द्वारा चरणबद्ध रूप से एल. पी. जी. वितरणशिप खोलने के लिए शामिल किया जा रहा है जहां आर्थिक रूप से व्यवहार्य वितरणशिप के लिए पर्याप्त विपणन व्यवहार्यता है। यह एल. पी. जी. उपलब्धता भरण क्षमता तथा अन्य आधार-भूत सुविधाओं पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

जनपथ एक्सचेंज को क्रासबार एक्सचेंज लाइनों को सेवा भवन स्थित इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में स्थानान्तरित करना

3232. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में जनपथ क्रास-बार एक्सचेंज से कुछ मौजूदा लाइनों को बदलने/सेना भवन स्थित एक्सचेंज में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितनी लाइनों को जनपथ क्रासबार एक्सचेंज से सेना भवन स्थित इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में स्थानान्तरित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) उक्त प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। जनपथ एक्सचेंज के किसी भी क्षेत्र को सेना भवन इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव या योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बजाज और प्रिया स्कूटरों की मांग और उसकी बिक्री

3233. **श्रीमती प्रभावती गुप्ता :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बजाज और प्रिया स्कूटरों की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो देश में 30 जून, 1985 तक कितने स्कूटरों की बुकिंग की गई और कितने स्कूटरों की डिलीवरी दी गई;

(ग) प्रत्येक डीलर की डिलीवरी हेतु निर्धारित मासिक/तिमाही कोटा क्या है; और

(घ) इन स्कूटरों की शीघ्र डिलीवरी के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृहमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हाँ।

(ख) बजाज और प्रिया स्कूटरों के अनिर्णीत पड़े आर्डर लगभग 10 लाख और 16 लाख हैं। पिछले एक वर्ष में 2 लाख बजाज स्कूटरों और 52,000 प्रिया स्कूटरों की सुपुर्दगी की गई थी।

(ग) कम्पनी ने बताया है कि विक्रेताओं को स्कूटरों का आबंटन मोटे तौर पर उनकी बुकिंगों के अनुपात में किया जाता है।

(घ) बजाज आटो लिमिटेड अपनी उत्पादन क्षमता का पर्याप्त विस्तार करने के लिए एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है। सरकार ने विभिन्न मेकों के दुपहियों की पर्याप्त क्षमता के लिए लाइसेंस भी दिये हैं। आशा है कि निकट भविष्य में स्कूटरों की उपलब्धता में सुधार हो जाएगा।

स्थगन के कारण मामलों का लम्बित रहना

3234. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी वकीलों द्वारा बार-बार स्थगन लेना न्यायालयों में मामलों के लम्बित रहने का एक प्रमुख कारण है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी वकीलों को, मामलों के बार-बार स्थगन न लेने और मामलों को शीघ्र निपटाने के बारे में निदेश देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है जिससे कि न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या में कमी की जा सके।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) यह कहना सही नहीं है कि न्यायालयों में मामलों के लंबित रहने के मुख्य कारणों में से एक कारण यह भी है कि सरकारी वकील मामलों को बार-बार स्थगित करा लेते हैं। मामले में स्थगन मंजूर करना न्यायालय का विवेकाधिकार है और वह उसका प्रयोग सुसंगत विधियों और नियमों के अनुसार ही करता है।

आशय-पत्र जारी करना और औद्योगिक लाइसेन्स देना

3235. **श्री आशुतोष लाहा** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1984 से जून, 1985 के बीच की अवधि के दौरान आशय-पत्र जारी करने और औद्योगिक लाइसेन्स देने में कोई भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान पिछले तीन वर्षों की इसी अवधि की तुलना में कितने आशय-पत्र और औद्योगिक लाइसेन्स दिये गये;

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अवधियों के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के

लिये और शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों के लिए कितने आशय-पत्र जारी किये गये और औद्योगिक लाइसेन्स दिये गये; और

(घ) उपरोक्त भाग (ख) और (ग) के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृहमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) निम्नलिखित तीन विवरण संलग्न हैं :

1. जुलाई 82 से जून, 83, जुलाई 83 से जून, 84 और जुलाई 84 से जून 85 की अवधि में मंजूर किये गए आशय-पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेन्सों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-एक।

2. पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए जुलाई 82 से जून, 83, जुलाई 83 से जून 84 और जुलाई 84 से जून 85 की अवधि में मंजूर किए गए आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेन्सों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-दो।

3. शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक स्थापित करने के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों (जिनमें निर्यात संवर्द्धन क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले एकक भी शामिल हैं) के सन्दर्भ में जुलाई 82 से जून 83, जुलाई 83 से जून 84 और जुलाई 84 से जून 85 की अवधि में जारी किए गये आशय-पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेन्सों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-तीन।

विवरण-एक

जुलाई 82 से जून 83, जुलाई 83 से जून 84 और जुलाई 84 से जून 85 के दौरान मंजूर किये गए आशय पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेन्सों की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा :

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	जुलाई 82 से जून 83		जुलाई 83 से जून 84		जुलाई 84 से जून 85	
		आशयपत्र	औद्योगिक लाइसेन्स	आशयपत्र	औद्योगिक लाइसेन्स	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेन्स
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	73	41	94	52	109	62
2.	अंडमान और निकोबार	—	—	1	—	2	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	5	1	4	2	1	4
4.	असम	2	21	7	4	14	11
5.	बिहार	34	13	21	30	24	26
6.	चण्डीगढ़	1	3	2	1	3	5
7.	दादर और नगर हवेली	4	—	3	—	3	1
8.	दिल्ली	9	12	7	19	19	14
9.	गोवा, दमन व द्विव	12	6	10	6	15	8
10.	गुजरात	126	79	120	112	144	69

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	हरियाणा	79	38	52	61	94	41
12.	हिमाचल प्रदेश	21	3	21	6	23	15
13.	जम्मू और काश्मीर	6	10	18	5	14	9
14.	कर्नाटक	69	56	78	56	80	50
15.	केरल	37	22	18	15	18	22
16.	लक्ष्यद्वीप समूह	—	—	—	—	—	—
17.	मध्य प्रदेश	61	20	71	31	86	45
18.	महाराष्ट्र	130	127	173	155	231	139
19.	मणिपुर	1	—	—	—	1	—
20.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—
21.	मेघालय	4	—	4	—	2	—
22.	नागालैंड	1	1	2	1	1	2
23.	उड़ीसा	42	10	22	16	29	25
24.	पांडिचेरी	4	1	14	5	15	6
25.	पंजाब	51	59	43	187	41	68
26.	राजस्थान	46	16	41	28	43	37
27.	सिक्किम	1	—	—	—	2	2
28.	तमिलनाडु	67	52	79	70	116	162
29.	त्रिपुरा	—	—	1	—	—	1
30.	उत्तर प्रदेश	118	57	148	90	176	86
31.	पश्चिम बंगाल	37	36	43	90	63	75
32.	राज्य जो दर्शाये नहीं गए/एक से अधिक राज्य	18	—	13	1	17	5
	योग	1059	684	1110	1043	1386	990

विवरण-दो

पिछड़े हुए क्षेत्रों में एकक स्थापित करने के लिए जुलाई 82 से जून 83, जुलाई 83 से जून 84, तथा जुलाई 84 से जून 85 के दौरान जारी किये गए आशय-पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेन्सों का राज्यवार ब्यौरा

क्रमांक	राज्य	जुलाई 82 से जून 83		जुलाई 83 से जून 84		जुलाई 84 से जून 85	
		आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेन्स	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेन्स	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेन्स
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	54	17	57	25	67	36
2.	अंडमान और निकोबार	—	—	1	—	2	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	5	1	4	2	1	4

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	असम	2	21	7	4	14	11
5.	बिहार	22	4	9	3	9	7
6.	दादर और नगर हवेली	4	—	3	—	3	1
7.	गोवा, दमन और द्विव	12	6	10	6	15	8
8.	गुजरात	70	29	64	30	85	34
9.	हरियाणा	51	3	33	14	39	16
10.	हिमाचल प्रदेश	20	3	21	16	22	15
11.	जम्मू और काश्मीर	6	10	18	5	14	9
12.	कर्नाटक	35	25	50	23	32	18
13.	केरल	25	14	10	10	12	14
14.	मध्य प्रदेश	51	13	65	20	75	30
15.	महाराष्ट्र	61	18	71	27	95	43
16.	मणिपुर	1	—	—	—	1	—
17.	मेघालय	4	—	4	—	2	—
18.	नागालैंड	1	1	2	1	1	2
19.	उड़ीसा	27	3	6	6	14	4
20.	पांडिचेरी	4	1	14	5	15	6
21.	पंजाब	27	6	15	19	10	9
22.	राजस्थान	39	9	35	13	30	20
23.	सिक्किम	1	—	—	—	2	2
24.	तमिलनाडु	33	24	40	29	53	59
25.	त्रिपुरा	—	—	1	—	—	1
26.	उत्तर प्रदेश	86	15	107	36	106	47
27.	पश्चिम बंगाल	19	6	22	12	30	14
28.	राज्य जो दर्शाये नहीं गए/एक से अधिक राज्य	16	—	10	—	6	2
	योग	676	229	679	296	755	412

बिवरण-तीन

जुलाई 82 से जून 83, जुलाई 83 से जून 84 और जुलाई 84 से जून 85 तक शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख आवेदनों (निर्यात संवर्द्धन क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उद्योगों सहित) के आधार पर स्वीकृत किए गए आशयपत्रों और औद्योगिक

लाइसेंसों का राज्यवार ब्यौरा :

क्रमांक	राज्य	जुलाई 82 से जून 83		जुलाई 83 से जून 84		जुलाई 84 से जून 85	
		आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	—	6	—	8	—
2.	बिहार	4	—	1	2	1	1
3.	चंडीगढ़	—	1	—	1	—	—
4.	दिल्ली	5	—	3	2	3	—
5.	गोवा, दमन और द्विव	1	—	3	2	1	—
6.	गुजरात	16	7	8	1	20	4
7.	हरियाणा	6	—	1	2	3	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	3	1	1	—
9.	कर्नाटक	8	4	6	—	6	2
10.	केरल	2	—	1	—	—	—
11.	मध्य प्रदेश	—	—	4	—	2	—
12.	महाराष्ट्र	14	1	11	2	15	4
13.	उड़ीसा	1	1	—	—	1	—
14.	पांडिचेरी	2	—	3	1	—	—
15.	पंजाब	6	1	3	1	—	—
16.	राजस्थान	1	—	1	—	3	—
17.	तमिल नाडु	9	—	5	2	10	—
18.	उत्तर प्रदेश	5	—	4	—	6	1
19.	पश्चिम बंगाल	2	1	—	1	7	1
	योग	84	16	63	18	87	13

मथुरा तेल शोधक कारखाने का विस्तार

3236. **श्री गुरुदास कामत** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा तेल शोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मथुरा तेल शोधक कारखाने के विस्तार पर भी विचार कर रही है; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक है तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और विस्तार कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) शोधनशाला की सामान्य क्षमता को 6·0 मि० मी० टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 7·5 मि० मी० टन प्रतिवर्ष करने का एक ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है जिसे सातवीं योजना अवधि के दौरान पूरा किया जाएगा। सातवीं योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

मथुरा में प्रोपिलीन संयंत्र की स्थापना करना

3237. **श्री मुरलीधर मांने** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने यह कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा में प्रोपिलीन संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संयंत्र द्वारा कब तक उत्पादन शुरु करने की संभावना है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) मथुरा तेल शोधक कारखाने से उपलब्ध फीड स्टॉक के आधार पर एक प्रोपिलीन विखण्डन संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। ब्यौरे अभी तैयार नहीं किये गए हैं।

सीमेंट पर से नियन्त्रण हटाना

3238. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1982 में सीमेंट पर से आंशिक रूप से नियन्त्रण हटाने की नीति लागू करने के बाद से सीमेंट उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमेंट पर से नियन्त्रण हटाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या उपभोक्ताओं के लिए सीमेंट का मूल्य कम करने की सम्भावनाओं की जाँच करने की कोई आवश्यकता है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृहमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस समय लेवी सीमेंट पर से मूल्य और वितरण सम्बन्धी नियन्त्रण उठाने का कोई विचार नहीं है।

(ग) लेवी सीमेंट के मूल्य का निर्धारण इस उद्योग के लागत ढांचे की ब्यौरेवार जाँच के आधार पर निर्धारित किया गया है। जहां तक गैर लेवी सीमेंट का प्रश्न है, इस पर मूल्य नियन्त्रण नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय वायुसीमा का उल्लंघन

3239. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः मास के दौरान कितनी बार कितने देशों ने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया है तथा हर बार सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत छः महीनों के दौरान कितनी बार और कब तक अन्य देशों ने भारतीय सीमा का अतिक्रमण किया है और क्या इस बारे में कभी कोई भिड़न्त हुई है, यदि हां, तो उनमें कितने आदमी जख्मी हुए अथवा मारे गए; और

(ग) उस भारतीय क्षेत्र का तारीखवार तथा देशवार ब्यौरा क्या है जो अन्य देशों के साथ विवाद का विषय है तथा हर मामले में क्या कारण है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) पिछले छः महीनों के दौरान पाकिस्तान विमानों द्वारा हमारी वायुसीमा का उल्लंघन किये जाने की कुछ घटनाएं हुई हैं। ऐसे सभी मामले पाकिस्तान सरकार के साथ उठाए गए हैं ताकि इनकी पुनरावृत्ति न हो।

(ख) इस अवधि के दौरान किसी भी देश द्वारा हमारी सीमा का अतिक्रमण करने की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन फरवरी, 1985 में पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में हमारे सैनिकों को उनकी चौकियों से हटाने का प्रयास किया था। हमारे सैनिकों ने इस प्रयास को पूरी तरह नाकाम कर दिया। इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के कुछ सैनिक हताहत हुए।

(ग) पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर क्षेत्र को, जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है, विवादास्पद क्षेत्र मानता है। लद्दाख में इस समय लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र चीन के कब्जे में है। चीन अरूणाचल प्रदेश के एक बड़े भाग पर भी अपना दावा करता है जो कि भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान ने 1963 के तथा कथित चीन-पाक सीमा समझौते के अन्तर्गत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लगभग 4500 वर्ग किलो मीटर भारतीय क्षेत्र अवैध रूप से चीन को दे दिया है। बंगला देश ने "न्यू.मूर द्वीप" पर अपना दावा किया है जो कि भारत का अंग है।

[अनुवाद]

सातवीं योजना में चीनी मशीनरी उद्योग के लिए एकीकृत नीति

3240 **श्री अमर राय प्रधान** :
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना में देश की चीनी मशीनरी उद्योग के लिए एकीकृत नीति की परिकल्पना की गई है;

(ख) क्या सरकार ने सातवीं योजना के दौरान चीनी मशीनरी उद्योग के लिए अधिक लाइसेंस जारी करने का फैसला किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) चीनी मशीन उद्योग का चीनी उद्योग से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। सातवीं योजना अवधि में चीनी का मांग का अनुमान लगाया गया है जिससे देश में चीनी मशीनों की क्षमता में उचित वृद्धि और इसके साथ ही आधुनिकीकरण की आवश्यकता होगी।

(ख) और (ग) "चीनी मशीनों" सहित औद्योगिक मशीन समूह के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों को सरकार ने लाइसेंस मुक्त कर दिया है बशर्ते वे कुछ शर्तों को पूरा करते हो जिससे उनकी वृद्धि को प्रोत्साहन दिया जा सके।

दूरसंचार सेवाएं

3241. **श्री चिंतामोहन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरसंचार सेवाओं में उपलब्ध सुविधाओं और संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केवल मात्र नई प्रोद्योगिकी को लागू करना अथवा भारी धनराशि की व्यवस्था करना ही पर्याप्त नहीं होगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार प्रयोग के रूप में प्रत्येक राज्य का एक नगर गैर सरकारी उद्यम को सौंपने पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। नई टेक्नालाजी प्रारम्भ करने और पर्याप्त निधि, जो कि एक पहली अनिवार्य शर्त है, की व्यवस्था करने के साथ दूरसंचार सेवाओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए संस्थागत परिवर्तन करने की भी आवश्यकता होती है।

(ग) जी, नहीं।

टेलेक्स/टेलीफोन का कनेक्शन काटने से प्रयोक्ताओं को असुविधा

3242. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में ऐसे मामले लाये गए हैं जिनमें डाक और तार विभाग की गलती के कारण ग्राहकों के टेलेक्स/टेलीफोन के कनेक्शन लम्बे समय तक कटे रहने से उन्हें परेशानी और असुविधा में डाला गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मामले की पुनरावृति को रोकने तथा ग्राहकों को मुआवजा देने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) समय पर बिलों का भुगतान करने के बाद भी लंबे समय तक टेलेक्स/टेलीफोन काटने का कोई मामला ध्यान में नहीं आया। विभाग की गलती के कारण काटे गए टेलेक्स/टेलीफोन के मामलों में निम्नलिखित रियायत देने की व्यवस्था है :—

(एक) पुनः चालू करने का शुल्क लिए बिना ही कनेक्शन चालू करना,

(दो) यदि विभागीय कारणों से कनेक्शन पुनः चालू करने में 3 महीने से अधिक का समय लग जाता है, तो उसका किराया वसूल न करना।

6-ए० पी० ए० की कमी

3243. **श्री एन० डेनिस** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में 6-ए० पी० ए० की कमी है;

(ख) क्या यह सच है कि केनेलाइसिंग एजेंसी न तो अप्रैल, 1985 के रजिस्ट्रेशन के लिए 6-ए०पी०ए० सप्लाई कर रही है और न आयात नीति के उपबन्धों के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर रही है;

(ग) केनेलाइसिंग एजेन्सी द्वारा जून, 1985 तक वास्तविक उपभोक्ताओं को तिमाही-वार कितनी मात्रा सप्लाई नहीं की गई; और

(घ) इस कमी को दूर करने के लिए इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) वास्तविक उपभोक्ताओं को 6-ए०पी०ए० की आपूर्ति राज्य व्यापार निगम, सरणीबद्ध अभिकरण, के माध्यम से स्वदेशी उत्पादकों के स्टाकों से तथा आयातों के माध्यम से की जा रही है।

राज्य व्यापार निगम ने सूचित किया है कि अप्रैल-जून, 1985 की तिमाही के सम्बन्ध में वास्तविक उपभोक्ताओं को 18.47 मी. टन. 6-ए. पी. ए. की आपूर्ति की जानी बाकी है आपूर्ति न की गयी इस मात्रा में लगभग 8 मी. टन जनवरी-मार्च, 1985 की तिमाही में पंजी। कृत हुआ था जिसके लिए वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा प्रलेख प्रोषण का कार्य अप्रैल-जून-1985 की तिमाही में पूरा किया गया। शेष अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कदम उठाए, गए हैं।

प्रशिक्षण अवधि के दौरान विमान चालकों की मृत्यु

3244. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** :
डा० सुधीर राय : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षण अवधि में विमान चालकों की मृत्यु दर और विमानों की क्षति में निरन्तर वृद्धि हुई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार प्रशिक्षण के दौरान हुई दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और कितने विमानों को क्षति अथवा नुकसान पहुंचा है;

(ग) इसके क्या कारण है; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में प्रशिक्षण के दौरान विमानों की क्षति में कमी आई है लेकिन पायलटों के मारे जाने की दर में आंशिक वृद्धि हुई है। इस संबंध में आगे और सूचना देना लोकहित में नहीं होगा।

(ग) और (घ) बड़ी दुर्घटनायें पायलटों की गलती, मशीनी खराबी, चिड़ियों का विमानों से टकरा जाने और ऐसी ही कुछ अन्य कारणों से होती हैं। इन दुर्घटनाओं की जांच अदालतों द्वारा छानबीन की जाती है और जहां कहीं भी आवश्यक होता है ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं। उड़ान सुरक्षा पर गठित एयर मार्शल लेफौंलेन समिति की सिफारिशों पर हवाई एवं ग्राउंड कर्मचारियों का प्रशिक्षण पाठयक्रम संशोधित कर दिया गया है ताकि उनकी कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० हैदराबाद द्वारा निर्मित औषधियां

3245. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० हैदराबाद में अन्य औषधियों सहित कुछ महत्वपूर्ण जीवन रक्षक औषधियों का भी निर्माण होता है;

(ख) यदि हां, तो इस समय बनाई जाने वाली और पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित औषधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि. में कुछ महत्वपूर्ण जीवन रक्षक औषधियों का निर्माण बंद कर दिया गया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां

(ख) आई. डी. पी. एल. हैदराबाद द्वारा वर्तमान में निर्माण की जा रही है और गत तीन वर्षों के दौरान निर्माण की गई औषधों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ग) आई. डी. पी. एल. के अनुसार किसी आवश्यक औषधि का निर्माण बन्द नहीं किया गया है ।

विवरण

आई. डी. पी. एल., हैदराबाद द्वारा वर्तमान में निर्माण की जा रही और गत तीन वर्षों के दौरान निर्माण की गई औषधों की सूची

1. एसिटाजोलामाइड
2. एनलजिन
3. फोलिक एसिड
4. डोक्सीसाइक्लीन
5. मेट्रोनिओजोल
6. पिनासिटिन (82-83)-बेण्ड 1:5.1982 से
7. पेरासिटामोल
8. फिनवारबिटोन और फिनवारबिटोन सोडियम
9. पिपराजाइन और इसके लक्षण
10. पेथेलाइल सल्फाथियाजोल
11. सल्फासिल और सोडियम सल्फासिल
12. सल्फाडिमिडाइन
13. सल्फागुनिडाइन
14. सल्फानिलेमाइन
15. सल्फामेथोक्साजोल
16. मिथाइल डोपा
17. सोडियम पीएसए
18. ट्राइमेथोप्रिम
19. विटामिन बी 1
20. विटामिन बी 2
21. विटामिन बी 2-5 फास्फेट
22. फूसेमाइड
23. विटामिन बी 6
24. क्लोरोक्वीन फास्फेट
25. एम्पीसिलिन ट्राइहाइड्रेट

बिहार में औषधियों की कमी

3246. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में औषधियों की जबर्दस्त कमी है;

(ख) क्या बिहार के औषधि नियंत्रक की राज्य में औषधियां उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न समुदायों से बड़ी संख्या में अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार बिहार में औषधियों की कमी को दूर करने के लिए बिहार के औषधि नियंत्रक को पर्याप्त औषधियां उपलब्ध कराने का है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) यह मंत्रालय राज्य औषध नियंत्रकों, केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन को क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त आवधिक रिपोर्टों और जन शिकायतों के आधार पर अनिवार्य और जीवन रक्षक औषधों की उपलब्धता पर निगरानी रखता है। बिहार के औषध नियंत्रण से प्राप्त नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में स्थानीय क्षेत्रों में एनेस्थैटिक इथर और ए०टी०एस०को छोड़कर विशेष ब्रांड की कुछ औषधों की अपर्याप्त उपलब्धता बताई गई है। तथापि, अन्य कम्पनियों द्वारा निर्मित की गई समान औषधों की उपलब्धता की रिपोर्ट है। सम्बन्धित औषधों के निर्माताओं को तार द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में स्टाक भेजने की सलाह दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार कम्पनियां अधिकांश मामलों में ऐसा कर चुकी हैं।

बिहार के औषध नियन्त्रक को इस राज्य में औषधों की अनुपलब्धता के बारे में विभिन्न समुदायों से किसी प्रतिवेदन के प्राप्त होने की जानकारी इस मंत्रालय को नहीं है।

मझगांव डाक, बम्बई में जलपोतों का निर्माण और जलपोतों के निर्माण के लिए प्राप्त हुए आर्डर

3247. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मझगांव डाक, बम्बई में जलपोतों के निर्माण के लिये अन्य देशों से कितने आर्डर प्राप्त हुए हैं; और

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान कुल कितने जलपोतों का निर्माण किया गया और कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) मझगांव डाक, बम्बई में जलपोतों के निर्माण के लिए पिछले 5 वर्षों के दौरान अन्य देशों से प्राप्त आदेशों की संख्या अगले पृष्ठ पर दी गई है :

वर्ष	प्राप्त आदेश	मूल्य	देश
1980-81	अदन बन्दरगाह प्राधिकारियों के लिए तीन बजरे, तीन लांचेज और बीस पोनटून	262 लाख रु०	जनवादी गणराज्य यमन
1981-82	अदन के उद्योग मंत्रालय के लिए पांच बजरे	38·25 लाख रु०	जनवादी गणराज्य यमन
1982-83	मोजांबिक सरकार के परिवहन मंत्रालय के लिए दस लांचेज तथा उनके फालतू पुर्जे	423·60 लाख रु० 42·40 लाख रु०	मोजांबिक
1983-84	शून्य		
1984-85	शून्य		

(ख) 1984-85 के दौरान दस लांचेज बनाए गए और मोजांबिक सरकार को दे दिए गए। इससे 423·60 रु० की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।

कम सीमा शुल्क टैरिफ के कारण देश में 6 ए० पी० ए० के उत्पादन को आघात

3248. **श्री बृजमोहन महन्ती :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात पर कम सीमा टैरिफ लगाने के कारण देश में 6 ए० पी० ए० के उत्पादन को आघात पहुंचा है;

(ख) क्या 6 ए० पी० ए० की पहुंची हुई लागत देश में निर्मित उत्पादन से कम है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित 6 ए० पी० ए० की अवतरित लागत-स्वदेशी उत्पादन के लिए निर्धारित 6 ए० पी० ए० के मूल्य से सस्ती है, क्योंकि हमारे देश में कच्चे माल की लागत अपेक्षाकृत उच्चतर है।

[हिन्दी]

सातवीं योजना के दौरान उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

3249. **श्री विलास मुत्तेमवार**
श्री चित महाता
श्री के० कुन्जम्बु : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान कितने उर्वरक संयंत्र खोले जाने का विचार है और कहां पर;

(ख) स्थलों का चयन करते समय क्या मापदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या इन स्थलों का चयन करते समय पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है या दी जाएगी; और

(घ) इस प्रायोजन के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) ऐसे नए उर्वरक संयंत्रों की संख्या और स्थान, जिनके कार्यान्वयन का आरम्भ सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान होगा, का निर्णय सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद लिया जाएगा। उर्वरक संयंत्रों के स्थान का निर्णय पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार की नीति सहित तकनीकी आर्थिक पहलुओं के आधार पर किया जाता है।

(घ) नए उर्वरक संयंत्रों के लिए उपलब्ध स्रोतों की राशि का पता योजना आयोग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही चलेगा।

[अनुवाद]

दीमापुर में सेना के कब्जे में भूमि को खाली कराना

3250. **श्री चिंगवांग कोनयक :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दीमापुर में रंगा पहाड़ क्षेत्र में सेना को 1235 एकड़ भूमि आबंटित किये जाने के बाद भी सेना ने दीमापुर शहर में 400 एकड़ से अधिक भूमि पर कब्जा कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो सेना द्वारा कब्जा की गई भूमि को खाली कराने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) नागालैंड सरकार और सेना के बीच हुए एक समझौते के अनुसार नागालैंड सरकार ने 17 अक्तूबर, 1966 को रंगा पहाड़ में 1235 एकड़ भूमि सेना को इस वादे पर दे दी कि इस भूमि के बदले सेना दीमापुर में अपने कब्जे में ली भूमि को खाली कर देगी।

2. उस समय रंगा पहाड़ में सेना के लिए 1720 एकड़ भूमि की आवश्यकता आंकी गई थी। इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया था कि वह 1235 एकड़ भूमि के पास ही 492 एकड़ अतिरिक्त भूमि आबंटित करे। यह क्षेत्र, जो कि मापने पर वास्तव में 542 एकड़ पाया गया, 20 मार्च, 1969 को कोहिमा के उपायुक्त ने सेना को सौंप दिया। लेकिन राज्य सरकार ने मार्च, 1970 में इस आबंटन को रद्द कर

दिया। काफी बातचीत के बाद जून, 1982 में राज्य सरकार 542 एकड़ आबंटित क्षेत्र में से 31.1.1981 तक निर्मित क्षेत्र को पुनः आबंटित करने के लिए सहमत हो गई। यह क्षेत्र लगभग 200 एकड़ है। सेना को क्योंकि 350 एकड़ भूमि की आवश्यकता है इसलिए अगस्त, 82 में राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया कि वह अपने निर्णय पर फिर से विचार करे।

3. दीमापुर में 397 एकड़ भूमि में से 107.80 एकड़ भूमि सेना के कब्जे में, 30 एकड़ सीमा सड़क विकास बोर्ड और 45 एकड़ भूमि राज्य सरकार के अभिकरणों के कब्जे में है। शेष 214.2 एकड़ भूमि पर प्राइवेट व्यक्तियों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि जब तक 350 एकड़ भूमि रखने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के साथ अन्तिम समझौता नहीं हो जाता तब तक सेना के लिए रंगा पहाड़ में इस भूमि पर आवासों का स्थाई निर्माण करना संभव नहीं है। इस मामले पर राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच विचार-विमर्श और समझौता होना है।

[हिन्दी]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आरक्षित कोटे से न्यायाधीशों की नियुक्तियां

3251. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ उच्च न्यायालय न्याय पीठ में पृथक-पृथक कितने न्यायाधीश हैं;

(ख) क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में आरक्षण नीति का पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो आरक्षण नीति के अन्तर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ उच्च न्यायालय न्यायपीठ में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है; और

(ग) यदि इस प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं की गई है, तो आरक्षित कोटा कब तक भरा जाएगा ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) 1.8.1985 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 46 न्यायाधीश पदासीन थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उसकी लखनऊ स्थित न्यायपीठ में न्यायाधीशों की संख्या के बारे में जानकारी पृथक-पृथक रूप में इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के सुसंगत उपबंधों के अनुसार की जाती है जिनमें किसी जानि या वर्ग के लिए आरक्षण की बाबत कोई उपबन्ध नहीं है।

[अनुवाद]

केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

3252. **श्री के० मोहन दास** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कोई पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ये पद कब से रिक्त हैं; और

(ग) सरकार इन रिक्त पदों को कब भरेगी ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) इस समय केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का एक पद रिक्त है।

(ख) 3 अगस्त, 1985।

(ग) केरल उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश के रिक्त पद को भरने के बारे में सरकार गंभीरता-पूर्वक विचार कर रही है।

उर्वरकों के लक्षित उत्पादन में कमी

3253. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1984-85 के दौरान देश में उर्वरकों के लक्षित उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो निर्धारित लक्ष्य क्या था तथा प्रत्येक उर्वरक एकक द्वारा कितने उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति की गई;

(ग) उत्पादन में कमी के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) वर्ष 1985-86 में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं। उर्वरक का उत्पादन वर्ष 1984-85 के लिए निर्धारित 37.5 लाख टन नाइट्रोजन और 11.25 लाख टन पी2 ओ5 के वार्षिक उत्पादन लक्ष्य से बढ़कर 39.17 लाख टन नाइट्रोजन और 12.64 लाख टन पी2 ओ5 हो गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) विद्यमान सार्वजनिक क्षेत्रीय उर्वरक संयंत्रो के संचालन में और सुधार करने के लिए अतिरिक्त उर्वरक क्षमता की स्थापना के अलावा विभिन्न पुनर्वास उपाय किये गये हैं और रक्षित विद्युत सुविधाओं का सृजन किया गया है ताकि उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि हो सके।

अमरीका के निषिद्ध कीटनाशकों का हमारे देश में ढेर लगाया जाना

3254. **श्री रेणुपद दास** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्लोरडेन्स हैप्टेक्लर, डीलाड्रिन एल्ड्रिन, बी० एच० सी० लिन्डेन, डिक्लोरोवोस, एन्डोसल्फान, 2, 4-डी जैसे कुछ कीटनाशकों जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाए जाते हैं तथा उस देश में इन पर निषेध है, का इस देश में ढेर लगाया जा रहा है;

(ख) क्या इन कीटनाशकों से गुर्दे काम करना बन्द कर देते हैं, नरवस ब्रेक डाउन हो सकता है तथा यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है;

(ग) क्या इनमें से सबसे अधिक जहरीला रसायन 2, 4-डी है जिसमें प्रायः डायोम्सीन मिली रहती है;

(घ) यदि उपर्युक्त (क), (ख) तथा (ग) का उत्तर सकारात्मक है तो क्या सरकार उनका आयात जारी रखने तथा देश में उत्पादन करने के बारे में पुनर्विचार करेगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (च) कुछ पेस्टीसाइड्स, जिनका प्रयोग यू०एस०ए० में बन्द कर दिया गया है अथवा सीमित परिस्थितियों में प्रयोग की अनुमति है, के भारत में प्रयोग की अनुमति दी गई है। भारत में किसी भी पेस्टीसाइड्स के प्रयोग का विनियमन उसके आयात और निर्यात सहित, अन्य बातों के साथ-साथ इन्सेक्टिसाइड्स अधिनियम के अधीन किया जाता है। देश में पेस्टीसाइड्स के आयात और निर्माण की अनुमति देने से पूर्व अधिनियम के अधीन स्थापित पंजीकरण समिति इन्सेक्टिसाइड्स की दक्षता और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार मानवों तथा जानवरों की सुरक्षा जैसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखती है।

किसी पेस्टीसाइड्स पर प्रतिबन्ध की आवश्यकता तभी होती है जब पूर्ण मूल्यांकन के पश्चात इस देश की कृषि परिस्थितियों के अधीन कोई विपरीत प्रभाव सामने आये। इसके अलावा, यदि भारत में आयात/निर्माण के लिए पहले से ही पंजीकृत किसी इन्सेक्टिसाइड्स के बारे में कोई विपरीत रिपोर्ट प्राप्त होती है तो सम्बद्ध ब्यौरे प्राप्त करके भारत में उसके निरन्तर प्रयोग के प्रभावों के सन्दर्भ में उनका अध्ययन किया जाता है, जिसके पश्चात देश में उनका प्रयोग जारी रखने के सम्बन्ध में कोई उपयुक्त निर्णय लिया जाता है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित पेस्टीसाइड्स में से बी० एच० सी० और डीलाड्रिन के यू० एस० ए० में प्रयोग की अनुमति नहीं है जबकि एल्ड्रिन, क्लोरडेन, हेप्टाक्लोर और 2, 4-डी प्रतिबन्धित हैं। लिन्डेन, इन्डोसल्फान और डिक्लोरोकेस के सम्बन्ध में स्थिति तत्काल उपलब्ध नहीं है। इनमें से भारत में डीलाड्रिन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध है।

सभी पेस्टीसाइड्स जहरीले हैं और असंगत अथवा अनुपयुक्त रूप से प्रयोग करने पर स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त खतरनाक हैं। प्रकाशित सूचना के अनुसार अशुद्धता डियोक्सिन (2,3,7,8-टेट्राक्लोरोडिबेन्जो-पी० डियोक्सिन) की ट्रेस अशुद्धता के रूप में विद्यमानता 2,4,5-टी (2,4,5-ट्राइक्लोरोफेनोक्सीएसेटिक एसिड) के मामले में ज्ञात है न कि 2,4-डी में इस ट्रेस अशुद्धता का गठन 2,4,5-ट्राइक्लोरोफ्नोल, जो स्वयं में 2,4,5-टी का प्रिकर्सर है, के रसायन सम्पाक में कुप्रभाव के कारण है। 2,4,5-टी के भारत में पंजीकरण की अनुमति नहीं है।

विदेशों में प्रतिबन्धित इन्सेक्टिसाइड्स का पता लगाने और भारत में उनके निरन्तर प्रयोग पर सलाह देने के लिए सरकार ने हाल ही में तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति स्थापित की है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के दामोह जिले में गैस मिलने की सम्भावना

3255. **श्री डालचंद्र जैन** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के दामोह जिले का गैस का पता लगाने के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां गैस मिलने की संभावना है; और

(ग) इस गैस के उपयोग के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अभी तक इस क्षेत्र में गैस के भण्डारों के होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं।

[अनुवाद]

"सैनिक समाचार" का सभी भाषाओं में नियमित प्रकाशन

3256. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में "सैनिक समाचार" का नियमित प्रकाशन नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) सैनिक समाचार कितनी भाषाओं में निकलता है; और

(घ) सरकार द्वारा इसको सभी भाषाओं में नियमित प्रकाशन करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क), (ख) और (घ) "सैनिक समाचार" का नियमित प्रकाशन 30 जून 1985 से आरम्भ कर दिया गया है।

(ग) यह ग्यारह भाषाओं में निकलता है।

रुग्ण एककों को सक्षम बनाना

3257. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रमुख सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों के मुख्य प्रशासकों ने रुग्ण एककों और घाटे में चल रहे एककों को सक्षम बनाने के लिए सुझाव दिए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) प्रबन्ध मण्डल में परिवर्तन करके पूंजी की पुनः संरचना करने रुग्ण एककों का स्वस्थ एककों के साथ विलय करके चालू कम्पनियों के रूप में रुग्ण एककों की बिक्री करके तथा साथ ही सरकारी क्षेत्र के एककों सहित गैर जीव्य रुग्ण एककों को बन्द करके रुग्ण और हानि में चल रहे औद्योगिक एककों को पुनरूज्जीवित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहे हैं।

(ग) देश में औद्योगिक रुग्णता की समस्या से निपटने के लिए, सरकार ने अक्टूबर, 1981 में केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं के मार्ग दर्शन के लिए कुछेक नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य-मुख्य बातें लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 204 के उत्तर में दिनांक 23.1.1985 को प्रस्तुत की गई थीं।

सरकार एक अर्द्ध न्यायिक निकाय की स्थापना करने के लिए विशेष कानून बनाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है जिसे औद्योगिक और पुनर्निर्माण बोर्ड के रूप में नामित किया जाना है जिसको अलग-अलग एककों में रुग्णता के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद गैर-जीव्य एककों को बन्द करने और रुग्ण औद्योगिक एककों की पुनःस्थापना करने के लिए एवं रुग्ण एककों को पुनरूज्जीवित करने तथा उनकी पुनःस्थापना करने से संबंधित वैकल्पिक सम्भावनाओं पर विचार करने और सुझाव देने का अधिकार होगा।

भोपाल में गैस पीड़ितों को लाभ

3258. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भोपाल में गैस पीड़ित लोगों को वित्तीय राहत और खाद्यान्न वितरण में भारी अन्तर की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस अन्तर को भरने के लिए जल्द किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यह उपाय कब तक आरम्भ किए जायेंगे; और

(घ) यदि कोई उपचारात्मक उपाय आरम्भ नहीं किए जाते तो उसके कारण क्या हैं?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) भोपाल में गैस से प्रभावित जनता को बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने विस्तृत उपाय किए हैं। जहां तक वित्तीय राहत का सम्बन्ध है अब तक 1754 मृतकों की पुष्टि हुई है और उनमें से 1 अगस्त, 1985 तक 1073 को अनुग्रहपूर्वक भुगतान किया जा चुका शेष मृतकों के सम्बन्धियों का पता लगाने के लिए संगठित उपाय किए जा रहे हैं ताकि — ...ग्रह पूर्वक राहत का शीघ्र भुगतान किया जा सके।

राज्य सरकार ने गैस से प्रभावित ऐसे प्रत्येक परिवार को जिसकी मासिक आय राज्य सरकार द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर 500/- रुपए अथवा उससे कम है, 1500 रुपये

देने का भी निर्णय लिया है। यद्यपि सर्वेक्षण में एकत्र किए गए आंकड़ों का परिकलन अभी पूर्ण किया जाना है फिर भी अभी तक ऐसे 8341 परिवारों को 1500 रुपए प्रति परिवार का भुगतान किया जा चुका है।

जहां तक मुफ्त अनाज के वितरण का सम्बन्ध है, 6,44,789 परिवार इकाईयों को यह सुविधा दी जा रही है।

इसलिए वित्तीय सहायता और अनाज का तीव्र वितरण सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

लंबित पड़े मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए योजना

3259. **श्री सी० जंगा रेड्डी**
डा० ए० के० पटेल } : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 30 जून, 1985 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित हुए उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि सरकार की इच्छा है कि प्रत्येक मामले का निपटान उसी वर्ष में कर दिया जाना चाहिए जिस वर्ष में मामला दायर किया जाता है और कोई भी मामला न्यायालय में दो वर्षों से अधिक समय तक लंबित नहीं रहना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालयों में लगभग 12 स्थायी और 200 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्तियां (केवल दो वर्ष के लिए) की जा रही हैं क्योंकि सरकार का विचार है कि एक न्यायाधीश एक वर्ष में 650 मामले निपटा सकता है और इसी गणना के आधार पर सभी मामलों का निपटान शीघ्र हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं और उक्त नियुक्तियां कब तक कर दी जाएंगी; और

(ग) प्रस्तावित योजना के अनुसार उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़े सभी मामलों को कब तक निपटा दिया जाएगा ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देख ली है।

(ख) 1.1.1985 को सभी उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीशों और अपर न्यायाधीशों की स्वीकृत सदस्य संख्या क्रमशः 396 और 32 है। उच्च न्यायालयों में कार्यभार के विश्लेषण से यह पता चलता है कि दो वर्ष के भीतर सभी मामलों को निपटाने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों के नए पदों के सृजन की आवश्यकता होगी। मुख्य मंत्रियों और सम्बद्ध उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से यह कहा गया है कि वे न्यायालयों में न्यायालय-कक्षों और निवास-स्थानों की उपलब्धता, वित्तीय प्रतिबन्धों आदि को ध्यान में रखकर उक्त विषय पर विचार करें और दो वर्ष के भीतर सभी मामलों के निपटाए जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से इस मामले में सुसंगत प्रस्ताव भेजें। यह बताना संभव नहीं है कि कब तक नए पदों का सृजन किया जाएगा और उन पर नियुक्तियां की जाएंगी।

(ग) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 18 से बढ़ाकर 26 करने का प्रस्ताव है। किन्तु यह बताना सम्भव नहीं है कि उच्चतम न्यायालय में लंबित सभी मामलों के निर्णय कब तक कर दिए जाएंगे।

पालिस्टर फिलामेंट का उत्पादन

3260. **श्री बलराम सिंह यादव** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पोलिएस्टर फिलामेंट के उत्पादन की कितनी मात्रा निर्धारित की है;

(ख) क्या 60 हजार मीट्रिक टन के उत्पादन के लिये लाइसेंस जारी किया गया है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पालिएस्टर फिलामेंट के उत्पादन के लिये उद्योग स्थापित किये गये हैं और उनकी प्रत्येक की क्षमता कितनी है;

(घ) उत्तर प्रदेश में स्थापित उद्योगों की क्षमता कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार पालिएस्टर फिलामेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनी नीति में ढील देने का है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वर्तमान में लगभग 60,000 मी० टन प्रति वर्ष पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न का उपभोग किया जाता है। 1989-90 तक पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न की अनुमानित मांग 90,000 मी० टन प्रति वर्ष होगी।

(ख) से (घ) पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न के उत्पादन के लिए अब तक अनुमोदित क्षमता का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

राज्य का नाम	अनुमोदित क्षमता (मी० टन/वर्ष)
1. गुजरात	10,777
2. मध्य प्रदेश	2,056
3. महाराष्ट्र	42,165
4. राजस्थान	6,960
5. तमिलनाडु	3,500
6. उत्तर प्रदेश	1,723

(ङ) विद्यमान नीति के अनुसार यूनिटों को उनकी लाइसेंसीकृत क्षमता का 25 प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दी गई है। 1989-90 तक की अनुमानित माँग तथा वर्तमान अनुमोदित क्षमता के बीच अन्तराल को पूरा करने के लिए और अधिक क्षमता अनुमोदित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

[अनुवाद]

गौहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना

3261. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गौहाटी उच्च न्यायालय में रिक्त पदों को भरने के पश्चात् अनेक राज्यों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) गौहाटी उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों और अपर न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत सदस्य संख्या क्रमशः आठ और एक है। उक्त उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों के दो और पद सृजित करने का प्रस्ताव है।

गार्डनरीच शिपबिल्डर्ज एण्ड इन्जीनियर्ज लिमिटेड के फालतू कर्मचारियों की नियुक्ति

3262. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्डनरीच शिपबिल्डर्ज एंड इन्जीनियर्ज लिमिटेड के प्रबन्धकों ने 800 से अधिक कर्मचारियों को फालतू घोषित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारीक्षेत्र के एक विकासशील एकक में इस प्रकार की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई;

(ग) क्या प्रबन्धकों ने पहले यह आश्वासन दिया था कि इन्जीनियरिंग प्रभागों के फालतू कर्मचारियों को पोत निर्माण प्रभाग में नियुक्त किया जायेगा; और

(घ) क्या इस आश्वासन को पूरा किया जायेगा अथवा सम्बन्धित कर्मचारी अपनी नौकरियां गवां देंगे ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) गार्डनरीच शिपबिल्डर्स इन्जीनियर्स विशेषकर इन्जीनीयरिंग डिवीजन में उत्पादन की अपनी कुछ अलाभकारी इकाइयों को बंद करने की योजना बना रहा है जिससे कम्पनी की समग्र कार्यक्षमता में सुधार लाया जा सके। इसके परिणामस्वरूप इस डिवीजन में कर्मचारी फालतू हो जायेंगे। इससे कितने कर्मचारी फालतू होंगे इस बारे में अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

(ग) और (घ) किसी श्रमिक को हटाने का कोई इरादा नहीं है बशर्ते उन्हें फिर से प्रशिक्षित करके दूसरे कामों में लगाया जा सके।

आसाम में खोज किए गए कुओं में पाया गया खनिज तेल

3263. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में असम में खोज किए गए दो कुओं में खनिज तेल पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तेल की खोज को तेज करने के लिए और क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) उत्तरी असम में टिनखांग-तिनाली क्षेत्र में हाल ही खुदाई किये गये दो अन्वेषण कुओं में कच्चा तेल मिला है।

(ग) आगे और सम्भावनाओं का पता लगाने और चित्रण करने के लिए अन्वेषण सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। कुछेक अन्वेषण सम्बन्धी स्थानों का खुदाई के लिए पता भी लगा लिया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली टेलीफोन विभाग में कर्मचारियों की संख्या

3264. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में टेलीफोन विभाग में इस समय अधिकारियों सहित कुल कितने कर्मचारी हैं और उनमें से अस्थायी और स्थायी अलग-अलग कितने कर्मचारी हैं; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी कितने हैं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अस्थायी और स्थायी कर्मचारी कितने हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दिल्ली के टेलीफोन विभाग में इस समय कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या 23,518 है जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें से 14,445 कर्मचारी स्थायी तथा 9073 कर्मचारी अस्थाई हैं।

(ख) इन 23,518 कर्मचारियों में से 5067 अनुसूचित जाति तथा 614 अनुसूचित जनजाति के हैं। स्थाई और अस्थाई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

(1) अनुसूचित जाति के कर्मचारी :

कुल	5,067
अस्थाई	2,492
स्थाई	2,575

(2) अनुसूचित जनजाति के कर्ममचारी :

कुल	614
अस्थाई	355
स्थाई	259

[अनुवाद]

उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीश

3265. **श्री राम स्वरूप राम**
श्री लाला राम केन } : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों और भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है; और

(ख) उनमें से कितने न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं और उनका उच्च न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) विभिन्न उच्च न्यायालयों की बाबत 1.4.1985 को यथा विद्यमान जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

1.4.1985 को उच्चतम न्यायालय में एक अनुसूचित जाति के न्यायाधीश सहित अठारह न्यायाधीश थे।

विवरण

(1.4.1985 को)

उच्च न्यायालय का नाम	पदासीन न्यायधीशों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के न्यायाधीशों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के न्याया-धीशों की संख्या
1. इलाहाबाद	51	1	—
2. आन्ध्र प्रदेश	20	2	—
3. मुंबई	36	1	1
4. कलकत्ता	36	1	—
5. दिल्ली	25	—	—
6. गौहाटी	7	—	—
7. गुजरात	18	—	—
8. हिमाचल प्रदेश	6	—	—
9. जम्मू-कश्मीर	6	—	—
10. कर्नाटक	23	1	—
11 केरल	16	—	—
12. मध्य प्रदेश	27	—	—
13. मद्रास	19	1	—
14. उड़ीसा	10	—	—
15. पटना	32	—	—
16. पंजाब और हरियाणा	17	—	—
17. राजस्थान	14	—	—
18. सिक्किम	2	—	—
योग	365	7	1

बंगलौर-कोलार और बंगलौर-व्हाइट फील्ड के बीच सीधी डायल सेवा

3266. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर-कोलार और बंगलौर-व्हाइट फील्ड के बीच सीधी डायल टेलीफोन सेवा (एस०टी०डी०) उपलब्ध नहीं है; और

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोलार जिले में सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रम स्थित हैं और व्हाइटफील्ड में अनेक उद्योग लगे हुए हैं, सरकार द्वारा बंगलौर-कोलार और बंगलौर-व्हाइटफील्ड के बीच तुरन्त सीधे डायल टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी, हाँ।

(ख) (i) सातवीं योजना अवधि के दौरान बंगलूर-कोलार के बीच एस०टी०डी० सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि स्विचन, संचारण उपस्कर और भवन उपलब्ध हो जाए। फिर भी, मैनुअल एक्सचेंज का स्वचलीकरण हो जाने तक कोलार के लिए एम०एस०टी०डी० सुविधा के प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ii) बंगलूर-व्हाइटफील्ड के बीच 1985-86 में एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

मिराज-2000 के पुर्जों का देश में निर्माण

3267. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिराज-2000 एयरक्राफ्टों की भारत में ही मरम्मत तथा ओवरहालिंग की जा सकती है तथा क्या इस एयरक्राफ्ट के लिए पुर्जों का आयात करना पड़ेगा; और

(ख) क्या पुर्जों का देश में ही निर्माण किया जा सकता है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) मिराज-2000 विमानों की भारत में मरम्मत की जा सकती है। आवश्यक सुविधायें जुटाए जाने पर भारत में इन विमानों की ओवरहालिंग संभव हो सकेगी। लेकिन फालतू पुर्जों का आयात किया जाएगा क्योंकि वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए लागत की दृष्टि से उनका देश में उत्पादन करना उपयोगी नहीं होगा।

मेसर्स लोहिया मशीन्स द्वारा वेस्पा स्कूटरों के निर्माण के लिए इटली की पियागो के साथ नया सहयोग

3268. **श्री राज कुमार राय :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेश बोर्ड (एफ०आई०बी०) ने 150 सी०सी० वेस्पा स्कूटरों की नई श्रृंखला का निर्माण आरम्भ करने के लिए इटली की पियागो के साथ एक नया सहयोग करार करने संबंधी मैसर्स लोहिया मशीन्स लि० के प्रस्ताव की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह स्कूटर बाजार में कब तक आ जाएगा ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) विदेशी सहयोगी को कोई अतिरिक्त भुगतान किए बिना 150 सी०सी० के स्कूटरों का निर्माण शामिल करने के लिए मेसर्स पियागियो के साथ अपने विद्यमान करार को संशोधित करने के लिए मेसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड के प्रस्ताव को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है।

(ग) इसके लिए प्रारम्भिक कार्य के पूरा होते ही कम्पनी का विचार इस स्कूटर को आरम्भ करने का है।

[हिन्दी]

आदिवासियों को एल०पी०जी० गैस एजेंसियों का आबंटन

3269. श्री एम०एल० झिकराम : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पेट्रोल और एल०पी०जी० एजेंसियों के आबंटन में आदिवासी एजेंटों को प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के मांडला जिले में कितने आदिवासियों को ये एजेंसियां आबंटित की गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन एजेंसियों को गैर आदिवासी एजेंटों से लेकर आदिवासी एजेंटों के नाम अन्तरित किया जा सकता है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उन्हें जिलों के अन्य शहरों में एजेंसियां आबंटित करने में सहायता करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या आवश्यक कार्यवाही की जायेगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) तेल उद्योग की प्रत्येक वर्ष की विपणन योजना में कुल 25 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित होता है। इस आरक्षण में अनुसूचित जनजातियों के लिए उन स्थानों की डीलरशिप दी जाती है जहां उनकी संख्या अधिक होती है।

(ख) माण्डला जिले के नैनपुर तथा टिकारिया में पेट्रोल/डीजल के दो खुदरा बिक्री केन्द्र "अनुसूचित जनजातियों" के लिए रखे गए हैं। इनको खोलने की कार्यवाही चल रही है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आयुध कारखानों में काम करने वाले भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याण उपाय

3270. **डा० वी० वेंकटेश :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखाना बोर्ड ने तीनों सेनाओं के भूतपूर्व सैनिकों के लिए अब तक अलग से ऐसा कोई प्रकोष्ठ नहीं बनाया है जो विभिन्न आयुध कारखानों में उन्हें नियुक्ति देने के बाद उनके समुचित पुनर्वास हेतु उनके कल्याण के उपाय करे;

(ख) इस प्रकार के विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं कि भूतपूर्व सैनिकों को, उनकी पिछली सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त वरीयता मिले, पदोन्नति के अवसर मिलें और जहाँ कहीं उपलब्ध हों, वहाँ क्वार्टरों के आबंटन में प्राथमिकता मिले ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) यद्यपि वर्तमान अनुदेशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों से संबधित मामलों को निपटाने और उनके उचित पुनर्वास से संबधित कार्यों के लिए केवल सम्पर्क अधिकारी के पद के समकक्ष एक वरिष्ठ अधिकारी की जरूरत है। लेकिन इस संबंध में अलग से एक सेल बनाने के बारे में कोई औपचारिक आदेश नहीं है फिर भी आयुध निर्माणी बोर्ड में सम्पर्क अधिकारी के अधीन एक सेल अनौपचारिक रूप से कार्य कर रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जब कभी कोई ऐसे विशेष आदेश जारी किए जाते हैं जिनके तहत भूतपूर्व सैनिक उनकी पिछली सेवावधि को ध्यान में रखकर, वरिष्ठता, पदोन्नति या प्राथमिकता के आधार पर सरकारी आवास पाने के हकदार हो जाते हैं तो इस तरह के विशेष आदेशों को अनुपालन के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड को भेज दिया जाता है। ऐसे आदेशों का पालन किए जाने के बारे में निरंतर कार्रवाई की जाएगी।

खाना पकाने की गैस की सप्लाई में कदाचार

3271. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही**
डा० चंद्रशेखर त्रिपाठी } : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह जानकारी आई है कि सभी प्रमुख नगरों में खाना पकाने की गैस की सप्लाई में कम मात्रा वाले गैस सिलेंडरों की सप्लाई सहित कदाचार के मामले हो रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इन कदाचारों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) देश के कुछ मुख्य नगरों में खाना पकाने की गैस की पूर्ति में गलत काम कर रहे कुछ बेईमान वितरको के बारे में समय-समय पर सरकार को शिकायतें मिलती रहती हैं।

(ख) तेल कम्पनियों द्वारा दोषी वितरकों के खिलाफ एल०पी०जी० विपणन अनुशासन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन कार्रवाई की जाती है। इसमें सावधानी चेतावनी के पत्र, खोए हुए उपस्कर के लिए नामे लिखने से लेकर हेरा फेरी के गम्भीर मामलों में वितरणशिप को समाप्त करने तक की सजा होती है।

विशाखापत्तनम के भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स की स्थापित क्षमता और उत्पादन

3272. **श्री एस०एस० भट्टम** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) के भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स के स्थापित होने की तारीख से लेकर आज तक उसकी स्थापित क्षमता तथा उत्पादन के आंकड़े क्या हैं तथा इसने जितने प्रतिशत उत्पादन हासिल किया है उसके आंकड़े क्या हैं;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान उत्पादन लक्ष्य क्या था तथा वास्तव में कितना उत्पादन हुआ है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान वार्षिक कितना लाभ तथा नुकसान हुआ; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने आर्डर प्राप्त हुए ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि० की स्थापना 1966 में उर्वरक, पेट्रोलियम, रसायन, पैट्रो-रसायन तथा सहायक सामान के उद्योगों हेतु प्रक्रिया संयंत्र उपकरण बनाने के लिए की गयी थी। फाटनम, वेसल्स, हीट एक्सचेंजर्स, डिश्ड एण्ड्स, ढांचे इत्यादि जैसे विभिन्न पूंजीगत उत्पादनों के निर्माण के लिए वी०एस०पी०वी० की अधिष्ठापित क्षमता 23210 टन है। वाणिज्यिक उत्पादन 1971-72 में शुरु हुआ था। 1971-72 से कम्पनी का उत्पादन लक्ष्य, वास्तविक उत्पादन, लाभ/हानि तथा प्राप्त क्रयादेशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष	लक्ष्य (लाख रु० में)	वास्तविक उत्पादन लाख रु० में)	प्राप्त प्रतिशत	लाभ(+) हानि(—) (लाख रु० में)	प्राप्त क्रयादेश का ब्यौरा (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6
1971-72	227	197	87	(—)203	870
1972-73	493	496	99	(—) 89	2,537
1973-74	989	745	75	(—) 39	2,825
1974-75	1,200	1,296	108	(—)104	600
1975-76	2,355	2,163	92	(—) 93	1,484
1976-77	2,995	2,956	99	(—) 66	1,788

1	2	3	4	5	6
1977-78	2,500	2,546	102	(−) 60	1,931
1978-79	3,000	2,224	74	(−)538	3,783
1979-80	2,931	3,131	107	(+) 33	2,396
1980-81	3,225	3,449	107	(+) 48	3,830
1981-82	3,455	3,298	95	(+) 60	5,386
1982-83	4,200	4,216	100	(+)107	17,025
1983-84	5,506	5,408	98	(+)445	6,355
1984-85	7,500	7,259	97	(+)475	5,727

(अनन्तिम)

न्यू बम्बई के लिए टेलीफोन प्रणाली

3273. **श्री शरद दिघे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री ने अक्तूबर, 1983 में न्यू बम्बई के लिए दूर संचार प्रणाली पर चर्चा करने के लिए नगर और औद्योगिक विकास निगम के साथ एक बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया था—

1. सम्पूर्ण न्यू बम्बई को बम्बई के स्थानीय डायलिंग प्रणाली का एक अंग बनाया जाएगा; और

2. वर्ष 1985 तक न्यू बम्बई में 25,000 टेलीफोन लाइन की व्यवस्था की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णयों को अभी तक क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1. एक बैठक आयोजित की गई थी और न्यू बंबई की समस्याओं को सुलझाने के लिए सी० आई० डी० सी० ओ० को आवश्यक सहायता देने का आश्वासन दिया गया था परन्तु विभिन्न पहलुओं की रिपोर्टों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाना था।

2. 1985 तक 25,000 टेलीफोन लाइनों की मांग पूरी करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था और आवश्यक उपस्कर तथा केबिलों के आबंटन के लिए उपर्युक्त कार्रवाई शुरु की गई थी।

(ख) विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है और विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

[हिन्दी]

शाजापुर और देवास में मुख्य डाकघरों के दैनिक मजूरी कर्मचारियों का नियमितीकरण

3274. **श्री बापू लाल मालवीय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के शाजापुर और डेवास जिलों के मुख्य डाकघरों में दैनिक मजूरी पर काम करने वाले कितने कर्मचारी हैं;

(ख) क्या उनकी सेवाओं को नियमित किए जाने के प्रश्न की व्याख्या के लिए सितम्बर, 1984 में विभाग ने कोई समिति गठित की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या समिति ने इस संबंध में कोई प्रतिवेदन तैयार किया है;

(घ) क्या कर्मचारियों को वे लाभ नहीं मिल रहे हैं जो उनको नियमित होने पर मिलते; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उन कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) यह जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जब तक नैमित्तिक कर्मचारी उस क्षमता में कार्य करते रहते हैं, तब तक उन्हें समय-समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी के अनुसार भुगतान किया जाता है। उन्हें नियमित ग्रुप 'डी' कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते वरिष्ठता आदि का लाभ तभी दिया जाता है जब वे निर्धारित भर्ती परीक्षा के माध्यम से ग्रुप 'डी' में खप जाते हैं।

(ङ) ऐसे नैमित्तिक कर्मचारी जो पूर्ववर्ती दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान 240 दिन की सेवा पूरी कर लेते हैं तथा अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, वे ग्रुप 'डी' में भर्ती के पात्र हो जाते हैं। उनकी अर्हता परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाती है और घोषित रिक्त पदों की संख्या के अनुसार सेवा अवधि के आधार पर सफल नैमित्तिक कर्मचारियों की सूची तैयार की जाती है। चूंकि भर्ती में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को वरीयता दी जाती है, इसलिए सफल नैमित्तिक कर्मचारियों को उन रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाता है, जो सफल अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को नियुक्त करने के बाद बच जाते हैं। इस प्रकार, नैमित्तिक कर्मचारियों को ग्रुप 'डी' में नियुक्त करने पर विचार करते समय उपलब्ध पदों को मद्देनजर रखा जाता है।

[अनुवाद]

विदेशी सहायता के बिना विदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित स्विचिंग यूनिट स्थापित करना

3275. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग ने यह प्रस्ताव किया है कि विदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित सभी भावी स्विचिंग यूनिटों के लिए एक दूर संचार कम्पनी सी० आई० टी० एल्केटेल के साथ सहयोग जारी रखा जाए;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ विशेषज्ञ सी०आई०टी० एल्केटेल की प्रौद्योगिकी को पुरानी मानते हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स (सी० डी० ओ० टी०) ने अब तक स्विचिंग यूनिट स्थापित करने के लिए कोई विदेशी प्रौद्योगिकी का विकास नहीं किया है; और

(ङ) सी० डी० ओ० टी० कब से कार्यरत है और इसके बिना विदेशी सहायता के स्विचिंग बोर्ड तैयार करने की स्थिति में कब तक आने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) जी नहीं । डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज के लिए फ्रांस की तकनालाजी का प्रयोग फ्रांस और संसार के अन्य देशों में हो रहा है ।

(घ) और (ङ) टेलीमेटिक्स के विकास के लिए केन्द्र की स्थापना अगस्त, 1984 में कर दी गई थी और इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली का विकास अगस्त, 1987 तक पूरा होने की संभावना है । टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र केवल विकास कार्य का केन्द्र है, इसलिए यह केन्द्र कोई उत्पादन एकक की स्थापना नहीं करेगा ।

इलाहाबाद टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज में बदलना

3276. **श्री अमिताभ बच्चन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलाहाबाद शहर के नागरिकों के लिए बेहतर टेलीफोन सेवा सुनिश्चित करने हेतु वहां पर स्थित पुराने किस्म के टेलीफोन एक्सचेंज के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने के बारे में निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं । सातवीं योजना अवधि में इलाहाबाद-II सिविल लाइन्स पेंटाकोंटा एक्सचेंज के 2000 से 5000 लाइनों में विस्तार हो जाने के बाद मौजूदा स्ट्रोजर टेलीफोन एक्सचेंज को बदल दिया जाएगा ।

(ख) और (ग) आई. टी. आई. बंगलूर के सप्लाई कार्यक्रम 1986-87 के अंतर्गत 3000 लाईनों का पेंटाकोंटा उपस्कर अलाट कर दिया गया है ।

इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन उपकरण

3277. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिवर्ष कुल कितने इलेक्ट्रानिक टेलीफोन उपकरणों की जरूरत होती है;

(ख) क्या सरकार ने देश में किसी विदेशी कम्पनी के सहयोग से एक कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो समझौते के सम्बन्ध में लागत, मासिक उत्पादन दर और समझौते की अवधि आदि का ब्योरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इसका अनुमान नहीं लगाया गया है ।

(ख) और (ग) सरकार ने इलेक्ट्रानिक टेलीफोन बनाने के लिए राज्य इलेक्ट्रानिक निगमों और गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को अनुज्ञप्तियां/आशय-पत्र दिए हैं । गैर-सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियाँ, इलेक्ट्रानिक टेलीफोन बनाने के लिए तीन विदेशी कम्पनियों, पश्चिम जर्मनी के मैसर्स सीमेन्स, इटली के मैसर्स आई० टी० टी० फेस और स्वीडन के मैसर्स इरिक्सन से प्रौद्योगिकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगी ।

निर्माणाधीन उर्वरक संयंत्र

3278. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कितने उर्वरक संयंत्र निर्माणाधीन हैं;

(ख) मध्य प्रदेश में कितने संयन्त्र निर्माणाधीन हैं; और

(ग) उक्त उर्वरक संयंत्रों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इस समय 15 नए उर्वरक संयंत्र ऐसे हैं जो कार्यान्वियन/निर्माण के विभिन्न चरणों पर हैं ।

(ख) एक नए उर्वरक संयंत्र का मध्य प्रदेश के गुना जिले में विजयपुर में निर्माण हो रहा है ।

(ग) मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन एक संयंत्र सहित ये सभी नए संयंत्र सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रमिक ढंग से तैयार किए जायेंगे ।

[हिन्दी]

सातवीं योजना के दौरान रेगिस्तानी क्षेत्रों में डाकघर खोलना

3279. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन सभी पिछड़े रेगिस्तानी क्षेत्रों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाकघर खोलने का है जिनकी जनसंख्या वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 1,000 या उससे अधिक थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मौजूदा नियमों के अनुसार जहां डाकघर खोलने का औचित्य पाया जाता है, वहाँ योजना आयोग द्वारा इसके लिए अनुमोदित खर्च

के आधार पर चरण बद्ध रूप से डाकघर खोल दिए जाते हैं। 1000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामों में वित्तीय कठिनाइयों के कारण सातवीं पंचवर्षीय योजना में डाकघर खोलना सम्भव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

त्रिपुरा में गैस पर आधारित उद्योगों की स्थापना

3280. **श्री अजय विश्वास :** क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य सरकार ने त्रिपुरा में गैस पर आधारित उद्योगों की स्थापना के प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा में पायी गयी प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हुए बिजली बनाने हेतु बारामूरा, गुजरात और रोखिया में गैर टर्बाइनों की स्थापना के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सूचित किया गया है कि पहले से ही उत्पादित 40,000 घन मीटर प्रतिदिन प्राकृतिक गैस की मात्रा के अलावा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग गैस संसाधनों का पता लगाने के लिए अधिक कुएं खोदेगा और अधिक गैस का उत्पादन करेगा।

इस उद्देश्य के लिए खुदाई कार्य तभी शुरु किया जा सकता है जब रिज रोड पूरी हो जाए। अतः तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने त्रिपुरा सरकार से सड़क निर्माण कार्य तेजी से करने का अनुरोध किया है। इस समय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग गेजालिया और रोखिया संरचनाओं से तेल की आपूर्ति की स्थिति में नहीं है। इन विद्युत केन्द्रों से गैस की सप्लाई करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सी०आई०टी० एल्काटेल के साथ स्विचिंग यूनिटों के लिए सहयोग

3281. **श्री बी० तुलसी राम :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 12 जुलाई, 1985 के इकोनोमिक टाइम्स में "स्विचिंग यूनिट्स आई०टी०आई० वेक्स ऐल्काटेल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक फ्रांसीसी कम्पनी सी०आई०टी० ऐल्काटेल के साथ भारतीय टेलीफोन उद्योग के सहयोग के प्रस्ताव के बारे में छपी खबर को देखा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप टेलीफोन सुविधाओं का कितना आधुनिकीकरण होने की सम्भावना है;

(घ) क्या कुछ अन्य देशों ने भी भारत में टेलीफोन उद्योग/संचार प्रणाली के विकास के लिए अपनी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया था और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और उनके प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस देश का नाम क्या है जिसका प्रस्ताव मंजूर किया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) दूसरी मुख्य इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली के कारखाने की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव के ब्यौरे का सरकार अध्ययन कर रही है।

(ग) स्थानीय एक्सचेंज और ट्रंक स्वचल एक्सचेंज उपस्कर जो तैयार किए जायेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रानिक किस्म के होंगे और इससे स्थानीय और ट्रंक एक्सचेंजों के काम में सुधार आयेगा।

(घ) और (ङ) सरकार ने ई० पी० ए० बी० एक्स/ई०पी०ए०एक्स० बनाने के लिए तकनालाजी के अन्तरण में सहयोग हेतु फ्रांस, बेल्जियम और जापान तीन विदेशी कम्पनियों और इलेक्ट्रानिक टेलीफोन उपकरणों के उत्पादन हेतु तकनालाजी के अन्तरण के लिए जर्मन, स्वीडन और इटली की तीन विदेशी कम्पनियों का चुनाव किया है।

एल०डी०पी०ई० फिल्मों और "ब्लैक पोलिथीन कवर्स" का लघु उद्योग यूनिटों में निर्माण

3282. **श्री सरफराज अहमद** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जुलाई, 1985 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "स्माल एल०डी०पी०ई०" यूनिट्स टू मूव एम०आर०टी०पी०सी०, शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार "एल०डी०पी०ई० फिल्मों और ब्लैक पोलीथीन कवर्स" का निर्माण लघु उद्योग यूनिटों के अन्तर्गत लाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समय सह-निष्कासित फिल्में, अन्योन्य सम्बद्ध पालीइथायलीन फिल्में और उच्च घनत्व की अधिक आणविक वजन की फिल्मों को छोड़कर 0.1 एम०एम० से कम मोटाई की पालीइथायलीन फिल्में लघु उद्योग के क्षेत्र में निर्मित करने हेतु आरक्षित रखी जाती हैं। एल०डी०पी०ई० फिल्मों और ब्लैक पालीइथायलीन कवर्स को केवल लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों में वृद्धि

3283. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81, 1981-82 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान साइनामिड, पार्क डेविस आदि जैसी बहुराष्ट्रिक औषध निर्माता कम्पनियों की विटामिन बी कम्पलैक्स कैप्सूल की क्रमश: क्या दर थी;

(ख) पाँचवी और छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारतीय और बहुराष्ट्रिक औषध कम्पनियों द्वारा जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई, और

(ग) क्या दवाओं के मूल्यों की पुन: पुनरीक्षा का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) मैसर्स सिनामाइड तथा पार्क-डेविस के सम्बन्ध में उपलब्ध सीमा तक सूचना एकत्र की जाएगी और लोकसभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग) उत्पादक अपनी मूल्य नियंत्रित दवाइयों के मूल्य बढ़ाने के लिए स्वतंत्र नहीं है । ऐसी दवाइयों के मूल्यों में कोई वृद्धि करने से पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के अधीन सरकार से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है । मूल्यों का पुनरीक्षण करना एक सतत प्रक्रिया है ।

प्राकृतिक गैस से एल०पी०जी० निकालना

3284. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एल०पी०जी० पाइप लाइन के चालू होने पर प्राकृतिक गैस से एल० पी०जी० निकालने के लिए योजना बनाई है;

(ख) क्या इस योजना से उपभोक्ताओं को एल०पी०जी० की उपलब्धता में वृद्धि होगी; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) हाजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइप लाइन के साथ बीजापुर औरिया में एल० पी० जी० निकालने का प्रस्ताव है । इन परियोजनाओं से 4.70 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एल०पी०जी० उपलब्ध होगी । यह 47 लाख नए उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करेगी ।

मनाली से लाहौल घाटी तक सुरंग का निर्माण

3285. **श्री सुखराम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में लाहौल का आदिवासी क्षेत्र का सम्पर्क वर्ष 6-7 महीने रोहतांग दर्रे में भारी हिमपात के कारण शेष देश से कटा रहता है;

(ख) क्या मानवीय समस्याओं और इस क्षेत्र के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार का, मनाली की ओर से लाहौल घाटी को शेष राज्य से जोड़ने वाली एक सुरंग का निर्माण करने का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) लाहौल-स्पीति घाटी से गुजरने वाला मनाली-लेह मार्ग, रोहतांग और अन्य दर्रों पर हिमपात और हिम-स्खलन के कारण सारे साल खुला नहीं रहता है।

(ख) और (ग) रोहतांग दर्रे पर एक सुरंग बनाने के बारे में विभिन्न तकनीकी संगठनों द्वारा पूर्व-सम्भाव्यता अध्ययन किया जा रहा है।

दिल्ली में जीवन रक्षक दवा परसेंटीन की कमी

3286. **श्री सोडे रामैय्या : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या राजधानी में हाल ही में जीवन रक्षक दवा परसेंटीन की कमी रही;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि इस दवा का उत्पादन एक बहुराष्ट्रिक कम्पनी द्वारा किया जाता है और उन्होंने हाल ही में मूल्यों में कमी किए जाने के पश्चात इसका उत्पादन कम कर दिया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) राजधानी में परसेंटीन की अपर्याप्त उपलब्धता की रिपोर्ट इस मंत्रालय में प्राप्त हुई है तथापि, सूचना मिली है कि अन्य कम्पनियों द्वारा उत्पादित इस औषध के समकक्ष फार्मूलेशन उपलब्ध है।

इस देश में परसेंटिन को मै० जर्मन रिमेडीज द्वारा फार्मूलेट किया जाता है आयातित डिपिराजमेल, के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली प्रपुंज औषध के सी०आई०एफ० मूल्यों में काफी कमी के परिणामस्वरूप, परसेंटिन का मूल्य कम कर दिया गया। मै० जर्मन रिमेडीज ने औषध (मूल्य नियंत्रण)आदेश, 1979 के उपबन्धों के अधीन पुनरीक्षण के लिए इस आशय का आवेदन किया कि संशोधित मूल्य लाभप्रद नहीं हैं। सरकार ने उचित विचार के बाद पुनरीक्षण सम्बन्धी आवेदन रद्द कर दिया है।

"नई टेलीवाइज्ड" टेलीफोन प्रणाली

3287. **श्री हुसैन दलवाई : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या टेलीवाइज्ड टेलीफोन प्रणाली जो संचार के क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी सफल हो चुकी है;

(ख) क्या सरकार बहुत पुरानी भूमिगत केबल प्रणाली को समाप्त करके इसके स्थान पर नई टेलीवाइज्ड टेलीफोन प्रणाली अपनाने का विचार कर रही है; और

(ग) भारत में नई टेलीवाइज्ड टेलीफोन प्रणाली कब तक उपयोग में लाई जाने लगेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) पिक्चर फोन के रूप में जानी जाने वाली टेलीवाइज्ड टेलीफोन प्रणाली अभी विकसित देशों में भी परीक्षण के चरण में है। इस किस्म के टेलीफोन चालू करने के लिए एक अत्यधिक बहुमूल्य और पृथक ब्रॉड बैंड नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता है जिस पर अधिक खर्च आएगा तथा उसका वाणिज्यिक महत्व बहुत की कम होगा। अत: फिलहाल इतनी जल्दी टेलीवाइज्ड टेलीफोन प्रणाली प्रदान करने का साहसिक कार्य उठाना भारत के लिए संभव नहीं है।

केरल को सीरे की बिक्री

3288. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य परिष्कृत स्प्रिट/औद्योगिक एलकोहल की माँग से अधिक उत्पादन करने वाला राज्य माना जाता था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या हाल ही में सीरे की अधिकांश मात्रा केरल राज्य को बेच दी थी, और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) केन्द्रीय शीरा बोर्ड की दिनांक 16-3-85 को हुई बैठक के समय इसकी एल्कोहल व शीरा की अनुमानित माँग और उपलब्धता के आधार पर कर्नाटक सरकार ने चालू अलकोहल वर्ष 1984-85 (दिसम्बर 1984, नवम्बर, 1985) के दौरान में कमी का अनुमान लगाया।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना

3289. **श्री टी० बशीर : क्या विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की राजधानी त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जी, नहीं। केरल सरकार ने केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ त्रिवेन्द्रम में स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव सितम्बर, 1971 में भेजा था। जुलाई, 1973 में कुछ कानूनी परामर्श पूरा करने के लिए उससे कहा गया था। राज्य सरकार ने अप्रैल, 1985 में सूचित किया कि उसने त्रिवेन्द्रम में एक प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने का विनिश्चिय किया है और वह त्रिवेन्द्रम न्यायपीठ के मुद्दे की बाबत अन्तिम निर्णय त्रिवेन्द्रम में प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के विनिश्चिय के संदर्भ में, शीघ्र कर लेगी। इस बारे में राज्य सरकार से और कोई संसूचना प्राप्त प्राप्त नहीं हुई है।

खाना पकाने की गैस भरने के लिए लघु (मिनी) संयंत्रों की स्थापना

3290. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाना पकाने की गैस भरने के लघु संयंत्र स्थापित करने के मापदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कुछ अन्य राज्यों में खाना पकाने की गैस भरने के लघु संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक वर्ष किन-किन स्थानों पर खाना पकाने की गैस भरने के लघु संयंत्र स्थापित किए जायेंगे ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान लघु (मिनी) सिलिंडरों के लिए भरण संयंत्रों की स्थापना के बारे में सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश के कुमाऊँ क्षेत्र में एक लघु (मिनी) सिलिंडर भरण संयंत्र की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित पड़े आवेदन

3291. **श्री के० एन० प्रधान** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में किन-किन संस्थानों पर नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन लंबित पड़े हैं और उनकी संख्या क्या है; और

(ख) नये टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करके और नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलकर मौजूदा प्रतीक्षा सूची को सातवीं योजना के दौरान उत्तरोत्तर निपटाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

विवरण

क्रम संख्या	स्थान का नाम	30.6.1985 की प्रतीक्षा सूची	क्रम संख्या	स्थान का नाम	30.6.1985 की प्रतीक्षा सूची
1.	कटनी	261	23.	उज्जैन	950
2.	जबलपुर	1480	24.	विदिसा	40
3.	बरवाह	14	25.	धार	61
4.	ब्रह्मपुर	218	26.	भिलायी	217
5.	खंडवाल	237	27.	दुर्ग	289
6.	मंदसौर	168	28.	ग्वालियर	1372
7.	मोरेना	76	29.	मोरार	225
8.	नरसिंहपुर	11	30.	गुना	53
9.	रामगढ़	98	31.	होसंगाबाद	45
10.	रायपुर	3099	32.	इटारसी	88
11.	कुण्डीद्वीप	45	33.	भोपाल	1391
12.	राजनन्दगांव	164	34.	भोपाल अरेरा	1621
13.	रेवा	160	35.	भोपाल बैरागढ़	93
14.	जौबरा	42	36.	बिलासपुर	826
15.	रतलाम	125	37.	कोरबा	62
16.	सागर	368	38.	शक्ति	12
17.	अम्बीकापुर	68	39.	दामोह	129
18.	मनेन्दरगढ़	11	40.	देवास	258
19.	सतना	217	41.	बेतुल	76
20.	सेहोरे	48	42.	छिन्दवाड़ा	58
21.	सेवोनी	97	43.	धमतरी	56
22.	सहडोल	22	44.	इन्दौर	8544

इसमें से ऐसे स्थान शामिल नहीं हैं जहां की प्रतीक्षा सूची 11 से कम है।

[अनुवाद]

बम्बई हाई की गैस की सप्लाई

3292. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष बम्बई हाई से कितनी गैस निकाली जाती है;

(ख) महाराष्ट्र सरकार को गैस किस लागत पर सप्लाई की जाती है; और

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को उसी कीमत तथा शर्तों पर गैस सप्लाई करती है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान बम्बई हाई से प्राप्त सम्बद्ध प्राकृतिक गैस का उत्पादन 4408 मि० घन मीटर था।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को गैस की सप्लाई के लिए एल० एस० एच० एस० के समतुल्य मूल्य पर बिल तैयार कर रहा है। गैस का अन्तिम मूल्य निर्धारण किए जाने तक महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड से कहा गया है कि वे गैस की प्राप्ति के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को प्रचलित कोयले के समतुल्य मूल्य की अदायगी करें।

(ग) गैस के उपलब्ध होने पर किस मूल्य पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को बिजली उत्पादन के लिए गैस की सप्लाई करेगा, उसका निर्धारण गैस के मूल्य के अन्तिम निर्धारण होने के पश्चात होगा जो सरकार के विचाराधीन है।

टेलीफोनों का लगाया जाना

3293. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के अन्त तक कितने टेलीफोनों की आवश्यकता होगी;

(ख) वर्ष 1985 के अन्त तक टेलीफोनों की वास्तविक सप्लाई कितनी होगी और कितने टेलीफोन लगाए जाएंगे;

(ग) अन्तर को कैसे पूरा किया जाएगा; और

(घ) कमी को पूरा करने पर कुल कितनी लागत आएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1985 के अन्त तक अपेक्षित टेलीफोनों की कुल संख्या लगभग 41 लाख होगी।

(ख) 1985 के अन्त तक टेलीफोनों की वास्तविक सप्लाई और संस्थापना लगभग 31 लाख होगी।

(ग) 10 लाख लाइनों के इस अन्तराल को अगले पांच वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।

(घ) टेलीफोनों में 10 लाख के इस अन्तराल को पूरा करने की लागत लगभग 3000 करोड़ रुपये होगी।

बेसिन रोड, नाला सपरा, वालीव और विरोर टेलीफोन एक्सचेंज की प्रतिष्ठापित क्षमता में वृद्धि

3294. **श्री अनूप चंद साहा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेसिन रोड, नाला सपरा, वालीव और विरोर स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों को एक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इन एक्सचेंजों की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता केवल 1680 है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार कब तक प्रतिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) (1) बेसिन रोड के 840 लाइनों के मैनुअल एक्सचेंज को 1985-86 में 900 लाइनों के एम ए एक्स-II में विस्तार करने की योजना है बशर्ते कि हर प्रकार के स्टोर प्राप्त हो जाएं ।

(2) नाला सोपरा मैनुअल एक्सचेंज का 1985-86 में 240 लाइनों से 360 लाइनों में विस्तार करने की योजना है ।

(3) विराक आटोमेटिक एक्सचेंज का 1987-88 में 400 लाइनों से 500 लाइनों में विस्तार करने की योजना है ।

"मानव संसाधन विकास" के लिए नीति में परिवर्तन हेतु अनुरोध करने के लिए ज्ञापन

3295. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय पेट्रोलियम कर्मचारी परिसंघ ने "मानव संसाधन विकास" के लिए नीति में परिवर्तन हेतु अनुरोध करने के लिए सरकार को ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) राष्ट्रीय पेट्रोलियम कर्मचारी संघ ने एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया है जिनमें आठ माँगें हैं । इन माँगों में एक पेट्रोलियम उद्योग में मानव साधनों के विकास से सम्बन्धित है ।

(ख) संघ ने एक ऐसी द्विपक्षीय समिति की नियुक्ति का सुझाव दिया है जिसमें ट्रेड यूनियनों और तेल उद्योग के प्रबन्धकों के प्रतिनिधि शामिल हों, ताकि तेल उद्योग के योजनाबद्ध विकास के संदर्भ में विशेषकर कार्य-पर्यावरण, कार्य प्रणालियों, कार्य सन्तुष्टि और रोजगार सुरक्षा के मानवीकरण के क्षेत्र में मानवीय साधनों के विकास पर तीन वर्षीय योजना तैयार कर सके ।

(ग) प्रस्तुत किये गये माँग-पत्र में विभिन्न मामले संनिहित हैं । इनका व्यापक राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से पुनरीक्षण किया जाना है और इसलिए, इस स्तर पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में इतना पहले बताना संभव नहीं होगा ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और बिहार के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिए सिफारिशें

3296. **श्री जितेन्द्र सिंह** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिए कुछ वर्ष पहले एक आयोग की नियुक्ति की थी;

(ख) यदि हाँ, तो आयोग द्वारा क्या सिफारिशें की गई थीं; और

(ग) यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है और उनको किस हद तक लागू किया गया था ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य श्री बी० शिवारमन को अध्यक्षता में गठित पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक छितराव के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के लिए सिफारिशें की गई हैं।

रिपोर्ट की प्रतियां सभापटल पर रख दी गई हैं।

(ग) पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण के लिए वर्तमान योजना की समीक्षा करने और उसमें संशोधन करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति शिवारमन द्वारा की गई सिफारिशों की भी जाँच करेगी।

[अनुवाद]

राजकोट में प्रधान डाकघर के लिए इमारत का निर्माण

3297. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट स्थित प्रधान डाकघर की मुख्य कार्यालय इमारत दो वर्ष पूर्व खाली कर दी गई थी और राजकोट का मुख्य कार्यालय अब एक गैर सरकारी इमारत में स्थानान्तरित किया गया है, जिसका बहुत अधिक किराया दिया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका अनुमानित किराया क्या है;

(ग) उक्त मुख्य कार्यालय इमारत को खाली करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या प्रधान डाकघर, राजकोट के स्थल पर इमारत का निर्माण करने की योजना है और यदि हाँ, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) राजकोट प्रधान डाकघर को विभागीय भवन से किराए की इमारत में शिफ्ट किया गया था इसका अधिग्रहण 18.6.83 को किया गया और इसका प्रतिमाह किराया 22,000 रु० है जिसमें कर शामिल नहीं है।

(ग) डाकघर को विभागीय इमारत से इसलिए शिफ्ट करना पड़ा ताकि इसे गिराकर इसके स्थान पर नई इमारत का निर्माण किया जा सके।

(घ) जी हाँ। इमारत का निर्माण कार्य 28.8.84 को प्रारम्भ हो गया है।

त्रिचूर (केरल) में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित आवेदन-पत्र

3298. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के त्रिचूर जिले में टेलीफोन कनेक्शन के लिये कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(ख) इन आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) त्रिचूर (केरल) में **31 मार्च**, 1985 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन के लिए 7,695 **आवेदन-पत्र लंबित हैं** ।

(ख) मौजूदा प्रतीक्षा सूची को 7वीं योजना के अन्त तक उत्तरोत्तर निपटाए जाने की सम्भावना है, बशर्ते की संसाधन उपलब्ध रहें ।

उड़ीसा में वर्षा और बाढ़ के कारण दूरसंचार व्यवस्था को क्षति

3299. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में हाल की वर्षा और बाढ़ के कारण दूरसंचार विभाग को कितनी क्षति पहुंची है;

(ख) क्षतिग्रस्त उपकरणों आदि की मरम्मत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उड़ीसा में दूरसंचार विभाग को अभी हाल की वर्षा और बाढ़ के कारण कोई गम्भीर क्षति नहीं पहुंची है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते ।

पी० ओ० एल० उत्पादों का आयात और उत्पादन

3300. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न पी० ओ० एल० उत्पादों का कितनी मात्रा में उत्पादन होता है;

(ख) पी० ओ० एल० उत्पादों का कितनी मात्रा में आयात किया जा रहा है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कितनी मात्रा में पेट्रोलियम और गैस का पता लगाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) हालांकि आन्ध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर गैस मिली है फिर भी उस क्षेत्र में आगे अन्वेषण चल रहा है। जब गैस का उत्पादन आरम्भ होगा तो उसके प्रयोग के बारे में संभावनाओं पर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग विचार कर रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

(क) पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन :

("000 मीट्रिक टन)

उत्पाद	1982-83	1983-84	1984-85*
कुल उत्पादन	31073	32926	33226
1. हल्के आसुत जिसमें	5313	6134	6316
एल० पी० जी०	406	514	596
मोगेस	1797	1937	2144
नैफ्था	2986	3578	3471
2. मध्य आसुत जिसमें	15626	16873	17224
केरोसीन	3393	3528	3348
ए० टी० एफ०	1137	1195	1312
एच० एस० डी०	9761	10862	11083
एल० डी० ओ०	1121	1081	1253
3. भारी उत्पाद जिसमें	10134	9919	9688
एफ० औ०	4829	4588	4104
फ्यूल आयलस (कुल)	7964	8000	7901
ल्यूब आयल्स	434	470	414
बिटूमन	1397	1069	944
पेट्रोलियम कोक	149	136	160
प्राकृतिक गैस से			
एल० पी० जी०	169	223	276

*अस्थायी

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

मद	1982-83 मात्रा	1983-84 मात्रा	1984-85 मात्रा
1. हल्के आसुत	178	172	417
नेफ्था	101	129	290
अन्य	77	43	127
2. मध्य आसुत	4726	4047	5286
ए० टी० एफ०	244	169	128
एस० के० ओ०	1881	2030	2585
एच० एस० डी०	2582	1806	2573
एल० डी० ओ०	19	42	—
3. भारी उत्पाद	124	109	310
फरनेस आयल	—	—	नगन्य
ल्यूबस	105	97	135
बैक्सिस	0.3	—	नगन्य
अन्य	18.4	12	—
कुल	5028	4328	6013

कोचीन के तेल शोधक कारखाने में हड़ताल

3301. **श्री टी० बशीर :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन के तेल-शोधक कारखाने में हाल ही में कोई हड़ताल हुई थी;

(ख) इस हड़ताल में कितने कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था;

(ग) उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(घ) हड़ताल के कारण उत्पादन में कुल कितना नुकसान हुआ; और

(ङ) औद्योगिक सम्बन्ध सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) 436 श्रमिक।

(ग) हड़ताल मुख्यत: पदोन्नति नीति के आरोपित उल्लंघन और नई यूनिटों के लिए जनशक्ति और प्रोत्साहन योजनाओं के आधार पर की गई है।

(घ) हड़ताल के कारण उत्पादन क्षति नहीं हुई है ।

(ङ) शीघ्र समझौते के लिए मुख्य श्रमायुक्त और उनके अधिकारियों द्वारा समाधान बैठकें की जा रही हैं ।

जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज से नए टेलीफोन कनेक्शन

3303. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में वर्तमान मानसून के कारण जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज की कितनी लाइनें खराब पड़ी हैं;

(ख) मंत्रालय द्वारा उन लाइनों को ठीक करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या वर्तमान मानसून के कारण जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज से नए टेलीफोन कनेक्शन लगाने में कोई समस्या है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केबिल खराबी के कारण जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज के आठ सौ इकतालीस टेलीफोन खराब हो गए थे ।

(ख) टेलीफोनों को पुनः चालू करने के लिए रात-दिन काम किया गया तथा सभी टेलीफोन ठीक कर दिए गए ।

(ग) और (घ) जी नहीं । ऐसी कोई समस्या नहीं है । फिर भी यह हो सकता है कि मानसून के दौरान प्रभावित टेलीफोनों के अनुरक्षण को प्राथमिकता देने के कारण नए टेलीफोन कनेक्शनों को स्थापित करने में कुछ बिलम्ब हो गया हो ।

चाणक्यपुरी टेलीफोन एक्सचेंज से नए टेलीफोन कनेक्शन

3304. **श्री एच० एन० नन्जे गोडा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1984-85 और 31 जुलाई, 1985 तक प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत चाणक्यपुरी टेलीफोन केन्द्र से कितने नए टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए हैं;

(ख) 31 जुलाई, 1985 तक इस एक्सचेंज से किस तारीख तक के पंजीकृत व्यक्तियों को साधारण वर्ग के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन दे दिए गए हैं; और

(ग) 1985-86 में साधारण वर्ग के अन्तर्गत और कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने का कार्यक्रम है तथा प्रतीक्षा सूची में किस तारीख तक के पंजीकृत व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) चाणक्यपुरी टेलीफोन एक्सचेंज से दिए गए नए टेलीफोनों की संख्या इस प्रकार है :

अवधि	श्रेणी		
	ओवाईटी	विशेष	सामान्य
1.4.84 से 31.3.85	867	470	1204
1.4.85 से 31.7.85	70	40	83
योग	937	510	1287

(ख) सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत 6.9.83 तक दर्ज आवेदकों को 31.7.85 तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए गए हैं।

(ग) 1985-86 के दौरान सामान्य श्रेणी में लगभग 150 कनेक्शन देने का प्रस्ताव है। इसमें 1.11.1983 तक के आवेदकों को टेलीफोन दिए जाने की संभावना है।

कागज पर उपकर

3305. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हर किस्म के कागज पर शुल्क लगाने की योजना को छोड़ दिया है जिससे कि सफेद मुद्रण कागज की सप्लाई को राज सहायता दी जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार शिक्षा क्षेत्र में इस कागज की सप्लाई की कमी को पूरा करने के लिये इसका आयात करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो देश में प्रति टन सफेद कागज की तुलना में आयातित कागज पर उतारने की कितनी लागत (सीमा-शुल्क सहित) आने की आशा है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) छपाई के सफेद कागज पर राजसहायता देने हेतु कागज और गत्ते के उत्पादन पर उपकर लगाने की योजना चालू करने के लिए कागज उद्योग के प्रस्ताव पर अभी अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) शिक्षा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छपाई का सफेद कागज आयात करने संबंधी कोई भी प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग

3306. **श्री के० प्रधानी :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग के सम्बन्ध में राष्ट्रीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट पर अब तक विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन रिपोर्टों में खासतौर पर प्लास्टिकल्चर विकास केन्द्र सम्बन्धी रिपोर्ट में की गई कुछ महत्त्वपूर्ण सिफारिशों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) कृषि में प्लास्टिक के उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय समिति ने निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की है :

1. पहली रिपोर्ट ।
2. प्लास्टिकल्चर विकास केन्द्रों के संबंध में अध्ययन दल की रिपोर्ट ।
3. फलों को पैक करने के संबंध में रिपोर्ट ।
4. अन्तिम रिपोर्ट ।

इन रिपोर्टों में की गई मुख्य सिफारिशें हैं केनल लाइनिंग में प्लास्टिक फिल्म के प्रयोग, ड्रिप इरिगेशन, फलों को पैक करने के लिए लकड़ी के क्रेटों के स्थान पर प्लास्टिक के क्रेटों को लगाना, सिंचाई कार्यों के लिए प्लास्टिक पाइपों का संबंध, हाई वैल्यु क्रोप्स आदि के कल्टिवेशन के लिए ग्रीन हाऊस का संवर्धन । राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों तथा संबंधित मंत्रालयों और केन्द्र सरकार के संगठनों से सिफारिशों को लागू करने के लिए 'कार्यवाही योजना' बनाने को कहा गया था ।

सिद्धान्त रूप से 22 प्लास्टिकल्चर विकास केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया था ।

भारतीय सीमेंट निगम का उत्पादन/मुनाफा

3307. **श्री के० प्रधानी :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम ने 1984-85 में रिकार्ड उत्पादन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो भारतीय सीमेंट निगम ने उक्त वर्ष में कितनी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन किया; और

(ग) उक्त वर्ष में भारतीय सीमेंट निगम के पूंजी व्यय और अर्जित लाभ का क्या ब्यौरा है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) तथा (ख) वर्ष 1984-85 में सीमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया ने 21.71 लाख मी० टन सीमेंट का उत्पादन किया जो अब तक कार्पोरेशन द्वारा किया गया अधिकतम उत्पादन है ।

(ग) अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित है :

	करोड़ रुपयों में
किया गया पूंजीगत व्यय	84.18
लाभ (शुद्ध)	2.04

हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड द्वारा आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन

3308. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड द्वारा वर्ष 1984-85 के दौरान आयोडीन युक्त नमक का कुल कितना उत्पादन हुआ तथा उसका संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह उत्पादन काफी था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) हिन्दुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड द्वारा, जिसमें इसकी सहायक कम्पनी साँभर सॉल्ट्स लिमिटेड भी सम्मिलित है, वर्ष 1984-85 में आयोडिकृत नमक का किया गया कुल उत्पादन निम्न प्रकार है :

हिन्दुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड, खाराघोड़ा	साँभर सॉल्ट्स लिमिटेड, साँभर झील
1,16,220 मी० टन	64,173 मी० टन

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार ने अब गैर-सरकारी क्षेत्र को भी आयोडिकृत नमक बनाने की अनुमति दे दी है। नमक आयुक्त ने आयोडिकृत नमक बनाने के अनेक संयंत्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी, जिनमें से कुछेक ने उत्पादन शुरु कर दिया है।

मिट्टी के तेल की मांग

3309. **श्री आनन्द पाठक**
श्री बाजूबन रियान } : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 में प्रति माह राज्य-वार मिट्टी के तेल का कितना कोटा आबंटित किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितनी मात्रा में तेल की माँग की गई;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को राज्य-वार और महीने-वार वास्तव में कितनी मात्रा में सप्लाई की गई;

(घ) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहाँ पर मिट्टी के तेल की मांग में वृद्धि हुई है, और उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस परिस्थिति का सामना करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की आवश्यकता का निर्धारण पिछले वर्ष की तत्कालीन अवधि में आबंटित मात्रा में 5 प्रतिशत की वृद्धि देकर किया जाता है।

अप्रैल से जुलाई, 1985 तक विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को किये गये मिट्टी के तेल का आबंटन तथा पूर्ति का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) बाढ़, सूखा, बवण्डर, वैकल्पिक ईंधनों की कमी आदि जैसे अस्थायी कारणों के अतिरिक्त जनसंख्या के बढ़ने के कारण पूरे देश में मिट्टी के तेल की मांग में वृद्धि हो रही है। इस संदर्भ में तदर्थ आबंटन के अतिरिक्त नियमित आबंटन में भी वृद्धि की गई है।

विवरण

1985-86 (अप्रैल-जुलाई) के दौरान राज्यों को प्रत्येक महीने मिट्टी के तेल के किए गए आबंटन तथा बिक्री

(आँकड़े मीट्रिक टन में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अप्रैल, 85		मई, 85		जुन, 85		जुलाई, 85	
		आबंटन	बिक्री	आबंटन	बिक्री	आबंठन	बिक्री	आबंटन	बिक्री
1.	आंध्र प्रदेश	32500	34172	32500	31376	33500	32664	34060	नगण्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	700	750	530	595	530	417	500	
3.	असम	15150	16621	13650	15373	13650	14496	14330	
4.	अण्डमान एण्ड निकोबार	110	118	110	167	110	170	220	
5.	बिहार	25570	25919	25070	25280	25070	25253	25990	
6.	चंडीगढ़	1310	1280	1110	1150	1110	1125	1240	
7.	दादरा एण्ड नागर हवेली	110	298*	110	296*	110	नगण्य	220	
8.	दिल्ली	3180	13940	13180	12970	13180	12486	13770	
9.	गुजरात	45100	44906	45100	45854	45100	45224	44660	
10.	गोआ, दमन एण्ड दीउ	1590	1406†	1590	1410†	1590	1410‡	1880	
11.	हरियाणा	9700	99680	9170	8760	8670	8368	9090	
12.	हिमाचल प्रदेश	1780	1860	1830	1770	1680	1800	2100	
13.	जम्मू एण्ड कश्मीर	3150	3610	3550	3790	3800	3777	3710	
14.	कर्नाटक	25390	24786	25390	24688	24890	24122	26140	एन.ए.
15.	केरल	14680	13918	14000	14384	13380	13554	14900	एन.ए.
16.	मध्य प्रदेश	22000	21750	20690	20639	20690	18668	19780††	एन.ए.
17.	महाराष्ट्र	84160	83469	83160	83124	83160	81408	89530	एन.ए.

18. मणिपुर	1160	1097	1160	1301	1160	1220	1100	एन.ए.
19. मेघालय	840	987	1000	1094	840	1037	1000	एन.ए.
20. मिजोरम	370	364	370	324	370	200	250	एन.ए.
21. नागालैण्ड	580	636	580	664	580	962	560	एन.ए.
22. उड़ीसा	8370	8125	8370	8417	8070	8070	8370	एन.ए.
23. पंजाब	18220	18260	18220	18310	18220	18107	21000	एन.ए.
24. पांडिचेरी	890	788	850	800	890	805	780	एन.ए.
25. राजस्थान	15000	14360	14250	13710	13550	13318	14210	एन.ए.
26. सिक्किम	320	266	320	271	320	160	280	एन.ए.
27. तमिलनाडु	37070	36281	37870	36327	37870	35997	39220	एन.ए.
28. त्रिपुरा	1200	1205	1200	1028	1050	833	1200	एन.ए.
29. उत्तर प्रदेश	55000	54910	55000	55210	55000	53323	55000	एन.ए.
30. पश्चिम बंगाल	46000	47107	45890	46086	46000	45887	44110	एन.ए.
31. लक्ष्यद्वीप	60	एन.ए.	60	एन.ए.	60	एन.ए.	50	एन.ए.

टिप्पणी : बिक्री के आंकड़े अनन्तिम हैं।

†† : ये भण्डारण के लिए अग्रिम रूप से दिए गए 2500 मीट्रिक टन प्रति माह की मात्रा के अतिरिक्त हैं।

* : दमन और दीयू में की गई बिक्री सहित।

† : दमन और दीयू में की गई बिक्री को छोड़कर।

एन.ए. : उपलब्ध नहीं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

3310. **श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने के लिए जनवरी, 1985 से जुलाई, 1985 तक कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : 1 जनवरी, 1985 से 31 जुलाई, 1985 तक उच्च न्यायालयों में 16 स्थायी न्यायाधीशों और अपर न्यायाधीशों की नियुक्तियां अधिसूचित की गई हैं । इसी अवधि के दौरान, उच्च न्यायालयों में चार अपर न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्तियां भी अधिसूचित की गई हैं ।

उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश को भारत के नए मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में 12-7-1985 को नियुक्त किया गया है ।

ऊना (हिमाचल प्रदेश) में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण

3311. **प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में ऊना में एक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज भवन के निर्माण के लिए भूमि खरीदी है;

(ख) यदि हां, तो इस जिला मुख्यालय में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज की प्रस्तावित स्थापना को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में भवन के निर्माण को कोई प्राथमिकता दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; भवन का निर्माण कब तक किये जाने की संभावना है और निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत 32.47 लाख रुपये है । निर्माण कार्य के अक्तूबर, 1985 में प्रारम्भ होने की आशा है और इमारत के एक वर्ष में पूरा होने की संभावना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों ।

दूरसंचार सुविधाओं के संचालन और प्रबंध में सेकेन्डरी एरिया स्विचिंग की अवधारणा लागू करना

3312. **प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दूरसंचार सुविधाओं के संचालन और प्रबंध में 'सेकेण्डरी एरिया' स्विचिंग अवधारणा को लागू करने का कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषता क्या है और किस तारीख तक इसे लागू किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। गौण स्विचिंग क्षेत्र के आधार पर दूरसंचार सर्किलों प्रबंधक मंडल को मान्यता देने के लिए दूरसंचार बोर्ड द्वारा एक निर्णय लिया गया था। आवश्यक आदेश 8-4-1985 को जारी किए गए थे।

(ख) गौण स्विचिंग क्षेत्र सर्किल के लिए आधारभूत प्रबंध मंडल/प्रचालन यूनिट के रूप में कार्य करेगा और इसे दूरसंचार जिले का नाम दिया जाएगा। कार्यभार में वृद्धि होने पर इन जिलों का और आगे विभाजन नहीं किया जाएगा अपितु प्रबंध मंडल के स्तर में परिवर्तन होगा। दूरसंचार जिलों का अध्यक्ष एक जिला इंजीनियर, दूरसंचार, जिला प्रबंधक या महाप्रबंधक होगा जो उसके कार्यभार पर निर्भर होगा। इस प्रकार गठित सभी जिले संबंधित सर्किल के कार्यक्षेत्र के अधीन ही होंगे।

इस योजना का कार्यान्वियन किया जा रहा है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मानव निर्मित रेशों के लिए सूत का उत्पादन

3313. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **पेट्रोलियम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मानव निर्मित रेशों के लिए विभिन्न सूतों का उत्पादन लक्ष्य क्या है ?

(ख) उन गैर-सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों का विवरण क्या है जिन्हें वर्तमान एककों के विस्तार अथवा नए एकक स्थापित करने के लिए आशय-पत्र/लाईसेंस जारी किए गए हैं तथा उनकी क्षमता क्या है; और

(ग) विभिन्न प्रकार के कृत्रिम रेशों तथा उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का गैर सरकारी क्षेत्र में विस्तार संयंत्रों की स्थापना के लिए स्वीकृति देते समय बोंगाईगाँव रिफाइनरी तथा भारतीय पेट्रोकैमिकल्स निगम लिमिटेड जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की एककों को प्राथमिकता न देने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) विभिन्न सिंथटिक फाइबरों तथा यार्न के उत्पादन के लिए सातवीं योजना के लक्ष्यों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) 1 जनवरी, 1984 से ग्रास रूट संयंत्र और विस्तार के लिए सिंथटिक फाइबर/यार्न के उत्पादन हेतु जारी किए गए औद्योगिक लाईसेंसों/आशय पत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारत सरकार के उपक्रम इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड को फाइबर के निर्माण की क्षमता को 12,000 मी० टन से बढ़ाकर 24,000 मी० टन तक करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था। बोंगाईगाँव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड पोलियेस्टर स्टैपल फाइबर के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित कर रहा है जिसकी क्षमता 30,000 मी० टन प्रति वर्ष होगी।

विवरण

यूनिट का नाम	स्थान	क्षमता (टन/प्रतिवर्ष)
1	2	3
पोलियेस्टर स्टेपल फाइबर :		
1. मैसर्स इण्डिया पोलीफाइबरीस लिमिटेड, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	15,000
2. मैसर्स उड़ीसा सेंथिटिक्स लिमिटेड, भुवनेश्वर	उड़ीसा	15,000
3. मैसर्स मध्य प्रदेश फ्राईबरीस लिमिटेड, भोपाल	मध्य प्रदेश	15,000
4. मैसर्स रेलियन्स टेक्सटाईल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई	महाराष्ट्र	45,000
5. मैसर्स इण्डियन आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, बम्बई	तमिलनाडु	12,200 से 30,000 तक विस्तार किया गया।
एक्रेलिक फाइबर :		
1. मैसर्स जे० के० सेंथिटिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली	राजस्थान	4,000 से 10,000 तक विस्तार किया गया।
2. मैसर्स इन्डिया पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ौदा	गुजरात	12,000 से 24,000 तक विस्तार किया गया।
पोलियेस्टर फिलामेंट यार्न :		
1. मैसर्स इण्डियन आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, बम्बई।	तमिलनाडु	3,500
2. मैसर्स असम स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	असम	6,000
3. मैसर्स सेंचुरी इंका लिमिटेड, पूना	महाराष्ट्र	3640 से 6000 तक विस्तार किया गया।
4. मैसर्स जे० के० सेंथिटिक लिमिटेड, नई दिल्ली	राजस्थान	5376 से 6000 तक विस्तार किया गया।
5. मैसर्स गिरलोम सेंथिटिक फाइबर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड	महाराष्ट्र	5308 से 6000 तक विस्तार किया गया।

1	2	3
6. मैसर्स सनफ्लेग नाइलोन लिमिटेड, नई दिल्ली	केरल	4000
7. मैसर्स बड़ौदा रेयान कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई	गुजरात	2436 से 6000 तक विस्तार किया गया।
8. मैसर्स गुजरात नाइलोन लिमिटेड, अहमदाबाद	गुजरात	6,000
9. मैसर्स श्री सेंथिटिक लिमिटेड, उज्जैन	मध्य प्रदेश	1740 से 6,000 तक विस्तार किया गया।
10. मैसर्स जगजीत काटन टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, नई दिल्ली	पंजाब	2,000 से 6,000 तक विस्तार किया गया।

सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के अध्यक्ष

3314. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री गैर सरकारी व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अध्यक्ष बनाने के बारे में 9 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न सं० 2173 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न सरकारी उपक्रमों के गैर सरकारी अंशकालिक अथवा पूर्णकालिक अध्यक्षों के नाम क्या हैं;

(ख) उन्हें ड्राइवर सहित कार और आवासीय सुविधा के अतिरिक्त क्या पारिश्रमिक और अन्य सुविधायें प्रदान की जाती हैं;

(ग) उनका कार्यकाल कितना होता है;

(घ) उन औद्योगों में जिनके वे अध्यक्ष हैं उनकी व्यावसायिक योग्यताएं और अनुभव क्या हैं, और

(ङ) इस बात का विशेष रूप से उपबन्धन करने के क्या कारण हैं कि व्यावसायिक योग्यताएं तथा अनुभव किसी उपक्रम के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए आवश्यक शर्तें होनी चाहिए ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के गैर-सरकारी अंशकालिक अध्यक्षों के नाम निम्न प्रकार हैं :

क्रमांक नाम	सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम का नाम
1. श्री नित्यानन्द डे	स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मा० लि०
2. श्री ए० वी० राय, चौधरी	बंगाल इम्युनिटी लि०
3. डा० एस० सी० भट्टाचार्यजी	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मा० लि०

(ख) उनको दिए जाने वाला पारिश्रमिक और अन्य सुविधाएं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार हैं।

(ग) उक्त अंशकालिक अध्यक्षों का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा वर्ष 1984-85 के लिए कम्पनी की वार्षिक आम बैठक होने तक है।

(घ) उक्त अंशकालिक अध्यक्षों की व्यावसायिक योग्यताएं और अनुभव संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) अंशकालिक अध्यक्ष के चयन के लिए सरकार ने कोई विशेष योग्यता अथवा अनुभव निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझा है।

विवरण

(1) श्री नित्यानन्द डे : वे एम काम, कामर्स विभाग, बर्गावार्शा कालेज, कलकत्ता के प्रोफेसर और अध्यक्ष हैं। इस समय (क) सेवा भर्ती बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) के सहयोजित सदस्य, (ख) नेशनल फोरम आफ रेलवे कांग्रेसमैन पूर्वी क्षेत्र के प्रधान, (ग) इंडियन नेशनल टीचर्स एसोसिएशन (पश्चिम बंगाल यूनिट) के उपाध्यक्ष और (घ) कई ट्रेड यूनियनों के साथ सम्बद्ध हैं।

(2) श्री ए० वी० राय चौधरी : वे आई.सी.आई. कंपनी समूह से कार्यपालक के रूप में अप्रैल, 1978 में सेवा निवृत हुए। वर्ष 1979 में उन्होंने मैसर्स ग्लूकोनेट लि० में अध्यक्ष व मुख्य कार्यपालक का कार्यभार संभाला। जनवरी, 1982 में उन्होंने नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कार्पोरेशन लि० में अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला और वहां 2 वर्ष व तीन मास की अवधि तक रहे।

(3) डा० एस० सी० भट्टाचार्यजी : वे बी. एस. एस. और बी. ई. (मैकेनिकल) हैं। उन्होंने हैवाई यूनिवर्सिटी, यू. एस.ए. में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में भाग लिया और जान होपिन्स यूनिवर्सिटी, यू. एस. ए. से डाक्टरेट. आफ. इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की। उनका निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्रबन्ध में काफी विस्तृत अनुभव है।

प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण का ढांचा

3315. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निकट भविष्य में प्रस्तावित गैस-आधारित उर्वरक संयंत्रों और बिजलीघरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गैस के व्यापक प्रयोग को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक गैस के समस्त मूल्य निर्धारण ढांचे के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके मूल्य निर्धारण ढांचे की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) देश भर में विभिन्न उपयोगों के लिए प्राकृतिक गैस के मूल्य-निर्धारण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में तेल की खोज

3316. **श्री जैनुल बशर :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में तेल की खोज के संबंध में किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) उनमें से किन-किन स्थानों पर तेल मिलने की संभावना है; और

(ग) उन स्थानों पर तेल की खोज का कार्य कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) गंगा के दक्षिण में मैनपुरी और वाराणसी के बीच गंगा क्षेत्रों को छोड़कर सारे उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किये गये हैं।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पादगिरियों और तराई वाले क्षेत्रों को हाइड्रोकार्बनों के लिए सम्भावना वाले क्षेत्र के रूप में समझा गया है। इन क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य पहले से ही चल रहा है।

[अनुवाद]

हैदराबाद टेलीफोन सर्किल में इलैक्ट्रानिक प्रणाली

3317. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन उपभोक्ता के सही टेलीफोन नं०, पते आदि की जानकारी के लिए हैदराबाद टेलीफोन सर्किल में अभी हाल ही में इलैक्ट्रानिक प्रणाली शुरु की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इसका कार्यकरण सन्तोषजनक है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह प्रणाली देश के अन्य भागों में, विशेषकर राज्यों की राजधानियों में भी शुरु करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां। हैदराबाद टेलीफोन जिले में 9.7.85 से कंप्यूटरीकृत डायरेक्टरी पूछताछ सेवा शुरु की गई है।

(ख) ई० सी० आई० एल० हैदराबाद ने उपस्कर की सप्लाई की थी और अब संस्थापन कार्य भी किया है। डायरेक्टरी पूछताछ कालों के निपटाने के लिए 12 डी० वी० डी० टर्मिनल प्रदान किए गए हैं। पहले इस सेवा के लिए 20 मैनुअल पाजिशनें थीं। कंप्यूटरीकृत सेवा से अपेक्षित जानकारी मैनुअल प्रक्रिया की तुलना में शीघ्र दी जाती है। दिन-प्रतिदिन आधार पर डाटा को अद्यतन बनाने के लिए प्रक्रिया कंप्यूटर प्रणाली में सरल तथा शीघ्र होती है। यह सेवा सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

(ग) जी हां।

(घ) 1. लखनऊ में कंम्यूटर प्रणाली स्थापित की गई है।

2. बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में इन-हाउस कंप्यूटर स्थापित किए जाएंगे।

3. सभी राज्यों की राजधानियों में कंप्यूटर प्रणाली उत्तरोत्तर संस्थापित की जाएंगी।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के एककों का कार्यकरण

3318. श्री मूलचंद डागा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के अधीन बरौनी, दुर्गापुर तथा नामरूप, एककों ने 1984-85 में लम्बे अर्से तक तकनीकी अवरोधों के कारण ठीक ढंग से कार्य नहीं किया;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उनके कार्यानिष्पादन में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई और उसका परिणाम क्या निकला; और

(घ) वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 में उपर्युक्त एककों में अलग-अलग कितना उत्पादन हुआ ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग तथा कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के एकक विद्युत समस्याओं, अन्य उपयोगिताओं में अदक्षता, डिजाईन और उपकरण समस्याओं के कारण सन्तोषजनक स्तर पर कार्य नहीं कर रहे हैं। वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान संयंत्रों का क्षमता उपयोग नीचे दिया गया है :

एककों के नाम	प्रतिशत क्षमता उपयोग	
	1983-84	1984-85
नामरूप-I	45	47.9
नामरूप-II	40	44.2
बरोनी	39	24.97
दुर्गापुर	47	39.1

(ग) संयंत्रों में कुछ परिवर्धन/प्रतिस्थापन कर दिए गए हैं और कुछ कार्यान्वयनाधीन हैं। सभी एककों में रक्षित विद्युत संयंत्रों की स्थापना करना, उठाया गया एक प्रमुख कदम है।

लघु क्षेत्र के एककों में बल्क औषधियों का उत्पादन

3319. श्री प्रकाश चन्द्र : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में बल्क औषधियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लघु क्षेत्र के एककों को क्या भूमिका सौंपी गई है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान बल्क औषधियों के उत्पादन में लघु क्षेत्र के एककों की क्या उपलब्धि रही है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयां कई प्रपुंज औषधों का उत्पादन कर रही हैं। प्रोत्साहन के रूप में लघु उद्योग इकाइयां उद्योग (विकास व प्रावधान) अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत लाइसेंस से मुक्त हैं। वे किसी भी प्रपुंज औषध का निर्माण करने के लिए स्वतन्त्र हैं यदि निर्माता तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से लघु उद्योग इकाइयों के लिए निर्धारित निवेश सीमा के अन्तर्गत समर्थ हैं।

मारुति उद्योग द्वारा बड़ी कार बनाने की योजना

3320. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मारुति उद्योग, जोकि भारत-सुजुकी संयुक्त उद्यम, और एक छोटी कार कम्पनी है, एक बड़ी कार बनाने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई संतोषजनक प्रगति हुई है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानियों को कुकिंग गैस सिलेण्डर के लिए लाइसेंस कोटा

3321. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानियों को कुकिंग गैस सिलेण्डर जारी करने के लिए लाइसेंस कोटा निश्चित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार के उन स्वतन्त्रता सेनानियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें यह लाइसेंस जारी किए गए हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार प्रत्येक वर्ष की विपणन योजनाओं में 5 प्रतिशत डीलरशिप स्वतंत्रता सेनानियों को आबंटित करने के लिए रखी जाती है।

(ग) तेल उद्योग ने बिहार में अब तक निम्नलिखित स्वतन्त्रता सेनानियों को एल० पी० जी० वितरणशिप प्रदान की है :—

क्र०सं०	नाम	स्थान
1.	श्री राम कृपाल सिंह यादव	पटना
2.	श्री कामेश्वर प्रसाद सिन्हा	मुज्जफरपुर
3.	श्री दिवाकर शर्मा	पटना

[अनुवाद]

तेल और हाइड्रो कार्बन की खोज में विदेशी कम्पनियों का भाग लेना

3322. **श्री हरिहर सोरन** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी तेल कम्पनियों को तेल की खोज के लिए अधिक बड़े क्षेत्रों तथा हाइड्रो-कार्बन की खोज में भाग लेने के लिए भी प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में इससे पहले तेल और हाइड्रो-कार्बन की खोज में किन-किन विदेशी तेल कम्पनियों ने भाग लिया था; और

(ग) उन विदेशी तेल कम्पनियों का क्या ब्यौरा है जिन्होंने अब देश में तेल और हाइड्रो-कार्बन के खोज-कार्य में रुचि ली है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) तेल के अन्वेषण तथा उत्पादन के लिए स्थान लीज पर देने के लिए बोलियों के पहले के दो दौरों में संयुक्त राज्य अमेरिका के केवल एक ब्लाक, शेवरन को दिया गया है। लीजिंग के लिए अभी तक कोई बोली नहीं मांगी गई है।

रक्षा विमानों की दुर्घटनाओं में वृद्धि

3323. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा विमानों की दुर्घटनाओं में कितनी वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं में कितनी वृद्धि हुई है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कुछ समय पूर्व एक समिति ने ऐसी घटनाओं में कमी लाने के लिए सुधार के संबंध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और यदि हां, तो समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी, नहीं। वास्तव में पिछले 20 वर्षों में भारतीय वायुसेना के विमानों की दुर्घटनाओं की दर में कमी आई है, हालांकि यह दर प्रति वर्ष अलग-अलग रही है।

(ग) जी, हां। भारतीय वायुसेना के विमानों की दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए एयर मार्शल डी० ए० लेफ्टीनेंट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने फरवरी, 1983 में अपनी रिपोर्ट दे दी। इसकी कई सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं और शेष पर विचार किया जा रहा है।

रक्षा पूर्ति के साधनों का विविधिकरण

3324. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति रक्षा पूर्ति के साधनों का विविधिकरण करने की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) ऐसे मामलों में रक्षा सेनाओं की उपस्करों की आवश्यकताएं आयात द्वारा पूरी की जाती हैं जिनमें अपेक्षित उपस्कर प्रणालियों देशी स्त्रोतों से बिल्कुल उपलब्ध नहीं होती हैं या पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती हैं। ऐसी उपस्कर प्रणालियों का कई देशों से आयात किया जाता है। आयात के लिए आदेश इन बातों को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं—तकनीकी विनिर्दिष्टयां, मूल्य, सुपुर्दगी कार्यक्रम, उधार की शर्तें और जहां अपेक्षित हो तकनीकी स्थानांतरण के लिए आश्वासन।

(ख) विभिन्न देशों से किए गए आयात के ब्यौरे देना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

सुरेन्द्रनगर (गुजरात) में डाक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

3325. **श्री दिग्विजय सिंह : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984 में सुरेन्द्र नगर (गुजरात) में डाक हड़ताल के बाद हड़ताली कर्मचारियों को कुछ दिन के वेतन का नुकसान हुआ था;

(ख) क्या उन्होंने राज्यक्षमा की अपील की थी तथा माफी मांगी थी; और

(ग) इस बारे में क्या फैसला हुआ था ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) अधिकांश हड़ताली कर्मचारियों ने सजा माफ करने और सजा कम करने के बारे में जुलाई, 1985 के दूसरे सप्ताह में ही प्रतिवेदन दिया है।

(ग) उनके प्रतिवेदनों पर विचार किया जा रहा है।

भारत चमड़ा निगम में हड़ताल

3326. **श्री गुरुदास कामत : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकाराधीन भारत चमड़ा निगम का कामगार संघ के कामगार पिछले कुछ महीनों से हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारी संघ की मांगें क्या हैं, और

(ग) हड़ताल को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृहमंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) भारत लैदर कारपोरेशन के कामगारों का एक वर्ग 26 अप्रैल, 1985 से हड़ताल पर था। तथापि, संघ के प्रतिनिधियों, प्रबन्धक और इस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई अनेक बैठकों के परिणामस्वरूप, यह हड़ताल 5-8-1985 को समाप्त कर दी गई।

उन्नत हथियार निर्माण प्रणाली का विकास

3327. **श्री भोलानाथ सेन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है कि चारों उन्नत हथियारों की निर्माण प्रणाली का विकास करने में भारत अन्य देशों से पीछे नहीं है;

(ख) वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सातवीं योजना अवधि में क्या सफलता प्राप्त करने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डी आर डी ओ) तीनों सेनाओं की संक्रियात्मक आवश्यकताओं पर आधारित हथियारों तथा उपकरणों का डिजाइन बनाने और विकास करने तथा उनका देश ही में उत्पादन करने के कार्यों में लगा हुआ है।

(ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की वर्तमान अनुसंधान तथा विकास संबंधी गतिविधियां रक्षा मंत्रालय की 1984-85 की वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय-8 में बताई गई हैं।

(ग) सेनाओं की दसवें/दशक की आवश्यकताओं को काफ़ी हद तक पूरा करने के लिए सातवीं योजनावधि में बहुत सी अत्याधुनिक उन्नत हथियार प्रणालियों का विकास करने का प्रस्ताव है।

विदेशी कम्पनियों से सहयोग के इच्छुक आवेदक

3328. **श्री चिन्ता मोहन : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या कुछ आवेदकों ने विदेशी कम्पनियों से सहयोग करने के लिए भारत सरकार से सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आवेदकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नीति के अनुसार आवेदकों के ब्यौरे नहीं दिए जाते हैं।

उनके आवेदन-पत्रों पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

टी० वी० लाईसेंस फीस वापस करना

3329. **श्री आर० एम० मौर्य : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या कुछ लोगों ने कठिनाइयों से बचने के लिए वर्ष 1985 और 1986 के लिए टी०वी० लाइसेंस फीस जमा कर दी है;

(ख) क्या सरकार ने इस बीच लाइसेंस फीस समाप्त कर दी है;

(ग) क्या डाक तार प्राधिकारी लाइसेंस फीस को वापस करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। कुछ मामलों में एक वर्ष से अधिक के लिए अग्रिम लाइसेंस फीस की अदायगी कर दी गई थी। इन मामलों में 1986 या इससे आगे तक लाइसेंस वैध थे।

(ख) 17.3.1985 से टी० वी० सेटों से लाइसेंस फीस हटा दी गई थी।

(ग) 1986 या इससे आगे के लिए अदा की गई लाइसेंस फीस वापस कर दी जाएगी।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के अंतर्गत आने वाले मामलों में लाइसेंस फीस वापस करने के आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। 1985 की लाइसेंस फीस की वापसी के मामले पर अलग से विचार किया जा रहा है।

विदेशी मत्स्य नौकाओं द्वारा चोरी छिपे मछली पकड़ना

3330. **श्री दिग्विजय सिंह : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत की जल सीमा में आने वाले सागर में अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने के लिए कितनी विदेशी मत्स्य नौकाएं पकड़ी गईं;

(ख) इस प्रकार के कार्यों को रोकने के लिए कितनी गश्ती नौकाएं कार्यरत हैं; और

(ग) इस प्रकार की कितनी नौकाएं और चलाए जाने की योजना है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) पिछले तीन वर्षों में हमारे समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने और अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने पर कानून का उल्लंघन करने वाली 28 विदेशी नौकाओं को पकड़ा गया।

(ख) इसके लिए विभिन्न किस्म की 12 गश्ती नौकाएं कार्यरत हैं।

(ग) भावी योजना में विभिन्न किस्म की 66 और गश्ती नौकाओं का लक्ष्य रखा गया है।

दिल्ली में जारी किए गए खाना पकाने की गैस के कनेक्शन

3331. **श्री प्रकाश चन्द्र : क्या पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जनवरी, 1984 से मार्च, 1985 तक (एक) भारत पेट्रोलियम और (दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के खाना पकाने की गैस के क्रमशः कितने नए कनेक्शन दिए गए; और

(ख) 1985-86 में दिए जाने वाले नए कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जनवरी, 1984 से मार्च, 1985 तक भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिल्ली में दिए गए नए एल. पी. जी. कनेक्शन की कुल संख्या क्रमशः 42,856 तथा 21,570 थी।

(ख) वर्ष !985-86 के दौरान भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिल्ली में क्रमशः 13,000 तथा 20,000 नये एल. पी. जी. कनेक्शन जारी करने का प्रस्ताव है।

गुजरात डिजीटल और इलैक्ट्रानिक टेलीफोन प्रणाली

3332. **श्री रनजीत सिंह गायकवाड़** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में क्रास बार और स्ट्रोजर टेलीफोन एक्सचेंजों को चरणबद्ध तरीके से डिजीटल और इलैक्ट्रानिक प्रणाली में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) एक्सचेंज उपस्कर जब अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे तो मौजूदा क्रासबार और स्ट्रोजर टेलीफोन एक्सचेंजों को बदल दिया जाएगा।

रेगुलेटरों और वाल्वों का देश में निर्माण

3333. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों से एल. पी. जी. कनेक्शनों के लिए प्रयुक्त वाल्वों तथा रेगुलेटरों को देश में ही मुख्य रूप से बम्बई, सूरत और हैदराबाद में हो निर्मित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम तथा भारतीय तेल निगम की सलाह पर इन रेगुलेटरों तथा वाल्वों की प्रौद्योगिकी विदेशों से आयात की जानी चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस नई नीति पर पुनर्विचार करने और एल. पी. जी. कनेक्शनों के लिए केवल देशीय रेगुलेटरों तथा वाल्वों पर निर्भर रहने के अपने पिछले फैसले पर अडिग रहने का है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) आयातित प्रौद्योगिकी पर आधारित देशीय उत्पादन से तेल उद्योग का वाल्वों तथा रेगुलेटरों की आवश्यकता को 1986-87 से पूरा करने का प्रस्ताव है।

रानीखेत में असैनिक रक्षा कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

3334. **श्री हरीश रावत :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीखेत में असैनिक रक्षा कर्मचारियों को सरकारी मकान उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन रक्षा असैनिक कर्मचारियों के लिए सरकारी मकानों का निर्माण करने का है; और

(ग) इन मकानों का निर्माण कब तक कर दिया जाएगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) सेवा शर्तों के रूप में सिविलियन रक्षा कर्मचारी सरकारी आवास के हकदार नहीं हैं। फिर भी, रानीखेत में कुल 556 सिविलियन रक्षा कर्मचारियों में से 89 को रक्षा पूल से परिवार आवास दिया गया है। इस समय रानीखेत में सिविलियन रक्षा कर्मचारियों के लिए मकान बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

महाजन चांदमारी क्षेत्र

3335. **श्री मनफूल सिंह चौधरी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाजन चांदमारी क्षेत्र के लिए बीकानेर जिले में 34 गांवों को मिलाकर एक क्षेत्र निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में किसी नए निर्माण कार्य पर कोई धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इस चांदमारी क्षेत्र के अन्तर्गत किसानों के खातेदारी की कितनी भूमि है और कितने पक्के और कच्चे घर हैं तथा उनके लिए मुआबजे की कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) (1) बीकानेर जिले में अधिग्रहीत 322017 बीघा निजी भूमि 34 गांवों में फैली है।

(2) इस पर बने मकानों की संख्या इस प्रकार है :

(क) पक्के मकानों की संख्या	61
(ख) कच्चे मकानों की संख्या	4152
(ग) झोंपड़ियां	291

(3) अधिग्रहण की जाने वाली इस निजी भूमि के अनुमानित मुआवजे की राशि 14,07,56,525 रु० है। पक्के और कच्चे मकानों की लागत 2,16,61,000 रु० आंकी गई है। लेकिन इस संबंध में दिए जाने वाले वास्तविक मुआवजे का पता कलेक्टर के निर्णय के बाद लगेगा।

राज्यों द्वारा लेवी की सीमेंट का न उठाया जाना

3336. **श्री हरीश रावत :** क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को आबंटित भारी मात्रा में लेवी की सीमेंट विभिन्न सीमेंट फैक्टरियों में पड़ी हुई है क्योंकि सम्बन्धित राज्यों ने इस सीमेंट को नहीं उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कुल कितनी सीमेंट नहीं उठायी गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि आबंटित सीमेंट को समय पर उठाते रहें ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) कुछ राज्यों जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जहां आबंटित सीमेंट उठाने में कुछ अस्थायी रुकावटें हैं, को छोड़कर, अन्य राज्यों में आबंटित सीमेंट उठाया जा रहा है। राज्य सरकार के प्राधिकरणों द्वारा न उठाया गया सीमेंट नियमानुसार सीमेंट फैक्टरियों में नहीं रहता क्योंकि सीमेंट फैक्टरियों द्वारा इस लेवी सीमेंट की मात्रा उन अन्य माल पाने वालों को दे दी जाती है जिनके पास वैध रिलीज आर्डर होते हैं अथवा कुछ समय के लिए गैर-लेवी सीमेंट के रूप में भेज दिया जाता है। जिसकी पूर्ति बाद में कर दी जाती है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा न उठाई गई लेवी सीमेंट की मात्रा बताना कठिन है। सीमेंट के उठाने में सरकारी माल पाने वालों की ओर से ढिलाई न होने देने के लिए यह निर्णय किया गया है कि रिलीज आदेशों के पुनः वैधीकरण सम्बन्धी अनुरोधों को पर्याप्त औचित्य होने पर ही स्वीकार किया जायेगा।

[अनुवाद]

दिल्ली की नई दूरभाष निर्देशिका में बार-बार परिवर्तन

3337. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में (एक) प्रशासकीय/तकनीकी आधार पर, (दो) उपभोक्ताओं द्वारा स्थान परिवर्तन के कारण किए गए अनुरोध पर (तीन) इस वर्ष दिल्ली दूरभाष निर्देशिका के प्रकाशन के बाद प्रत्येक क्षेत्र/जोन में नये कनेक्शन जिन्हें 30 जून, 1984 तक ठीक कर दिया गया था, के कारण टेलीफ़ोन नम्बरों में 30 जून, 1985 तक कितने परिवर्तन किये गये;

(ख) विभाग द्वारा विभिन्न एक्सचेंजों में बार-बार इतने अधिक परिवर्तन किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) विभाग को उक्त परिवर्तनों के कारण कितनी अधिक आय हुई जबकि 197 नम्बर पर टेलीफोन सम्बन्धी पूछताछ के लिये की गई कालम को भी टेलीफ़ोन बिल में शामिल किया जाता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार जनता की सहायता के उद्देश्य से 197 नम्बर पर टेलीफोन सम्बन्धी पूछताछ के लिए की गई काल को टेलीफोन बिल में शामिल न करने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दिल्ली टेलीफोन डाइरेक्टरी के 30 जून, 1984 तक संशोधित संस्करण के प्रकाशन के बाद दिल्ली के टेलीफोन नम्बरों में मई, 1985 तक जो परिवर्तन किए गए, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

(एक) प्रशासनिक/तकनीकी आधार पर	लगभग 37,000
(दो) शिफ्टिंग के कारण उपभोक्ताओं के निवेदन पर (तीन) नए कनेक्शन	लगभग 51,000

प्रत्येक क्षेत्र/जोन की जानकारी अलग से तैयार नहीं की जाती है।

(ख) इसका कारण पुराने एक्सचेंजों को बदलना, मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार तथा नए एक्सचेंज स्थापित करना है। आसपास के एक्सचेंजों को राहत पहुंचाने के लिए क्षेत्रों को एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में स्थानांतरित करने के कारण भी ये परिवर्तन करने अनिवार्य होते हैं।

(ग) "197" टेलीफोन पूछताछ सेवा का मुख्य कार्य उपभोक्ताओं को टेलीफोन नम्बरों के परिवर्तन के बारे में जानकारी देना है। क्षेत्र स्थानांतरण तथा अन्य तकनीकी कारणों से किए गए परिवर्तनों की जानकारी प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है तथा डाइरेक्टरी का परिशिष्ट भी जारी किया जाता है। "197" सेवा से विभाग को शुद्ध राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है। विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों के बीच क्षेत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण बदले गए टेलीफोन नम्बरों की जानकारी "171—" परिवर्तित नम्बर सेवा पर भी दी जाती है।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अधिकारियों द्वारा विदेश यात्राओं पर किया गया व्यय

3338. **श्री मूल चन्द डागा : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों का दौरा किया और उन्होंने किस-किस देश का दौरा किया और प्रत्येक मामले में दौरे का प्रयोजन क्या था तथा उस दौरे के परिणामस्वरूप निगम को क्या लाभ हुआ ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम अधिकारियों के विदेशी दौरों का ब्यौरा जो विगत तीन वर्षों अर्थात् 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान सरकारी दौरों पर विदेश गए थे, अनुबन्ध क, ख और ग में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1336/85]

निगम को हुए लाभ का ब्यौरा अनुबन्ध घ में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1336/85]

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास दर

3339. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवे और छठे दशक की तुलना में सातवें दशक के बाद औद्योगिक विकास दर में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विकास दर में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के सूचकांक के आधार पर 1951-84 की अवधि के लिए औद्योगिक उत्पादन और विकास दर के आंकड़ों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) आधार वर्ष में उत्पादन, क्षमता उपयोग, सरकारी निवेश, कच्चे माल की उपलब्धता, अवस्थापना की स्थिति, औद्योगिक सम्बन्ध, मांग और आपूर्ति के बीच अल्पकालिक असन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण आदि जैसे अनेक कारकों द्वारा निकास दरों में प्राय: परिवर्तन होता है ।

(ग) सरकार औद्योगिक लाइसेंसिंग और आयात नीतियों में समुचित परिवर्तन करके तथा आर्थिक व वित्तीय उपायों और अवस्थापना में सुधार करके औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही है ।

विवरण

वर्ष 1951 से 1984 तक के दौरान औद्योगिक उत्पादन और उसकी विकास दर के आंकड़े

आधार : 1951=100			आधार : 1960=100			आधार : 1970=100			आधार : 1970=100		
वर्ष	सूचकांक	विकास दर	वर्ष	सूचकांक	विकास दर	वर्ष	सूचकांक	विकास दर	वर्ष	सूचकांक	विकास दर
1951	100.0	—	1960	100.0	—	1970	100.0	—	1981	164.7	9.3
1952	103.6	3.6	1961	109.2	9.2	1971	104.4	4.4	1982	172.1	4.5
1953	105.6	1.9	1962	119.8	9.7	1972	110.6	5.9	1983	179.9	4.5
1954	112.9	6.9	1963	129.7	8.3	1973	111.1	0.5	1984	191.6	6.5
1955	122.4	8.4	1964	140.8	8.6	1974	113.1	1.8			
1956	132.6	8.3	1965	153.8	9.2	1975	119.2	5.4			
1957	137.3	3.5	1966	153.2	(–)0.4	1976	132.3	11.0			
1958	139.7	1.7	1967	152.6	(–)0.4	1977	138.4	4.6			
1959	152.1	8.9	1968	163.0	6.8	1978	148.7	7.4			
1960	169.7	11.6	1969	175.3	7.5	1979	149.6	0.6			
			1970	184.3	5.1	1980	150.7	0.7			

स्रोत केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

केरल में डाक वितरण में विलम्ब

3340. **श्री के० मोहन दास :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में डाक का वितरण विलम्ब से होता है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। फिर भी रेल डाक सेवा कर्मचारियों द्वारा 6.6.85 को की गई एक दिन की हड़ताल के कारण जून, 85 में लगभग एक सप्ताह तक राज्य के कुछ क्षेत्रों में डाक वितरण में कुछ विलम्ब हुआ था परन्तु अब स्थिति सामान्य है।

(ख) डाक वितरण में विलम्ब की जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी तुरन्त जांच की जाती है तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए उपचारात्मक कारंवाई की जाती है।

पश्चिम बंगाल को मिट्टी के तेल की सप्लाई

3341. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मिट्टी के तेल की कमी को दूर करने के लिए क्या राज्य के मिट्टी के तेल के व्यापारियों तथा वितरकों के एजेंटों ने तत्काल एक लाख किलोलीटर प्रतिमाह मिट्टी का तेल तदर्थ रूप में देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मांग के अनुसार मिट्टी का तेल दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल के मिट्टी के तेल के वितरकों के डीलरों और एजेंटों से एक लाख किलोलिटर मिट्टी के तेल की तदर्थ रिलीज के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि पश्चिम बंगाल सरकार से अतिरिक्त आबंटन सम्बन्धी अनुरोध समय-समय पर प्राप्त किए गए हैं और जनवरी से जुलाई, 1985 के दौरान मिट्टी तेल की रिलीज निम्न प्रकार दी गई है :—

मास	मूल आबंटन	(मी० टन) तदर्थ रिलीज	कुल आबंटन
जनवरी, 1985	45,150	2,350	47,500
फरवरी, 1985	45,150	2,850	48,000
मार्च, 1985	43,890	2,110	46,000
अप्रैल, 1985	43,890	2,110	46,000
मई, 1985	43,890	2,000	45,890
जून, 1985	43,890	2,110	46,000
जुलाई, 1985	42,110	2,000	44,110

डाक और तार विभाग में घण्टों के आधार पर श्रमिकों की नियुक्ति

3342. **श्री थम्पन थामस :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय अपने कुछ कार्यालयों में घण्टों के आधार पर श्रमिकों की नियुक्ति करता है;

(ख) यदि हां, तो ये कार्यालय कौन-कौन से हैं; और

(ग) इन श्रमिकों की नियुक्ति कब से की गई और उनकी औसत मासिक आय कितनी है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) संचार मंत्रालय, के अधीन दूरसंचार विभाग और डाक विभाग में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों, तारघरों, डाकघरों, रेल डाक सेवा और अन्य प्रशासनिक कार्यालयों के लिए टेलीफोन आपरेटरों, तार सहायकों, दूरसंचार कार्यालय सहायकों, टेलीग्राफिस्टों, तकनीशियनों, डाक सहायकों तथा छंटाई सहायकों के संवर्गों में प्रतिघण्टा भुगतान के आधार पर कर्मचारी भर्ती किए जाते हैं।

(ग) इन सभी को 1983 से भर्ती किया गया था। उन्हें आमतौर पर एक दिन में 8 घण्टे से अधिक का कार्य नहीं दिया जाता है और प्रति घण्टा 2.75 रु० की दर से भुगतान किया जाता है। उनका औसत मासिक वेतन बताना सम्भव नहीं है क्योंकि प्रतिदिन कार्य घण्टों के आधार पर उन्हें भुगतान दिया जाता है। चूंकि कार्य घण्टे परियात की आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग होते हैं। अतः मासिक आय का हिसाब नहीं लगाया जा सकता है।

खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची

3343. **श्री चिंतामणि जेना**
श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ } : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची में 31 मार्च, 1985 को राज्य वार कितने व्यक्ति थे;

(ख) प्रत्येक वर्ष खाना पकाने की गैस के कनेक्शन कितने व्यक्तियों को दिए गए। गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्यवार उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि प्रतीक्षा सूची वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रही है; और

(घ) जब देश में गैस की कमी नहीं है तो गैस की मांग को पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) दिनांक 31 मार्च. 1985 को प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को तेल उद्योग की वार्षिक नामांकन योजना के अधीन कनेक्शन दिए जाते हैं। इस कार्यक्रम में एल० पी० जी० के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि और भरण क्षमता में वृद्धि तथा आधार-भूत सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है।

विवरण

राज्य	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या (31.3.1985 को)
1. आन्ध्र प्रदेश	2,68,128
2. असम	5,707
3. बिहार	48,294
4. गुजरात	5,35,327
5. हरियाणा	1,55,008
6. राजस्थान	1,38,409
7, जम्मू और काश्मीर	37,250
8. हिमाचल प्रदेश	10,927
9. कर्नाटक	78,617
10. केरल	29,163
11. मध्य प्रदेश	2,28,972
12. उड़ीसा	24,871
13. महाराष्ट्र	8,77,061
14. पंजाब	2,14,476
15. तमिलनाडु	1,00,655
16. उत्तर प्रदेश	6,08,274
17. पश्चिम बंगाल	67,217
18. मणिपुर	650
19. त्रिपुरा	शून्य
20. मेघालय	360
21. सिक्किम	शून्य
22. नागालैण्ड	809
संघ राज्य क्षेत्र :	
23. चण्डीगढ़	61,859
24. दिल्ली	4,96,978
25. गोआ, दमन और दीयु	34,031
26. दादर और नगर हावेली	600
27. पांडिचेरी	102
योग	40,23,745

उरान गैस टरबाइन पावर स्टेशन को गैस की सप्लाई

3344. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उरान गैस टरबाइन पावर स्टेशन को गैस की सप्लाई में कटौती की गई है और यह गैस गुजरात के किष्को फर्टिलाइजर्स को सप्लाई की गयी है;

(ख) यदि हां, तो गैस की सप्लाई में कितनी कमी की गयी है;

(ग) क्या राज्य सरकार मौजूदा बिजलीघर के विस्तार के रूप में उरान में चार एकक स्थापित कर रही है और इसके लिए गैस की पर्याप्त सप्लाई की आवश्यकता होगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस आवश्यकता की मात्रा निर्धारित कर दी गयी है और क्या केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन चारों एककों को गैस सप्लाई की परेशानी न हो ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बम्बई हाई से फालतू गैस वरीयता प्राप्त क्षेत्र अर्थात् उर्वरक उद्योग के गैस के नियमित प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बिल्कुल फाल बैक आधार पर महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड उरान गैस टर्बाइन पावर स्टेशन को दे रहा है। नियमित प्रयोग-कर्ताओं द्वारा अधिक गैस लेने के कारण फाल बैंक प्रयोगकर्ताओं को फालतू गैस लेने के कारण फाल बैंक प्रयोगकर्ताओं को फालतू एसोसिएटिड गैस की पूर्ति में कमी हो गई। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अन्य सभी फाल बैंक उपभोक्ताओं के मुकाबले महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को वरीयता दे रहा है। कृषको उर्वरक एकक, जो कि गुजरात के हाजीरा में स्थित है और जिसे बम्बई हाई से अलग पाइपलाइन से गैस मिलेगी, को प्रस्तावित गैस की पूर्ति के कारण उरान पावर स्टेशन को गैस सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने दूसरे चरण में 4×108 मैगावाट के टर्बाइन लगाने का प्रस्ताव किया है जिसके लिए उसने प्रतिदिन 2.44 मिलियन घन मीटर गैस देने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय से अनुरोध किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय वरीयता प्राप्त उपयोग-कर्ताओं की आवश्यकता पूरी करने के बाद फालतू सम्बद्ध प्राकृतिक गैस उपलब्ध होने पर बिल्कुल फाल बैंक आधार पर इसके लिए 1·84 एम० एम० सी० एम० डी० गैस देने के लिए तथा अति विशिष्ट मामले में 0·21 मिलियन मी० टन प्रति वर्ष एल० एस० एच० एस० नियमित आधार पर देने पर सहमत हो गया है।

[हिन्दी]

टेलीफोन प्रणाली में सुधार

3345. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन प्रणाली में सुधार लाने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के साथ बातचीत चल रही है;

(ख) क्या इस बारे में अब तक कोई फैसला हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो टेलीफोन प्रणाली में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की प्रतियों की उपलब्धता

3346. **श्री थम्पन थामस** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाइयों में उनके सुने जाने के अधिकार के बारे में कोई निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है;

(ग) क्या निर्णय की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील 1983 का संख्यांक 6814, 1982 का संख्यांक 3484 आदि में 11 जुलाई, 1985 के अपने निर्णय में पदच्युति, पद से हटाए जाने या पंक्ति में अवनत किए जाने के मामले में संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अधीन सरकारी सेवक को, जो सांविधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है उसकी सही-सही परिधि को स्पष्ट किया है। इस निर्णय द्वारा जांच करने की बाबत स्थापित विधि के उस सामान्य नियम को परिवर्तित नहीं किया गया है जिसमें अपचारी सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए हों और उसे अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए उचित अवसर दिया गया हो। स्वयं अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परन्तुक के उपखण्ड (क), (ख) और (ग) में ही उन असाधारण परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें कोई जांच करना अपेक्षित नहीं है। ये खण्ड निम्नलिखित रूप में हैं :

(क) जहां किसी व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया जाता है या पद से हटाया जाता है या पंक्ति में अवनत किया जाता है जिसके लिए आपराधिक आरोप पर उसे दोषसिद्ध किया गया है; या

(ख) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी कारण से जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा, यह युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है कि ऐसी जांच की जाए; या

(ग) जहां, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह समीचीन नहीं है कि ऐसी जाँच की जाए।

मण्डल कार्मिक अधिकारी, दक्षिण रेल और एक अन्य बनाम टी० आर० चेल्लप्पन (ए० आई० आर० 1975 एस० सी० 2216) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्वतर निर्णय को अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परन्तुक के खण्ड (क), जैसे नियम पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि शान्ति के अधिरोपण से पूर्व किसी रेल कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना सेवा से हटाना अनुचित है। न्यायालय ने ऐसा निर्णय सुसंगत नियम में "विचार" पद का तात्विक रूप से अवलंब लेकर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने उस अन्तिमतम निर्णय द्वारा अपने उस मत को उलट दिया है जो उसने चेल्लप्पन वाले मामले में व्यक्त किया था और जिसके औचित्य पर अन्यथा भी प्रारम्भ से ही संदेह किया गया है। संविधान सभा डिबेटों और अन्य सुसंगत सामग्री के सन्दर्भ में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अनुच्छेद 311 (2) का दूसरा परन्तुक लोकनीति पर आधारित है और संविधान निर्माताओं के आशय के अनुरूप लोकहित में है। इस प्रकार दूसरे परन्तुक के खण्ड (क), (ख) और (ग) के अन्तर्गत आने वाले असाधारण मामलों जैसे मामलों में जांच का अपवर्जन न्यायोचित ठहराया गया है। उक्त निर्णय द्वारा व्यथित सरकारी सेवा को उसके इस अधिकार से भी वंचित नहीं किया गया है कि वह समुचित मामलों में विभागीय उपचारों का अवलंब ले सकता है और न्यायिक पुनर्विलोकन का अनुरोध कर सकता है।

(ग) उक्त निर्णय की प्रतियाँ उपलब्ध हैं और वे उच्चतम न्यायालय के प्रतिलिपि अभिकरण से प्राप्त की जा सकती हैं। कुछ ही समय में उक्त निर्णय विभिन्न विधि-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो जाएगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रक्षा भूमि पर अवैध कब्जा

3347. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में सेना छावनी भूमि और वायुसेना केन्द्रों पर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं; और

(ख) सरकार द्वारा देश में सेना छावनी भूमि और वायुसेना केन्द्रों पर अवैध निर्माण को गिराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रक्षा मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में फील्ड स्तर के अधिकारियों को पब्लिक प्रीमीसिज (अवैध कब्जे को हटाना) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत संपदा अधिकारियों के रूप में पदनामित किया गया है। जब कभी रक्षा भूमि पर अवैध कब्जे का कोई मामला उनके नोटिस में आता है तो वे इसे हटाने के लिए उक्त नियम के अन्तर्गत कारवाई करते हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये विस्तार कार्यक्रम

3348. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **पेट्रोलियम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये विस्तार कार्यक्रम आरंभ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी और इन्हें पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा): (क) से (ग) तटवर्ती कच्चे तेल का संसाधन बढ़ाने के लिए सातवीं योजनावधि ने कुछ रिफाइनरियों के विस्तार/कठिनाइयों को दूर करने का सरकार का प्रस्ताव है। सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद विवरण का पता लगेगा।

ग्रामीण रेडियो टेलीफोनों के निर्माण के लिए जापानी फर्म के साथ समझौता

3349. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में दूरसंचार प्रणाली की स्थापना और ग्रामीण रेडियो टेलीफोन के निर्माण के हेतु जापानी फर्म के साथ समझौता करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) मल्टी-एक्सेस ग्रामीण रेडियो टेलीफोन प्रणाली (एम०ए०आर०आर०) बनाने के लिए इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज (आई०टी०आई०) लिमिटेड और जापान की मैसर्स कोकुसई इलैक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड के बीच सहयोग के एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह प्रस्ताव पहाड़ी तथा दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए मल्टी-एक्सेस ग्रामीण रेडियो टेलीफोन प्रणाली तैयार करने के लिए है। इलाहाबाद के पास नैनी में प्रतिवर्ष ऐसी 24 प्रणालियों का उत्पादन होना है, जिनमें दूर-दराज के क्षेत्रों में 600 टेलीफोन लगाने की व्यवस्था होगी। परियोजना की मंजूरशुदा लागत 97 लाख रुपए है। इस परियोजना पर अमल इसी वर्ष से शुरु होने की संभावना है। योजना तीन वर्षों में पूरी हो जाएगी।

मणिपुर में डाक और तार सेवाएं

3350. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष कर मणिपुर में डाक और तार सेवाएं बहुत ही असन्तोषजनक हैं;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) यह कहना सही नहीं है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र और विशेषकर मणिपुर में डाक सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं। तथापि, मणिपुर के भीतरी क्षेत्रों में डाक भेजने में यदा कदा विलम्ब हो गया होगा जिसका कारण डाक ले जाने वाली बसों का अनियमित रूप से चलना है। सरकार को इस बात की जानकारी है कि तार सेवाएं अधिक संतोषजनक नहीं हैं। सर्किटों पर व्यवधान को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तथा तारों को त्वरित गति से भेजने के लिए मुख्य संयुक्त डाक तारघरों में टेलीप्रिंटर प्रणाली चालू की जा रही है।

इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों का आयात

3351. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जापान/फ्रांस से इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों का आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों को कितने इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों के क्रयादेश दिए गए हैं, और किस तारीख को तत्संबंधी निर्णय किया गया था और क्रयादेश कब दिए गए;

(ग) उक्त एक्सचेंज कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है और उनकी लागत आदि क्या होगी; और

(घ) ये एक्सचेंज पश्चिमोत्तर सर्किल में राज्यवार किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जायेंगे ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) राज्य-वार स्थानों के नाम नीचे दिए गए हैं :

(एक) हरियाणा	शून्य,
(दो) हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर, हमीरपुर, नहान, ऊना चम्बा और कुल्लू में 6 छोटे एक्सचेंज,
(तीन) पंजाब	जालंधर में एक डिजिटल ट्रंक स्वचल एक्सचेंज।

विवरण

जापान/फ्रांस से आयातित किए जा रहे इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों का ब्यौरा :

क्रम सं०	किस देश से आयात किया जा रहा है	एक्सचेंजों की संख्या	एक्सचेंजों की किस्म	कुल एफ. ओ. वी. लागत	संभावित वितरण तारीख	आयात के आशय/क्रय आदेश का पत्र भेजने की तारीख
1.	जापान	67	छोटे इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज	जापानी पेन 1562.6 मिलियन	1985-86 की अन्तिम तिमाही	एल. ओ. आई. 2.4.85 को जारी कर दी गई है। ब्यौरेवार क्रम आदेश जारी किया जा रहा है।
2.	फ्रांस	16	डिजिटल ट्रंक स्वचल एक्सचेंज	फ्रांसीसी फ्रैंक 130.56 मिलियन	i) 5 एक्सचेंज मार्च, 1986 में ii) 1986-87 के दौरान 11 एक्सचेंज	ब्यौरेवार क्रम आदेश 19.5.84 को जारी किया गया।

उपग्रह और फाइबर आप्टिक औद्योगिकी पर आधारित टेलीफोन एक्सचेंज

3352. **श्री मुरली देवरा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पुराने और अक्षम टेलीफोन एक्सचेंजों को बदलकर उनके स्थान पर उपग्रह और फाइबर आप्टिक प्रौद्योगिकी (फ्रांस अमरीका और जापान की तरह) पर आधारित एक्सचेंज लगाने का है, जिसमें छोटे से मिलिमीटर व्यास के फाइबर में 20,000 लाइनें आ जाती हैं जबकि परम्परागत तार बहुत मोटी होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत में आप्टिक फाइबर बनाने के लिए इस प्रौद्योगिकी का आयात करने का है; और

(ग) क्या उन्नत देशों के अनुभव के अनुसार लंबी दूरी की कालों "काल्स" के लिए माइक्रोवेब टेलीफोन सेवा सस्ती पड़ती है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उपग्रह और फाइबर ऑप्टिक तकनालॉजी का प्रयोग एक्सचेंजों को बदलने के लिए नहीं किया जाता है अपितु इसका प्रयोग एक्सचेंजों को परस्पर रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है। सातवीं योजना के दौरान इन तकनालॉजी का अधिकतम प्रयोग करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, हां।

(ग) लंबी दूरी की संचार व्यवस्था के लिए माइक्रोवेव तथा अन्य माध्यमों की लागत को अनेक परिवर्तनीय स्थितियां जैसे अपेक्षित चैनल क्षमता, दूरी और भू-भाग आदि अनेक कार्यात्मक परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। कुछ स्थितियों में, जिनमें उपर्युक्त घटक शामिल हैं, माइक्रोवेव प्रणालियां सस्ती सिद्ध हुई हैं।

सीमेंट उद्योग में निवेश

3353. **श्री सुरेश कुरूप :** क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सीमेंट उद्योग में 31 मार्च, 1985 को कुल कितनी पूंजी लगी हुई थी; और

(ख) उक्त निवेश का 31 मार्च, 1985 को राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सीमेंट उद्योग में क्षमता पिछले 70 वर्षों में धीरे-धीरे अधिष्ठापित की गई है। कुछ संयंत्र 1915 के और उससे बाद के हैं। तब से अब तक अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि हुई है और 1.7.85 को यह अधिष्ठापित क्षमता 434.2 लाख मी० टन थी। इस अवधि में सीमेंट उद्योग में किए गए कुल पूंजी निवेश से संबंधित जानकारी इसलिए संकलित/एकत्र नहीं की गई है। अत: 31-3-85 को सीमेंट उद्योग में किए गए कुल पूंजी निवेश को बता सकना कठिन है। वर्तमान मूल्य स्तर के अनुसार सीमेंट का प्रति मी० टन औसत निवेश 600 रु० से 1500 रु० तक होता है जो संयंत्र के आकार, और अपनाई गई प्रौद्योगिकी आदि पर निर्भर करता है।

औषधियों के मूल्यों में वृद्धि

3354. **श्री सोमजी भाई डामर :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा मंजूर किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का राजधानी में अधिमूल्यन किया गया है जिसके परिणामस्वरूप अंततः औषधियों की कीमत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो औषधियों तथा औषधियां बनाने के काम आने वाली दवाइयों के उत्पादन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसकी तुलना में एम्पिसिलीन, सल्फा मेथोक्साजोल, ट्राइमेथोप्रिम पिराजाइनामाइड 6 एपीए आदि जैसे छोटे पैमाने के एककों द्वारा कितना निवेश किया गया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) व (ख) संगठित क्षेत्र की इकाईयों द्वारा औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्रों में भूमि, भवन और संयंत्र व मशीनरी जैसी अचल परिसम्पतियों में अनुमानित वृद्धि के ब्यौरे दिए गए हैं। प्रयोग की गई वास्तविक अचल परिसम्पति और आवेदन पत्र में परिसम्पति के मूल्य कीमतों में वृद्धि, उपकरणों के नए डिजाइन की उपलब्धता आदि जैसे कारणों से अन्तर हो सकता है। प्रपुंज औषधों के मूल्य निर्धारित करने के लिए शुद्ध पूंजी पर कर के बाद लाभ की अनुमति है।

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र की इकाईयों और संगठित क्षेत्र की इकाइयों द्वारा उल्लिखित मध्यवतियों के उत्पादन के लिए लगाए गए संयंत्र और मशीनरी की तुलना नहीं की गई।

विदेशी चार्टर्ड मत्स्य नौकाओं के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही

3355. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितनी विदेशी चार्टर्ड मत्स्य नौकाएं भारतीय तटरक्षक दल के कब्जे में हैं;

(ख) इस प्रकार की विदेशी नौकाओं द्वारा अनाधिकृत रूप से मछली पकड़ने और अतिक्रमण करने के कार्यों के संबंध में अपनाए जाने वाले नियम और पूरी कानूनी प्रक्रिया क्या है; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान कितने मामलों में दांडिक कार्यवाही की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) तटरक्षक संगठन के पास ऐसी कोई नौका नहीं है लेकिन तटरक्षक संगठन के अनुरोध पर न्यायालय ने ऐसी आठ नौकाएं, कृषि मंत्रालय के अधीन भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण संगठन को दे दी हैं।

(ख) ऐसे मामलों में दोषी नौकाओं के मालिक/प्रधान के विरुद्ध उन प्रथम श्रेणी मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट/ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में कानूनी कार्रवाई की जाती है जिसे राज्य सरकार से ऐसा करने का विधिवत अधिकार प्राप्त होता है।

(ग) 1984 के दौरान मछली पकड़ने/अनाधिकार प्रवेश के कारण मछली पकड़ने की जिन दस विदेशी चार्टर्ड नौकाओं को पकड़ा गया था उनमें से दो मामलों में कानूनी कार्रवाईयां पूरी की जा चुकी हैं। इन दोनों मामलों में इन नौकाओं को अनाधिकार रूप से प्रवेश करने का दोषी नहीं पाया गया लेकिन उन्होंने प्राधिकृत अधिकारी के आदेशों का उल्लंघन किया। इन मामलों में कुल 25,000 रु० का जुर्माना किया गया और बंदरगाह प्रभार वसूल किया गया। शेष 8 मामले अभी न्यायालय में लम्बित पड़े हैं।

औद्योगिक उत्पादन में सुधार के उपाय

3356. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1984-85 में भी औद्योगिक विकास की दर इससे पूर्व के वर्ष की भांति 5.5 प्रतिशत बनी रही;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक विकास की दर इसी प्रकार बने रहने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा वर्ष की शेष अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन में सुधार करने के लिए और कदम उठाए जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ड़) औद्योगिक विकास की दर में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य-मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार पर 1984-85 में विकास की दर 5.6 प्रतिशत रही, जबकि वर्ष 1983-84 के दौरान यह 5.5 प्रतिशत थी।

(ख) से (घ) सरकार, औद्योगिक लाइसेंसिग और आयात विषयक नीतियों में उपयुक्त परिवर्तन करके और मौद्रिक एवं राजकोषीय उपाय तथा अवस्थापना में सुधार करके औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय करती रही है।

(ड़) सातवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र के लिए वार्षिक औसत विकास की दर 7 प्रतिशत होने की प्राकल्पना की गई है।

प्राकृतिक गैस के मुल्य ढांचे की पुनरीक्षा

3357. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप विद्युत पैदा करने के लिए गैस का मूल्य 1800 रुपए प्रति 1,000 क्यूबिक मीटर निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या कोयला विभाग ने पेट्रोलियम मंत्रालय से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्राकृतिक गैस के निकट भविष्य में व्यापक उपयोग और गैस पर आधारित प्रस्तावित उर्वरक संयंत्रों और विद्युत घरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके संपूर्ण मूल्य ढांचे पर अधिकारी स्तर की समिति विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो विद्युत विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को अस्वीकार करने के मुख्य कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ग) देश भर में विभिन्न उपयोगों के लिए प्राकृतिक गैस के मूल्य-निर्धारण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तट-दूर तेल की खोज के लिए निविदाएं आमंत्रित करना

3358. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने तट-दूर तेल की खोज के लिए अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों से निविदाए आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन तेल कम्पनियों के लिए एक मुख्य कार्यक्रम तैयार कर रही है जो तेल की खोज के कार्य में दोनों भागीदारों के प्रति ईमानदार, न्यायोचित और साम्भिक रहेगी;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा; और

(घ) इस बारे में कितनी विदेशी फर्मों ने रुचि प्रदर्शित की है?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ) भारत में तेल की खोज के लिए विदेशी कम्पनियों को नये क्षेत्र देने की नीति संबंधी प्रस्ताव इस समय समीक्षाधीन है। अभी तक विवरणों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

कई विदेशी कम्पनियों ने पूछ-ताछ के रूप में अपनी रुचि दिखाई है।

हल्दिया पेट्रो-कैमिकल कम्पलेक्स

3359. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में हल्दिया पेट्रो-कैमिकल कम्पलेक्स के लिए किसी विदेशी फर्म द्वारा प्रस्तुत तकनीकी सहयोग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशी सहयोग के बारे में निर्देश पद क्या हैं;

(घ) इस मामले में क्या प्रगति हुई है;

(ङ) हल्दिया पेट्रो-कैमिकल कम्पलैक्स का प्रस्तावित पूंजी ढांचा क्या होगा; और

(च) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (च) पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से हल्दिया पैट्रोकैमिकल काम्पलैक्स के लिए तकनीकी सहयोग के संबंध में कोई औपचारिक आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि निगम का पश्चिमी जर्मनी के मैसर्स लिण्डे एजी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसर्स सैमटैक्स से तकनीकी सहयोग का प्रस्ताव है।

मानकीकृत संयुक्त क्षेत्र के पैटर्न पर इस परियोजना को स्थापित करने के लिए निगम और गोयानाका, एक समझौता करने पर सहमत हुए हैं।

[हिन्दी]

डाक वितरण प्रणाली में सुधार

3360. **श्री राजकुमार राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा किन-किन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) इन प्रस्तावों को किस तरह और कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) और (ख) डाक प्रणाली के कार्यों को मानीटर करने के लिए विभाग ने विशेष अभियान आयोजित किए हैं जिसमें डाक-वितरण को मानीटर करने का कार्य भी शामिल है। इसके अतिरिक्त विशेष दस्तों का गठन भी किया गया है और इन दस्तों ने ऐसे क्षेत्रों का दौरा किया है जहां से शिकायतें अधिक आती हैं। इन अभियानों के दौरान जो भूल या कमियां दिखाई दी हैं उनका अध्ययन किया गया है तथा दोष/कमियों को दूर करने के लिए उपचारी उपाय किए गए हैं। डाकघरों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए कार्य कुशलता की मानीटर करें।

मारुति कार उद्योग में निवेश मुनाफा

3361. **श्री एम० एल० झिकराम : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति कार उद्योग में कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया है और 1984-85 के दौरान कम्पनी को कुल कितना लाभ हुआ और माडल वार कितनी कारों का निर्माण किया गया; और

(ख) क्या इन कारों का निर्यात किया जा रहा है, यदि हां; तो किन-किन देशों को इन कारों का निर्यात किया जा रहा है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) मारुति उद्योग लिमिटेड में 31 मार्च, 1985 तक लगभग 76 करोड़ रु० का कुल पूंजी व्यय किया गया था। 1984-85 में कम्पनी ने 90.34 लाख रु० का शुद्ध लाभ कमाया था। वर्ष 1984-85 में निर्मित कारों की माडल वार संख्या निम्न प्रकार थी :

मारुति 800	14,924
डीलक्स	5,429

(ख) अब तक किसी भी मारुति कार का निर्यात नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश में मांडला टेलीफोन केन्द्र का कार्यचालन

3362. **श्री एम० एल० झिकराम : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में मांडला जिले में टेलीफोन केन्द्र का कार्यचालन अत्यन्त खराब है और यदि हां, तो विभाग द्वारा उसमें सुधार लाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसका विस्तार करने और इसके स्थान पर इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस एक्सचेंज के सुचारु कार्यचालन को सुनिश्चित करने और नए टेलीफोन कनैक्शनों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं। मांडला टेलीफोन एक्सचेंज सामान्यतया संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है। इस एक्सचेंज की कार्यप्रणाली में आगे और सुधार करने के लिए मांडला-जबलपुर के बतौर एक वैकल्पिक ट्रंक रूट की मंजूरी दे दी गई है ताकि जब कभी अवरोध उत्पन्न हो, तो मांडला का संपर्क शेष संचार नेटवर्क से पूरी तरह न कट सके।

(ख) जी, हां।

(ग) जैसे ही सप्लाई प्राप्त होगी मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंज को 400 लाइनों के कंटेन्रा-इज्ड इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज द्वारा बदल दिया जाएगा।

(घ) वैकल्पिक ट्रंक मार्ग की व्यवस्था होने और इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज की स्थापना होने पर मांडला की टेलीफोन सेवा में सुधार आएगा। इस समय टेलीफोन कनेक्शन के लिए कोई मांग लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

एल०पी०जी० बार्टलिंग संयंत्रों की स्थापना

3363. **डा० पी० वेंकटेश** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए खाना बनाने की गैस के सिलेन्डरों के लिए एच० बी० जे० पाइप लाइन के साथ कुछ बार्टलिंग संयंत्र स्थापित करने का नीति संबंधी निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह संयंत्र सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जायेंगे या गैर-सरकारी क्षेत्र में; और

(घ) उत्पादन की वार्षिक दर क्या होगी ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क), (ख) और (घ) एच० बी०जे० पाइपलाइन के साथ-साथ बिजयपुर और औरिया में एल०पी०जी० निष्कर्ण का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं से एल०पी०जी० की उपलब्धता प्रति वर्ष 4.70 लाख मी० टन होगी। यह करीब 47 लाख नये उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

(ग) इस पर निर्णय उचित समय पर लिया जायेगा।

उड़ीसा में एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में तबदील करना

3364. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज काम कर रहे हैं;

(ख) क्या सभी प्रमुख नगरों में मौजूदा एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के किन-किन नगरों को इसके अन्तर्गत लाया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) देश में कार्य कर रहे इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की कुल संख्या 26 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के निम्नलिखित कस्वों में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू कर दिए जायेंगे :

1. भुवनेश्वर	4000 लाइनें
2. क्योंझर	600 लाइनें
3. कोरापुट	400 लाइनें
4. फूलबनी	400 लाइनें
5. सुन्दरगढ़	400 लाइनें
6. बाडीपाडा	600 लाइनें
7. धेनकनाल	600 लाइनें
8. छत्तरपुर	400 लाइनें।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए सुविधाओं की सिफारिश

3365. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सैनिक बोर्ड ने भूतपूर्व सैनिकों को कुछ सुविधाएं देने के लिए कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उक्त सिफारिशों की क्रियान्विति के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) केन्द्रीय सैनिक बोर्ड ने 10 जुलाई, 1985 को आयोजित अपनी पिछली बैठक में अपने पूर्व निर्णयों पर राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की। इसने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की। इन सिफारिशों को राज्यों द्वारा स्वीकार एवं क्रियान्वित किया जाना था।

केन्द्रीय सरकार की ओर से भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण से सम्बन्धित अग्रलिखित प्रमुख तथा मूलभूत बातों पर जोर दिया गया :—

(i) निम्नलिखित उपाय करके उनके लिए लाभकारी रोजगार की व्यवस्था :

(क) आरक्षण की नीति अपनाकर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करके केन्द्रीय और राज्य सरकारों में यथा सम्भव रोजगार सहित वैतनिक रोजगार,;

(ख) स्वः रोजगार के लिए उन्हें परिवहन परमिट, औद्योगिक शैड आदि जैसी आधारभूत सहायता देकर विशेष प्रोत्साहन एवं आरक्षण ।

(ii) कल्याण संबंधी उचित सुविधायें प्रदान करना, उदाहरणार्थ :

(क) उनके बच्चों के लिए शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि;

(ख) चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि;

(ग) आवास योजनाओं में उनके लिए आरक्षण ।

(iii) उचित आधार-संहिता बनाना ताकि उनके साथ सम्मान का व्यवहार किया जा सके ।

इन बातों को मध्य नजर रखते हुए राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित केन्द्रीय सैनिक बोर्ड तथा उच्च स्तरीय समिति की पहली सिफारिशों को कार्यान्वित करें ।

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और तदनुसार इस पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। राज्यों के प्रतिनिधियों ने बोर्ड को इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

[अनुवाद]

बिहार में रुग्ण कम्पनियां/मिलें

3366. **डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार को बिहार राज्य में स्थित रुग्ण कम्पनियों/मिलों की कोई सूची पेश की है;

(ख) यदि हां, तो सूची का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य की रुग्ण मिलों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) रोहतास इंडस्ट्रीज लि० और अशोक पेपर मिल्स जैसे रुग्ण एककों को पुनरूज्जीवित करने के बारे में बिहार सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि यदि वे इन उपक्रमों को राष्ट्रीयकृत करने का निर्णय लें तो उन्हें सभी सम्भव सहायता प्रदान की जाएगी।

सातवीं योजना अवधि में डाकघरों का खोलना

3367. **श्री सी० माधव रेड्डी : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान कितने डाकघर खोले गए और उन स्थानों/राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर इन्हें खोला गया;

(ख) इन गांवों आदि का राज्यवार ब्यौरा क्या है जहां अभी भी उक्त सुविधा उपलब्ध कराई जानी है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त मूल सुविधा को किन-किन गांवों में उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए सभी श्रेणियों के डाकघरों की संख्या तथा राज्यों के नाम जिनमें वे खोले गए हैं, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है ।

(ख) जिन ग्रामों में यह सुविधा अभी प्रदान की जानी है, उनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है ।

(ग) मौजूदा मानदंडों के अनुसार उचित पाए जाने पर ही ग्रामों में डाकघर खोले जायेंगे बशर्ते कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वार्षिक योजनाओं में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित निधि उपलब्ध रहे । उल्लिखित मानदंडों का ब्यौरा संलग्न विवरण–3 में दिया गया है ।

विवरण – 1

क्रम सं०	राज्य का नाम	छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए सभी श्रेणियों के डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	750
2.	बिहार	761
3.	दिल्ली	68
4.	गुजरात	291
5.	दमन, नागर हवेली एवं दियु संघ शासित क्षेत्र	1
6.	जम्मू एवं कश्मीर	168
7.	कर्नाटक	302
8.	केरल	220
9.	लक्षद्वीप	—
10.	माहे	—
11.	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश	769
12.	महाराष्ट्र	624
13.	गोवा	7

1	2	3
14.	असम	331
15.	अरुणाचल प्रदेश	38
16.	मणिपुर	68
17.	मेघालय	39
18.	मिजोरम	27
19.	नागालैंड	42
20.	त्रिपुरा	21
21.	चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश सहित पंजाब	70
22.	हरियाणा	77
23.	हिमाचल प्रदेश	183
24.	उड़ीसा	377
25.	राजस्थान	455
26.	तमिलनाडु	301
27.	पांडिचेरी	—
28.	उत्तर प्रदेश	879
29.	पश्चिम बंगाल	388
30.	सिक्किम	6
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3

विवरण—2

क्रम सं०	राज्य का नाम	छठी पंचवर्षीय योजना के अंत में जनगणना वाले जिन गांवों में डाकघर नहीं हैं उनकी संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	12693
2.	बिहार	58641
3.	दिल्ली	30
4.	गुजरात	10398
5.	दमन, नागर हवेली एवं दियु संघ शासित क्षेत्र	55
6.	जम्मू एवं कश्मीर	5205
7.	कर्नाटक	18578
8.	केरल	2
9.	लक्षद्वीप	—

1	2	3
10.	माहे	—
11.	मध्य प्रदेश	67006
12.	महाराष्ट्र	25270
13.	गोवा	178
14.	असम	19108
15.	अरुणाचल प्रदेश	2735
16.	मणिपुर	1401
17.	मेघालय	4499
18.	मिजोरम	492
19.	नागालैंड	207
20.	त्रिपुरा	4181
21.	पंजाब (चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र सहित)	8906
22.	हरियाणा	4576
23.	हिमाचल प्रदेश	14569
24.	उड़ीसा	43898
25.	राजस्थान	26157
26.	तमिलनाडु	6640
27.	पांडिचेरी	167
28.	उत्तर प्रदेश	96242
29.	पश्चिम बंगाल	30972
30.	सिक्किम	286
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	324

विवरण—3

डाकघर खोलने के लिए मानदंड

(क) देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के लिए मानदंड :

देहाती इलाकों में खोले जाने वाले डाकघरों का अब दो मुख्य वर्गो में वर्गीकृत किया गया है :—

1. सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर; और

2. आदिवासी या पिछड़े इलाकों में डाकघर।

(1) **सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर खोलना :**

(एक) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 कि०मी० की दूरी में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम-से-कम 25 प्रतिशत की आय होने की संभावना हो।

(दो) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं : -

(क) उस गांव की आबादी 2000 या इससे अधिक होनी चाहिए;

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 कि०मी० की दूरी में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम-से-कम 25 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(2) **आदिवासी और पिछड़े इलाकों में डाकघर खोलना :**

(एक) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 कि०मी० की दूरी में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम-से-कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(दो) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर पंचायती ग्रामों में डाकघर खोले जा सकते हैं; बशर्ते कि :—

(क) ग्राम (अथवा 1.5 कि०मी० की दूरी के अन्दर ग्रामों का समूह) की जनसंख्या 1,000 अथवा अधिक हो।

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 कि०मी० की दूरी में कोई अन्य डाकघर न हो; और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम-से-कम 10 प्रतिशत तक आय होने की संभावना हो।

नोट :—ग्रामीण डाकघर इस श्रेणी में आते हैं:—

(एक) सामान्य ग्रामीण क्षेत्र और (दो) पिछड़े और जनजाति क्षेत्र जनजातीय क्षेत्रों को गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है डाक सुविधाओं के विकास की दृष्टि से

पिछड़े इलाकों का निर्धारण करते समय यह देखा जाता है कि क्या उन इलाकों के विकास की अवस्था जनसंख्या का प्रति डाकघर सेवाधीन क्षेत्र से संबंधित अखिल भारतीय औसत के हिसाब से सौ फीसदी गिरी हुई हालत में है या नहीं ।

(दो) दूसरे, जब जनसंख्या/सेवित क्षेत्र के आधार पर अखिल भारतीय औसत और सर्किल औसत की तुलना में जब किसी क्षेत्र की स्थिति गिरी हुई होती है, इसके अलावा डाकघर प्रदान किए जाने वाले गांवों के प्रतिशत के संबंध में समूचे सर्किल के साथ तुलना करके जब स्थिति प्रतिकूल होती है तब उस क्षेत्र को पिछड़े क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है ।

(तीन) प्रति डाकघर अखिल भारतीय औसत 23.10 वर्ग कि०मी० और जनसंख्या 4,805/ पिछड़े और जनजाति क्षेत्रों में डाक सुविधाओं का तेजी से विस्तार करने को अधिक आर्थिक सहायता दी जाती है ।

(चार) "पहाड़ी क्षेत्र" की अवधारणा को छोड़ दिया गया है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र, जो जनजाति क्षेत्र भी है, स्वयं ही "जन जाति क्षेत्रों" की श्रेणी में आ जाते हैं ।

(ख) शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए मानदंड :

शहरी क्षेत्रों में डाकघर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर खोले जा सकते हैं:—

(एक) डाकघर को वित्तीय दृष्टि से आत्म निर्भर होना चाहिए; और

(दो) 20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की दूरी कम से कम 1 कि० मी० होनी चाहिए । अन्य शहरों में, दो डाकघरों के बीच कम से कम दूरी 1.5 कि० मी० होनी चाहिए ।

सर्किलों के अध्यक्ष प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्तों में छूट दे सकते हैं ।

एल०पी०जी० के उत्पादन में वृद्धि

3368. **श्री मोहन सिंह पटेल**
श्री हरिहर सोरन } : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल०पी०जी० के उत्पादन की तुलना में इस समय कितने टन एल०पी०जी० की आवश्यकता है; और

(ख) देश में एल०पी०जी० की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसके उत्पादन में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) 12.50 लाख मीट्रिक टन एल०पी०जी० की मांग के मुकाबले 1985-86 में 11.88 लाख टन एल०पी०जी० के उत्पादन की सम्भावना है ।

(ख) रिफ़ाइनरियों में अतिरिक्त कोकिंग एकक के द्वारा तथा आसवन (डिस्टिलेशन) एकक के पुनर्नवीकरण द्वारा देश में एल०पी०जी० के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है ।

चमड़े की वस्तुओं का उत्पादन

3369. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना में कुल कितने मूल्य की चमड़े की वस्तुओं का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने चमड़ा उद्योग को चमड़े की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिये हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए चमड़ा उद्योग को क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं अथवा प्रदान करने का विचार है;

(घ) सातवीं योजना में चमड़े की वस्तुओं के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ङ) लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक चमड़ा और चमड़े के सामान के लिए 1670.5 करोड़ रुपये का उत्पादन लक्ष्य रखा गया था, जो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया गया है ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) और (ङ) चमड़ा उद्योग के लिए अपेक्षित कई वस्तुओं अर्थात कच्ची चामें और खालें जैसे आधारभूत कच्चेमाल सूक्ष्म मशीनें, चमड़ा रसायन आदि को खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत शुल्क से मुक्त कर दिया गया है या उन पर लगने वाला शुल्क कम कर दिया है । निर्यातकों को पश्चिमी देशों में बदलते फैशनों के अनुरूप वस्तुएं बनाने की दृष्टि से वस्त्र, बटुए, लटकाने वाले बैग, जूतों के ऊपरी हिस्सों, जूतों जैसे चमड़े के सामान के खाके और डिजाइनों का आयात करने तथा विदेशी तकनीकी सहयोग करने की अनुमति दे दी गई है । निर्यातक एककों/संगठनों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है । चमड़ा और चमड़े की वस्तुओं से सम्बन्धित समेकित निर्यात संवर्द्धन परिषद के कार्यों बाजार आसूचना प्रदान करने, डिजाइनों का विकास करने, उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि करने के लिए प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने तथा निर्यात को बढ़ाने के लिए विस्तार कर दिया गया है ।

(घ) 3,265 करोड़ रुपये ।

डाक घर बचत बैंक

3370. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक विभाग द्वारा कितनी बचत योजनाएं चलायी जा रही हैं;

(ख) क्या डाकघर बचत बैंकों के माध्यम से इन योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाए गये हैं;

(ग) यदि हाँ, तो छठी योजना में डाक घर बचत बैंकों में किस सीमा तक वृद्धि हुई है;

(घ) सातवीं योजना में डाकघर बचत बैंकों के विकास के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) डाकघर बचत बैंक के माध्यम से निम्नलिलित बचत योजनाएं चलाई जाती हैं :—

1. बचत खाता
2. 10 वर्षीय सावधिक संचयी जमा खाता
3. 5 वर्षीय आवर्ती जमा खाता
4. संचयी जमा खाता
5. राष्ट्रीय बचत पत्र (द्वितीय निर्गम)
6. राष्ट्रीय बचत पत्र (छठा निर्गम)
7. राष्ट्रीय बचत पत्र (सातवां निर्गम)
8. सामाजिक प्रतिभूति पत्र
9. सार्वजनिक भविष्य निधि खाता

(ख) जी, हाँ।

(ग) डाकघर बचत बैंक डाकघर का ही एक अंग है। डाकघर बचत बैंकों का विकास डाकघरों के विकास पर आधारित होता है। छठी योजना में 7876 डाकघर खोले गये थे।

(घ) सातवीं योजना में नये डाकघर खोलने के लक्ष्य को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

मध्य प्रदेश में नए डाकघर खोलना

3371. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में वर्ष 1985-86 में कुछ नये डाकघर और तारघर खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में उक्त वित्तीय वर्ष में कितने डाकघर और तारघर खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) उपरोक्त वित्तीय वर्ष में राज्य के रायगढ़ जिले में कितने डाकघर और तारघर खोलने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां। डाकघर खोलने की योजना वर्षवार तैयार की जाती है जबकि तारघर परियात के आधार पर औचित्य पाए जाने पर खोले जाते हैं।

(ख) मध्य प्रदेश में वर्ष 1985-86 के दौरान 183 डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ग) रायगढ़ जिले में 12 डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि नए पदों के सृजन पर लगी पाबंदी के आदेश हटा लिए जाएं जबकि तारघरों का खोला जाना परियात के मानदंडों के आधार पर औचित्य पाए जाने पर निर्भर करता है।

बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर (राजस्थान) में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

3372. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मंत्री राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के बारे में 20 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न 3937 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 में राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के लिए मंजूर किए गए ऐसे टेलीफोनों की संख्या कितनी है जो विभाग द्वारा नहीं लगाए गए हैं और क्या उनकी जिला-वार सूची सभा पटल पर रखी जाएगी;

(ख) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विभाग इस बारे में अड़चनों को दूर कर यह सुनिश्चित करेगा कि पहले से मंजूर किए गए टेलीफोन 1985-86 में लगा दिए जाएं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में लंबी दूरी के जो सार्वजनिक टेलीफोन घर मंजूर किए गए हैं परन्तु अभी स्थापित नहीं किए जा सके हैं, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

जिला	1984-85	1985-86 (स्वीकृत)
बाड़मेर	21	39
जैसलमैर	8	—
जोधपुर	35	3

जिलेवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) कुछ महत्त्वपूर्ण लाइन सामग्री की सीमित मात्रा में सप्लाई के कारण लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों के संस्थापन कार्य में विलम्ब हुआ है।

(ग) मंजूर किए गए सभी सार्वजनिक टेलीफोनों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खोलने के प्रयत्न किए जाएंगे बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हो सकें।

विवरण

राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में लम्बी दूरी के ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन घरों की सूची जिन्हें मंजूरी मिल चुकी है परन्तु अभी स्थापित किया जाना है :

वर्ष 1984-85

बाड़मेर जिला :

1. चादा की धानी
2. सीहानी
3. भाखरपुरा
4. सिंघवाशा हरनिया
5. हाथी टल्ला
6. उदासार
7. अती
8. निमलकोट
9. बन्द
10. संतरा
11. गिदा
12. जाजवा
13. संगासार
14. गुमान का ताला
15. सावा
16. बमनोर अमीर साहा
17. बारीरी कलां
18. बकसार
19. मेवाड़ी
20. बागवास
21. सुन्दरा

जिला—जैसलमेर :

1. मांडली
2. झिझिनयाली
3. बोहा
4. रुपाई
5. तेजमालटा
6. बारादागांव
7. खेड़ी
8. फीकोराई-जूनी

जिला—जोधपुर :

1. पिंचियाक
2. बालवा खुर्द
3. खवासपुरा
4. गजसिंह पुरा
5. बोयाल
6. रोहीचा कलां
7. पाल
8. जोलियाली
9. खातीसार
10. रामपुरा भाटिया
11. बीजगारिया
12. बीराई
13. भैड़
14. टापू
15. गैवासा
16. थामरिया कलां
17. लावैसा कलां
18. भावाड़
19. गंघला
20. पालीना
21. रिदमलसर
22. चाखू

23. बारू
24. घंटियावाली
25. बीडासार
26. पाडियाली
27. जयसालू
28. इसारू
29. जालोदा
30. सनवीज
31. खूदियाली
32. देवातू
33. भालू कलां
34. कैतू कलां
35. चांदासामा

वर्ष 1985-86

जिला—बाड़मेर :

1. भादाखा
2. भीमरा
3. घांखा
4. पारेऊ
5. रातेऊ
6. झांक
7. चोखला
8. कौलु
9. बायोटू पांजी
10. भदपुरा-बडवाला
11. बाडेमेर
12. कौंडला
13. नौसार
14. खादीन
15. सिंकरी चौसीरा
16. सादा
17. गोलिया चेतमल
18. बायटू चीमनजी
19. धारासार
20. कामराऊ
21. कोहरा
22. बछताऊ
23. पालमसर
24. इटाडा
25. बिंजासर
26. किफोरिया
27. बमराला
28. थौब
29. कल्याणपुरा
30. किटनौड
31. कशमीर
32. बलेवा
33. रनसर
34. खानियानी
35. करपावास
36. कुसीप
37. इंदरान
38. कुंदेल
39. मिथौरा

जिला—जैसलमेर :

—शून्य—

जिला—जोधपुर :

1. कपारडा
2. डाली
3. लोहवात केतवास

[हिन्दी]

राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में टेलीप्रिंटर सुविधा

3373. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के किन-किन जिला मुख्यालयों में टेलीप्रिंटर सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गई;

(ख) क्या बाड़मेर और जैसलमेर जिला मुख्यालयों में जो कि महत्त्वपूर्ण सीमावर्ती नगर हैं टेलीप्रिंटर सुविधा उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त स्थानों पर टेलीप्रिंटर कब तक लगा दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सिरोही और सबाई माधोपुर के तारघरों को टेलीप्रिंटर सुविधा प्रदान नहीं की गई है ।

(ख) जी हाँ । जैसलमेर और बाड़मेर जिला मुख्यालयों के तारघरों में टेलीप्रिंटर सुविधा प्रदान की गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

पेन्सिलिन "जी" का मूल्य

3374. **श्री एन०डेनिस :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में पेन्सिलिन 'जी' के मूल्यों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से दोगुने होने के क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा मूल्यों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के समकक्ष लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) पेनिसिलिन "जी" का स्वदेशी मूल्य निवेशों की लागत संचालन के स्तर और निर्माताओं की दक्षता के स्तर पर निर्भर करता है । उत्पादनदक्षताओं में सुधार करने की दृष्टि से आई०डी०पी०-एल०/एच०ए०एल० द्वारा प्रौद्योगिकी में सुधार करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

साइनोपाइरिडिन की आवश्यकता

3375. **श्री एन०डेनिस :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में साइनोपाइरिडिन की कितनी जरूरत है;

(ख) साइनोपाइरिडिन के स्वदेशी निर्माताओं के नाम और पते क्या हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान उनका वर्षवार उत्पादन क्या था ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) देश में साइनोपाइरिडाइन की आवश्यकता का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, साइनोपाइरिडाइन का देश में उत्पादन नहीं किया जाता और इसलिये गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार उत्पादन के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

विधिक सहायता कार्यक्रम की उपलब्धियां

3376. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के संदर्भ में, आरम्भ की गई निःशुल्क विधिक सहायता स्कीम के क्षेत्र में प्राप्त सफलता का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या जहां कहीं अभी तक उस कार्यक्रम का प्रभाव नहीं पड़ा है वहां इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार का विचार इसका मूल्यांकन करने का है?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) सरकार ने विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वियन समिति गठित की है, जिसके अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री पी०एन० भगवती हैं। देश में विधिक सहाथता स्कीमों के कार्यान्वियन का कार्य इसी समिति को सौंपा गया है। समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विधिक सहायता कार्यक्रमों के प्रति, और विशेषकर विधिक जागृति, विधिक सहायता शिविर और लोक अदालतों के सृजन के प्रति, लोग अत्यधिक जागरुक हैं।

समिति ने अरुणाचल प्रदेश की जन-जातियों के लिए एक स्कीम अनुमोदित की है। हाल ही में असम, मेघालय और सिक्किम राज्यों में राज्य विधिक सहायता बोर्डों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विधिक सहायता तंत्र ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है, फिर भी अभी वह अपनी आरंभिक अवस्था में है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है।

समिति ने देश के कुछ राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश और गुजरात तथा संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली में, विधिक सहायता कार्यक्रमों की सफलता का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है।

प्रेशर रेगुलेटरों का उत्पादन

3378. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नयी पिन टाइप गैस सिलेन्डर प्रणाली को शुरु करने के सम्बन्ध में जनता से कोई टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्यवार कितने पिन टाइप गैस सिलेंडर लगाये गये हैं;

(ग) क्या भारत प्रेशर रेगुलेटरों के उत्पादन में आत्मनिर्भर है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) सरकार ने तेल उद्योग द्वारा चलाये गये पिन टाइप वाल्वों के सम्बन्ध में कुछ समाचार पत्र की रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) देश में पिन टाइप वाल्व के सिलेन्डरों की कुल संख्या 81.16 लाख है। राज्य-वार विवरण नहीं रखे जातें हैं।

(ग) और (घ) देश विकसित देशी उत्पादन के जरिए प्रैशर रेगुलेटरों के सम्बन्ध में 1986-87 तक आत्मनिर्भर हो जायेगा।

परिष्कृत स्पिरिट/औद्योगिक एल्कोहल के मांग से अधिक उत्पादक राज्य

3379. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे राज्य कौन से हैं जहां परिष्कृत स्प्रिट/औद्योगिक एल्कोहल मांग से अधिक उपलब्ध है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : अल्कोहल का उत्पादन शीरा की उपलब्धता पर निर्भर है, जो भिन्न-भिन्न वर्षों में भिन्न-2 होता है। उ०प्र०, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा जैसे राज्य अन्य राज्यों को परम्परागत रूप से अल्कोहल की आपूर्ति कर रहे हैं। इस वर्ष भी उन्होंने अन्य राज्यों को अलकोहल दिया है।

औद्योगिक विकास के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों से उद्योग को छूट

3380. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारता की नीति के कुछ उपायों के रूप में और उद्योगों के विकास के लिए कुछ उद्योगों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के कुछ उपबन्धों से छूट दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उद्योगों का ब्यौरा क्या है और उन उद्योगों ने अभी तक क्या प्रगति की है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख). एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22क के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 22-5-1985 (पूर्व अधिसूचना दिनांक 6-5-1983 का अधिक्रमण करते हुए) "उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता" के कतिपय उद्योगों को, जो इस प्रकार से अन्यथा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों द्वारा उक्त अधिनियम के नियंत्रणकारी उपबन्धों के अन्तर्गत प्राप्त करना अपेक्षित है, को अनुमोदन की अपेक्षाओं से मुक्त किया गया था। इस प्रकार मुक्त किए गए उद्योगों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए जाते हैं।

उन मामलों की संख्या जिनमें उपर्युक्त निर्दिष्ट मुक्ति अधिसूचना के जारी होने की तारीख से, 31-7-1985 तक ली गई है तथा वे उद्योग, जिनसे इस प्रकार के प्रस्ताव सम्बद्ध हैं, अगले पृष्ट पर दिए जाते हैं :

उद्योग का नाम	मामलों की संख्या
ढालकर और पीटकर बनाई गई वस्तुयें	1
अनुकल्पों ऊर्जा युक्तियों और पद्धतियों	1
इलैक्ट्रानिक संघटक और उपस्कर	28
मोटर चालित दो/तीन/चार पहियों वाले वाहन	3
मोटर संघटक पुर्जे और अनुषंगी	7
प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर	1
औद्योगिक वाल्व	1
मुद्रण मशीनरी	1
खनिज तेल/प्राकृतिक गैस के वेधन और उत्पादन के लिए औद्योगिक मशीनरी	1
तेल क्षेत्र सेवायें	8
इनआर्गनिक उर्वरक	2
पोर्टलैन्ड सीमेंट	3
योग	57

विवरण

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22क के अन्तर्गत मुक्त "उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता" के उद्योगों की सूची :

1. कच्चा लोहा।
2. ढालकर और पीटकर बनाई गई वस्तुयें।
3. अनुकल्पी उर्जा युक्तियां और पद्धतियां।
4. पारेषण लाइन टावर।
5. विद्युत मोटरें और स्टार्टर।
6. अन्तर्दहन इन्जन।
7. नीचे सूचीबद्ध इलैक्ट्रानिक संघटक और उपस्कर :
   - (i) इलैक्ट्रानिक संघटक जो इलैक्ट्रानिक उद्योग के लिए अपेक्षित हैं विनिर्दिष्ट प्रकार की एकीकृत सर्किटों से भिन्न जैसे बी. एल. एस. और आई. एस. आई.,
   - (ii) कम्प्यूटर पेरिफेरल,
   - (iii) कम्प्यूटर साफ्टवेयर,
   - (iv) कम्प्यूटरों और वीडियो उपस्कर में उपयोग के लिए चुम्बकीय टेप, कम्प्यूटरों के लिए हार्ड डिस्कें, फ्लापी डिस्कें और डिस्केट्स,

(v) परीक्षण और मापन उपकरण,

(vi) इलैक्ट्रानिकी के लिए सामग्री,

(vii) कम्प्यूटर,

(viii) प्रसारण उपस्कर,

(ix) नियंत्रण उपस्करण और औद्योगिक और वृत्तिक इलैक्ट्रानिकी,

(x) संसूचना उपस्कर।

टिप्पणी : उपरोक्त इलैक्ट्रानिक संघटकों और उपस्करों के संबन्ध में छूट तभी उपलब्ध होगी जब एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार गृह उर्ध्वरूप से एकीकृत मूल उत्पादन सुविधायें प्रदान करता है, उपरोक्त छूट प्राप्त मतों के सम्बन्ध में आयातित्त किटों से केवल समर्जन कार्य करने के लिए अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

8. मोटर चालित दो/तीन/चार पहियों वाले वाहन।

9. मोटर संघटक, पुर्जे और अनुषंगी।

10. प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर।

11. प्रसंस्करण पम्प।

12. अपशिष्टों के पुन: चक्रण के उपयोजन के लिए प्रसंस्करण उपस्कर।

13. रसायन प्रक्रिया संयंत्र।

14. रसायन उद्योग के लिए मशीनरी जो नीचे सूचीबद्ध है :

(i) विभेदन डिस्कें,

(ii) विशेष वातीय अन्शमापक,

(iii) कारबेट पम्प,

(iv) अपकेन्द्री गैस संपीडक।

15. वायु संपीडक।

16. औद्योगिक वाल्व।

17. डेरी उद्योग उपस्कर, अर्थात् समागित।

18. मुद्रण मशीनरी जो नीचे सूचीबद्ध है :

(i) रोलचड़ी उच्च गति लैटर प्रेस रोटरी और आफसेट रोटरी मुद्रण मशीनें जिनको प्रति घंटा उत्पादन 30,000 या अधिक छाप है, अर्थात् सिलिंडर गति, 30,000 प्रति घंटा है।

(ii) फ्रेटो/कम्पोजिंग टाइप सैटिंग मशीनें और अनुषंगिक कोबोर्ड सम्पादन टर्मिनल्स और फिल्म कागज प्रसंकरण,

(iii) चार रंग/दो रंग आफ सैट मशीनें।

19. मशीन औजार।

20. औजार कक्ष उत्पाद।

21. खनिज तेल/प्राकृतिक गैस के वेधन और उत्पादन के लिए औद्योगिक मशीनरी ।

22. विशिष्ट तेल उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता वाले यूनिटों के लिए 10,000 डी. डब्ल्यू. टी. तक के मशीनीकृत चलत जलयान ।

23. तेल क्षेत्र सेवायें ।

24. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में "18-उर्वरकों" के अधीन अकार्बनिक उर्वरक जिसके अन्तर्गत वह उर्वरक उद्योग नहीं है जो सिंगल सुपर फास्फेट का कारबार करता है ।

25. औषधियां-औषधि मध्यक: आधारी-स्तर से उच्च प्रौद्योगिकी प्रपुंज-औषधियां और उन पर आधारित सूत्र योग जिनमें (अपने विनिर्माताओं से) प्रपुंज औषधि उपभोग और सभी स्रोतों से सूत्रयोग के बीच समग्र अनुपात 1:5 है, जो नीचे सूचीबद्ध है : —

(i) रिफेम्पिसिन,
(ii) डेपसोन,
(iii) कलोफेजोमिन,
(iv) प्रीमाक्विन,
(v) ई एम एम ई (इथोक्सि मैथिलीन मैलोनिक एस्टर),
(iv) नोवलडाइमाइन,
(iiv) इनसुलिन,
(viii) कैन्सर रोधी औषधि,
(ix) विटामिन-बी-6,
(x) नार्जेस्ट्रल,
(xi) पिपेरेजीन,
(xii) देश में अनुसंधान के माध्यम द्वारा विकसित नई प्रपुंज औषधियां ।

26. अखबारी कागज ।

27. पोर्टलैंड सीमेन्ट ।

दूर संचार नेटवर्क में सुधार

3381. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त देश में जहां दूर संचार तथा दूरदर्शन नेटवर्क प्रगति पर है वहां शीघ्र संचार तथा अन्य माध्यमों में उपग्रह उपकरण का प्रयोग करने के लिए इसकी लागत क्या होगी;

(ख) क्या सरकार पुरानी भूमिगत केबल प्रणाली जो इन समाचार माध्यमों में बार-बार खराबी का प्रमुख कारण है, को त्याग देने में सफल होगी; और

(ग) क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत रूस जैसे विकसित देशों की तकनीकी सहायता से कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) क्षमता की सीमाओं के अलावा तकनीकी व्यवहार्यता दोनों को मद्देनजर रखते हुए दूरसंचार नेटवर्क के लिए उपग्रह उपस्कर का नितांत प्रयोग व्यवहार्य नहीं है ।

(ख) नेटवर्क में भूमिगत केबिल का समूची पुरानी प्रणाली को हटा देना संभव नहीं है क्योंकि नई केबिलों द्वारा उनको बदलने पर अत्यधिक खर्च आएगा ।

(ग) देश में पर्याप्त तकनीकी सुविधा मोजूद है । विविध अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के तत्वावधान में विकसित देशों के साथ तकनीकी जानकारी का निरंतर आदान-प्रदान किया जाता है ।

लघु और मध्यम दर्जे के उपक्रमों को संरक्षण

3382. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लघु और मध्यम दर्जे के उपक्रमों को प्रोत्साहन और समुचित संरक्षण देने के लिए सरकार ने लघु और मध्यम दर्जे के उपक्रमों को किसी किस्म की सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): (क) और (ख) लघु क्षेत्र को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए अनेक उद्योगों को केवल लघु क्षेत्र में ही विकास हेतु आरक्षित कर दिया गया है। पहले से ही आरक्षित वस्तुओं/मदों का उत्पादन कर रहे औद्योगिक उपक्रमों के मामले में उनकी क्षमता को आरक्षण करने की तारीख से पहले उनके द्वारा प्राप्त किए गए उत्पादन स्तर पर ही स्थिर कर दिया जाता है । मझौले और बड़े एककों को लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाती है, जब तक कि वे उत्पादन का कम से कम 75 प्रतिशत का पर्याप्त निर्यात करने का दायित्व नहीं लेते ।

मझौले उद्यमों को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से बड़े घरानों और विदेशी कंपनियों को केवल उन्हीं उद्योगों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है जो कि परिशिष्ट-1 में शामिल हैं और परिशिष्ट-1 से इतर उद्योगों में प्रवेश करने के लिए ऐसी कम्पनियों से प्राप्त प्रस्तावों पर पर्याप्त निर्यात दायित्व को ध्यान में रख कर गुणावगुण के अधार पर बिचार किया जाता है ।

चीनी यन्त्र उद्योग में मन्दी

3383. **प्रो० रामकृष्ण मोरे**
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही } : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी यन्त्र उद्योग को मन्दी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो चीनी यन्त्र उद्योग की पर्याप्त मांग सृजित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का चीनी यन्त्र उद्योग को अद्यतन प्रौद्योगिकी उपलब्ध करने में प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) यद्यपि 1983 की तुलना में 1984 के दौरान उत्पादन में मामूली सी गिरावट आई थी लेकिन उद्योग में मन्दी नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां । चीनी मशीन उद्योग के लिए नवीनतम तथा आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के आयात को सरकार पहले ही प्रोत्साहन दे रही है।

गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए विश्वव्यापी टेंडर

3385. **श्री अनादि चरण दास** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पाइप लाइन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विश्वव्यापी टेंडर मंगवाए गए हैं;

(ख) इस प्रकार की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस समय गैस पाइपलाइन बिछाने की विभिन्न परियोजनाओं के कार्य में लगी हुई विदेशी/भारतीय कम्पनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या श्रम जन शक्ति (विशेषज्ञों आदि को छोड़कर) संबंधी आवश्यकताओं को देश के भीतर से ही पूरा करना अनिवार्य किया गया है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा): (क) से (ग) हाजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर (एच बी जे) गैस पाइप लाइन परियोजना के संबंध में गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) द्वारा इस परियोजना के लिए आवश्यक लाइन पाइपों के लिए अप्रैल, 1984 में जारी किए गए विश्वव्यापी टेण्डरों के आधार पर जापान, ब्राजिल, पश्चिम जर्मनी तथा इटली के सम्भरकों को आर्डर दिए हैं । पाइप लाइन को बिछाने के संबंध में गेल द्वारा जून-जुलाई, 1985 में विश्वव्यापी टेण्डर जारी किए गए । टेण्डरों के लिए बोली देने की आखिरी तारीख 27 अगस्त है ।

पश्चिमी अपतट पर साऊथ बेसिन से हाजीरा तक पाइप लाइन बिछाने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने विश्वव्यापी टेण्डर आमंत्रित किए हैं, 4 पार्टियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । जनवरी, 1984 में न्यूनतम बोली देने वाले मैसर्स इस्सर ब्राऊन एण्ड रूट (इंडिया) लिमिटेड, ब्राऊन एण्ड रूट इन्टरनेशनल इन-कारपोरेटेड, तथा इस्सर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को ठेका दिया गया । साऊथ बेसिन से अम्बाटर लैण्डफाल प्वाइंट तक सबमेटिन पाइप लाइन का भाग मई, 1985 में पूरा कर लिया गया । अम्बारट से हाजीरा तक 14 किलो मीटर की तटवर्ती पाइप लाइन बिछाने का काम मैसर्स डोडसल द्वारा किया जा रहा है । आशा है कि यह कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा ।

करारों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अनुसार मजदूरी/ जनशक्ति की आवश्यकताओं को देश में से ही पूरा करने की बाध्यता हो।

उड़ीसा में भू-केन्द्र/उपग्रह केन्द्र की स्थापना

3386. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में भू-केन्द्रों/उपग्रह केन्द्रों के प्रभावपूर्ण उपयोग द्वारा राज्य में दूरसंचार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ख) उड़ीसा में ये भू-केन्द्र/ उपग्रह केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किये गये हैं और निकट भविष्य में इनका किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) देश के अन्य बड़े शहरों अर्थात बंबई, दिल्ली और मद्रास में विश्वसनीय उपग्रह सर्किट प्रदान करने के लिए भुवनेश्वर में एक उपग्रह भू-केन्द्र की स्थापना पहले ही कर दी गई है।

(ख) भुवनेश्वर के अतिरिक्त, फूलबनी में भी एक उपग्रह भू-केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

एच० एम० टी० घड़ियों की बिक्री और निर्यात

3387. **श्री ई० अयप्पु रेड्डी** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान एच० एम० टी० घड़ियों की कुल कितने मूल्य की बिक्री हुई;

(ख) एच० एम० टी० में कितने किस्म की घड़ियां बनाई जाती हैं; और

(ग) क्या घड़ियों का निर्यात किया जाता है ? और यदि हां, तो कितना ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) 45.86 लाख घड़ियां जिनका अनन्तिम मूल्य 120.53 करोड़ रु० है।

(ख) इस समय 98 माडलों और 206 रूपान्तरों का उत्पादन किया जा रहा है।

(ग) एच०एम०टी० की घड़ियों का उत्पादन मुख्यतः आंतरिक मांग को पूरा करने के लिए होता है। केवल सीमित मात्रा में निर्यात किया जा रहा है। 1984-85 में 81.42 लाख रु० मूल्य की एच० एम० टी० घड़ियों का निर्यात किया गया था।

आंध्र प्रदेश में सीमेंट कारखानों द्वारा क्षमता का उपयोग

3388. **श्री ई० अयप्पु रेड्डी** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में स्थित सीमेंट कारखानों की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) आंध्र प्रदेश में 1984-85 के दौरान सीमेंट का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) देश में सीमेंट के कुल उत्पादन की तुलना में आंध्र प्रदेश में सीमेंट का कुल उत्पादन कितना प्रतिशत है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): (क) आज की तारीख में 65.06 लाख मी० टन प्रतिवर्ष ।

(ख) 46.83 लाख मी० टन ।

(ग) 1984-85 में 15.52 प्रतिशत ।

भारतीय तेल निगम लिमिटेड की शोधन क्षमता

3389. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **पेट्रोलियम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम लि० की कुल शोधन क्षमता क्या है;

(ख) क्या भारतीय तेल निगम ने पिछले तीन वर्षों के दौरान और अधिक मात्रा में कच्चे तेल का परिशोधन किया है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय तेल निगम द्वारा 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में कुल कितने टन का परिशोधन किया; और

(घ) तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा): (क) 20.45 एम. टी. पी. ए. ।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

("000 मी० टनों में)

तेल शोधक कारखाने का नाम	1982–83	1983–84	1984–85
आई०ओ०सी०, गौहाटी	802	871	761
आई०ओ०सी०, बरौनी	3071	2907	2896
आई०ओ०सी०, गुजरात	7089	7331	7777
आई०ओ०सी०, हल्दिया	2503	2580	2365
आई०ओ०सी०, मथुरा	3844	5223	6239
आई०ओ०सी०, डिग्बोई	521	549	531
योग	17830	19461	20569

सातवीं पंचवर्षीय योजना में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की अनुसंधान परियोजनाएं

3390. **श्री के० प्रधानी :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का मूलपरिव्यय कितना है;

(ख) उक्त योजना अवधि में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का संशोधित योजना परिव्यय कितना है; और

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग की उन अनुसंधान परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें सरकार ने सातवीं योजना में क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा): (क) पेट्रोलियम पर कार्यकारी दल ने सातवीं योजनावधि के दौरान हाईड्रोकार्बनों का पता लगाने व उनके उपयोग हेतु तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए 17609.06 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय का प्रस्ताव किया है।

(ख) सातवीं योजना के परिव्यय को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही इस सम्बन्ध में ब्यौरे उपलब्ध होंगे।

केरल में खाना पकाने की गैस के सिलिन्डरों का निर्माण करने वाले एककों द्वारा अनुभव की जा रही विपणन समस्याएं

3391. **श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों का निर्माण करने वाले एककों द्वारा अनुभव की जा रही विपणन समस्याओं से केरल सरकार ने उनके मंत्रालय को अवगत कराया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का यह देखने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है कि केरल में सक्षम एककों को मंजूर शुदा एककों का दर्जा दिया जाए ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) जिन एककों ने सभी प्रकार की अनुमतियां ले ली हैं, तेल-उद्योग उनका मूल्यांकन इसलिए करेगा ताकि वे 1986-87 में उद्योग की सिलिंडरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पात्र हो सकें।

कालीकट में अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज को चालू करना

3392. **श्री एम० रामचन्द्रन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट में अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज को चालू करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ख) इसके किस तारीख तक चालू होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कालीकट में अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज चालू करने में कोई विलंब नहीं हुआ है।

(ख) कालीकट में 22.7.1985 से अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज पहले ही चालू हो गया है।

विशिष्ट रिफरेक्टरीज के निर्माण के लिए केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम के आशय-पत्र की वैधता की अवधि बढ़ाना

3393. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम ने विशिष्ट रिफरेकटरीज के निर्माण के लिए आशय-पत्र की वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सरकार को आवेदन किया है;

(ख) क्या केरल सरकार ने वैधता की अवधि बढ़ाने की जोरदार सिफारिश की है और यदि हां, तो इसके लिए क्या कारण बताए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय किया गया और यदि नहीं, तो निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम ने विशेष ताप सह वस्तुओं का निर्माण करने के लिए आशय पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने के वास्ते मार्च, 1985 में सरकार को आवेदन दिया है।

(ख) केरल सरकार ने निम्नलिखित आधार पर समय बढ़ाने की सिफारिश की हैं :-

(1) विदेशी सहयोग की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है;

(2) निगम ने पूंजीगत माल की अनुमति के लिए तथा अणु, उर्जा विभाग से अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए थे;

(3) परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को जनवरी, 1985 में अंतिम रूप दिया गया था;

(4) निगम द्वारा संयंत्र और मशीनों के स्वामित्व वाली वस्तुओं की आपूर्ति करने के बारे में तकनीकी सहयोगियों के साथ पत्र-व्यवहार किया गया था और तैयार किये गये संविदा का मसौदा स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेज दिया गया है;

(5) परियोजना प्रस्ताव को राज्य सरकारी उद्यम बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान कर दी थी और राज्य सरकार भी परियोजना को राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित करने के लिए एक नई कंपनी बनाने हेतु कदम उठा रही है;

(6) परियोजना के लिए भूमि अभिग्रहीत करने की कार्यवाही की जा रही है।

(घ) केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार आशय पत्र की वैधता अवधि 1-4-1985 से 30-9-1985 तक अर्थात 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है।

पत्रों की छंटाई के लिए नई पद्धति आरम्भ करना

3394. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पत्रों की छंटाई के लिए अभी हाल ही में एक नई पद्धति शुरु की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इसके कार्यकरण से संतुष्ट है;

(घ) यदि हां, तो क्या नई पद्धति के देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरु किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में परियात की मात्रा अधिक न होने के कारण इस प्रकार की प्रणालियों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

कच्चे तेल के उत्पादन में कमी

3395. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अनेक वर्षों के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में उल्लेखनीय कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन का राज्यवार, वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वित्तीय वर्ष में कच्चे तेल का उत्पादन कितना कम होने का अनुमान है; और

(ग) उन नए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां आगामी वर्षों में तेल की खोज की जाएगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) छठी योजनावधि के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन के लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे दर्शाये गये हैं :

(आंकड़े मि० मी० टनों में)

वर्ष	छठी योजना के लक्ष्य	उपलब्धि
1980-81	13.10	10.51
1981-82	16.90	16.19
1982-83	20.50	21.06
1983-84	21.30	26.02
1984-85	21.60	28.99

(ख) कच्चे तेल के उत्पादन के वर्षवार/राज्यवार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

(आंकड़े "000" मी० टनों में)

वर्ष	असम	अरुणाचल प्रदेश	गुजरात	अपतटीय
1980-81	1,712	2	3,808	4,985
1981-82	4,795	2	3,422	7,975
1982-83	5,000	1	3,185	12,877
1983-84	5,009	31	3,588	17,392
1984-85	4,893	51	3,910	20,136

चालू वर्ष के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य 30.14 मि० मी० टन था जिसे प्राप्त कर लिये जाने की आशा है।

(ग) वर्ष 1985-86 में निम्नलिखित नये क्षेत्रों में तेल की खोज करने का प्रस्ताव है :

तटीय क्षेत्र :

गुजरात
राजस्थान
हिमाचल प्रदेश
जम्मू-कश्मीर
पश्चिम बंगाल
असम
नागालैण्ड
त्रिपुरा
आंध्र प्रदेश
तमिलनाडु
उड़ीसा

अपतटीय क्षेत्र :

पूर्वी समुद्र तट

पश्चिमी समुद्र तट

अंडमान

6 ए०पी० ए० का मूल्य

3396. **श्री सोमजी भाई डामर : क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 6 एपीए के स्वदेशी उत्पादन का कितना मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ख) 6 एपीए के निर्माण में पेंसिलीन को किस मूल्य पर निवेश के रूप में प्रयोग करने का हिसाब लगाया गया है;

(ग) क्या पेंसिलीन का आधार मूल्य जिसके आधार पर 6 एपीए का मूल्य निर्धारित किया गया है, उद्योग को उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार की कार्यवाही किस प्रकार न्याय संगत है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) देश में ही उत्पादित 6-ए०पी०ए० का मूल्य रु. 2100/- कि०ग्रा० निर्धारित किया गया है।

(ख) से (घ) स्वदेशी मूल्य का निर्धारण आई०डी०पी०एल० द्वारा पेन्सिलिन के उत्पादन की लागत के आधार पर किया गया था। आई०डी०पी०एल० और एच०ए०एल० दोनों सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम 6ए०पी०ए० के स्वदेशी उत्पादकों को पोटाशियम पेन्सिलिन जी फर्स्ट क्रिस्टलस की रु०500 प्रति बी०यू० के रियायती मूल्य पर पूर्ति करने पर सहमत हैं।

नए उद्यमियों को लाइसेंस देने में विलम्ब

3397. **श्री एच०जी० रामुलु : क्या उद्योग और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक लाइसेंस नीति के सरलीकरण के बाद भी कई नए उद्यमी अपने विभिन्न आवेदनों के लिए ठीक समय पर उचित उत्तर पाने में बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं और उसके परिणामस्वरूप लाइसेंसों को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में विलम्ब होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) कितने आवेदन पिछले चार महीनों अथवा उससे अधिक समय से निपटान हेतु लम्बित हैं;

(घ) किन-किन क्षेत्रों के लिए लाईसेंस उद्योग-वार दिए जा रहे हैं अथवा दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) ऐसे प्रत्येक आवेदन पर शीघ्रता से कार्यवाही करने तथा अंतिम रूप देने हेतु आगे क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में जन सम्पर्क और शिकायत अधिकारी की देख-रेख में एक उद्यमिता सहायता एकक कार्य कर रहा है। यह एकक विभाग द्वारा औद्योगिक लाइसेंस देने सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर जारी किए गए प्रेस नोटों और अधिसूचनाओं की प्रतियां उद्यमियों को उपलब्ध कराता है। जन सम्पर्क और शिकायत अधिकारी औद्योगिक लाइसेंस देने, विदेशी सहयोग, पूंजीगत माल का आयात करने, अनिवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और सम्बद्ध विषयों सम्बन्धी नीति और कार्यविधियों के सम्बन्ध में सलाह और स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। उद्यमियों को "पोजीशन स्लिप" की प्रणाली द्वारा औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में अनिर्णीत आवेदन-पत्रों की स्थिति का पता लगाने की सुविधाएं दी गई हैं।

(ग) 1-1-1985 को, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के उपबन्धों के अधीन आशय पत्रों की मंजूरी के लिए प्राप्त 773 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन विचारण की विभिन्न अवस्थाओं में थे।

(घ) विभिन्न उद्योगों के कार्य क्षेत्र और संभावनाओं से सम्बन्धित ब्यौरा समय-समय पर संशोधित भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित "गाइडलाइन्स फार इण्डस्ट्रीज" नामक प्रकाशन में दिया जाता है।

(ङ) सरकार अनिर्णीत पड़े सभी औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए बराबर प्रयत्नशील है। यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यविधियों को सुप्रवाही बनाया गया है।

[हिन्दी]

न्यायिक पद्धति में सुधार

3398. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान न्याय में विलंब और न्याय मंहगा होने की वर्तमान न्याय पद्धति की कमियों के बारे में भारत के नये मुख्य न्यायमूर्ति और उनके पूर्ववर्ती मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा हाल ही में व्यक्त किए गए विचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो न्याय को निर्धन और साधारण जनता की पहुंच के भीतर लाना और उसमें विलंब न होने देने के लिए उक्त कमियों को दूर करने के बारे में नई सरकार के क्या विचार हैं; और

(ग) न्याय पद्धति में किस प्रकार के सुधार करने या उसे किस प्रकार का नया रूप देने का विचार है और क्या ऐसा करने के लिए कोई समयावधि निश्चित की गई है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ग) सरकार को भारत के पूर्व और वर्तमान मुख्य न्यायमूर्तियों के प्रकाशित हुए विचारों का पता लगा है। सरकार न्याय प्रशासन को चुस्त बनाने की आवश्यकता के प्रति पूर्णतः जागरूक है। तथापि, नवें विधि आयोग ने विचारण न्यायालयों में विलंब और बकाया मामलों पर अपनी 77वीं रिपोर्ट में यह मत व्यक्त किया है कि देश में प्रचलित न्याय प्रशासन पद्धति मूल रूप से अच्छी है और कुल मिलाकर उपयुक्त है। न्यायिक सुधार की प्रक्रिया एक निरन्तर प्रक्रिया है और वह कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है। इसका उद्देश्य न्याय प्रशासन पद्धति को, सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों और बदलती आवश्यकताओं, निर्धन तथा सामान्य जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप बनाना है। सरकार सामान्य व्यक्ति को शीघ्र, निष्पक्ष और बहुत कम खर्चीला न्याय दिलाने के प्रयोजन के लिए एक न्यायिक सुधार आयोग का गठन करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।

[अनुवाद]

चीन और पाकिस्तान द्वारा आधुनिक हथियार जमा किया जाना

3399. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन और पाकिस्तान, देशों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार आधुनिक हथियार जमा किए जाने से भारत की उत्तरी सीमा पर खतरा पैदा हो गया है;

(ख) क्या चीन ने दर्जनों सड़कें बनाई हैं और तेल ले जाने के लिए तिब्बत में ल्हासा तक एक पाइप लाइन बिछाई है और उस क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सीमा पर संभावित आक्रमण का सामना करने हेतु भारत सरकार द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान अमेरिका सहित कई देशों से अत्याधिक हथियार खरीद रहा है। लेकिन हमारे पास इस बात की ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे यह पता चल सके कि पाकिस्तान या चीन द्वारा हमारी उत्तरी सीमाओं में अत्याधुनिक हथियारों का असामान्य जमाव किया जा रहा है।

(ख) चीन ने कुछ राजमार्ग और सहायक मार्ग बनाए हैं जो तिब्बत को चीन की मुख्य भूमि से जोड़ते हैं। लेकिन इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ल्हासा को मुख्य भूमि से रेल द्वारा जोड़ दिया गया है। हमें इस बात की भी जानकारी है कि गोरमों और ल्हासा के बीच एक तेल पाइप लाइन बिछाई गई है।

(ग) सरकार उन सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखती है जिनका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और पूरी रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उचित उपाय करती है।

[हिन्दी]

डाक विभाग के लिए प्रस्तावित धनराशि में कमी

3400. **श्री राज कुमार राय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने अपने मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समिति की बैठक में यह स्वीकार किया था कि योजना आयोग ने उनके मंत्रालय द्वारा डाक विभाग के लिए प्रस्तावित धनराशि में 50% की कमी कर दी है, जैसा कि समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) क्या मंत्रालय ने पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए इस मामले को योजना आयोग के साथ उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) डाक विभाग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 610.72 करोड़ रुपए के परिव्यय की मांग प्रस्तुत की थी जिसमें से योजना आयोग ने 295 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

(ख) डाक विभाग ने योजना आयोग के साथ अपनी बैठकों में तथा पत्र-व्यवहार के दौरान 450 करोड़ रुपये के आबंटन के लिए प्रयत्न किए।

[अनुवाद]

कम्पनियों द्वारा तिपहिया स्कूटरों की बुकिंग दर पर ली जाने वाली प्रारम्भिक राशि में कमी करना

3401. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कम्पनियों द्वारा दुपहिया स्कूटरों के आबंटन के लिए जनता से 500 रुपये की राशि एकत्र की जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग के लोग यह प्रारम्भिक जमा राशि देने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं; और

(ग) चूंकि ये वाहन पंजीकृत व्यक्तियों को 4-5 वर्षों की अवधि के बाद दिए जायेंगे इसलिए क्या सरकार कम्पनियों की प्रारम्भिक राशि घटाकर 100 रुपये करने के निर्देश देगी ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

तेज गति वाले प्रक्षेपास्त्र

3402. **श्री पी० आर० कुमार मंगलम्** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रक्षा सेवाओं के पास कम ऊंचाई पर उड़ने/तेज गति से चलने वाले विमानों को मार गिराने की क्षमता वाले प्रक्षेपास्त्र हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे प्रक्षेपास्त्र और तत्संबंधी प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जवानों तथा अफसरों के वेतन तथा राशन सुविधाओं में अन्तर

3403. **श्री प्रिय रन्जन दास मुन्शी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1985 को एन सी ओ, जे सी ओ तथा सीनियर कमीशण्ड अफसरों का वेतन तथा राशन सुविधायें क्या हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त रैंकों को दी जा रही राशन सुविधाओं की गुणवत्ता एवं मात्रा के बारे में अलग-अलग नियम हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सेना के जनरल ड्यूटी अफसरों और उनके नीचे के कार्मिकों के लिए 31.3.1985 को स्वीकृत वेतन-मानों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

फील्ड क्षेत्र में तैनात किये जाने पर सभी रैंकों के सेना अफसरों तथा अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों को चाहे वे फील्ड क्षेत्र में तैनात हों या शान्ति क्षेत्र में मुफ्त राशन दिया जाता है। शान्ति क्षेत्र में भेजे जाने पर ब्रिगेडियर के रैंक तक के अफसरों को भी मुफ्त राशन की सुविधा दी जाती है। अफसर तथा अफसर रैंक से नीचे के सैनिक जब मैसों में भोजन करते हैं, तो उन्हें पका हुआ खाना दिया जाता है।

(ख) यद्यपि अफसरों और जवानों को दिये जाने वाले राशन की दरें अलग-अलग होती हैं लेकिन इन दोनों को दिये जाने वाले सामान का स्तर एक जैसा होता है।

(ग) अफसरों और जवानों के लिए राशन की ये अलग-अलग दरें चिकित्सा अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके उनकी खाद्य आदतों और प्रभावी रूप से अपनी ड्यूटी करने के लिए अपेक्षित पौष्टिक आहार को ध्यान में रख कर निर्धारित की गई हैं।

विवरण

सेना		नौसेना		वायुसेना	
रैंक	वेतनमान (रु० प्रतिमाह)	रैंक	वेतनमान (रु० प्रतिमाह)	रैंक	वेतनमान (रु० प्रतिमाह)
सैकिन्ड लेफ्टिनेंट	750-40-790	एक्टिंग सब-लेफ्टि०	750	पायलट आफिसर	750-40-790
लेफ्टिनेंट	830-40-950	सब-लेफ्टिनेंट	830-40-870	फ्लाइंग आफिसर	830-40-950
कैप्टन	1100-50-1550	लेफ्टिनेंट	1100-50-1450	फ्लाइंग लेफ्टिनेंट	1100-50-1550
मेजर	1450-50-1700	ले० कमाण्डर	1550-50-1700	स्क्वाड्रन लीडर	1450-50-1750
	1700-1750-1800		1700-1750-1800		1700-1750-1800
चयन ग्रेड (वास्तविक नफरी का 20%)	1800-50-1900	चयन ग्रेड (वास्तविक नफरी का 20%)	1800-50-1900	चयन ग्रेड (वास्तविक नफरी का 20%)	1800-50-1900
लेफ्टि० कर्नल	1700-50-1950	कमाण्डर	1800-50-1900	विंग कमाण्डर	1750-50-1950
(समयमान)	1900	(समयमान)	1900	(समयमान)	1900
चयन ग्रेड (वास्तविक नफरी का 10%)	2000-50-2100	चयन ग्रेड (वास्तविक नफरी का 10%)	2000-50-2100	चयन ग्रेड (वास्तविक नफरी का 10%)	2000-50-2100
कर्नल	1950-75-2175			ग्रुप कैप्टन	1950-75-2175
ब्रिगेडियर	2200-100-2400	कैप्टन	1950-75-2100-100-2400	एयर कमोडोर	2200-100-2400
मेजर जनरल	2500-125/2-2750	रियर एडमिरल	2500-125/2-2750	एयर वाइस मार्शल	2500-125/2-2750
लेफ्टि० जनरल	3000	वाइस एडमिरल	3000	एयर मार्शल	3000
(आर्मी कमांडर/ जी ओ सी-इन सी)	3250	सह-नौसेनाध्यक्ष/ एफ ओ सी-इन सी	3250	सह-वायुसेनाध्यक्ष/ ए ओ सी-इन सी	3250
थलसेनाध्यक्ष (जनरल)	4000	नौसेनाध्यक्ष (एडमिरल)	4000	वायुसेनाध्यक्ष (एयर चीफ मार्शल)	4000

अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के वेतनमान दर्शाता हुआ विवरण

थलसेना :

(i) कमीशन अफसर के रूप में आनरेरी रैंक के साथ जूनियर कमीशन अफसर

	रु० प्रतिमाह
आनरेरी लेफ्टिनेंट	1,000
आनरेरी कैप्टन	1,100

(ii) जूनियर कमीशन अफसर (ए एम सी की विशेष चिकित्सा सेक्शन और वेटरनरी सहायक सर्जनों के जूनियर कमीशन अफसरों के अलावा)

ग्रुप	नायब सूबेदार	सूबेदार	सूबेदार मेजर
	रु० प्रतिमाह	रु० प्रतिमाह	रु० प्रतिमाह
क	455-15-545	545-20-665	700-25-800
ख	395-15-485	495-20-615	650-25-750
ग	370-15-460	480-20-600	650-25-750
घ	360-15-450	470-20-590	650-25-750
ङ	345-15-435	445-20-565	600-25-700

(iii) प्रशिक्षित सिपाहियों का वेतन एन सी ओ और उससे नीचे

ग्रुप	हवलदार	नायक	सिपाही
	रु० प्रतिमाह	रु० प्रतिमाह	रु० प्रतिमाह
क	325-8-405	280-6-340-8-356	265-5-325
ख	275-8-355	235-6-295-8-311	215-5-275
ग	255-8-335	220-6-280-8-296	205-5-265
घ	250-8-330	215-6-275-8-291	200-5-260
ङ	240-8-320	205-6-265-8-281	190-5-250

नौसेना (नाविक) :

रैंक	आर्टिफिसर मैकेनिशयन ग्रुप 'क' (रु० प्रतिमाह)
प्रशिक्षु पहला वर्ष	195
प्रशिक्षु द्वितीय वर्ष	200
प्रशिक्षु तृतीय वर्ष	205
प्रशिक्षु चतुर्थ वर्ष	210
आर्टिफिसर/मैके० V श्रेणी	240-6-246
आर्टिफिसर/मैके० IV श्रेणी (एक्टिंग)	300-8-308
आर्टिफिसर/मैके० IV श्रेणी	340-8-356
आर्टिफिसर/मैके० III श्रेणी	391-10-441
आर्टिफिसर/मैके० II श्रेणी	435-10-485
आर्टिफिसर/मैके० I श्रेणी	500-10-550
चीफ आर्टिफिसर मैके०	565-15-640
एम सी पी ओ II	620-20-740
एम सी पी ओ I	725-25-825

नान-आर्टिफिसर

रैंक	ग्रुप 'ख'	ग्रुप 'ग'	नौसेना विमानन और सब-मैरीन आर्मस्
	रु० प्रतिमाह	रु० प्रतिमाह	रु० प्रतिमाह
प्रशिक्षण ले रहे सीमैन	215	200	245
सी मैन II	230-6-242	210-5-225	255-6-267
सीमैन I	240-6-312	220-5-280	285-7-369
लीडिंग सीमैन	250-6-310-8-326	235-6-295-8-311	310-7-380-8-396
पेटी अफसर	300-8-380	300-8-380	360-8-440
चीफ पेटी अफसर	385-15-475	385-15-475	455-15-545
एम सी पी ओ II	480-20-600	480-20-600	550-20-670
एम सी पी ओ I	600-25-700	600-25-700	650-25-750

वायुसेना (एयरमैन) :

रैंक	ग्रुप I	ग्रुप II	ग्रुप III	ग्रुप IV
ए सी	290	250	223	203
एल ए सी	330-7-414	285-7-369	240-6-312	215-5-275
सी पी एल	350-6-420-8-436	310-7-380-8-396	250-6-310-8-326	230-6-290-8-306
एस जी टी	420-10-520	360-8-440	300-8-380	300-8-380
एफ एस जी टी/जि डब्ल्यू ओ	520-15-610	455-15-545	385-15-475	385-15-475
डब्ल्यू ओ	620-20-740	550-20-670	480-20-600	480-20-600
एम डब्ल्यू ओ	725-25-825	650-25-750	600-25-700	600-25-700

आनरेरी कमीशन प्राप्त वारन्ट अफसर और मास्टर वारन्ट अफसर

आनरेरी फ्लाइंग अफसर	1,000 रुपये प्रतिमाह
आनरेरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट	1,100 रुपये प्रतिमाह

टायर उद्योग में घाटा

3404. **श्री चित्त महाटा :** क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टायर उद्योग को घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह घाटा किस वर्ष से हो रहा है और भारतीय टायर उद्योग को पिछले तीन वर्षों में कितना घाटा हुआ है; और

(ग) टायर उद्योग को इन वर्षों में घाटा होने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) आटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार टायर कम्पनियों के प्रकाशित लेखों से पता चलता है कि उद्योग को वर्ष 1982 में 27.54 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था और वर्ष 1983 में 3.79 करोड़ रुपये और वर्ष 1984 में 60.10 करोड़ रुपये की संचालनात्मक हानि हुई थी। वर्ष 1983 और 1984 में उद्योग को यह हानि टायरों के अलाभकारी मूल्यों के कारण हुई बताते हैं।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए आदिवासी भारतीयों को सुविधायें

3405. **श्री चित्त महाता :** क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी भारतीयों ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिये सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं/प्रोत्साहनों को पर्याप्त समझा है; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाये हैं और सरकार का इस संबंध में और आगे क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): (क) और (ख) उद्योगों की स्थापना हेतु प्रवासी भारतीयों से प्राप्त आवेदकों का निपटान करने के लिए नवम्बर, 1983 में विशेष अनुमोदन समिति के गठन के बाद से प्रवासी भारतीयों द्वारा उद्योगों की स्थापना किये जाने के अनेक प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं। इन परियोजनाओं के अधीन निम्नलिखित पिछड़े जिले भी हैं;

उत्तर प्रदेश के देहरादून, सुल्तानपुर व मथुरा; कर्नाटक के बीदर व धारवाड़; मध्य प्रदेश के धार व बेतुल; श्रीनगर (जम्मू तथा काश्मीर); सोलन (हिमाचल प्रदेश); महाराष्ट्र के रत्नागिरी व रायगढ़; आंध्र प्रदेश के नलगोण्डा, मेड़क व चित्तूर; गुजरात के भड़ोच व डांग; महेन्द्रगढ़ (हरियाणा); उत्तरी आर्कट (तमिल नाडु); दादर व नगर हवेली और गोवा, दमन, दीव।

अनुमोदित परियोजनायें कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा स्थापित औद्योगिक एककों में उत्पादित वस्तुओं के विपणन में कठिनाई

3406. **श्री शान्ति धारीवाल**
श्री विष्णु मोदी : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अनिवासी भारतीयों को देश में पूंजी लगाने के लिये प्रोत्साहित किया था;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अनिवासी भारतीयों से ऐसे कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि यद्यपि देश में अनिवासी भारतीयों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक एकक स्थापित करने में लगातार पूंजी लगाई गई है तथापि उनके उत्पादकों के लिये कोई खरीदार नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उनके लिये लाइसेंस जारी किये जाने से पहले किन-किन उत्पादों का आयात किया जाता था;

(ङ) क्या इन अनिवासी भारतीयों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार कोई ऐसी योजना आरम्भ करने का है, जिससे उन्हें अपने उत्पादकों के विपणन में कोई कठिनाई न हो; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) तथा (ख) अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों की ओर से प्राप्त औद्योगिक लाइसेंसीकरण के प्रस्तावों पर विचार करने के लिये नवम्बर 1983 में विशेष अनुमोदन समिति का गठन होने के बाद से जून 1985 के अन्त तक 511 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं। इनमें से 506 आवेदन पत्रों का निपटान किया जा चुका है और 5 आवेदन पत्र विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं।

(ग) से (च) स्थायी रूप से रहने के लिये भारत लौटते समय अपने ही धन से पूंजीगत सामान आयात किये जाने हेतु विशेष सुविधाओं को छोड़कर अनिवासी भारतीयों पर उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेंसीकरण की सामान्य प्रणाली लागू होती है। निवासी और अनिवासी दोनों प्रकार के भारतीयों द्वारा स्थापित औद्योगिक एककों को अपने उत्पादन का विपणन स्वयं ही करना होता है। किन्तु विपणन संबंधी कठिनाइयों के बारे में प्रवासी भारतीयों के स्वामित्व वाले एककों की ओर से सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है अतः प्रवासी भारतीयों के एककों के उत्पादन के विपणन हेतु कोई योजना चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

उद्योगों द्वारा प्रदूषण सम्बंधी शर्त का उल्लंघन

3407. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रदूषण धीरे-धीरे बढ़ रहा है;

(ख) क्या औद्योगिक परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाले वायु, जल और भूमि प्रदूषण को रोकने के लिये आशय पत्रों में कुछ शर्तें शामिल की जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो इन नियमों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने अपराधियों को दण्डित किया गया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) यद्यपि हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक प्रदूषण बढ़ा हो किन्तु प्रदूषण में धीरे धीरे होने वाली वृद्धि को दर्शाने वाली कोई सामान्य प्रवृत्ति नहीं है ।

(ख) आशय पत्र निम्नलिखित शर्त पर जारी किये जाते हैं:-

"वायु, जल और भूमि के प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिये सरकार की संतुष्टि के अनुसार पर्याप्त कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रदूषण निवारण के लिए किये जाने वाले उपाय उस राज्य द्वारा निर्धारित वहिःस्राव तथा उत्सर्जन मानकों के अनुरूप होने चाहिए जिसमें औद्योगिक उपक्रम का कारखाना स्थित है ।"

सरकार द्वारा पता लगाये गए 20 अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों के मामले में आशय पत्रों में कुछ और अधिक कड़ी शर्त रखने का विचार है और जब तक ये शर्त पूरी नहीं की जाती तब तक आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में नहीं बदला जायेगा ।

(ग) और (घ) एक बार किसी एकक में उत्पादन शुरु हो जाने पर राज्य सरकार तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे औद्योगिक उपक्रमों में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी व्यवस्था पर नजर रखें तथा इस मामले में आगे कार्रवाई करें ।

[हिन्दी]

विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने की नीति

3408. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में रहने वाले भारत मूल के लोगों द्वारा भारत मे उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहित करने और इन लोगों को स्वदेश लौटाने के लिए सरकार का विचार कोई नई नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति कब तक तैयार कर ली जाएगी; और

(ग) इन लोगों को उक्त नीति के संबंध में कैसे सूचित किया जायेगा ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की वर्कशाप की स्थापना

3410. **श्री आनन्द पाठक : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की एक वर्कशाप स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

वैगन उद्योग में मन्दी के कारण इस्पात फाउन्डरी यूनिटों में भारी संकट

3411. **प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगन निर्माण उद्योग में मन्दी के कारण इस्पात फाउन्डरी यूनिटों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस्पात फाउन्डरी यूनिटों को चालू रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) कुछेक स्टील फाउन्डरी एकक जो अपने उत्पादन का अधिकांश भाग वैगन उद्योग के लिए सप्लाई करते हैं, पर रेलवे द्वारा बोगी कास्टिंग्स इत्याडि के लिए दिये जाने वाले क्रयादेशों में भारी कटौती करने से प्रभाव पड़ा है।

(ख) और (ग) संस्थानों में अड़चनों के कारण 1985-86 में रेलवे केवल 5,500 वैगनों (एफ०डब्ल्यू०यू०) के निर्माण की ही योजना बना पाया है । रेल मंत्रालय ने वैगनों की खरीद के लिये निधियों के अतिरिक्त आबंटन की मांग की है जिससे वे पहले दिये गये क्रयादेशों के अतिरिक्त बोगी कास्टिंग्स इत्यादि के लिए और क्रयादेश दे सकेंगे । स्टील कास्टिंग्स एककों को अन्य उद्योगों को कास्टिंग्स सप्लाई करने व निर्यात विकसित करने हेतु विवधीकरण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है ।

बरुआ (कबीरपुर) और बारी में मुख्य डाकघर की स्थापना

3413. **श्री अनादि चरण दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जयपुर सब डिवीजन (एच. पी. ओ. पिन-755001) के क्षेत्राधिकार में अनेक छोटे डाकघर हैं और तेजबाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपद प्रवण क्षेत्र होने के कारण ग्रामीण लोगों को बचत बैंक खातों और मनीआर्डर से धनराशि समय पर प्राप्त नहीं होती;

(ख) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में सेवाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए बरुआ (कबीरपुर), बारी और मंगलपुर (क्या गोला) में जयपुर जैसे मुख्य कार्यालय खोलने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केवल बारी कटक उप डाकघर और उसके पांच शाखा डाकघर भारी बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिसके कारण वर्ष में कुछ दिनों के लिए सेवा में व्यवधान उत्पन्न होता है । बचत बैंक खातों से धन निकालने में विलंब अथवा मनीआर्डरों के भुगतान में विलंब होने से सम्बन्धित कोई विशेष मामला जानकारी में नहीं आया है ।

(ख) प्रभावित डाकघरों से संम्पर्क बनाए रखने के लिए प्राथमिकता आधार पर निरंतर प्रभावी कदम उठाए जाते हैं ।

(ग) वित्त मंत्रालय की स्टाफ निरीक्षण यूनिट द्वारा अनुमोदित कुछ विभागीय मानदंडों के अधीन प्रधान डाकघर सृजित किए जाते हैं । इन मानदंडों के अनुसार, इन स्थानों पर प्रधान डाकघरों का सृजन करना उचित नहीं है ।

इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टरों का उत्पादन

3414. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड को इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टरों के उत्पादन का काम सौंपा गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सन् 1984-85 में हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स के द्वारा निर्मित ऐसे इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टरों की क्या संख्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टर्स का उत्पादन का काम कुछ और कम्पनियों को सौंपने का है; और

(घ) सन् 1985-86 के अन्त तक कुल कितने इलैक्ट्रोनिक टेलीप्रिन्टरों का उत्पादन होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हाँ।

(ख) शून्य।

(ग) इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर बनाने के लिए भारत सरकार ने दो और कम्पनियों को आशय-पत्र दिए हैं।

(घ) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड ने वर्ष 1985-86 के दौरान 1000 इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर तैयार करने की योजना बनाई है।

आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना

3415. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** }
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही } : **क्या विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विधि मंत्री ने अपने मंत्रालय को सुझाव दिया है कि आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए देश में विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाए;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है या उस पर कोई अंतिम विनिश्चय कर लिया गया है; और

(ग) कर अपवंचकों से सम्बन्धित मामलों को निपटाने के लिए नए विशेष न्यायालय कहाँ तक कारगर होंगे ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों की राज्य सरकारों तथा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र ने आर्थिक अपराधों से अनन्य रूप से निपटने के लिए बारह विनिर्दिष्ट केन्द्रीय अधिनियमों के अधीन, विशेष न्यायालय स्थापित या निर्दिष्ट किए हैं। गुजरात और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से भी ऐसे न्यायालय स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) ये न्यायालय अनन्य रूप से उन आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए स्थापित किए गए हैं जो बारह विनिर्दिष्ट अधिनियमों, अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944, आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947, धन कर अधिनियम,

1957, आय-कर अधिनियम, 1961, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1963, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973, कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964, दान कर अधिनियम, 1958, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, कंपनी अधिनियम और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, के अधीन आते हैं ।

गिरीवन होकर सिल्चर और इम्फाल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करना

3416. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिरीवन होकर सिल्चर और इम्फाल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और रख-रखाव के लिए गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) क्या सरकार का निकट भविष्य में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) सिल्चर से इम्फाल तक का मार्ग, इम्फाल से बादरपुर तक जाने वाले मार्ग का एक भाग है जो 1980 में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 घोषित किया गया था । तदनुसार इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग की विनिर्दिष्टयों के अनुरूप बनाने के लिए चौड़ा (करीब 7.45 मीटर से 12 मीटर तक) करने, इसमें और सुधार करने एवं इसके रख-रखाव का कार्य सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है । इन कार्यों के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 797.78 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई थी ।

[अनुवाद]

खाद्य उत्पाद बनाने और निर्यात करने वाली बहुराष्ट्रीय और भारतीय कम्पनियों के बारे में दिनांक 30.4.1985 के अतारांकित प्रश्न सं० 4801 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : 30 अप्रैल, 1985 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं० 4801 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निम्न प्रकार निर्दिष्ट किया गया था :--

"(क) और (ख) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड जो तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत है, भारत में खाद्य उत्पादों के निर्माण और विपणन में लगी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम द्वारा विनियमित 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजीधारिता वाली केवल एक ही कम्पनी है । इस कम्पनी द्वारा निर्माण किए जा रहे खाद्य उत्पाद ये हैं :--

(1) वनस्पति, हाइड्रोजिनेटेड ऑयल आदि, (2) दूध का पाउडर (शिशु आहार सहित),

(3) मारगरीन तथा (4) घी। पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके द्वारा निर्यात किए गए खाद्य उत्पादों का मूल्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि निर्यात के इस प्रकार के कम्पनी वार आंकड़े नहीं रखे जाते।"

2. अब सरकार को यह सूचित किया गया है कि मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने उपर्युक्त उत्तर में निर्दिष्ट खाद्य उत्पादों की वस्तुएँ बनाने वाले एककों को मैसर्स लिप्टन (इंडिया) लिमिटेड को चालू हालत में बेच दिया है और कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड उपर्युक्त वस्तुओं की उत्पादक नहीं रही है। मैसर्स लिप्टन (इंडिया) लिमिटेड एक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फैरा) के अन्तर्गत आनेवाली कम्पनी नहीं है। अतः इस समय भारत में खाद्य उत्पादों के उत्पादन और विपणन करने वाली फैरा द्वारा विनियमित की जाने वाली कोई भी कम्पनी नहीं है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न के भाग (क) और (ख) के सम्बन्ध में दिया गया उत्तर कृपया निम्न प्रकार से ठीक कर लिया जाए :—

> "वर्ष 1984 तक मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड जो तकनीकी विकास के महा-निदेशालय में पंजीकृत है, भारत में खाद्य उत्पादों के निर्माण और विपणन में लगी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम द्वारा विनियमित 40% से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजीधारिता वाली केवल एक ही कम्पनी थी। इस कम्पनी द्वारा बनाए जाने वाले खाद्य उत्पाद ये थे :—
>
> (1) वनस्पति, हाइड्रोजिनेटेड ऑयल आदि, (2) दूध का पाउडर (शिशु आहार सहित), (3) मारगरीन तथा (4) घी। 11 मई, 1984 से उपर्युक्त वस्तुओं का जाने के उत्पादन करने वाले एककों का मैसर्स लिप्टन (इंडिया) लिमिटेड को अन्तरण हो कारण, इस समय खाद्य उत्पादों के विनिर्माण में लगी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम द्वारा विनियमित की जाने वाली कोई कम्पनी नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा निर्यात किए गए खाद्य उत्पादों के मूल्य सम्बन्धी आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि इस प्रकार के आँकड़े नहीं रखे जाते"।

3. उपर्युक्त त्रुटि को मई, 1985 के मध्य में ही सरकार के ध्यान में लाया गया था। चूंकि लोक-सभा का सत्र 18 मई, 1985 को समाप्त हो गया था, अतः दिनांक 30 अप्रैल, 1985 को दिया गया उत्तर उस सत्र में ठीक नहीं किया जा सका। लोकसभा के चालू सत्र में उत्तर को ठीक करने के लिए शुरु में ही अवसर का लाभ उठाया जा रहा है।

4. उत्तर में त्रुटि होने तथा उसे ठीक करने में हुए मामूली विलम्ब के लिए खेद है।

[अनुवाद]

इलैक्ट्रानिकी तथा राडार विकास स्थापना के राडार वैज्ञानिक के लापता होने के बारे में 23 जुलाई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 213 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ग) और (घ) का मौजूदा उत्तर इस प्रकार था :—

"(ग) और (घ) इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि क्या श्री वाई रत्नाकर राव विदेश चले गए हैं और उन्होंने केलीफोर्निया की एस० एम० एल० में कोई नौकरी स्वीकार कर ली है।"

2. तबसे गृह मंत्रालय से यह पता चला है कि बम्बई हवाई अड्डे के रिकार्डों के अनुसार श्री वाई रत्नाकर राव, 5 सितम्बर, 1984 को एअर इंडिया उड़ान संख्या-ए आई 105 से बम्बई से न्यूयार्क चले गए हैं। उनके पास पासपोर्ट संख्या आर-039931/बंगलौर है जो 9.4.1981 को जारी किया गया। उनके रहने और कार्य करने के स्थान के बारे में कोई पक्की सूचना नहीं है।

3. उपर्युक्त बातों को देखते हुए उत्तर के भाग (ग) और (घ) को इस प्रकार पढ़ा जाए :—

"अब सूचना मिली है कि श्री वाई० रत्नाकर राव अमरीका चले गए हैं। लेकिन अमरीका में वह कहां रहते हैं इसके बारे में अभी प्रमाणिक सूचना नहीं है।"

4. इस संबंध में सही स्थिति की सूचना मिलते ही उत्तर को ठीक करने की कार्रवाई तुरन्त शुरु कर दी गई।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या हुआ है ?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, विशेषाधिकार प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार कर रहा हूं। मैंने उन्हें तथ्य बताने के लिए कहा है और मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उस सम्बन्ध में पहले ही कार्यवाही कर चुका हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ··

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : अध्यक्ष महोदय, एटा के अन्दर बड़ी कण्डीशन खराब है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगह खड़े रहिए। गलियारे में मत खड़े होइए।

[हिन्दी]

आप लॉ पढ़ लिया करें। जो आपने लिखा है, वह भी पढ़ लिया करें।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, कोई प्रश्न नहीं। इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री महफूज अली खां, पहली बात तो यह है कि आपको नियमों की जानकारी नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप नियम देखते नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरी गलती नहीं है। नहीं, आप ज्यादा बनने की कोशिश मत करिए। इसकी अनुमति नहीं है। आप बिलकुल गैर-जिम्मेदार हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यह असंगत है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप यहां कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व करने आते हैं। यह असंगत है। मैं आपके लिए नियम नहीं तोड़ सकता। मैं चाहता हूं कि आप सदन से बाहर चले जायें।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह अनावश्यक ही बोल रहे हैं। मैंने उन्हें कहा है कि यह गैर-जिम्मेदाराना ढंग से बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : अध्यक्ष महोदय, आप दो मिनट दे दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय क्यों दूं। यह नियमानुसार नहीं है।

...**(व्यवधान)**....

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप गलती कर रहे हैं।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गुप्त, कृपया उन्हें यह बताने की कोशिश करिए कि वह आगे न बढ़ें।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। मैं इन सज्जन को अनुमति नहीं दे रहा हूं। वह कानून अपने हाथों में ले रहे हैं। आप यहां कानून तोड़ रहे हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कानून तोड़ रहे हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कैसे सुनूंगा और कौन से कानून के अधीन सुनूंगा ?

[अनुवाद]

श्री महफूज अली जी, यह गैर-जिम्मेदाराना ढंग से कही गई बात है, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। नियमों का उल्लंघन मत कीजिए। क्या आप सदन से बाहर जाना चाहेंगे ?

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : यह गैर-जिम्मेदारी है। आपको नियम नहीं तोड़ने चाहिए। मैं आपको हर तरह से मौका दूंगा लेकिन इस तरह नहीं। यह बात मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। फिर भी आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, यह और भी बुरी बात है। इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने देख रखा है।

[अनुवाद]

फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं ? इसके लिए विधान सभा है। मैं चाहता हूं कि आप सदन से बाहर चले जाएं।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, कृपया एक मिनट मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कार्यवाही कर चुका हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपकी मदद करना चाहता हूं.......

अध्यक्ष महोदय : मेरी सहायता पहले ही की जा चुकी है। यह नीति सम्बन्धी मामला हो सकता है अथवा प्रशासनिक मामले सम्बन्धी प्रश्न हो सकता है। मैं इस पर विचार करूंगा और मन्त्री महोदय से जवाब देने के लिए कहूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मामला क्या है, सदन को इसकी जानकारी तो दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी जानकारी दी है।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा प्रश्न यह है कि निर्यात के मामले में वित्त मन्त्री महोदय ने नीति सम्बन्धी घोषणाएं सदन से बाहर की हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, आप क्यों जिद् करते हैं। मैं देख लूंगा।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय के सात पूर्वोदाहरण हैं कि......

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं यही कह रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते :.......जब सदन का सत्र चल रहा हो तो किसी भी मन्त्री को नीति सम्बन्धी कोई बात सदन से बाहर नहीं कहनी चाहिए। आपका विनिर्णय क्या है ? क्या आपने सोचा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सोच कर ही काम कर रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने आपको अध्यक्ष महोदय द्वारा लिए गए सात विनिर्णयों के बारे में बताया है।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, आपके कहे बगैर ही मैंने सोच कर ही काम किया है।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने क्या सोचा है ? आपने क्या निस्कर्ष निकाला है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे पूछताछ कर रहा हूं और फिर मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : इसका अभिप्राय है कि यह आपके विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : निश्चित रूप से, मैंने पहले भी यही कहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : महोदय, सौभाग्य से वित्त मन्त्री यहां उपस्थित हैं। मैंने आपको नोटिस दिया है कि आज 13 अगस्त को पूरे देश के बैंक अधिकारी हड़ताल करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह अलग बात है। नहीं, नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह समझता हूं कि उनकी मांगों का कुछ निपटारा होना चाहिए। अन्यथा सभी बैंकों का काम ठप्प हो जाएगा। बैंक अधिकारियों ने कुछ मांगें रखी हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इतना पैसा खाते हुए भी गलत काम करते हैं।

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : जो कुछ हो रहा है हम उस सम्बन्ध में चर्चा कराना चाहते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैंने चर्चा के लिए नोटिस दिया है.......

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अच्छा कर देंगे।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : ....और पश्चिमी देश वहां भारतीयों और अश्वेत लागों के बीच फूट डलवाने का षडयंत्र कर रहे हैं। वे वहां रंगभेदी शासन के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे को कमजोर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी, मैंने कल ही आपको कह दिया था कि मैंने इस पर विचार किया है। मैंने तथ्य देने के लिए कहा है और मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। आज हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करने जा रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : आप कृपया मन्त्री महोदय से वक्तव्य देने के लिए कहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कर रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : दक्षिण अफ्रीका में जो कुछ हो रहा है, मैंने भी इस सम्बन्ध में नोटिस दिया है। हम इस पर चर्चा कराना चाहते हैं।

....(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : दो मिनट सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : गलत काम कर रहे हैं, मैं नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिलकुल गलत है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : महफूज साहब, आपके यहां एसेम्बली है। एसेम्बली में चुने हुए नुमाइंदे हैं। वहां सरकार है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री नरसिंह राव।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

छावनी अधिनियम के अंतर्गत रखी गई अधिसूचनाएं

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 281 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, छावनियों में संपत्ति के अन्तरण (सूचना का प्रारूप और ऐसी सूचना देने की रीति) नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र में 20 जुलाई, 1985 को अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 157 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1307/85]

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ ।

श्री मोहम्मद महफूज अली खाँ : मैं जा रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : आप जा सकते हैं । मैं चाहता हूँ कि आप सदन से बाहर चले जाएं ।

श्री मोहम्मद महफूज अली खाँ : जी हाँ, मैं जा रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : जी हाँ, आप जा सकते हैं ।

(तत्पश्चात् श्री मोहम्मद महफूज अली खाँ सदन से बाहर चले गए ।)

श्री बृजमोहन महंती (पुरी) : महोदय, कश्मीर को स्वतंत्र कराने सम्बंधी मामला समाचार पत्रों में प्रकाशति हुआ है । एक गंभीर बात यह है कि अब पाकिस्तान ने कश्मीर को स्वतंत्र कराने के लिए पैसा खर्च करना भी शुरु कर दिया है ।

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कोई नोटिस दीजिए ।

[**अनुवाद**]

ऐसा कुछ नहीं है ।

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : महोदय, त्रिपुरा में निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है और गुरिल्ला लोगों ने धमकी दी है...।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । मैं पहले ही उस पर विचार कर रहा हूँ ।

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : महोदय, अभी अभी मेरे सम्मानित सहयोगी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि बैंक अधिकारियों ने हड़ताल की है । महोदय, एक मिनट सुनिए । वित्त विभाग प्रति माह 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है...

व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय : यह कोई मामला नहीं है । इसकी अनुमति नहीं है ।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय,....विघटनकारी गतिविधियाँ हो रही हैं....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, के अधीन अधिसूचनायें; कम्पनी (निक्षेपों की स्वीकृति) तीसरा संशोधन, नियम 1985; एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 21 के अन्तर्गत प्रतिवेदन

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : —

(एक) का० आ० 397 (अ), जो भारत के राजपत्र में 16 मई, 1985 को प्रकाशित हुआ था और मैसर्स इंडिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा, के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(दो) का० आ० 538 (अ), जो भारत के राजपत्र में 19 जुलाई, 1985 को प्रकाशित हुआ था और मैसर्स प्रियलक्ष्मी मिल्स, बड़ौदा, (गुजरात) के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1308/85]

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18कक की उपधारा (2) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : —

(एक) का० आ० 360 (अ), जो भारत के राजपत्र में 25 अप्रैल, 1985 को प्रकाशित हुआ था और मैसर्स मोटर एन्ड मशीनरी मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(दो) का० आ० 374 (अ), जो भारत के राजपत्र में 30 अप्रैल, 1985 को प्रकाशित हुआ था और (क) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर, (ख) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, पांडिचेरी, (ग) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथ भंजन, (घ) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी, (ङ) मैसर्स उदययुर काटन मिल्स, उदयपुर और (च) मैसर्स रायबरेली टैक्सटाइल मिल्स, रायबरेली के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(तीन) का० आ० 416 (अ), जो भारत के राजपत्र में 24 मई, 1985 को प्रकाशित हुआ था और मैसर्स ब्रेंटफोर्ड इलेक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि के पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(चार) का० आ० 424 (अ), जो भारत के राजपत्र में 29 मई, 1985 को प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स कृष्णा सिलीकेट एण्ड ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(पांच) का० आ० 425 (अ), जो भारत के राजपत्र में 29 मई, 1985 को प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स बंगाल पाटरीज लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(छः) का० आ० 430 (अ), जो भारत के राजपत्र में 30 मई, 1985 को प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स मोटर एण्ड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(सात) का० आ० 483 (अ), जो भारत के राजपत्र में 25 जून, 1985 को प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स श्रीराम शुगर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, सीतानगरम, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(आठ) का० आ० 485 (अ), जो भारत के राजपत्र में 25 जून, 1985 को प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स श्रीराम शुगर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बोबिली के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(नौ) का० आ० 490 (अ), जो भारत के राजपत्र में 27 जून, 1985 को प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स एंजेल इंडिया मशीन एण्ड टूल्स लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(दस) का० आ० 491 (अ), जो भारत के राजपत्र में 27 जून, 1985 को प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स कावेरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, पुदुकोट्टई, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(ग्यारह) का० आ० 492 (अ), जो भारत के राजपत्र में 27 जून, 1985 को प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स सोमसुन्दरम सुपर स्पिनिंग मिल्स, मुथानंडाल के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में हैं।

(बारह) का० आ० 499 (अ), जो भारत के राजपत्र में 28 जून, 1985 को प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स प्लाईवोर्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, पामपोर के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(तेरह) का० आ० 500 (अ), जो भारत के राजपत्र में 28 जून, 1985 को प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स एसोशिएटिड इन्डस्ट्रीज (असम) लिमिटेड, चन्द्रपुर के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1309/85]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (निक्षेपों की स्वीकृति) तीसरा संशोधन नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र में 5 जून, 1985 को अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 482 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1310/85]

(4) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 की धारा 21 के अन्तर्गत मैसर्स पोलीकेम लिमिटेड, बम्बई, के मामले में (एक) पोलीविनयल एसीटेट (कैप्टिव) (दो) पोलीविनयल अलकोहल के विभिन्न प्रतिपादनों तथा (तीन) विनाईल एसीटेट तथा स्टाईरीन पर आधारित इमल्शनों एवं अन्य मोनूमरों सम्बन्धी प्रतिवेदन और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के 30 मार्च, 1985 को आदेश तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1311/85]

12.07 म. प.

प्राक्कलन समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं रेल मंत्रालय—रेलों द्वारा शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन संबंधी समिति (सातवीं लोक सभा) के 57वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में प्राक्कलन समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) सातवीं योजना की अवधि के दौरान केरल में प्रस्तावित मत्स्य उद्योग विश्वविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : महोदय मैं सदन का ध्यान केरल राज्य की एक अत्यन्त सही मांग की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार का विचार सातवीं योजना के दौरान एक मत्स्य उद्योग विश्वविद्यालय खोलने का है। केरल में प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना का आधार अत्यन्त ठोस है।

केरल में समुद्री उत्पादों का उत्पादन अत्यधिक होता है। इस राज्य में मछुआरों की जनसंख्या भी देश में सबसे अधिक है। राज्य ने बहुत से नये उद्यम भी स्थापित किये हैं जैसे कि आजीकोडे में झींगा अंडज उत्पत्तिशाला श्रिम्प हैचार तथा मालमपुजा में समुद्रो फार्म बनाना। राज्य सरकार ने एक बहुत बड़े स्तर पर मछुआरों को प्रशिक्षण दिये जाने का कार्य भी शुरु किया है तथा पांच मछुआरा प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित किये हैं। बहुत से केन्द्रीय संस्थान केरल में विद्यमान हैं जैसे कि सेन्ट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज रिसर्च, सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ फिशरीज टेक्नोलोजी, इन्टीग्रेटिड फिशरीज प्रोजेक्ट और एक्सप्लोरेटरी फिशरीज प्रोजेक्ट आदि।

पहले से ही विद्यमान सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये, अगर यह विश्वविद्यालय केरल में स्थापित किया जाये तो यह प्रारम्भ से ही सफलतापूर्वक कार्य करने में समर्थ होगा।

उपरोक्त तथ्यों को देखते हुये प्रस्तावित मत्स्य उद्योग विश्वविद्यालय केरल में स्थापित करने के लिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ।

(दो) गंगा नदी द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे के एक भूखंड के कटाव के कारण पटना जिले के दानापुर और नकटादियारा क्षेत्रों के प्रभावित लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता

श्री सी०पी० ठाकुर (पटना) : महोदय, बिहार में पटना जिले के दानापुर और नकटादियारा क्षेत्रों के लोगों को गंगा नदी के कटाव के कारण भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वे बेघर और भूमिहीन होते जा रहे हैं। उन्हें सरकार द्वारा तुरन्त सहायता और पुनर्वास सुविधाओं की आवश्यकता है। नकटा दियारा के कुछ विस्थापित लोग पटना जिले में पूर्वोत्तर रेलवे की भूमि पर बस गये हैं। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से अनुरोध किया है कि उन्हें वहां बसने दिया जाये। परन्तु यह मामला काफी लम्बे समय से लम्बित पड़ा हुआ है। इस मामले को शीघ्र निपटाये जाने का अनुरोध करता हूँ।

(तीन) पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिये भारतीय पटसन निगम को रक्षित भण्डार बनाने हेतु पर्याप्त मात्रा में पटसन रेशा खरीदने का निदेश देने की आवश्यकता

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : वस्त्र और कृषि मंत्री ने सभा को आश्वासन दिया था कि भारतीय पटसन निगम बाजार में प्रवेश करेगा और यह कच्चा पटसन खरीदने लगेगा और इससे नई फसल में 25 से 33 प्रतिशत की वृद्धि होगी तथा यह न सिर्फ किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देगा बल्कि पच्चीस रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त राशि भी देगा।

कलकत्ता से प्राप्त ताजा खबरों के अनुसार कच्चे पटसन के मूल्य में भारी मन्दी है। कीमतें लगातार गिर रही हैं। कलकत्ता के बाजार में लगभग 18,000 गांठे प्रति दिन आती हैं परन्तु वहां से 13,000 से अधिक गांठें नहीं उठाई जाती हैं। कीमतों में और अधिक कमी आने के पूर्वाभास से पटसन मिलें तथा उनके एजेन्ट अपनी खरीद दरों में कमी कर रहे हैं। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है, यदि किसानों की रक्षा करनी है तो भारतीय पटसन निगम को अपना कार्य अविलम्ब आरम्भ करना चाहिये और रक्षित भण्डार बनाने के लिये पर्याप्त मात्रा में रेशा खरीदना चाहिये। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह भारतीय पटसन निगम को तदनुसार आवश्यक निदेश दे।

[हिन्दी]

(चार) विदर्भ के समग्र विकास के लिये उस क्षेत्र में कुछ औद्योगिक एककों की स्थापना करने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय, आज विदर्भ, जिसे कभी महात्मा गांधी और आचार्य बिनोबा भावे ने अपनी कर्मभूमि बनाया था और जहां से 1920 के बाद आजादी के आन्दोलन में तेजी आई थी, उसकी लगातार उपेक्षा की जा रही है। 1956 से पूर्व, जब भाषा-वार प्रान्त रचना हुई थी, नागपुर - राज्य की राजधानी थी। भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मुझे विदर्भ और नागपुर आने पर प्रसन्नता होती है। इसका

महत्व किसी भी प्रकार कम नहीं होने दिया जायेगा। लेकिन खेद है कि उनके बाद विदर्भ का महत्व कम किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। नागपुर से अनेकों कार्यालयों को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा रहा है। जब भी कोई कटौती होती है, चाहे रेलवे की हो अथवा हवाई जहाज की, विदर्भ की राजधानी नागपुर ही प्रभावित होती है। आज स्थिति यह है कि विदर्भ में न तो सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है, न सड़कें हैं, न पुल हैं, न उद्योग हैं और न संचार के समुचित साधन।

विदर्भ में सीमेंट, कोयला, वन तथा खनिज काफी मात्रा में हैं और इनका दूसरे राज्यों को निर्यात होता है। कोयले के मामले में विदर्भ का स्थान बिहार के बाद आता है। किन्तु यहां पर कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है। केन्द्र सरकार यहां पर रेलवे वैगन कारखाना लगाने वाली थी किन्तु उसको पंजाब को स्थानान्तरित कर दिया गया। हम इसका स्वागत करते हैं किन्तु हमारी मांग है कि स्टील, गैस अथवा वनों पर आधारित कुछ बड़े उद्योग यहां स्थापित किये जावें ताकि यहां की बेकारी दूर हो सके और रा-मेटोरियल को ढोने पर जो व्यर्थ का खर्च होता है उससे भी बचा जा सके।

बम्बई हाई की गैस को सवाई माधोपुर, उत्तर प्रदेश तथा मध्यप्रदेश ले जाया जा रहा है। किन्तु विदर्भ को इस मामले में भी छोड़ दिया गया है। विदर्भ तक गैस पाइप लाइन लाने में कोई बहुत अधिक खर्चा भी नहीं होगा और यहां आसानी से गैस पर आधारित पैट्रो-कैमिकल उद्योगों की स्थापना की जा सकती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था अथवा कोई अन्य व्यवस्था करे ताकि विदर्भ का महत्व किसी भी प्रकार कम न हो और धीरे-धीरे भविष्य में उसका महत्व बढ़ाया जा सके।

(पांच) उत्तर प्रदेश में कानपुर की बिल्हौर तहसील में भूमिगत जल तथा गंगा जल का प्रदूषण रोकने के लिये कदम उठाने की आवश्यकता

श्री जगदीश टावस्थी (बिल्हौर): अध्यक्ष महोदय, बिल्हौर तहसील, जनपद कानपुर देहात उत्तर प्रदेश में 39 नलकूप सिंचाई हेतु उपलब्ध हैं। उक्त नलकूपों में से 8 नलकूप खारे पानी के कारण असफल घोषित कर दिये गये हैं तथा अन्य में खारे पानी का संदेह है। अतः भूमिगत जल की अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है। यदि राज्य भूगर्भ जल परिषद् के भूवैज्ञानिकों की तकनीकी सलाह ली गई होती तो नलकूप असफल नहीं होते।

12.14 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

बिल्हौर क्षेत्र के भूमिगत जल के अन्दर लेहा, एल्यूमीनियम एवं सिलिका अत्यधिक मात्रा में पाये जाते हैं जिसके कारण नलकूपों के डिस्चार्ज घटते-बढ़ते रहते हैं और इतना ही नहीं नलकूपों के अन्दर डाले जाने वाले पाइप (जाली) को धीरे-धीरे गलाता है और अन्ततोगत्वा नलकूप पूर्णतः असफल हो जाते हैं। इसी प्रकार लगभग बीस खारे पानी के जनपदों में भी बिना किसी वैज्ञानिक आधार के नलकूप विभिन्न विभागों द्वारा लगाये जा रहे हैं।

[श्री जगदीश अवस्थी]

अत: इस बढ़ते हुए भूमिगत जल के प्रदूषण पर सदन में विस्तृत चर्चा कराना जनहित में आवश्यक होगा तथा गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के साथ भूमिगत जल के प्रदूषण को रोकने हेतु उ० प्र० शासन को स्पष्ट नीति घोषित करने के भी निदेश दिये जाने चाहिए।

[अनुवाद]

(छ:) तिरुची से डिंडीगुल तक रेल द्वारा पीने का पानी ले जाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री के० आर० नटराजन (डिंडीगुल) : महोदय, तमिलनाडु में मदुरई जिले के डिंडीगुल नगर वासियों को पीने के पानी का अत्यन्त अभाव है। डिंडीगुल नगर की आबादी लगभग तीन लाख है। इसके अलावा लगभग एक लाख व्यक्ति अस्थायी रूप में हैं। यह बहुत से जिला कार्यालयों का मुख्यालय है। जल्दी ही 15 सितम्बर, 1985 से यह नये 'अन्ना जिले' की राजधानी बन जायेगा।। तिरुची और मदुरई रेलवे जंक्शन के बीच डिंडीगुल एक महत्त्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है। इस शहर को कामराज साहर से पीने के पानी की आपूर्ति होती थी। अब यह सूख गया है। लगभग 160 बेधन (बोर) कुएं खोदे गये हैं। अब भूमिगत पानी भी दिखाई नहीं पड़ता है। डिंडीगुल में पानी लाने के लिये 40 लारियों को लगाया गया है। फिर भी डिंडीगुल में पीने के पानी की अत्यन्त कमी है। अत: तमिलनाडु सरकार ने डिंडीगुल से तिरुची रेल द्वारा पानी की आपूर्ति किये जाने के लिये रेल मंत्री जी से अनुरोध किया है। अत: मैं माननीय रेल मंत्री जी से इस समस्या के हल करने के लिये अनुरोध करता हूँ कि वे तुरन्त ही तिरुची से डिंडीगुल रेल द्वारा पीने के पानी की आपूर्ति करवाने की व्यवस्था करें जैसा कि तमिलनाडु सरकार ने भी अनुरोध किया है तथा इस संकटमयी स्थिति में पीने का पानी उपलब्ध कर डिंडीगुल के लोगों की रक्षा करें।

(सात) कपास का न्यूनतम मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने और कपास का प्रस्तावित आयात रोकने की आवश्यकता

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : हमारे देश में कपास उद्योग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में कपास का वर्तमान उत्पादन हमारी आवश्यकताओं और निर्यात के लिये पर्याप्त है।

परन्तु दुर्भाग्यवश कुछ राज्यों में कपास के उद्योगपति निहित स्वार्थ के कारण कपास का वास्तविक उत्पादन नहीं दिखा रहे हैं और बांहर से कपास का आयात कर रहे हैं ताकि कपास उत्पादक उनसे अपने उत्पादन का उचित और बेहतर मूल्य न मांग सकें।

कुछ राज्यों में सरकार कपास के कुल उत्पादन का अंदाजा लगाने में असमर्थ है क्योंकि कपास खरीददार और उद्योगपति कपास के वास्तविक उत्पादन को दिखा नहीं रहे हैं। उदाहरण के लिये आन्ध्र प्रदेश में आदिलाबाद जिले के कपास उत्पादक सीमावर्ती बाजार में कपास को बेचते हैं यानि कि नागपुर में अच्छे दाम न मिलने की वजह से एवं खरीददार इस खरीदी गई कपास का

लेखा-जोखा नहीं रखेंगे। इसी तरह, वारंगल तथा अन्य जिलों में कपास उगाने वाले लोग कर्नाटक में रायचूर में कपास बेचते हैं क्योंकि वहां पर इसे खरीदने के लिये कोई कपास निगम केन्द्र नहीं है।

कपास के निर्यात के बारे में सिर्फ दो राज्यों, अर्थात् महाराष्ट्र और गुजरात को ही निर्यात करने की अनुमति दी गई है आंध्र प्रदेश को सिर्फ 10,000 कपास की गाँठों का निर्यात करने की ही अनुमति दी गई है जबकि आन्ध्र प्रदेश राज्य कपास का अधिक उत्पादन करने में सक्षम है।

अतः यह अनुरोध है कि सरकार तुरन्त कपास का न्यूनतम मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करे तथा कपास को आयात करने के विचार को त्याग दे तथा लाभप्रद मूल्यों पर कपास खरीदने के लिये कपास निगम केन्द्र खोले जाने की शुरुआत करे। कपास निगम को वारंगल में एक खरीद केन्द्र स्थापित करना चाहिये इससे अगर कपास उत्पादकों को अच्छे मूल्य मिलेंगे तो वे उत्पादन बढ़ाने में दिलचस्पी लेंगे। मैं सरकार से फिर अनुरोध करता हूँ कि वह कपास के वास्तविक उत्पादन को छिपाने वाले व्यक्तियों और उद्योगपतियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करे और उन पर निगरानी रखने के लिये कदम उठाये।

(आठ) गोडावन पक्षी (ग्रेट इण्डियन बस्टार्ड) और विशेषकर सुरसण बस्टार्ड सेन्क्चुअरी के संरक्षण के लिये तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : महोदय, अन्धाधुंध शिकार करने तथा प्रजनन के लिये असुरक्षित वातावरण के कारण गोडावन पक्षी (ग्रेट इंडियन बस्टार्ड) एक दुर्लभ पक्षी बन गया है तथा इस समय इसकी जाति समाप्त होती जा रही है। भारत सरकार ने इस पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है तथा इसके संरक्षण के लिये लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिये सरकार ने इसका एक टिकट भी जारी किया है। ग्रेट इंडियन बस्टार्ड के प्रजनन का एक स्थान राजस्थान में कोटा जिले की तहसील अन्टा में सुरसण गाँव के पास है। वर्षा ऋतु के आगमन से हमेशा की भांति प्रजनन के लिये इन पक्षियों ने यहाँ आना शुरू कर दिया है। परन्तु ये यहां पर सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि इस स्थान पर राजस्थान सरकार ने तारों का घेरा नहीं लगाया है। वन्य प्राणी विभाग द्वारा 'सुरसण' को 'बस्टार्ड सेन्क्चुअरी' घोषित करने के बावजूद भी सरकार ने इस स्थान पर जानवरों एवं व्यक्तियों के जाने पर रोक नहीं लगाई है न ही इस उद्देश्य के लिये वहां कोई गार्ड नियुक्त है। 'ग्रेट इंडियन बस्टार्ड' के प्रजनन स्थानों विशेष रूप में राजस्थान में कोटा जिले के सुरसण प्रजनन क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करने के लिये भारत सरकार राजस्थान सरकार को तुरन्त कदम उठाने का निदेश दे।

12.20 म० प०

बालक नियोजन (संशोधन) विधेयक
—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री टी० अंजैय्या द्वारा 7 अगस्त, 1985 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार आरम्भ करेगी,

अर्थात:—

"कि बालक नियोजन अधिनियम, 1938 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री मूल चन्द डागा। कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री मूल चन्द डागा (पाली): "वे कलियाँ जो कभी नहीं खिलीं"

[हिन्दी]

अगर कलियों को ही आप खत्म कर देंगे तो फूल कैसे होंगे। ये जो संविधान की धारा-39 में डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इसके अनुसार आज कितने बच्चे हिन्दुस्तान के, अभी भी काम कर रहे हैं। इससे उन बच्चों का विकास नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

"बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने वाले संवैधानिक उपबन्धों तथा अनेक कानूनों के बावजूद, लंबे समय से विद्यमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण आज भी 170 लाख बालक इस देश में काम करने के लिए बाध्य हैं। लेखक, जो एक मजदूर नेता हैं, के अनुसार उनके अति शोषण का कारण यह है कि वे गैर-कानूनन कार्य करते हैं, इसके साथ संलग्न एक टिप्पणी में लेखक ने बालकों से संबंधित कानूनों में कमियों को बताया है और इस तथ्य को भी बताया है कि बाल श्रम को बिल्कुल समाप्त करने से 170 लाख युवा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो जायेगा...."

[हिन्दी]

इंडियन एक्सप्रैस में फरवरी-85 को यह आर्टिकल पबलिश हुआ है। क्या हिन्दुस्तान में इतने लोग काम करते हैं। काम करने के बाद बच्चों का विकास रुक जायेगा। मंत्री जी की भावना अच्छी हो सकती है। लेकिन सैक्शन-4 जो एक्ट का है, उसके मुताबिक किन-किन लोगों को आज तक सजा हुई है।

[अनुवाद]

" जो कोई किसी बालक को धारा 3 के उपबन्धों के उल्लंघन में नियोजित करेगा या काम करने देगा।"

[हिन्दी]

क्या आप बतायेंगे कि सैक्शन-4-ए में कितने लोगों को सजा हुई। सक्शन-सी में कितने लोगों को सजा हुई। जब तक आप यह आंकड़ा नहीं बतायेंगे तो मालूम नहीं होगा कि आप केवल सजा बढ़ाने के लिए यह बिल ला रहे हैं। इस बिल के मुताबिक अगर किसी लेबर का शोषण होता है तो वह खुद डाइरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकता। लेबर इन्सपैक्टर ही कोर्ट में जा सकता है। अगर किसी बच्चे का शोषण किया जा रहा है, उसे अपने अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है तो वह कोर्ट में नहीं जा सकता। जिसके लिए लेबर इन्सपैक्टर की मर्जी होगो, वही जा सकता है। इस प्रकार का यह कानून है। इसमें भी संशोधन करना चाहिए था।

[अनुवाद]

" इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई मुकदमा; धारा 6 के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा या उसकी पूर्व स्वीकृति के बिना, नही चलाया जायेगा।"

[हिन्दी]

उसे इन्सपैक्टर के पास जाना पड़ेगा। एक बात आपने सर्टिफिकेट के बारे में कही है। कौन से पेसक्राइब्ड डाक्टर हैं। जो सर्टिफिकेट डाक्टर देगा वही माना जायेगा कि 14 वर्ष से ऊपर है। आजकल ये इन्सपैक्टर लोग अच्छे-अच्छे डाक्टरों को लालच देकर गलत सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कोई सही सर्टिफिकट दे सकता है। एक्स-रे लेने के बाद भी यह नहीं कह सकता कि इस लड़के की उम्र कितनी है। 1938 के बिल के अन्दर जो प्रोविजन है उसको आपने ठीक ढंग से देखा होगा। अगर आप इसको ही अमेंड करना चाहते थे तो कृपा करके सारे एक्ट को ही अमेंड करना था। आपने लिखा है कि गुनहगारों को सजा होगी। लेकिन एक प्रोविजो लगने के कारण गुनहगार भी बच जायेगा। सवाल यह है कि बच्चे जो हमारे भारत की पूंजो है, वह बगीचे की कलियाँ बरबाद हो जायेंगी। उनके बरबाद होने से बगीचे मे फूल नहीं खिलेंगे। इसकी वजह से देश का विकास नहीं हो सकेगा। मैं चाहता हूं कि काम्प्रीहेन्सिव बिल लाना चाहिए और चाइल्ड लेबर को टोटल एबोलिश करना चाहिए। जो लोग गलत काम करते हैं उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि बच्चों का विकास हो सके। हमारा काम है कि जो गरीब बच्चे हैं उनका पालन-पोषण करें और उनको अच्छे नागरिक बनाएं। इस देश के बच्चों का भविष्य बनाना और सुधारना हमारी लायबिलिटी है। यह काम किसी संस्था का नहीं है, यह जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी है क्योंकि हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य है और कल्याणकारी राज्य होने के नाते यह हमारा काम है कि हम अपने देश के बच्चों का भविष्य बनायें, उनका भविष्य सुधारें। जब आप उनके हित में कुछ करने की ताकत रखते हैं तो मुझे आशा है कि आप शीघ्र ही कोई ऐसा काम्प्रीहैन्सिव लैजिस्लेशन लायेंगे जिससे हमारे देश के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, सुधरे।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं केवल एक या दो सुझाव देना चाहता हूं। सर्व प्रथम, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि बाल श्रम की प्रथा हमेशा के लिये समाप्त कर दी जानी चाहिये। इस देश में कानून के द्वारा बालकों के शोषण को रोकना असंभव है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके राज्य में भी स्थिति बहुत विकट है। बालकों का शोषण किया जा रहा है। आज प्रातः ही हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि प्रधानमंत्री को यह जानकर अचम्भा हुआ कि हजारों बच्चे जेलों में हैं। यह अमानवीय है। अतः, मैं यह सुझाव दूंगा कि शीघ्र ही ऐसा विधान पेश किया जाना चाहिये जिससे कोई भी बाल श्रमिक न रहे। संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत हमें यह देखना है कि 5 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को अनिवार्य तौर पर शिक्षित किया जाये। शिक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य की है। एक ओर तो संविधान के अन्तर्गत हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी है और दूसरी ओर हम बाल श्रम पर कानून बना रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं कि बाल श्रम को समाप्त किया जाना चाहिए।

दूसरे, जब कभी किसी बालक के विरुद्ध कोई दांडिक अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। वर्तमान समय में कई राज्यों में उन्हें जेल भेजा जाता है। कर्नाटक में बच्चों को जेल नहीं भेजा जाता है। वहां पर बच्चों के लिए प्रमाणित स्कूल हैं। मेरा विचार है कि कुछ बच्चों को छोड़कर अनेक बच्चे सुधर जाते हैं और प्रमाणित स्कूलों में वे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अच्छे नागरिक बन जाते हैं। कानून के माध्यम से हम बालकों के शोषण को नियंत्रित नहीं कर पायेंगे। संगठित क्षेत्र में यह ठीक रहता है परन्तु खेती जैसे असंगठित क्षेत्र में हम देखते हैं कि माता-पिता अपने बच्चों को जैसे ही वे पांच या छः वर्ष के होते हैं आर्थिक कारणों से खेतों में भेज देते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में 70 से 80 प्रतिशत बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह एक सामाजिक समस्या है और मुझे प्रसन्नता है कि इस सम्मानित सभा ने इस विषय पर इतना अधिक समय दिया है। देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। यह जिम्मेदारी समाज की है कि वह यह देखे कि बच्चों की देखभाल ठीक से हो, उन्हें ठीक से शिक्षा मिले और उनको पोषक आहार भी प्रदान किया जाये। स्वतंत्रता प्राप्त करने के 38 वर्षों के बाद भी हम देखते हैं कि बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और बहुत से बच्चे छोटी आयु में ही मर जाते हैं। अतः एक बार फिर मैं सरकार से अपील करता हूं कि बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक व्यापक विधेयक लाया जाये।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, इस एम्पलायमेंट ऑफ चाइल्ड (अमेंडमेंट) बिल, 1985 पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार पक्ष और विपक्ष में प्रस्तुत किए। आपको मालूम होगा कि हमारे काश्मीर का कालीन सारे संसार में, उसकी खूबसूरती के लिहाज से, उसकी क्वालिटी के लिहाज से, उसके कलर-काम्बीनेशन के लिहाज से ईरान के बाद दूसरे नम्बर पर माना जाता है। और आपको पता है, ये कौन बनाते हैं, ये जो खूबसूरत कालीन बनाने वाले हैं, ये छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो हजारों की तादाद में काश्मीर वैली में कालीन इन्डस्ट्री

के साथ लगे हुए हैं। उन इन्डस्ट्रीज में एम्प्लोई हैं। आपके बिल में कहा गया है कि जो 14 साल से कम हो, वह बच्चा तो बिलकुल काम पर लग ही नहीं सकता है, लेकिन आपने वहां यह हालत देखी होगी। आप में से बहुत सारे माननीय सदस्य, मेरा ख्याल है, काश्मीर जाते-आते रहते हैं, तो कभी आप चुपके से किसी फैक्ट्री में चले जाइए, तो वहां पर आप पायेंगे कि 7-8 साल से लेकर 14-15 साल तक की उम्र के बच्चों को ही वहां पर एम्प्लोय किया जाता है, जिसका नतीजा यह है कि एक तो ये बच्चे तालीम से महरूम रह जाते हैं और दूसरे उनका जो फिजीकल स्ट्रक्चर है, वह स्ट्रक्चर बिलकुल खराब हो जाता है, जिससे बच्चे कुबड़े हो जाते हैं। क्योंकि यह ऐसा कम्बरसम जॉब है जिसको झुक कर करना पड़ता है, नतीजा यह है कि सारे बच्चे कुबड़े हो जाते हैं और जब वे बच्चे 17 या 18 साल के हो जाते हैं, तो इन्डस्ट्री वाले उनको चलता कर देते हैं। वह इसलिये कि जब वह बड़ा हो जाता है तो ज्यादा वेज मांगता है। बचपन में उनको सस्ते वेज पर बच्चे मिल जाते हैं और जब वह बड़े हो जाते हैं तो उनको निकाल देते हैं। एक मास्टर रहता है जो उनको इंस्ट्रक्शन देता है। उनका कोड होता है लैंगुएज होती है उससे बच्चे काम करते हैं कालीन बनाते हैं।

मैं एक बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। 1974-75 में जब मरहूम शेख साहब ने जम्मू-काश्मीर में हुकूमत संभाली तो वहां पर मेम्बरों ने यह मांग की कि फैक्टरीज में जो छोटे बच्चे हैं, उनके एम्पलायमेंट को बैन करना चाहिये। शुरु में तो शेख साहब मान गये थे, लेकिन बाद में सुनने में यह आ रहा है कि कुछ लोगों ने एडवाइस किया कि अगर आपने काश्मीर की पौलिटिक्स पर कंट्रोल रखना है, ग्रिप रखना है तो इन बच्चों को इसी इंडस्ट्री में रखना चाहिये ताकि वह अनपढ़ रहें। पता नहीं उन्होंने यह जानबूझ कर डैलीब्रैटली किया या क्या किया।

काश्मीर में आज भी जितने भी एंटी इंडिया एलीमैंट्स हैं, वह ज्यादातर अनपढ़ लोग हैं। जो पढ़े-लिखे लोग हैं, या इटलैक्चुअल्स हैं वह समझ लेते हैं कि उनका भला कहां है, किधर है। उनमें यह एलीमेंट आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम लोग होंगे। यह भी कहा जाता है कि पोलिटिकल कांस्पिरेसी है और आज भी कंटीन्यू कर रही है कि लोग अनपढ़ रहें।

बहुत सारे सुझाव यहां आते हैं। एक सदस्य ने कहा कि चाइल्ड लेबर बिल बिल्कुल खत्म कर देना चाहिये। अगर ऐसा होगा तब तो उन एम्पलायर्ज को खुली छुट्टी होगी। लेकिन चाइल्ड लेबर बिल्कुल बैन की जाये तो अच्छी बात है। अगर यह नहीं हो तो कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिये जिससे इनकी तालीम पर कोई असर न पड़े। अगर इनसे काम करवाना हो तो घंटे-दो-घंटे से ज्यादा काम इन्हें न करना पड़े ताकि वह तालीम को भी फालो कर सकें और साथ ही साथ वह थोड़ा बहुत काम भी कर सकें जिससे अपने माता-पिता के लिये कुछ पैसा कमाया जा सके। उन्हें कश्मीर कालीन इंडस्ट्री में स्क्वेयर इंच के हिसाब से पैसा मिलता है जो कि वह दो घंटे में भी कमा सकते हैं।

इसलिये मेरी यही गुजारिश है कि जो बिल फिलहाल आप लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन लांग-रन में इसमें सोचने की जरूरत है कि किस तरह से उन बच्चों को तालीम से महरूम नहीं रखा जाये।

दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे वर्कशाप हैं स्कूटर और साइकिल बनाने वालों के जो कि रोड-साइड पर चलाते हैं। वहां एक दादा बैठा होता है और छोटे-छोटे बच्चे यहां पर काम

[श्री पी० नामग्याल]

करते हैं। इन पर आप कैसे कंट्रोल करेंगे ? फैक्टरीज में जो रूल इस बिल के सेक्शन 3-बी और 3-डी के तहत काम करने की रिक्वायरमैंट होती है, रूल को फैक्टरी प्रीमिसिस के डिस्प्ले करना होता है, यहां पर वह कानून लागू नहीं है कि कितने टाइम काम करवाना है। कोई इसे इम्पलीमैंट नहीं कर रहा है। देखने वाले जो इंस्पैक्टर होते हैं, वह एम्पलायर के साथ मिले हुए होते हैं। चाहे फैक्टरी हो या सिनेमा और शराब के काम हों, फैक्टरी इंस्पैक्टर और एक्साइज इंस्पैक्टर सब उनके साथ मिले हुए होते हैं। आपको चाहिये कि इनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन्ज दें और बीच-बीच में किसी हायर आफिसर को भी जाकर देखना चाहिये ताकि जो गलत काम कर रहे हैं, उन पर कोई कन्ट्रोल हो सके।

इन शब्दों के साथ जो बिल आप लाये हैं, फिलहाल तो वह ठीक है, लेकिन लांग-रन के लिये इसके बारे में सोचने की जरूरत है। मैं इनका समर्थन करता हूं।

[شری پی۔ نام گیال (لداخ) : اپادھیکش مہودے۔ اس امپلائمینٹ آف چائلڈ (امینڈمینٹ) بل ۱۹۸۵ پر بہت سے مانیئے سدسیوں نے اپنے وچار بکش اور ویکھش میں پرستوت کیئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے کشمیر کا قالین سارے سنسار میں اس کی خوبصورتی کے لحاظ سے اس کی کوالٹی کے لحاظ سے اس کے کلو کمبینیشن کے لحاظ سے ایران کے بعد دوسرے نمبر پر مانا جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کون بناتے ہیں۔ یہ جو خوبصورت قالین بنانے والے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جو ہزاروں کی تعداد میں کشمیر ویلی میں قالین انڈسٹری کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ان انڈسٹریز میں ایمپلائی ہیں۔ آپ کے بل میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ۱۴ سال سے کم ہو وہ بچہ تو بالکل کام پر لگ ہی نہیں سکتا ہے لیکن آپ نے وہاں یہ حالت دیکھی ہوگی۔ آپ میں سے بہت سارے مانیئے سدسے میرا خیال ہے کشمیر جاتے آتے رہتے ہیں تو کبھی آپ چپکے سے کسی فیکٹری میں چلے جایئے تو وہاں پر آپ پائیں گے کہ ۷-۸ سال سے لے کر ۱۴-۱۵ سال تک کی عمر کے بچوں کو ہی وہاں پر امپلائے کیا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بچے تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں اور دوسرے ان کا جو فزیکل اسٹرکچر ہے وہ اسٹرکچر بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ جس سے بچے کبڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ یہ ایسا کمبرسم جاب ہے جس کو جھک کر کرنا پڑتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ سارے بچے کبڑے ہو جاتے ہیں اور جب وہ بچے ۱۷-۱۸ سال کے ہو جاتے ہیں تو انڈسٹری والے ان کو چلتا کر دیتے ہیں۔ وہ اس لئے کہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو زیادہ ویج مانگتا ہے۔ بچپن میں ان کو سستے ویج پر بچے مل جاتے ہیں اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو نکال دیتے ہیں۔ ایک ماسٹر رہتا ہے جو ان کو انسٹرکشن دیتا ہے۔ ان کا کوڈ ہوتا ہے لینگ ویج ہوتی ہے اس سے بچے کام کرتے ہیں قالین بناتے ہیں۔

میں ایک بات آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ ۱۹۷۴-۷۵ میں جب مرحوم شیخ صاحب نے جموں کشمیر میں حکومت سنبھالی تو وہاں پر ممبروں نے یہ مانگ کی کہ فیکٹریز میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کا ایمپلائیمینٹ کو بین کرنا چاہیئے۔ شروع میں شیخ صاحب مان گئے تھے لیکن

بعد میں سننے میں یہ آرہا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایڈوائس دیا کہ اگر آپ نے کشمیر کی پولیٹکس پر کنٹرول رکھنا ہے گرپ رکھنا ہے تو ان بچوں کو اس انڈسٹری میں رکھنا چاہیئے تاکہ وہ اَن پڑھ رہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ جان بوجھ کر ڈیلی بریٹلی کیا یا کیا گیا۔

کشمیر میں آج بھی جتنے بھی اینٹی انڈیا ایلیمینٹس ہیں وہ زیادہ تر اَن پڑھ لوگ ہیں۔ جو پڑھے لکھے ہیں یا Intellectuals ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا بھلا کہاں ہے کدھر ہے۔ ان میں یہ ایلیمینٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ بہت کم لوگ ہوں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل کانسپریسی ہے اور آج بھی کنٹینیو کر رہی ہے کہ لوگ اَن پڑھ رہیں۔

بہت سارے سجھاؤ یہاں آتے ہیں۔ ایک سدسے نے کہا کہ چائلڈ لیبر بل بالکل ختم کر دینا چاہیئے۔ اگر ایسا ہوگا تب تو ایمپلائرز ان کو کھلی چھٹی ہوگی۔ لیکن چائلڈ لیبر بالکل بین کی جائے تو اچھی بات ہے۔ اگر یہ نہیں ہو تو کوئی ایک ایسا طریقہ ہونا چاہیئے جس سے ان کی تعلیم پر کوئی اثر نہ پڑے۔ اگر ان سے کام کروانا ہو تو گھنٹے دو گھنٹے سے زیادہ کام انہیں نہ کرنا پڑے۔ تاکہ وہ تعلیم کو بھی فالو کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ تھوڑا بہت کام بھی کر سکیں جس سے اپنے ماتا پتا کے لئے کچھ پیسہ کمایا جا سکے۔ انہیں کشمیر قالین انڈسٹری میں اسکوئیر انچ کے حساب سے پیسہ ملتا ہے جو کہ وہ دو گھنٹے میں بھی کما سکتے ہیں۔

اس لئے میری یہی گزارش ہے کہ جو بل فی الحال آپ لائے ہیں میں اس کا سمرتھن کرتا ہوں لیکن لانگ رن میں اس میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ان بچوں کو تعلیم سے محروم نہیں رکھا جائے۔

دلی میں بھی بہت سارے ایسے ورکشاپ ہیں اسکوٹر اور سائیکل بنانے والوں کے جو کہ روڈ سائڈ پر چلاتے ہیں۔ وہاں ایک دادا بیٹھا ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے یہاں کام کرتے ہیں۔ ان پر آپ کیسے کنٹرول کریں گے۔ فیکٹریز میں جو رول اس بل کے سیکشن ۳۔ بی اور ۳۔ ڈی کے تحت کام کرنے کی ریکوائرمینٹ ہوتی ہے رول کو فیکٹری پریمیسس میں ڈسپلے کرنا ہوتا ہے یہاں پر یہ قانون لاگو نہیں ہے کہ کتنے ٹائم کام کروانا ہے۔ کوئی اسے امپلیمینٹ نہیں کر رہا ہے۔ دیکھنے والے جو انسپکٹر ہوتے ہیں وہ ایمپلائر کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ چاہے قالین فیکٹری ہو یا سینما اور شراب کے کام ہوں۔ فیکٹری اکسائز اور لیبر انسپکٹر ہو سب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیئے کہ ان کو اسٹرکٹ انسٹرکشنز دیں اور بیچ بیچ میں کسی ہائر آفیسر کو بھی جاکر دیکھنا چاہیئے تاکہ جو غلط کام کر رہے ہیں ان پر کوئی کنٹرول ہو سکے۔

اِن شبدوں کے ساتھ جو بل آپ لائے ہیں فی الحال تو وہ ٹھیک ہے لیکن لانگ۔ رن کے لئے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں اس کا سمرتھن کرتا ہوں]

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, बालक नियोजन (संशोधन) विधेयक पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मुझे आपने समय दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं।

इस बिल के पूर्व भी अनेकों बिल इस सदन में लाये गये हैं और सभी लोगों ने उन बिलों को पास किया है, लेकिन जो भी कानून इस सदन में बैठकर हम लोग बनाते हैं, हमने यही पाया है कि वह कानून चन्द पदाधिकारियों की पाकेट में कैद हो जाता है।

हिन्दुस्तान में बाल श्रमिकों का जहाँ तक प्रश्न है, आप देखेंगे कि बाल श्रमिकों की हालत ऐसी बन गई है जिस तरह रोड पर कुछ खाकर झूठा पत्ता फेंक दिया जाता है, यह सर्वविदित है कि देश की अधिकांश मां स्वयं भूखी रहती हैं। उसका कारण गरीबी है, फलस्वरूप जनसंख्या बढ़ने के कारण बाल-श्रमिकों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जायेगी। आज बाल-श्रमिक कहीं भी काम करता है और जो मजदूरी उसे मिलती है, उससे उसका पेट नहीं भरता है। आज हालत यह है कि अगर कोई खाना खाकर झूठी पत्तल फेंकता है तो एक तरफ कुत्ता उस पत्तल को खींचता है और दूसरी तरफ बाल-श्रमिक उस पत्तल को खींचता है। आज कुत्ते से भी बदतर हालत बाल-श्रमिकों की है।

किसी समय कहा जाता था कि बच्चे देश के भविष्य हैं। क्या ये ही हिन्दुस्तान के वे बच्चे हैं जो आज रोटी के लिए मोहताज हैं और अपने घरों से नौकरी के लिए निकलते हैं? जब इनको पैसा नहीं मिलता तो हालत यह होती है कि बड़े-बड़े अपराध कर ये लोग गिरफ्तार हो जाते हैं और जेलों में बन्द हो जाते हैं। मासूम बच्चों की हालत यह हो जाती है कि श्रमिक का सपना लेकर, रोटी का मोहताज होकर वह नौकरी के लिए निकलता है लेकिन बड़े-बड़े गुनाहों में फंसने के कारण वह जेलों में बन्द हो जाता है, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है और जेल में अमानुषिक व्यवहार बच्चों के साथ किये जाते हैं।

बाल-श्रमिकों की समस्या का एक कारण यह है कि लोगों में गरीबी है। दूसरा कारण यह है कि उद्योगपति और कारखानेदार मुनाफा कमाने की दृष्टि से बालकों को नौकरी में रखते हैं क्योंकि वे सस्ते पड़ते हैं और उनको मजदूरी कम दी जाती है। गरीबी के कारण ही लोग अपने बच्चों को काम के लिए भेजते हैं। जब तक हम समाज के अन्दर मानवीय संवेदनाओं को पैदा नही करेंगे, जब तक प्रचार-माध्यम से जन-जागरण नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों के दिलों-दिमाग पर ये बातें नहीं बैठायेंगे और इन बच्चों से काम कराते रहेंगे और उनसे काम कराकर उनके भविष्य को बर्बाद करते रहेंगे तब तक इस एक्ट को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं। संगठित क्षेत्र में बाल श्रमिकों को समाप्त किया जा सकता है। बच्चों को रोजगार पर न लगाया जाये इसके लिये आवश्यक है कि उन्हें अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं बड़ी-बड़ी सुर्खियों में बिहार प्रदेश के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कुछ मासूम बच्चों का सिर काट कर विदेशों में भेजा गया। नरमुंडों की कहानी एक बिहार प्रदेश की अभूतपूर्व जुबानी है और यह कहानी हर इन्सान की जुबान पर है। यह वह बच्चे थे जो दो रोटियों के लिए मोहताज थे, दर-दर ठोकरें खाते थे, चन्द दलालों द्वारा बहका कर

नौकरी के लालच में ले जाये जाते थे। यह हालत आज हिन्दुस्तान के बच्चों की है। स्व० नेहरू जी को दो चीजों से प्रेम था, एक गुलाब के फूल से और दूसरा मासूम बच्चों से। आज उनके हिन्दुस्तान में बच्चों की यह हालत हो रही है। आप बाल दिवस मनाते हैं और उसके कार्यक्रम रेडियो और दूरदर्शन पर दिखाते हैं। क्या उसका यही अंजाम हो रहा है कि आज हिन्दुस्तान के बच्चे चंद गुण्डों और लोफरों के हाथ में पड़ रहे हैं और वे गुण्डे उन बच्चों के बांह आदि काट देते हैं और उन्हें मजबूर करते हैं कि तुम भिक्षाटन करो।

आप जो कानून लाये हैं इस कानून के तहत पूर्व में कितने लोग गिरफ्तार किये गये और कितने लोगों को सजा दी गई? मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप अपने उत्तर में यह निश्चित रूप से बतायें कि जो सजा की अवधि है, अगर चन्द लोग छोटे-मोटे अपराध करते हैं, अशान्ति फैलाते हैं तो क्या आप इसके लिए नेशनल सिक्योरिटी ऐक्ट, या गुण्डा-ऐक्ट का प्रावधान रख रहे हैं ?

हिन्दुस्तान के मासूम बच्चे जो देश का भविष्य हैं, जिनके भविष्य के बारे में नेहरूजी, लोहिया जी, और गांधी जी जैसे बड़े-बड़े नेताओं ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं, और आज उनके भविष्य के साथ क्या हो रहा है और उन बच्चों को इतनी बड़ी यातना दी जाती हैं। क्या इसके लिये आप गुण्डा ऐक्ट और मीसा जैसे कानून नहीं ला सकते हैं। अगर कानून होगा तो हमारा दायित्व बन जाता है कि उस कानून का हम पालन करें।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर बोलते समय बहुत कम समय लूंगा। बाल श्रमिक संशोधन विधेयक के बारे में जो बहस हो रही है, यह बहस सुनने से ऐसा लगा कि यह जो आपने संशोधन कर रखे हैं और जो आप सजा बढ़ा रहे हैं यह आप आंख में धूल झोंक रहे हैं। यह कानून अगर लागू करना चाहें तो कैसे लागू करेंगे, इसको आपको देखना होगा। जब आज हिन्दुस्तान के 5-6 साल के बच्चे अपने माता-पिता को पाल रहे हैं, होटलों में प्लेट धोते हैं, उसकी आमदनी से उसके मां-बाप जिन्दा हैं तो वह गरीब बेचारे खायेंगे क्या, इसको आपको देखना होगा।

अभी कल ही एक माननीय सदस्य श्रीमती निर्मला जी ने एक बात यह कही कि यह पूरी दुनिया की समस्या है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। जो समाजवादी देश हैं, वहां ऐसी समस्या नहीं है। आपने तो यह कह दिया कि 16 वर्ष तक के बच्चे से काम नहीं लिया जायेगा, जो काम लेगा, उसको सजा दी जायेगी। लेकिन 16 वर्ष के बच्चे काम नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, इसका आपको अध्ययन करना होगा। आप उन्हें संवैधानिक अधिकार दीजिए और पढ़ाई की ठीक व्यवस्था कीजिए। उनके अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा तथा भोजन और पढ़ाई की सामग्री की व्यवस्था कीजिए। ऐसी व्यवस्था हो जाने से बिना कानून बनाये बच्चों से काम लेना बंद हो जायेगा। अगर आप हिन्दुस्तान के बच्चों को धोखा देना चाहते हैं तो यह कह सकते हैं कि कानून बना दिया, 6 महीने की सजा होगी, इतना जुर्माना देना होगा।

एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि पहले अगर 5 रुपये रोज मिलते थे, अब 4 रुपये मिलेंगे, यह कह कर कि हम फंस जायेंगे, एक रुपया काटेंगे तो बचाव का काम करेंगे। तो यह कानून जनता की इच्छा और आकांक्षा को समझते हुए बनाना चाहिए। कानून तो अच्छे-अच्छे बहुत

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

बनाये गये हैं लेकिन उनका पालन किस प्रकार होता है यह भी देखना चाहिए। आज आप देखें बच्चों की क्या हालत है? आप कहते हैं कि आज के बच्चे कल देश के भावी कर्णधार होंगे। लेकिन क्या ये ही बच्चे देश के भावी कर्णधार होंगे जो बच्चे और कुत्ते दोनों जूठे पत्तल के लिए लड़ते हैं? कर्णधार तो वह वच्चे होंगे जो मसूरी में पढ़ते हैं या जिनके बच्चे बड़े-बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर आप यह कहते कि 16 वर्ष तक इन बच्चों के पढ़ने-लिखने का आप इंतजाम करेंगे और 16 वर्ष तक कोई गार्जियन इनसे काम नहीं लेगा, जैसाकि समाजवादी देशों में होता है और उसके बाद जो इनकी इच्छा होगी वह करेंगे तो शायद आप की बात सही हो सकती थी। आज आप गांवों में चल कर देखिए, पाँच वर्ष के बच्चे जानवर चरा रहे हैं, उससे जो दो चार मन गल्ला मिलता है उसके सहारे उनका और उनके परिवार वालों का भरण-पोषण होता है। अगर आप इसको खत्म करना चाहते हैं तो आप ऐसी व्यवस्था कीजिए जिसमें उनकी जीविका के लिए कोई रास्ता निकले और 16 वर्ष तक वह पढ़ लिख सकें, इसके बाद वह जो करना चाहें वह करें। समय कम है इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैय्या) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि इस बिल के बारे में काफी लोगों ने बातचीत की है और काफी अच्छे सुझाव और प्रोपोजल्स लोगों के हमें मिले हैं। ऐसा मालूम होता है कि इस बिल पर बोलते हुए बच्चों की कंडीशन क्या है और उनके बारे में वे क्या विचार रखते हैं वह सब बातें हाउस के सामने उन्होंने रखीं। आप जानते हैं कि यह कोई काम्प्रीहेंसिव बिल नहीं है, यह एक छोटे से पोर्शन का अमेंडमेंट करने के लिए रखा है। और एक बिल हम लोग लाना चाहते हैं जैसाकि पूरे हाउस की डिमांड है कि एक काम्प्रीहेंसिव बिल लाया जाय।

इसमें शुरु में एक गुरुपद स्वामी की रिपोर्ट मिली है और सनद मेहता की रिपोर्ट मिली है। इन दोनों रिपोर्टों में कुछ सुझाव उन्होंने दिए हैं, उन पर हम लोग विचार कर रहे हैं। नन्दना रेड्डी ने एक बिल बनाया और बिल ही नहीं कुछ बच्चों को कर्नाटक से लाकर उन्होंने बताया कि किस तरह से उनसे काम लिया जा रहा है। स्क्रीनिंग पर भी वह उन्होंने बताया। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इस तरह से उन्होंने एक ड्राफ्ट बिल बना कर हमारे सामने रखा। उस बिल में जो सुझाव आए हैं और सनद मेहता की जो रिपोर्ट मिली है, गुरुपद स्वामी की जो रिपोर्ट मिली है, इन तीनों में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके आधार पर एक ऐक्ट बना कर हाउस के सामने लाने की जरूरत है। मैं जानता हूं इस बिल से कुछ थोड़ी बहुत प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज के आने की भी संभावना है इसलिए कि इसमें लोगों ने कहा कि एक तरफ तो आप सख्ती करना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ कोई मार्ग नहीं बताते हैं कि वह करें क्या? जब 14-15 साल के बच्चों से काम लेने पर आप बैन लगायेंगे तो इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? यह हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। अभी हमारे पास जो फंड्स हैं कुछ जो पब्लिक सर्विसेज करने की संस्थाएं हैं वह नौ हैं और उनको हम नौ लाख रुपया देते आये हैं। अब इस साल 15 लाख रुपये देने का विचार है वहां वह ट्रेनिंग वगैरह का कुछ इंतजाम रखते हैं जहां कि आज बहुत काफी बच्चे हैं। जैसे शिवकाशी में या कारपोरेट इंडस्ट्री में कुछ माफिक इंतजाम किया गया है लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। प्लानिंग कमीशन ने पांच करोड़ रुपये इन बच्चों के लिए रखे हैं। ऐजूकेशनल ट्रेनिंग और रेक्रिएशनल ट्रेनिंग के लिए

रुपया रखा गया है। उसकी कुछ स्कीम्स विचार में हैं। 45 करोड़ रुपया खर्च होगा और फंड्स के लिए क्या करना है, उस पर विचार हो रहा है। अगर बच्चों की स्थिति को सुधारना है तो क्या मैनेजमेंट पर कोई सेस लगाया जाए जिससे कि पैसा इकट्ठा हो सके, चिल्ड्रेन वेलफेयर फंड के नाम पर और यदि ऐसा किया जाता है तो कितना पैसा वसूल किया जा सकता है—यह देखना होगा। हमारे यहां इण्डस्ट्रियल वर्कर्स करोड़ों की तादाद में फैक्ट्रीज में लगे हुए हैं, अगर मैनेजमेन्ट एक वर्कर के पीछे एक रुपया भी दे दे तो उससे करोड़ों रुपए इकट्ठे किए जा सकते हैं। इस प्रकार से उन बच्चों को ट्रेनिंग देकर, उनकी सोशल सिक्योरिटी का इन्तजाम करके साथ में कोई एलाउन्स भी दे सकते हैं या क्या-क्या कर सकते हैं—इस पर हमें विचार करना है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं यह मसला इतना आसान नहीं है और जहां तक फाइनेन्सेज की बात है, वह हमारे हाथ में नहीं है।

यह मसला आपके सामने आया है तो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अभी तक क्या ऐक्शन लिया गया है तो ऐक्शन स्टेट गवर्नमेन्ट्स ले सकती हैं। सेन्टर की तरफ से 1300 मामले डेटेक्ट किए गए लेकिन ऐक्शन के बारे में स्टेट गवर्नमेन्ट्स की तरफ से कोई इन्फार्मेशन नहीं है। अब इस बिल के पास होने के बाद ऐक्शन लेने के लिए कुछ पावर्स मिल सकेंगी। स्टेट गवर्नमेन्ट्स को तमाम चीजों की पावर्स दी जायेंगी। सेन्टर में तो एडवाइजरी बोर्ड बना हुआ है, स्टेट्स में भी बोर्ड बनने हैं।

बच्चों में बान्डेड-लेबर्स की समस्या भी है तो इन सारी चीजों की डिटेल्स में जाकर देखना है कि क्या कर सकते हैं। अभी तो जो हैल्थ हैजार्ड है, उसके बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि मैच इण्डस्ट्री है, कारपेट इण्डस्ट्री है—इस प्रकार की इण्डस्ट्रीज में हम इमीडिएटली कोई ऐक्शन लेना चाहते हैं जिसके लिए इस बिल को पास करने की आवश्यकता है। बाकी जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि घरेलू काम-धंधा करने वाले बच्चों पर हमने कोई पाबन्दी नहीं लगाई है तो जिस तरीके से परिवार के बच्चे जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं उस पर अभी तक कोई पाबन्दी नहीं है और इसके बारे में हमने सोचा नहीं है। दूसरे इसकी जिम्मेदारी उनके मां-बाप पर आती है कि वे उनसे काम लेते हैं या नहीं। इस पर कोई पाबन्दी लगाना ठीक होगा या नहीं, इस पर विचार किया जायेगा।

काफी माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा है कि एक अच्छा व्यापक बिल लाने की जरूरत है जिसके जरिए से सारी चीजों डिस्पेंसरीज, अपस्ताल की व्यवस्था, एजूकेशन और ट्रेनिंग की व्यवस्था और रेक्रिएशन की व्यवस्था की जा सके। आपको मालूम होगा कि इमरजैन्सी के समय में एप्रेंटिसशिप की योजना के मातहत लाखों लोगों को विभिन्न उद्योगों में भेजा गया था, हालांकि उस काम में स्टेट्स में अब कुछ सुस्ती आ गई है और वह काम अब ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। उसी तरह से क्या 15 साल के बच्चों के लिए क्या एप्रेंटिसशिप स्कीम को इण्डस्ट्रीज और शाप्स में लागू किया जा सकता है ? अगर इस तरह की एप्रेंटिसशिप स्कीम चलाई गई तो उन बच्चों को ट्रेनिंग भी मिलेगी और कुछ एलाउन्स भी मिल सकेगा। तो क्या इन बच्चों के लिए भी ऐसी स्कीम में कोई रिजर्वेशन हो सकता है या नहीं—इसके बारे में भी हम सोचेंगे। इस तरह से 14-15 साल के बच्चों को ट्रेनिंग देने की बात सोच सकते हैं जोकि लाखों की तादाद में बेरोजगार हैं।

[श्री टी० अंजैय्या]

यहां पर और भी बहुत सी बातें कही गई हैं जिनको सोचकर हम कोई बिल लाने की कोशिश करेंगे। आप यह समझिए कि इस बिल के अन्दर ज्यादा चेंजेज नहीं किए हैं, मामूली किया है। अमेंडमेंट के लिए तमाम और बातों को सोचना है। हाउस के अन्दर यह डिसकस हुआ है। आप जानते हैं कि वर्किंग चिल्ड्रन की दो-तीन प्राब्लम होती हैं। 1971 की सैन्सस के बाद 23 करोड़ बच्चों में से एक करोड़ 75 लाख ऐसे हैं जो काम करते हैं। जैसी कि हमारे पास फीगर्स हैं। आप जानते हैं इस बारे में क्या कर सकते हैं। दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं और घरों में रहते हैं, इनके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जो काम करने वाले बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। उन बच्चों की कंडीशन के बारे में कोई भी आदमी देखकर महसूस कर सकता है कि वे ठीक हालत में हैं या नही हैं। इस बारे में सोचना पड़ेगा और उनके मां-बाप को भी समझाना पड़ेगा कि वे बच्चे किस तरीके से काम कर रहे हैं। आप कहते हैं, जो बच्चे काम कर रहे हैं, वे सात-आठ रुपए कमा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक करोड़ 75 लाख जो काम करने वाले हैं, आठ रुपए के हिसाब से तो चार हजार करोड़ रुपया इनको देना पड़ेगा। इतना पैसा हम कहां से ला सकते हैं। इस बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन इसके लिए कोई-न-कोई सिस्टम ला सकते हैं। इसके ऊपर भी ली गई एग्जामिन करके कोई-न-कोई प्रयोजन लाना पड़ेगा, जैसे सरकार कितना दे सकती है, राज्य सरकार कितना दे सकती है, मैनेजमेंट कितना दे सकता है—इन सबचीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। तमाम चीजों को सोचकर, यह काम ग्राम पंचायत से लेकर इस एक्ट को किस तरीके से इम्पलीमेंट करना है, यह देखना है। कुछ लोगों ने कहा कि इस एक्ट को लगा देने से मालिक पैसा कम दे सकते हैं। यह बात आपने सही कही है, यह बात मेरे भी दिल व दिमाग में थी लेकिन मैं पर्सनली जांच-पड़ताल करके मैनेजमेंट को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। एक्सप्लायट करने वाले बहुत से लोग हैं। यह कम से कम जो तीन महीने की सजा रखी गई है, उसके अन्दर जुर्माना 500 रुपया रखा गया है। यह दोनों बातें हो सकती हैं या कुछ न कुछ हो सकता है। सैकेंड एफर्ट में दो महीने से छः महीने तक सजा रखी है। यह जज पर रहेगा, लेकिन कम्पलसरी इम्प्रीजनमेंट का सवाल कुछ नहीं है। कोर्ट एक दिन बैठा कर सजा दे सकता है। इस बारे में हमनें लीगल डिपार्टमेंट्स से बात की लेकिन वे कहते हैं कि पिनल कोड में, रेप केस में और डाउरी के केस में या मर्डर के केस में जितनी सजा उस कानून में होनी चाहिए उतनी है, लेकिन इस कानून में प्रोवीजों रखा गया है। जब हम नैक्स्ट बिल लायेंगे, तो सोचेंगे, फिर मैं इस बारे में चर्चा करूंगा, अगर हो सकता है, इस प्रोवीजों के रहते हुए सजा मिलनी चाहिए।

इस वक्त जो यह बिल लाया गया है, वह इसलिए कि कम से कम लोगों को मालूम हो जाए कि भारत सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है, ताकि इसके बारे में कोई सख्त एक्शन लिया जा सके। अभी इसके बारे में कोई ऐसी प्राब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता हूं। यह समस्या गुरबत और गरीबी की वजह से ज्यादा हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई भी काम करने से पहले बहुत-सी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। यह जो बिल लाया गया है, इसको वापस

1.00 म०प०

लेना मुशिकल है। जो इसको वापस लेने के लिए कह रहे थे, वह नहीं हो सकता। इस बिल के बारे में आप लोगों ने जितने सुझाव दिये हैं, आयन्दा जो काम्प्रीहैंसिव बिल लाएंगे, उसमें इन तमाम चीजों का ध्यान रखेंगे। माननीय सदस्यों ने जितनी बातें कही हैं और सजैश्चन्स दिये हैं,

उन सबको मैंने नोट कर लिया है। जो प्रोपोजल्स दी गई हैं, उन पर विचार करके आयन्दा काम्प्रीहैंसिव बिल लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने एमेंडमेंट्स दिये हैं, उनकी अभी जरूरत नहीं है। जो नेक्स्ट बिल लाया जाएगा, उसमें आपके तमाम विचारों को ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए मैं मैम्बरों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे अपने एमेंडमेंट्स विदड्रा करलें और हमें मौका दें एक अच्छा बिल लाने के लिए। हाउस के तमाम मैम्बर आफ पार्लियामेंट ने जो भी बातें कही हैं, उन पर बोलने का हमको मौका मिलना चाहिए।

इतना कहते हुए, मैं चाहता हूं कि यह बिल पास किया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बालक नियोजन अधिनियम, 1938 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2

श्री शांताराम नायक (पणजी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 14 और 15—

"या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, शब्दों का लोप किया जाये।" (1)

पृष्ट 2—

"पंक्ति 7 से 9 तक का लोप किया जाये।' (2)

अगर सदन में वादविवाद सही ढंग से और गंभीरता से करना है तो यह संशोधन आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश के लाखों बच्चों का शोषण न हो तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अनिवार्य कारावास की सजा का उपबन्ध किया जाये। पहले अपराध के मामले में आपने कहा है कि अपराधी को कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पांच सौ रुपए से कम नहीं होगा किन्तु दो हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित करना होगा।

पहले अपराध के मामले में कोई भी अपराधी को कारावास की सजा नहीं देगा। अब उदाहरण के तौर पर, अगर एक नियोक्ता 500 बच्चों को नियोजित करके लाखों रुपये का लाभ अर्जित करता है तो वह न्यायालय में कुछ सौ रुपए का जुर्माना देकर बच सकता है।

दूसरे अपराध को लीजिए। आपका कहना है कि दूसरे अपराध के लिए छह माह के अनिवार्य कारावास की व्यवस्थां है। यद्यपि छह माह के कारावास का उपबंध है फिर भी परन्तुक के अनुसार :

"परन्तु न्यायालय, ऐसे किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, छह मास से कम की अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।"

[श्री शांताराम नायक]

इसका अर्थ यह है कि दूसरे अपराध के मामले में अपराधी पर न्यायालय के उठने तक की सजा अधिरोपित हो सकती है। विधेयक का यह नतीजा है। अतः, मैं अपनी पूर्ण निष्ठा से यह सुझाव देता हूं कि इस संशोधन पर विचार किया जाये।

[हिन्दी]

श्री टी० अंजैय्या : मैम्बर साहब ने जो बात कही है, वह ठीक है क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा है। हमने दो दिन से लीगल डिपार्टमेंट से डिस्कशन करके कोशिश की है मगर समय नहीं है। सब चीजों के लिए कैबीनट में जाना पड़ता है। इसलिए जो नैक्स्ट बिल लाएंगे, इन तमाम बातों की जो चर्चा की है, उसमें लाने की कोशिश करेंगे और अभी एमेंडमेंट देने की जरूरत नहीं है। मैं मैम्बर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वह अपना एमेंडमेंट विदड्रा कर लें।

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक : चूंकि माननीय मन्त्री महोदय ने इस सभा में वायदा किया है कि शीघ्र ही सभा के सामने एक व्यापक विधेयक लाया जायेगा, इसलिए मैं अपने संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपने संशोधन संख्या 1 और 2 को वापस लेने की सभा की अनुमति है ?

कुछ माननीय सदस्य : हां।

संशोधन संख्या 1 और 2 सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय अब यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री टी० अंजैय्या : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

——————

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 5 मिनट म०प० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

1.06 **म०प०**

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर पांच मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

2.07 **म०प०**

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर सात मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

——————

2.07 **म०प०**

भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : हम मद संख्या 6 को लेते हैं । माननीय मन्त्री श्री बंसी लाल ।

रेल मन्त्री (श्री बन्सी लाल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलगाड़ियों का सुचारु रूप से तथा समय पर चलना आवश्यक है परन्तु हाल ही में एक विशेष बात देखी गई है कि रेलगाड़ियों को समय पर और सुचारु रूप से चलने देने में बाधा पहुंचाने हेतु हौज पाइप काटने तथा जंजीर खींचने की घटनाओं में बहुत वृद्धि हुई है । अतः इस संशोधन विधेयक में हमने एक उपबन्ध किया है जिसके द्वारा उन लोगों को, जो हौज-पाइप काटकर रेलगाड़ियों को सुचारु रूप से चलने में बाधा पहुंचायेंगे, कम से कम छः महीने के कारावास और 500 रुपये जुर्माने का दण्ड दिया जायेगा ।

अन्य धाराओं में जहां पहले कुल जुर्माना 500 रुपये था हम उसे 2000 रुपये तक बढ़ाने का एक उपबन्ध कर रहे हैं । अतः यह संशोधन लाया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री डी० एन० रेड्डी (कुडप्पा) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में परिवहन का प्रमुख साधन भारतीय रेल है । इसमें लगभग 7500 करोड़ रुपये का निवेश है और एकल प्रबन्ध व्यवस्था के अधीन यह एशिया में सबसे बड़ा और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेल संस्थान है । कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में देश की अर्थव्यवस्था रेल विभाग से सम्बद्ध है और रेलवे के अच्छे कार्यकरण पर निर्भर करती है । रेल विभाग के असफल होने पर सभी क्षेत्र असफल रहते हैं । रेलवे की सफलता पर देश की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से सुरक्षित रह सकती है । रेलवे प्रणाली वाणिज्यिक रूप से और साथ ही जन-सुविधा के रूप में कार्य करती है । वाणिज्यिक सेवा से अधिक जन-सुविधा के रूप में जनता की बेहतर सेवा करने के लिए रेल विभाग को पर्याप्त धन की आवश्यकता है । हमारा दल बराबर इस बात का सुझाव देता रहा है कि रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट बनाने की आवश्यतता नहीं है । हम लोग इस बात पर जोर देते रहे हैं कि योजना आयोग पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराये जिससे कि रेल प्रणाली का विस्तार किया जा सके । अब मैं महसूस करता हूं कि रेलवे के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाये जिससे की शनै: शनै: उसका विस्तार किया जा सके । जनता की बेहतर सेवा के लिए रेल विभाग का एक साथ विस्तार न करके शनै: शनै: विस्तार करने की आवश्यकता है ।

महोदय, यहां उपस्थित होने से पूर्व मैंने दक्षिण जोन की रेल सलाहकार समिति तथा संसदीय समिति दोनों की कार्यवाही पढ़ी थी । मुझे आश्चर्य है कि सदस्यों द्वारा दिये गये सभी सुझावों के बारे में रेल मंत्री ने एक ही उत्तर दिया है । उन्होंने धन की कमी तथा इंजनों की कमी बताई है । मैं तो यह समझा था कि उन्होंने यह उत्तर केवल मुझे ही दिया है किन्तु प्रत्येक सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव पर उन्होंने एक ही उत्तर दिया है । मैं रेल मंत्री को दोषी नहीं ठहराता हूं । मैं पुन: सिफारिश करता हूं कि रेलवे के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाय और रेलवे का विस्तार धीरे-धीरे तथा व्यापक रूप से एवं एक निश्चित ढंग से किया जाये जिससे देश की अर्थ व्यवस्था में सुधार हो सके ।

सभी बड़े-बड़े स्टेशनों पर व्यापक रूप से तीन सिद्धान्तों की घोषणा की जाती है । वे हैं, सुरक्षा, संरक्षण और समय पालन । महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि राजस्व की प्राप्ति अधिकांशत: द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से होती है । उनसे लगभग 96.4 प्रतिशत राजस्व प्राप्त होता है । इसलिए सामान्य व्यक्ति को हर प्रकार की सहायता और सुविधा दी जानी चाहिए । वास्तव में वही अतिविशिष्ट व्यक्ति है और यदि रेल कर्मचारी उनकी अच्छी सेवा करें तो उत्तम होगा । वह हमारा तथा उनका दोनों का स्वामी है । उच्च श्रेणियों के यात्रियों से भी अधिक सुख-सुविधा, द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को दी जानी चाहिये । हम देखते हैं कि उच्च श्रेणी के यात्रियों के प्रति और यहां तक कि उपस्थित संसद सदस्यों के प्रति भी विनम्रता नहीं दिखाई जाती है । महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर समय-समय पर दिलाया जाता रहा है और मन्त्री महोदय यही उत्तर दे देते हैं कि कर्मचारियों को निर्देश दे दिये गये हैं । किन्तु मैं देखता हूं कि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है । सह-यात्रियों की ओर ध्यान देने से कुछ घटता तो नहीं है ।

कम से कम इस बारे में तो मंत्री महोदय यह नहीं कह सकते हैं कि धन की कमी है। उन्हें यह कड़े अनुदेश दिये जाने चाहिए कि रेलवे कर्मचारी यात्रियों का विशेष ध्यान रखें और उनके प्रति विनम्र रहें।

महोदय, दस दिन पहले मेरे साथ बड़ी दुःखद घटना घटी थी, जब मैं अपने इन तीन साथियों के साथ, जो यहां बैठे हैं, 4 अगस्त को कालका दिल्ली हावड़ा मेल से कालका से दिल्ली आ रहा था। गाड़ी चलने का समय 11.40 था। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें। मैं आपको विशिष्ठ घटना से अवगत करा रहा हूं। मैंने उनसे मामले की जांच करने को कहा था। गाड़ी को कालका से 11.40 पर रवाना होना था। किन्तु वह प्लेट फार्म पर 5 मिनट लेट अर्थात 11.45 पर आई थी। वह प्लेट फार्म पर उस समय पहुंची थी। यात्री 10.00 बजे से ही प्लेट फार्म पर बिखरे पड़े थे। पूछताछ करने पर कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। हमने स्टेशन मास्टर से पूछा था। उसने इतना ही उत्तर दिया कि शंटिंग में अधिक समय लग गया होगा। जब हमने गार्ड से पूछा तो उसने कोई और ही कारण बताया। इस प्रकार कोई उचित कारण नहीं बताया गया। इतना ही नहीं..........

श्री बंशी लाल : किस तारीख को ?

श्री डी० एन० रेड्डी : 4 अगस्त-कालका-दिल्ली-हावड़ा मेल।

इतना ही नहीं। चलने के समय से प्लेटफार्म पर 5 मिनट देर से आने के बाद भी, वह 5 मिनट पहले ही चल पड़ी थी और हम लोग बड़ी कठिनाई से गाड़ी में चढ़ पाये थे। हमारे आरक्षित स्थान परिवर्तित कर दिये गये थे। हमें एक कूपे दिया गया था। मैं अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था और यद्यपि हमें एक कूपे दिया गया था किन्तु अन्तिम क्षण में उसे रद्द कर दिया गया था। जब मैंने परिसर से पूछा तो उसने कहा कि इसके लिये वह उत्तरदायी नहीं है। किन्तु सूचना पट पर मैंने देखा था कि मुझे कूपे आबंटित किया गया था। नीचे उतरते हुए मैंने वह कूपे नहीं लिया। जब तक उपयुक्त कूपे मुझे नहीं दिया जाता तब तक मैं गाड़ी चलने नहीं दे रहा था इसके बाद वे लोग मुझे दूसरे डिब्बे में ले गये और वहां मुझे सीट दीं। जब हमारे साथ यह वर्ताव होता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के साथ, जिनके बारे में मैं कह चुका हूं कि वे हमारे मालिक हैं, रेलवे कर्मचारी कैसा व्यवहार करते होंगे। मैं इस विशेष घटना की ओर माननीय रेल मन्त्री का ध्यान दिला रहा हूं जिससे कि इसके बारे में जाँच-पड़ताल कराई जाये और इसके लिये स्पष्टीकरण माँगा जाय। इसके साथ ही मुझे आशा है कि कम से कम निकट भविष्य में ऐसी घटना की आवृत्ति नहीं होगी।

दूसरा मुद्दा, जिसकी मैं माननीय मंत्री महोदय से बार-बार वकालत करता हूं, यह है कि संसद सदस्यों के साथ पेश आने वाले मामलों के बारे में क्षेत्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर इन कर्मचारियों को सम्बन्धित सदस्यों के साथ आवधिक चर्चा करनी चाहिये। यह सच है कि माननीय मंत्री महोदय हमें यह आश्वासन देते रहे हैं कि अनुदेश दे दिये गये हैं किन्तु मुझे यह कहते हुये खेद होता है कि उन पर बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया है।

पुनः मैं एक और घटना का जिक्र करूंगा। गुंताकल स्थित क्षेत्रीय प्रबन्धक जून के दूसरे सप्ताह में एक दिन के लिए कुडप्पा गये थे। कुडप्पा मेरा संसदीय मुख्यालय है। उस समय मैं कुडप्पा में ही था और कुछ मुद्दों पर उनसे विचार-विमर्श करने के लिए मैं अत्यधिक उत्सुक था

[श्री डी० एन० रेड्डी]

किन्तु दुर्भाग्यवश किसी ने भी कुडप्पा में उनकी उपस्थिति के बारे में मुझे नहीं बताया तथा न ही किसी ने उनके कार्यक्रम के बारे में मुझे सूचित किया। दुर्भाग्यवश जब मैं रायलसीमा एक्सप्रेस में चढ़ रहा था और गाड़ी छूटने ही वाली थी, तब मुझे बताया गया कि वह भी उसी गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। यदि मुझे पहले पता चल जाता तो मैं उनके साथ विचार-विमर्श कर लेता। किन्तु मैं ऐसा नहीं कर सका, मैं माननीय मंत्री महोदय से बार-बार यह अनुरोध करता रहा हूं कि स्थानीय समस्याओं के बारे में वह हम लोगों के साथ चर्चा किया करें। क्योंकि अधिकांश समस्याओं को क्षेत्रीय स्तर पर ही निपटाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर किसी छोटे हाल्ट के बारे में, अमुक-अमुक स्टेशनों पर कुछ अधिक सीट दिये जाने के बारे में अथवा वैगनों की कमी के बारे में चर्चा की जा सकती है। अधिकांश बातों पर चर्चा की जा सकती है किन्तु वे लोग हम लोगों के साथ चर्चा करने की चिन्ता ही नहीं करते और खेद है कि हमें रेल मन्त्री के पास बार-बार आना पड़ता है तथा शिकायत करनी पड़ती है। इस प्रकार मैंने दो विशिष्ठ घटनाओं का उल्लेख किया है, एक जो कुछ कालका में हुआ और दूसरी बात कुड़प्पा की घटना से सम्बन्धित है। कृपया उनकी जांच करायें तथा यदि इसके परिणाम से आपने मुझे अवगत कराया तो मैं आपका आभारी रहूंगा।

रेल विभाग को यातायात से होने वाली आय सामान्य राजस्व प्राप्ति से बहुत अधिक है और जैसा कि हम देखते हैं, वैगनों की लगभग सभी जगह कमी है। रेलवे अध्यक्ष ने लिखित रूप में कहा है कि चालू वर्ष के दौरान लगभग 25 करोड़ टन माल की ढुलाई की जायेगी किन्तु योजना आयोग ने जांच करने के बाद और अधिक माल ढोने अर्थात् वर्ष भर में 27.9 करोड़ टन माल ढोने की बात कही है। प्रति वर्ष कम से कम लगभग 15,000 वैगनों की आवश्यकता होने का अनुमान है। हमें जो कुछ बताया गया है वह यह है कि 1985-86 में 5,500 वैगनों का आर्डर दिया गया है और लगभग 10,000 वैगन रद्द किए जायेंगे। ये आंकड़े मेरे नहीं बल्कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के हैं। इसलिये वैगनों की कमी की ओर ध्यान दिया जाय जिससे हम लोगों को ऐसी परेशानी न उठानी पड़े।

नई रेल लाइन के बारे में बात करुं, हम लोग एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण रेल लाइन के लिए जोर देते हैं और वह है दो या तीन भिन्न-भिन्न राज्यों को जोड़ने वाली लाइन। उत्तर सदा यही है कि धन की कमी है। मुझे यह बात पता है। किन्तु इस ओर समुचित ध्यान तो देना ही चाहिए और समुचित स्तर पर महत्त्वपूर्ण रेल लाइन बनाने के बारे में विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। एक मांग है कि बंगलोर से विशाखापत्तनम तक एक सुपर फास्ट गाड़ी चलाने के बारे में। दूसरी है—पश्चिम तट पूर्वी तट रेल लाइन बनाने की। तीसरी है हसन, बंगलोर, हिन्दपुर, कुडप्पा होकर मंगलौर से नैल्लोर जाने वाली गाड़ी चलाने की। चौथी है, मध्य प्रदेश की बेलाडीला खान से विशाखापत्तनम इस्पात संयन्त्र तक लोह अयस्क की ढुलाई के लिये बाल्टेयर-किरुन्दल लाइन की। पाँचवी है, कोटीपल्ली-काकीनाड़ा रेल लाइन को पुनः चालू करना। इस लाइन को केवल पुनः चालू करना है। कोई नयी लाइन नहीं बिछानी है। लाइन वहां बिछी हुई है और जहां सब कुछ बना पड़ा है। इस लाइन को पुनः चालू हो जाने से न केवल यात्रियों को लाभ होगा बल्कि माल की ढुलाई में भी बड़ी सहायता मिलेगी।

मुझे एक और मुद्दे पर जोर देना है, रेलवे फाटक पर भारी खतरा बना रहता है। यथा सम्भव ऊपरी पुल बनाये जायें। अनेक स्थानों में उपरी पुल बनाना सम्भव नहीं होता है, ऐसे स्थानों पर वहां चौकीदार वाले फाटक होने चाहिये। निदादावोले रेल फाटक पर ऊपरी पुल बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है किन्तु उसे बनाने के लिए अभी कदम उठाये जाने बाकी हैं। इसी प्रकार, कावली और नन्दयाल के ऊपरी पुल के मामले अभी तक निर्णयाधीन पड़े हैं। मैं एक अन्तिम बात और कहना चाहता हूं जिसके बारे में आंध्र प्रदेश की जनता अत्यधिक चिंतित है। काजीपेट का डिब्बे बनाने का कारखाना स्थानान्तरित कर दिया गया है। वह हमें मिलने वाला था। छानबीन की गई थी किन्तु एक दिन प्रातः काल ही माननीय प्रधान मन्त्री ने घोषणा कर दी कि वह पंजाब में खोला जाएगा। किन्तु मानवीय भावना प्रधान होती है और मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि पहले तो मेडक से आयुध कारखाने को मद्रास स्थानान्तरित किये जाने से आंध्र प्रदेश की जनता की भावना को ठेस पहुंची थी और अब इस डिब्बे बनाने के कारखाने को पंजाब को स्थानान्तरित किए जाने से पहुंची है। हम लोग ना तो पंजाब के विरोधी हैं और न किसी अन्य राज्य के। उन्हें सहायता दी जानी चाहिए किंतु हमारी सुविधा को समाप्त करके नहीं क्योंकि हमें केन्द्र से बहुत कुछ प्राप्त होने की आशा थी। छानबीन करली गई थी। सबकुछ तैयार था। सभी का कहना था कि यही सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है किन्तु किसी भी प्रकार का कोई कारण बताये बिना उसे स्थानान्तरित कर दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यही बात मैंट्टूपालायम और तिरुची में भी हुई।

श्री डी० एन० रेड्डी : रायलसीमा एक्सप्रेस के सम्बन्ध में मुझे एक और बात कहनी है जिसके बारे में मैं बार-बार कहता रहा हूं। यही एक ऐसी गाड़ी है, जिसके द्वारा हममें से अधिकांश व्यक्ति जिसमें तिरुपति से हैदराबाद की यात्रा करते हैं। तिरुपति से चलने वाली यह गाड़ी रात में देर से हैदराबाद पहुंचती है। इसे एक या डेढ़ घण्टा पहले चलाया जाये। यदि यह ठीक समय से चले तो इसके 8.30 बजे सायं अथवा 9 बजे सायं तक पहुंचने की आशा की जाती है किन्तु यह 10 या 10.30 बजे रात में पहुंच पाती है। यह समय यात्रियों के लिए बहुत ही असुविधाजनक है।

दूसरी बात यह है कि रेल विभाग को इस रेलगाड़ी में जिसमें अनेक महत्त्वपूर्ण यात्री तिरुपति से हैदराबाद तक की यात्रा करते हैं, कम से कम एक वातानुकूलित डिब्बा तो लगाना चाहिए और यहां का मौसम भी बड़ा गरम होता है। ये दो मुद्दे हैं। इन मुद्दों के बारे में मुझे माननीय रेल राज्य मन्त्री से उत्तर प्राप्त हो चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करने की चेष्टा कीजिए।

श्री डी० एन० रेड्डी : रेल राज्य मन्त्री ने मुझे यह उत्तर दिया है कि तिरुपति से चलाने का समय पर्याप्त नहीं है और तीर्थ यात्री चाहते हैं कि गाड़ी को और देर से चलाया जाय। यह गलत है। कोई भी नहीं चाहता कि गाड़ी को देर से चलाया जाय। हर व्यक्ति यथा सम्भव शीघ्र हैदराबाद पहुँचने को इच्छुक है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। मैंने आपको 10 मिनट का समय दिया था किन्तु आप 15 मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री डी० एन० रेड्डी : अन्त में माननीय मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस मुद्दे को स्वीकार किया जाय तथा इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही की जाये ।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं जिसका उद्देश्य होज पाइप काटने वालों को कड़ी सजा देना है क्योंकि हौज पाइप काटने से दुर्घटनाएं होती हैं । हौज पाइप काटना ही एक मात्र अपराध नहीं है । आप जानते ही हैं कि हर संभव प्रयासों के बावजूद हम रेल-दुर्घटनाओं को रोकने में विफल रहे हैं । रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है और ऐसी अधिकाश दुर्घटनाएं मानवीय गलतियों के कारण होती हैं ।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : यांत्रिक गलतियों के कारण होती हैं ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यांत्रिक गलतियों के कारण भी होती हैं । मुझे मालूम है ।

उपाध्यक्ष महोदय : दुर्घटनाएं मानवीय गलतियों के कारण होती हैं । जब आप ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो दुर्घटनाएं होंगी ही ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : अंततः हर बात के लिए मानवीय गलतियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है । सिगनल प्रणाली का संचालन करने वाले लोगों की लापरवाही से बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं । अतः किसी विशेष अपराध के लिए विधेयक बनाना ही काफी नहीं है ।

मेरे विचार से माननीय मन्त्री जी को एक व्यापक विधेयक तैयार करना चाहिए जिसमें सभी तरह की मानवीय गलतियों के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था की जाये ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मंत्रियों द्वारा की जाने वाली गलतियों समेत ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह भी इन्सान हैं ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप जानते ही हैं कि मन्त्रियों को उनकी गलतियों की सजा दूसरी तरह से मिलेगी । मेरा विचार था कि नए मन्त्री जी द्वारा कार्य भार संभाल लेने के बाद रेल दुर्घटनाओं में कमी आएगी । लेकिन तथ्य यह है कि उसमें कमी नहीं आई है । आपने बजट भाषण के दौरान इस सदन में कहा था कि आप रेल-दुर्घटनाओं को रोकने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं । आपने कहा था कि सुरक्षा को आप सर्वाधिक महत्व देंगे । लेकिन आप जानते ही हैं कि जनवरी, 1985 से कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं । इस साल जनवरी में असम में हुई एक मालगाड़ी दुर्घटना में 11 लोगों की जानें गईं ।

इसके बाद फरवरी में, नागपुर जा रही चक्रधरपुर यात्री गाड़ी के दो डिब्बों में आग लग जाने से 50 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ।

फिर अप्रैल में दिल्ली में ही यमुना नदी के पुल पर बने ढांचों से टकरा जाने से 11 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ।

आगरा के पास राजा की मण्डी स्टेशन के पास हुई दुर्घटना में 37 व्यक्तियों की जानें गईं ।

कुल मिलाकर इस साल जनवरी के बाद लगभग 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और 400 से अधिक व्यक्ति घायल हुए हैं । इतनी भयंकर रेल दुर्घटनाएं हुई हैं ।

मैं अन्य दुर्घटनाओं का यहां उल्लेख नहीं कर रहा हूं। 150 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। हर बात पर हमारा बस नहीं है। कुछ बातें हमारे बस से भी बाहर की होती हैं। मैं यह जानता हूं लेकिन मेरे विचार से अगर ईमानदारी से प्रयास किया जाता तो इनमें से कुछ दुर्घटनाओं से बचा जा सकता था।

अतः मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि वह इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं।

जब कभी कोई दुर्घटना होती है तो आप एक जांच समिति बना देते हैं। दुर्घटनास्थल पर मन्त्री जाते हैं सरकारी अधिकारी जाते हैं। वे कुछ कहते हैं, कुछ वक्तव्य देते हैं। और कोई समिति बनाने के बाद बात वहीं खत्म हो जाती है। हर कोई उस दुर्घटना को भूल जाता है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : हम भी उसे भूल जाते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हम वास्तव में इसे भूल जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। रेल दुर्घटना के बाद जांच समितियों का गठन किया जाता है। ये समितियां कुछ सिफारिशें करती हैं। उन सिफारिशों को प्रकाशित नहीं किया जाता। उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वास्तव में आपके मन्त्रालय की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे भारतीय रेलों की बेहतर सुरक्षा के लिए होती हैं। इन सिफारिशों पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता।

इस सदन में आपने यह भी कहा था कि धन की कमी के कारण आप अति आधुनिक उपकरणों को नहीं खरीद पाते जिनसे रेलगाड़ियों को और अधिक सुरक्षित ढंग से चलाया जा सके। मैं कहूंगा कि किसी और बात को प्राथमिकता न देकर चलती गाड़ियों में सुरक्षा व्यवस्था करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए चाहे जो कुछ खर्चा आए किया जाना चाहिए। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले को योजना आयोग के साथ उठायें और पर्याप्त धनराशि प्राप्त करें, ताकि सुरक्षा, जोकि सर्वाधिक महत्व की बात है, पर ध्यान दिया जा सके। इसके लिए जिस भी उपकरण की जरूरत पड़े उसे खरीदा जाए। अगर उसका आयात करने की भी जरूरत पड़े तो हमें इसका आयात करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

दुर्घटनाओं के अलावा चलती गाड़ियों में डकैतियों की घटनायें भी होती हैं। कुछ लोगों के लिए रेल यात्रा दुःस्वप्न बन गया है क्योंकि दक्षिण जाने वाली अधिकांश रेलगाड़ियों में डकैती की घटनायें हो रही हैं। दक्षिण जाने वाली गाड़ियों में कुछ डाकू रेलगाड़ी में घुस जाते हैं और सब कुछ लूट लेते हैं। चलती गाड़ियों में दिन दहाड़े डाके डाले जाते हैं। मैं इसके अनेक उदाहरण दे सकता हूं। हाल ही में कुछ दिनों पहले मैंने माननीय रेल मंत्री को एक दुर्घटना के बारे में लिखा था। निजामुद्दीन और कोचीन के बीच चलने वाली जयंती-जनता एक्सप्रेस गाड़ी को लूटा गया। दुःख की बात यह है कि यह सब एक आरक्षित डिब्बे में हुआ। रात में आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर सेक्शन में—मेरे आन्ध्र बन्धु यहा मौजूद हैं, वे वहां कानून और व्यवस्था के बारे में बढ़-चढ़कर बातें करते हैं, वे इसे सुनें—बहुत से लोगों ने आरक्षित डिब्बे में घुसकर यात्रियों का माल असबाब लूट लिया। उस रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा एक लड़का मेरे पास कुछ दिनों पहले आया और उसने मुझे बताया कि उसके रुपए पैसे ही नहीं गए बल्कि उसके प्रमाणपत्र भी चले गए। उसे एक साक्षात्कार में उपस्थित होना था लेकिन उसका सारा सामान और प्रमाणपत्र लूट लिए गए। जब वह मेरे पास

[प्रो० पी०जे० कुरियन]

आया तो उसके पास कुछ भी नहीं था यहां तक कि बदलने के लिए एक जोड़ा कपड़ा तक भी नहीं था। उसने मुझसे शिकायत की मैंने तत्काल मन्त्री जी को लिखा। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे जवाब दिया और उसमें लिखा था कि कार्यवाही की जा रही है। उनका कहना था कि यह कानून और व्यवस्था की समस्या है और इस मामले में राज्य सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन मैं मन्त्री जी को बताना चाहूंगा कि उस डिब्बे में कोई टी० टी० आर० नहीं था। आरक्षित डिब्बे में टी० टी० आर० होना चाहिए। लेकिन वहां कोई नहीं था। जब ये लोग रेल पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तो उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं की.........

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : मुझे नहीं मालूम। गाड़ी अधीक्षक ने स्वयं शिकायत पर लिखा है कि रेल पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इंकार किया। मैं नहीं जानता कि क्यों ? मैंने मंत्री जी को इस बारे में भी लिखा है। तो यह सब हो रहा है। जयंती-जनता एक्सप्रेस में ही नहीं, दक्षिण जाने वाली अधिकांश रेल गाड़ियों में केरल एक्सप्रेस में, तमिलनाडु एक्सप्रेस में रात में चोरियां होती हैं और डाके डाले जाते हैं। कोई भी यह सोच सकता है कि यह सब रेल अधिकारियों की साठ-गाठ से किया जा रहा है। नहीं तो ऐसे लोग डिब्बों में कैसे घुस आते हैं और जंजीर खींच कर भाग जाते हैं ? कुछ रेल अधिकारियों से जरूर साठ-गाठ होगी। मैं यहां यह आरोप लगाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी इसकी जांच कराएं। अन्यथा आप ऐसी घटनाओं के बारे में स्पष्टीकरण कैसे देंगे ?

मैं यह भी जानना चाहूँगा कि रेल मंत्रालय इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रहा है। यह कहने में कोई तुक नहीं कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्त्तव्य है। रेल यात्रा सुरक्षित होनी चाहिए। सुरक्षित रेल यात्रा की व्यवस्था करना रेल मंत्रालय का उत्तर-दायित्व है। मेरा सुझाव यह है कि आप आरक्षित डिब्बों में सशस्त्र गार्डों की व्यवस्था पर विचार क्यों नहीं करते ? अगर यह व्यवस्था सारे क्षेत्र के लिए नहीं की जा सकती तो कम से कम ऐसे क्षेत्रों के लिए तो की जा सकती है जहां पर ऐसी चोरियां और डाके बहुधा पड़ते रहते हैं। सभी डिब्बों में सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ऐसी दुर्घटनाओं और डकै-तियों से बचा जा सके।

रेलों में हालत क्या है ? हाल ही में मैंने मलयालम के एक प्रमुख दैनिक समाचार-पत्र में एक लेख पढ़ा था। लेख दिल्ली से त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली एक महत्त्वपूर्ण रेल गाड़ी केरल एक्सप्रेस के बारे में था। उसमें लिखा था कि बहुत से यात्री, जो कि कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्री होते हैं, रेलगाड़ी के आरक्षित डिब्बों में घुस जाते हैं। इस बात की जानकारी रेल कर्मचारियों को होती है। ये रेल कर्मचारी अधिकारी उनसे 10 से 50 रु० तक वसूल करते हैं जिसके कारण आरक्षण प्राप्त यात्रियों को गाड़ी में पर्याप्त जगह नहीं मिलती। आरक्षण नहीं करा कर आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने वाले ये यात्री रात को उस समय किसी स्टेशन पर उतर जाते हैं जब ज्यादातर यात्री सो रहे होते हैं। मेरे विचार में अधिकांश डकैतियां इसीलिए पड़ती हैं क्योंकि ऐसे लोगों को आरक्षित डिब्बों में घुसने दिया जाता है।

महोदय, उसी दैनिक पत्र में यह भी छपा था कि रेलगाड़ी में पानी नहीं होता है और ऐसा कहा जाता है कि यात्रियों को पैसे देकर प्लेटफार्म से पानी खरीदना पड़ता है। प्लेटफार्म पर पानी बेचने वाले होते हैं और उनसे पानी खरीदना पड़ता है। केरल एक्सप्रेस में यह होता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको अखबार से इस समाचार की कतरन (कटिंग) दे सकता हूँ। वहां यह नियमित रूप से होता है। किसी को रेल यात्रियों की सुविधा की चिंता नहीं है। आप लम्बी दूरी की रेलगाड़ियां तो चलाते हैं लेकिन सुविधा की चिंता नहीं करते। मेरा सुझाव है कि इन पहलुओं पर विशेष रूप से विचार किया जाय।

महोदय, जहां तक रेल के विकास का संबंध है दुर्भाग्य से विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में पहले ही काफी विषमता है। रेलवे पर हमारा सारा देश निर्भर करता है। इसलिए जब तक यह हमारे देश के हर कौने, खासकर अविकसित क्षेत्रों में नहीं पहुँच जातीं तब तक किसी तरह का विकास—औद्योगिक विकास या किसी और किस्म का विकास—नहीं हो सकता। विकास तभी हो सकताहै जब वहां रेल लाइनें बिछाई जाएं। मुझे मालूम है कि आपके पास पैसे की कमी है। लेकिन रेलवे को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मंत्री जी को चाहिए कि वह इस मामले को योजना आयोग के साथ उठाएं और अधिक धनराशि निर्धारित करायें ताकि जहां जरूरी हो वहां हम रेल लाइनें बिछा सकें।

जहां तक मेरे राज्य का संबंध है आप जानते हैं कि हमेशा यह शिकायत की गई है कि रेलों के मामले में हमारी उपेक्षा की गई है। हाल ही में केरल में एक दल आन्दोलन करने को सोच रहा था। उसका कहना है कि केरल की उपेक्षा की गई है। मैं कोच फैक्टरी आदि के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में प्रति एक लाख जनसंख्या के लिए औसतन 10 कि० मी० रेल लाइन है जबकि केरल में प्रति एक लाख जनसंख्या के लिए 4 कि० मी० रेल लाइन ही है। इस अंतर को पाटने के लिए मेरा सुझाव है कि राज्य को कुछ विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

आपने बजट में अलप्पीकायमकुलम रेलवे लाइन को शामिल किया है। लेकिन इसके लिए नाम मात्र धनराशि ही दी गई है। आपने इस सदन में कहा है कि यह सातवीं योजना तक पूरी हो जाएगी। मेरा अनुरोध है कि इस लाइन के लिए और धनराशि दी जाए। मेरा निर्वाचन क्षेत्र बहुत विशाल है लेकिन वहां कोई रेल लाइन नहीं है। वहां इंच मात्र भी रेल-लाइन नहीं है। हमने कोचीन-मदुरै रेल लाइन का प्रस्ताव रखा है और रेल मंत्रालय ने सर्वेक्षण किया है जो कि लगभग पूरा हो गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले को योजना आयोग के साथ उठायें और इस रेल लाइन को शुरु करने के लिए अधिक धनराशि की व्यवस्था करें।

मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि आप एक नई लाइन अर्थात् तिरुवल्ला-पुनालूर रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कराने के लिए विचार करें। मैं केवल सर्वेक्षण के लिए कह रहा हूँ क्योंकि यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ती है।

आशा है कि मंत्री जी इन मुद्दों पर, खासकर मेरे द्वारा सुरक्षा के बारे में उल्लिखित मुद्दों पर समुचित विचार करेंगे।

*श्री वी० कृष्ण राव (चिकबल्लापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्री महोदय द्वारा लाये गये भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, 1985 का हार्दिकरूप से स्वागत करता हूं। विधेयक पर बोलते समय मैं आपकी सरकार के विचारार्थ कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव देना चाहूंगा।

*मूलतः कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया सात मिनट में अपना भाषण समाप्त कर लीजिये।

श्री वी० कृष्ण राव : महोदय, मैं दस मिनट का समय लूंगा।

श्री नारायण चौबे : ठीक है आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री वी० कृष्ण राव : हौज-पाइपों को काटकर चलती रेलगाड़ियों को रोकने के मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। चैन खींचने के मामलों की संख्या भी बढ़ रही है। भारतीय रेल अधिनियम 1980, जिसमें उन लोगों को दण्डित करने का प्रावधान किया गया है जो रेलगाड़ियों में अवरोध पैदा करते हैं, या करने का प्रयास करते हैं, रेलगाड़ियों में अवरोध पैदा करने की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त नही हैं। इस प्रकार के मामलों में कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। हौज-पाइपों को काटकर चलती रेलगाड़ियों में अवरोध पैदा करने के मामलों में, कम से कम छः महीने की कारावास की सजा और न्यूनतम पाँच सौ रुपये के जुर्माने के प्रावधान का प्रस्ताव है। धारा के अन्तर्गत जुर्माने की अधिकतम राशि को पाँच सौ रुपये से बढ़ाकर दो हजार रुपये तक करने का प्रस्ताव किया गया है। यह एक अच्छा उपाय है। यदि दण्ड कठोर नहीं होगा तो रेलगाड़ियों में अवरोध पैदा करने के मामले भी कम नहीं होंगे।

रेल दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ रही है। सर्वप्रथम सम्बद्ध रेल अधिकारियों तकनीशियनों और रेलवे के अन्य विशेषज्ञों को और अधिक उत्तरदायी होने के लिए कहा जाये। दूसरे, रेल दुर्घटनालों के लिये उत्तरदायी लोगों को अधिक कठोर सजा दी जानी चाहिये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन दो उपायों से रेल दुर्घटनाओं की संख्या घट जायेगी।

अब मैं अपने राज्य कर्नाटक में रेल सुविधाओं के बारे में बोलना चाहता हूं। हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली और मद्रास के बीच ग्रान्ड ट्रन्क एक्सप्रेस प्रतिदिन चलती है। कर्नाटक राज्य की राजधानी को नई दिल्ली के साथ जोड़ने के लिये ग्रान्ड ट्रन्क एक्सप्रेस के साथ बंगलौर की पाँच बोगियां (सवारी डिब्बे) जोड़ने की बहुत पुरानी परिपाटी चली आ रही थी। परन्तु अकस्मात यह परिपाटी बन्द कर दी गई है। अभी हाल ही में उन्होंने द्वितीय श्रेणी की केवल एक बोगी जोड़ने की परिपाटी चलाई है। यह बंगलौर जैसे नगर के लिये कतई पर्याप्त नहीं है जिसकी लगमग 40 लाख की जनसंख्या है और यात्रा करने वाली जनता को भारी मुसीबत है। मेरा रेल मंत्री महोदय से यह विनम्र निवेदन है कि वह यह देखें कि बंगलौर के लिये ग्रान्ड ट्रन्क एक्सप्रेस में पांच सवारी डिब्बे जोड़े जायें और इस प्रकार बंगलौर और बम्बई के बीच यात्रा करने वाले हजारों-हजार यात्रियों की सहायता करें।

कर्नाटक एक्सप्रेस मेरे राज्य की राजधानी बंगलौर और मेरे देश की राजधानी नई दिल्ली के बीच चलती है। परन्तु दुर्भाग्य से यह गाड़ी सप्ताह में दो बार चलती है। यदि हम एक महीने अग्रिम भी अपनी सीट आरक्षित करवाना चाहें तो वह उपलब्ध नहीं होगी। चूंकि इस मार्ग का उपयोग लोगों द्वारा भारी संख्या में किया जाता है इसलिए मेरे पास रेल मंत्री महोदय से यह निवेदन करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है कि कर्नाटक एक्सप्रेस को तुरंत प्रतिदिन चलाया जाये। मैं यह भी निवेदन करता हूं कि कर्नाटक एक्सप्रेस को गोवटीबिदमूर पर भी रोका जाए जो कि एक बड़ा व्यावसायिक केन्द्र है और आन्ध्र प्रदेश की सीमा से लगता हुआ कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण सीमा नगर है।

बंगलौर से मंत्रालय और अन्य पवित्र तीर्थ स्थानों जैसी महत्त्वपूर्ण जगहों की सहस्रों व्यक्ति यात्रा करना चाहते हैं। मंत्रालय और अन्य मुख्य केन्द्रों को मिलाने वाले बंगलौर और गुन्टकल के बीच 6 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं है। इससे पहले बंगलौर और गुन्टकल के बीच एक गाड़ी थी जो बंगलौर से रात को 9.30 बजे छूटती थी। इसलिए मैं अपने मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इन दो केन्द्रों के बीच शीघ्र ही एक रेलगाड़ी चालू करें। एक अन्य रेलगाड़ी बंगलौर और तिरुपति के बीच गुन्टकल के मार्ग से चालू की जानी चाहिये क्योंकि ऐसी गाड़ी की बड़ी मांग है।

पुत्तूर आन्ध्र-प्रदेश में एक ऐसा स्थान है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध अस्थि चिकित्सालय अवस्थित है। जिन लोगों के दुर्घटनाओं में या किसी अन्य कारण से हाथ पैर आदि टूट जाते हैं, वे देश के विभिन्न भागों से उपचार के लिये यहां आते हैं। उनमें से कुछ रेल द्वारा बम्बई से आते हैं। परन्तु रेल अरकोनम और रेनीगुन्टा पर रुकती है जो कि पुत्तूर से बहुत दूर है। अतः, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह सभी रेलगाड़ियों को नियमितरूप से पुत्तूर में रुकने के लिए प्रावधान करें। यह उन सैकड़ों बीमार लोगों के लिए वरदान सिद्ध होगा जो प्रतिदिन इस अस्पताल में आते हैं।

येलहान्का और बन्गारपेट के बीच एक छोटी लाइन है। बन्गारपेट एक बड़ा व्यावसायिक केन्द्र है अतः, इस लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाए। चिकबल्लापुर में आलू बहुत होता है। यहाँ से आलू न केवल देश के अनेक भागों में, बल्कि लंका और अन्य दूसरे देशों को भी भेजा जाता है। इसलिए चिकबल्लापुर और बंगलौर के बीच की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाये।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं रेलों में बढ़ रही डकैतियों के बारे में बोलना चाहूंगा। कर्नाटक एक्सप्रेस, केरल एक्सप्रेस, आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस, तमिलनाडु एक्सप्रेस आदि लम्बी दूरी की जो गाड़ियाँ दिल्ली आती हैं उन्हें लूटा जाता है। रेलगाड़ियों में डकैतियों के बारे में हमें प्रतिदिन समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिलता है। इसलिए लम्बी दूरी की गाड़ियों में पुलिस सुरक्षा सशक्त बना दी जानी चाहिये। डकैती पड़ने वाले क्षेत्रों में पुलिस को और अधिक सजग रहने के लिये कहा जाये। डकैतों को बहुत ही कठोर दण्ड दिया जाये। बिना टिकट यात्रा करने वालों और चेन खींचने वालों के लिये वर्तमान दण्ड में उल्लेखनीय वृद्धि की जानी चाहिये।

महोदय, मैं बोलने का यह अवसर प्रदान किये जाने पर आपका धन्यवाद करता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय हौज-पाइपों को काटने को रोकने तथा सवारी गाड़ियों एवं मालगाड़ियों दोनों के ही सही ढंग से चलाये जाने से सम्बद्ध मामलों को लेकर यह विधान लाये हैं। मैं नहीं समझता कि इस विधान से हौज-पाइपों को काटने और चेन खींचने जैसी गतिविधियाँ रोकी जा सकती हैं।

दण्ड को अब और कठोर करना पड़ेगा। मेरे विचार से दण्ड को अधिक कठोर कर देने से ये गतिविधियाँ रोकी जा सकती हैं क्योंकि हम रेलगाड़ियों को सही समय पर और सही ढंग से चला सकते हैं। हम बिना टिकट यात्रा को रोकने हेतु पहले ही विधान पास कर चुके हैं फिर भी बिना टिकट यात्रा बन्द नहीं हुई है और चल रही है। अतः, इस विधान को लाकर और दण्ड को अधिक कठोर बना कर मैं नहीं समझता कि इन गतिविधियों को रोका जा सकता है।

[श्री वसुदेव आचार्य]

रेल मंत्री महोदय ने अभी-अभी बताया है कि वह चाहते हैं कि रेलगाड़ियां सही ढंग से और समय पर चलें। स्थिति क्या है? हाल के समय में, अनेकों रेल दुर्घटनायें हुई हैं। मेरे पास गत तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े हैं और मैं यह दर्शा सकता हूं कि दुर्घटनाओं में किस प्रकार वृद्धि हुई है।

वर्ष 1982-83 में रेलगाड़ियों में टक्कर की दुर्घटनाओं की संख्या 54 थी और 1983-84 में यह 48 तथा 1984-85 में 39 रही। रेलगाड़ियों के पटरियों से उतरने के आंकड़े निम्नांकित हैं:

1982-83	–	–	653
1983-84	–	–	621
1984-85	–	–	679

रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई दुर्घटनाओं की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष 1984 में 113 अर्थात् 65%

वर्ष 1985 में तीन मास के लिए यह संख्या 91 थी अर्थात् 58.2%

तकनीकी, यांत्रिक खराबी के आंकड़े इस प्रकार हैं:

वर्ष 1984 में 26 अर्थात् 14.9%

वर्ष 1985 में यह बढ़कर 25.7% हो गये।

महोदय, गत वर्ष इसी अवधि के दौरान हुई रेल दुर्घटनाओं की तुलना में इस वर्ष 7% की वृद्धि हुई है। मेरी समझ में यह नहीं आता की यान्त्रिक खराबी के कारण हुई दुर्घटनाओं की संख्या में कैसे वृद्धि हुई है। जब छठी पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी तो रेल योजना को पुनर्वास योजना कहा गया था। लगभग 14,000 कि० मी० लम्बी रेल की पटरियां पुरानी पड़ चुकी हैं। 3,000 रेल इंजन और सहस्रों यात्री डिब्बे बहुत पुराने हो गये थे और सैकड़ों भाप इन्जनों की भी यही स्थिति थी। अब सरकार ने भाप इंजनों का उत्पादन बन्द कर दिया है। चितरंजन लोको मोटिव वर्क्स से अन्तिम भाप-इंजन 1973 में निकला था। 15 वर्ष के पश्चात् भाप के सभी इंजन पुराने पड़ जायेंगे। अत: इस समस्त 14,000 कि० मी० लम्बी रेल की पटरी के स्थान पर नई रेल पटरी बिछानी होगी अर्थात रेलपथ नवीनीकरण कार्यक्रम शुरु करना होगा। अब 5 वर्ष बाद स्थिति क्या है? परसों रेल मन्त्री महोदय ने 'टेलीग्राफ' समाचार-पत्र द्वारा लिए गये साक्षात्कार में यह स्वीकार किया था कि 20,000 कि० मी० रेल-पथ अब पुराने पड़ गये हैं। इन रेल पथों को शीघ्र ही बदलना पड़ेगा और इसलिए दुर्घटनाएं और रेलों के पटरियों से उतरने की घटनाएं बढ़ रही हैं। परन्तु रेलवे की योजना के बारे में आपको क्या कहना है? रेल मंत्री महोदय ने हमें यह उत्तर दिया है कि धनाभाव और वित्तीय अड़चनों के कारण यह तुरंत नहीं किया जा सका। रेल मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया था। अतः, इस प्रकार का विधान लाकर, और दण्ड को अधिक और कठोर बनाकर, आप रेलों के सुरक्षित चलने और यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने की गारन्टी नहीं दे सकते हैं। इस पहलू पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। जब 15 वर्ष बाद सभी भाप-इंजन पुराने पड़ जायेंगे तो क्या इन भाप इंजनों को सही ढंग से बदलने की कोई

योजना है ? मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या दो लोकोमोटिव्स इंजन अर्थात वाराणसी के डी० एल० डबल्यू० और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है। यह सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम स्वयं अपनी लोकोमोटिव इकाईयों की क्षमता का उपयोग किये बिना ही, विद्युत चालित नमूने के इंजनों का आयात कर रहे हैं।

मेरा रेल मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह रेलवे के सुरक्षा पहलू पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। यहां तक कि बिना उचित ब्रेक शक्ति के गाड़ियां चलाई जा रही हैं। अपने पिछले बजट भाषण के दौरान मैंने स्पष्टरूप से एक विशेष घटना का उल्लेख किया था कि किस प्रकार एक मालगाड़ी को पिछली बत्ती के बिना जानेदिया गया, जबकि सुरक्षा नियमों के अधीन यह आवश्यक है।

तीन समितियों, यथा कुंजरु समिति, सीकरी समिति और रेल सुधार समिति, ने रेल दुर्घटनाओं के निवारणार्थ कुछ सिफारिशें की हैं, परन्तु ये प्रतिवेदन रेलवे बोर्ड में तथा संसद ग्रन्थालय में धूल चाटते रहे हैं। रेल दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इन दुर्घटना सम्बन्धी समितियों के प्रतिवेदनों की कितनी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है ?

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं अपने राज्य की एक या दो परियोजनाओं का उल्लेख करना चाहता हूँ, यद्यपि उनकी इस विधेयक पर चर्चाओं से कोई संगति नहीं है। उस राज्य के सभी सदस्य इन परियोजनाओं के बारे में उत्सुक हैं।

आज ही मुझे मालदा बलूरघाट पहाड़ी रेल संयोग समिति का पत्र, एकलक्षी-बलूरघाट रेल परियोजना के बारे में मिला है। इस परियोजना का शिलान्यास भूतपूर्व रेल मंत्री महोदय श्री गनी खान चौधरी ने किया था। हम नहीं जानते कि वर्तमान स्थिति क्या है, और क्या योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति दे दी है या नहीं।

रेल मंत्री महोदय को दिघे ताम्लुक परियोजना के बारे में भी स्पष्टीकरण देना चाहिये। भूमि भी अर्जित कर ली गई है और भूतपूर्व रेल मंत्री महोदय द्वारा शिलान्यास भी किया जा चुका है।

पुरुलिया-कोटशिला रेल परियोजना के काम में भी शीघ्रता लाने की आवश्यकता है।

ऐसी अनेक परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास लोक सभा चुनावों से पूर्व किया गया था। उनकी अब क्या स्थिति है ?

मैं एक बार फिर रेल मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह रेल गाड़ियों को सुरक्षित और समय पर चलाने के लिए भारतीय रेलों के सुरक्षा पहलू पर गम्भीरता से विचार करें।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, अभी-अभी किन ही तो रेल मंत्री महोदय ने दक्षिणी क्षेत्र सलाहकार समिति की बैठक बुलाई थी और हम सभी ने अनेक सुझाव दिये थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने उन सुझावों को नोट कर लिया है और उन पर कार्यवाही करेंगे मेरे केवल एक या दो मुद्दे और हैं।

श्री पी० नामग्याल : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सलाहकार समिति की बैठक में चर्चित किसी भी बात को इस सभा में नहीं बताया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये, व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : मूल रेल बजट में कर्नाटक के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। तथ्यों और आंकड़ों द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि कर्नाटक के साथ भारी अन्याय हुआ है। दक्षिणी रेलवे और दक्षिण-मध्य रेलवे, इन दोनों द्वारा मांगे गये 20 करोड़ के बदले में केवल 4 करोड़ रुपये दिए गये हैं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह संशोधित प्राक्कलनों में इन रेलों को पर्याप्त धन प्रदान करें।

मैं जानता हूँ कि वित्तीय अड़चने हैं, योजना आयोग धन नहीं दे रहा है, परन्तु कुछ चालू परियोजनाएं हैं, जिन्हें पूरा किया जाना चाहिये।

सर्वप्रथम, मैं मैसूर से बंगलौर तक की लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की चालू और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के शीघ्र पूरा करने पर बल देना चाहूँगा। इसके लिये पर्याप्त धन नहीं दिया गया है।

जोलारपेट-बंगलौर लाइन का विद्युतीकरण एक अन्य परियोजना है। यह बहुत समय से लम्बित पड़ी है। छठी योजना में इसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान दिया गया था। अब इसे त्याग दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाए।

3.00 म० प०

मेरा एक और मुद्दा है। बंगलौर का तेजी से विस्तार हो रहा है और वह एक बड़ा शहर है। यहां यातायात की समस्या बहुत विकट हो रही है। मैं अनुरोध करता आ रहा हूँ कि बंगलौर शहर के लिए त्वरित परिवहन प्रणाली की व्यवस्था उसी प्रकार की जानी चाहिए जैसाकि आपने बम्बई कलकत्ता और मद्रास के लिए की है। इस प्रयोजन के लिए योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है। और मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इस योजना पर विचार किया जाए। मैं योजना आयोग से अनुरोध करता हूँ कि इसके लिए अपेक्षित धनराशि आबंटन की जाए ताकि इसे सातवीं योजना में शामिल किया जा सके। 90 या 100 वर्ष पहले इस अधिनियम को लागू किया गया था। ब्रिटिश सरकार को ऐसा विधान लाने का कोई अवसर नहीं मिला था। लेकिन केवल विधान से ही सुधार नहीं होने वाला है।

आजकल रेल से यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। आपको इसका आधुनिकीकरण करना चाहिए। रेल पटरियां नये सिरे से बिछाई जानी चाहिए और सिग्नल उपकरणों को आधुनिक बनाया जाना चाहिए। रेल गाड़ियों की स्थिति के बारे में बहुत से सदस्य बोल चुके हैं और मुझे वे सब बातें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। समय की कमी के कारण मैं और अधिक नहीं बोल सकता। लेकिन हमें यह सुनिश्चत करना चाहिए कि लोग रेलों से यात्रा करते समय प्रसन्नता अनुभव करें। निःसन्देह आजकल किसी भी प्रकार से यात्रा करना बहुत ही खतरनाक हो गया है। यहां तक कि विमान से यात्रा करना भी सुरक्षित नहीं रहा है और यह तो रेल यात्रा से भी बदतर हो गई है। मैं तो इस बात पर ही जोर दूंगा कि रेल दुर्घटनाएं मानव गलती से ही होती हैं। इसीलिए रेल मंत्री महोदय को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी रेलवे स्टेशनों पर कार्य कुशलता में सुधार हो। रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाए क्योंकि सभी रेलवे स्टेशन पुराने हो गए हैं। मैं यह जानता हूँ कि आपको हर बात के लिए धन चाहिए लेकिन आप यह सब कुछ चरण

बद्ध तरीके से कर सकते हैं। प्राथमिक और मूलभूत सुविधाएं अवश्य उपलब्ध करायी जानी चाहिए। क्या आपने कभी रेलवे स्टेशनों पर शौचालय देखे हैं? क्या आपने वहां विश्रामालय देखे हैं? क्या आपने वहां होटलों की दशा देखी है? रेल मंत्री महोदय को विमान से यात्रा करने के बजाए रेलों से ही यात्राएं करनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है और आपको आकस्मिक निरीक्षण भी करने चाहिए तभी सुधार सम्भव है।

मुझे विश्वास है कि रेल मंत्री महोदय यह देखेंगे कि कर्नाटक राज्य के साथ हुआ अन्याय दूर होगा। मैं तथ्यों और आंकड़ों से यह सिद्ध कर चुका हूं कि कर्नाटक के साथ कैसे अन्याय हुआ है।

उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और देश के कुछ अन्य भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर हुए कथित अत्याचारों, जिनके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अनेक घायल हुए, के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब नियम 193 के अन्तर्गत मद संख्या 11 पर विचार करेंगे। मैं श्री अमर राय प्रधान से चर्चा आरम्भ करने का अनुरोध करूंगा।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : गृह मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्रीमण्डल में अन्य मंत्री तो यहां उपस्थित हैं। श्री बंसी लाल यहां हैं। वे इस पर ध्यान देंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : यह महत्त्वपूर्ण मामला है......... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री महोदया यहां हैं। वह माननीय सदस्यों की भावनाएं गृह मंत्री महोदय तक पहुंचा देंगी। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने स्थान पर बैठ जाएं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमको बहुत से आरोप उनके विरुद्ध लगाने हैं......... **(व्यवधान)**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं यहां पर उपस्थिति हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री महोदया यहां हैं। वह उत्तर देंगी। क्या परेशानी है? कृपया बैठ जाएं। श्री रेड्डी, कृपया बैठ जाएं।

एक माननीय सदस्य : क्या वह मंत्रालय की स्वतंत्र रूप से प्रभारी हैं? **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इससे पता चलता है कि सरकार ऐसे गम्भीर मामले को कितना महत्व देती है।·········(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री महोदया यहां हैं। अन्य वरिष्ठ मंत्री भी यहां हैं। ये सभी मामले पर ध्यान देंगे। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : इससे सरकार का उपेक्षित और दम्भपूर्ण रवैया नजर आता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप क्या चाहते हैं ?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम चाहते हैं कि सम्बन्धित मंत्री यहां उपस्थित हों।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है। मैं आप सभी से कह रहा हूं। कृपया बैठ जाइए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदया यहा हैं, वह उत्तर देंगी·········

(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद (वाशिम) : राज्य मंत्री यहां हैं। चूंकि इस दौरान मंत्री महोदय कार्य में सलंग्न थे हमने उनके पास सन्देश भेज दिया है।

एक माननीय सदस्य : मंत्री तो मंत्री ही होता है, आप उनके बीच भेद भाव नहीं कर सकते·········(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आप क्यों चिल्ला रहे हैं ? क्या आपको कोई शर्म नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : महोदय, गृह मंत्री महोदय को अपना कार्य जानने के लिए आज की कार्य सूची देख लेनी चाहिए थी·········

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत उदाहरण हैं। हमने नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा आरम्भ कर दी है, वक्तव्य पर भी चर्चा आरम्भ हो चुकी है। हमने कई बातों पर ध्यान दिया है। अब आपको क्या परेशानी है ? कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इसी से सम्पूर्ण मामले के प्रति केन्द्रीय सरकार की गम्भीरता की कमी का पता चलता है। स्पष्ट है कि सरकार मामले को गम्भीरता से नहीं लेती।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी बैठ जाए········।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात जारी रखें।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन, यह वास्तविकता है कि हमारे देश भारत में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 28 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और हमें यह तो पता है कि हमारी कुल जन संख्या का 70 प्रतिशत भाग गरीबी की रेखा से नीचे रहता है। तथापि यह भी कटु सत्य है कि 28 करोड़ लोगों में से 22.6 करोड़ लोग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के समुदायों के हैं। हम उनकी गम्भीर स्थिति को महसूस करते हैं कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लोग कैसे रहते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के ये लोग केवल उड़ीसा में ही नहीं रहते ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी रहते हैं जहां कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री उनकी कठिनाइयों को देखने के लिए वहां गए थे·······

(व्यवधान)

यह पश्चिम बंगाल का भी प्रश्न है। महोदया, कृपया शान्त रहें। प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के सुदूर क्षेत्रों में लोगों की हालत देखने गए थे। लेकिन वह उनकी हालत नहीं जानते हैं। ये वे लोग हैं जिनमें से एक उड़ीसा की श्रीमती फानस पंजिस ने अपनी 12 वर्षीय ननद को केवल 30 रुपये में बेच दिया। कमला माझी ने अपनी 2 वर्ष की पुत्री को केवल 8 रुपये में बेच दिया। कांग्रेस का यह समाजवाद है·······

(व्यवधान)

ऐसे गांव हैं जहां लोग कुपोषण में शिकार होकर कंकाल मात्र रह गए हैं जिनके चेहरे और आंखें अन्दर धंस गईं हैं। कलकत्ते में डा० बी० आर० अम्बेदकर की प्रतिमा का अनावरण करते समय हमारे माननीय राष्ट्रपति ने भी यह बात स्वीकार की थी। राष्ट्रपति ने कहा कि दलितों और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में कानून बनाए गए हैं लेकिन उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इसके अलावा समाज के इन दलित समुदायों की सुरक्षा किए जाने की आवश्यकता है। पिछले 30 वर्षों की लम्बी अवधि में आपने उन्हें राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा प्रदान नहीं की है। देश का यह दुर्भाग्य है। लेकिन इस देश में अत्याचार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे देश के विभिन्न भागों में हरिजनों और गिरिजनों पर बेरोक टोक अत्याचार हो रहे हैं। सिहपुर, रसवाल, करमचेडू और साहबगंज में भी अत्याचार हो रहे हैं। हम स्वामी विवेकानन्द के उपदेशों को भूल जाते हैं।·······

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री व्यास जी, जब मैं आपको अवसर दूंगा तभी आप बोल सकते हैं। श्री आचार्य कोई चर्चा नहीं। अब दूसरों को भी बोलने दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे शांत रहें और माननीय सदस्य को, जिन्होंने चर्चा आरम्भ की है, बोलने दें।

(व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : उनकी महिलाओं के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है।

श्री अमर राय प्रधान : हम स्वामी विवेकानन्द के उपदेश भूल जाते हैं। स्वामी विवेकानन्द ने बहुत पहले ही 19वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में हमें उपदेश दिया था :

> "यह मत भूलो कि निम्न वर्गों के लोग निरीह, निर्धन, अनपढ़, मोची, बाल्मीकि तुम्हारे भाई हैं, उनमें भी तुम्हारे जैसा खून है। हे, बहादुर, साहसी बनो, उत्साही बनो, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम भारतीय हो और गर्व से कहो, 'मैं भारतीय हूं', प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है।' "

लेकिन काश ! स्वामी विवेकानन्द की तो बात क्या देश का दुर्भाग्य है कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी भूल गए हैं। मैं समझता हूँ प्रो० रंगा मुझसे सहमत होंगे कि महात्मा गांधी के अटूट अनुयायी साबरमती के किनारे किसी प्रकार की हिंसा नहीं चाहते।

लेकिन दुर्भाग्य है कि समय बिल्कुल बदल गया है। गांधी के युवा अनुयायी लाठी गोली, बम और हत्या के शोकीन हैं। अहमदाबाद के डांडी अभिज्ञान मार्ग पर आरक्षण विरोधी दंगे हो रहे हैं। क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? **(व्यवधान)**

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : वह केवल कांग्रेस आई को ही दोषी ठहरा रहे हैं। **(व्यवधान)** यद्यपि समस्या कहीं अधिक गम्भीर है लेकिन कोई किसी दल को दोषी नहीं कह सकता। **(व्यवधान)**

श्री नारायण चौबे : जब हम बोलेगें तो वे यही करेंगे **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री नारायण चौबे : : हम बैठ जायेंगे। लेकिन यदि उन्होंने इसी तरह परेशान किया तो जब वे बोलेंगे तो हम भी इसी तरह उन्हें तंग करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सदस्य इस मामले को गम्भीरता से लेते हैं या नहीं।

(व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान : देश के विभिन्न भागों में हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की हत्या, उनके साथ बलात्कार, आगजनी जैसे कितने अपराध हुए हैं हमें ये आंकड़े, सरकार ने ही दिये हैं। वर्ष 1984 में अनुसूचित जातियों पर कुल 15,885 अपराध किए गए और अनुसूचित जनजातियों पर 4,230। **(व्यवधान)**

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : इनमें से 50 प्रतिशत पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में हुए हैं।

श्री अमर राय प्रधान : वक्तव्य के अनुसार अपराधों की सूची में मध्यप्रदेश का नाम सबसे ऊँचा है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी सदस्य वाद-विवाद को गंभीरता से नहीं सुन रहे हैं।

श्री अमर राय प्रधान : मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के प्रति अपराधों के कुल 868 मामले बनते हैं जो इस प्रकार है : हत्या—246; बलात्कार—285; आगजनी—289 और इसके बाद प्रधान मन्त्री के अपने राज्य उत्तर प्रदेश का स्थान है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति कुल 4000 अपराध हुए जिनमें हत्या—213 बलात्कार—176 और आगजनी के—371 मामले बनते हैं।

इसके बाद बिहार आता है, जहां से माननीय राज्य मन्त्री आए हैं। कुल मामले 2048 हैं, हत्या के मामले 105 हैं, बलात्कार के 120 हैं और आगजनी के 209 मामले हैं।

इसके बाद राजस्थान आता है, यह राज्य चौथे स्थान पर है। घटनाओं की कुल संख्या 2048 है : हत्या के मामले 38 ; बलात्कार के मामले 74 और आगजनी के 110।

इसके बाद महाराष्ट्र आता है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पश्चिम बंगाल के बारे में क्या है।

श्री अमर राय प्रधान : मैं पश्चिम बंगाल पर भी आ रहा हूँ। ये आंकड़े सरकार द्वारा दिए गए हैं। ये आंकड़े हमें गृह मन्त्री ने एक प्रश्न के उत्तर में दिए थे। पश्चिम बंगाल में कुल अपराध 33, हत्या—शून्य, बलात्कार—11, आगजनी के 2 मामले।

एक माननीय सदस्य : गलत।

(व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्य मंत्री की कोई भी चुनौती किसी भी समय स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

अब कानपुर जिले में कुछ दिन पहले सिंहपुर रसवाल गांव में क्या हुआ? 21 जुलाई, 1985 को एक घटना हुई। कुछ माननीय सदस्यों ने 26 जुलाई, 1985 को उस स्थान का दौरा किया। मैं उनके प्रतिवेदन से पढ़कर सुनाता हूँ :

> "दर्शन सिंह गांव प्रधान के नेतृत्व में गांव के ठाकुर हाथों में बन्दूकें और अन्य घातक अस्त्र लिए 21 जुलाई आधी रात को हरिजन बस्ती में घुस गए।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रधान जी कृपया संक्षेप में कहिए क्योंकि कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ।

श्री अमर राय प्रधान :

> "बस्ती को चारो ओर से घेर लेने के बाद उन्होंने अनेक हरिजनों को निर्दयता पूर्वक गोली मार दी । रामकिशन और उसके 15 वर्ष के बेटे श्यामसुन्दर को गोली मार दी गई और उनके शवों को चारपाई पर लिटाकर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी गई सात महीनों से गर्भवती गीता की घृणित हत्या की गई । उन्होंने उसे नंगा कर दिया और योनि में गोली मारकर पेट फाड़ दिया । रमेश चन्द की दो वर्षीय बेटी सीषू को भी गोली मार दी गई । छठा व्यक्ति जिसकी हत्या की गई 65 वर्षीय हरिजन था । अन्य सभी हरिजन जान बचाकर भाग निकले । "

यह उत्तर प्रदेश में हुआ । छः बीघे भूमि के लिए छः हरिजनों की हत्या कर दी गई । ठाकुर दर्शन सिंह उस इलाके का कुख्यात व्यक्ति था । उन्होंने उसके गिरोह के आदमियों को मार दिया । और उसके विरुद्ध 20 मामले दर्ज किये गए परन्तु स्थानीय पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि वह सत्तारूढ़ दल का आदमी था ।

यह अत्यन्त खेद और शर्म का विषय है कि राज्य मन्त्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा जब आन्ध्र प्रदेश गई तो उन्होंने वहां एन० टी० रामाराव सरकार की आलोचना की । परन्तु उत्तर प्रदेश में ऐसी गैर-जिम्मेदाराना और राजनीतिक टिप्पणियां नहीं की गई । उन्हें उत्तर प्रदेश जाने का और श्री नारायण दत्त तिवारी को भारत के संविधान का पाठ पढ़ाने का और उन्हें संविधान पढ़ने की हिदायत देने का समय क्यों नहीं मिला ? उन्हें बिहार जाने का और श्री दुबे को ध्यान से संविधान पढ़ने के लिए कहने का समय क्यों नहीं मिला, क्योंकि वह संविधान से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं ? बिहार में साहिबगंज में अनुसूचित जनजातियों के 16 व्यक्तियों की हत्या की गई ।

ये सब बातें क्यों हो रही हैं ? इसके मूल कारण हैं भूमि, वन और नौकरियों में आरक्षण । उनकी समस्या समाजिक आर्थिक समस्या है ।

देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों की दशा सुधारने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 46 के अन्तर्गत आरक्षण नीति लागू की गई थी । संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 46 समाज के कमजोर वर्गों के अधिकार-पत्र बन गये हैं । डा० बी०आर० अम्बेदकर ने संविधान सभा में अपने भाषण में भारतीय समाज में कतई समानता न होने की बात की ओर संकेत किया था उन्होंने कहा :

> "हमारा संविधान सामाजिक और आर्थिक असमानता समाप्त करने का वायदा करता है । आर्थिक असमानता को समाप्त करने का लक्ष्य आर्थिक परियोजनाओं और योजनाओं से प्राप्त किया जाएगा जबकि सामाजिक समानता का लक्ष्य आरक्षण और पिछड़े वर्ग की उन्नति द्वारा प्राप्त किया जाना है ।"

स्वतन्त्रता प्राप्ति के 38 वर्षों के बाद भी हम अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए किए गये वायदे पूरे नहीं कर सके हैं । यह दुर्भाग्य है । मुख्य कारण क्या हैं । आयोग के कई प्रतिवेदनों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भूमि, वन और नौकरियों में आरक्षण से अनुसूचित

जाति और अनुसूचित्र जनजातियों की समस्या दूर की जा सकती है। नौकरियों में आरक्षण की भी स्थिति क्या है ? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ 264 पर गृह मंत्रालय से संबंधित आंकड़ों को पढ़कर आप हैरान होंगे। आंकड़े इस प्रकार हैं : प्रथम श्रेणी—कुल पद—3306; अनुसूचित जाति—116 अर्थात 3.51 प्रतिशत व अनुसूचित जनजाति—61 अर्थात 1.85 प्रतिशत। द्वितीय श्रेणी—कुल पद—2553; अनुसूचित जाति—142 अर्थात 5.56 प्रतिशत व अनुसूचित जनजाति 35 अर्थात 1.37 प्रतिशत। तृतीय श्रेणी—कुल पद—177345; अनुसूचित जाति 22743 अर्थात 12.82 प्रतिशत व अनुसूचित जनजाति 12250 अर्थात 6.91 प्रतिशत, चतुर्थ श्रेणी—कुलपद 47505; अनुसूचित जाति 5651 अर्थात 11.90 प्रतिशत व अनुसूचित जनजाति 2631 अर्थात 5.58 प्रतिशत। प्रथम श्रेणी के कुल पदों में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 4.83 है, द्वितीय श्रेणी में 8.07 है और तृतीय श्रेणी में प्रतिशत 11.54 है और अनुसूचित जनजातियों का यह प्रतिशत क्रमशः 1.04, 1.24 और 3.4 है।

अन्य मंत्रालयों में स्थिति और भी खराब है। यूनियन बैंक के आंकड़े हैं केवल 4.42 प्रतिशत। बैंकों सहित अन्य उपक्रमों का तो कहना ही क्या। इस समय भूमि सुधार, भूमि वितरण और भूमि अभिलेखन की तत्काल आवश्यकता है। देश में इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

महालनोबिस समिति के प्रतिवेदन के अनुसार देश में 630 लाख एकड़ भूमि फालतू थी योजना आयोग,के प्रतिवेदन के अनुसार 215 लाख एकड़ भूमि फालतू थी; 1979-80 के आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार यह 46 लाख एकड़ है। 31 मार्च, 1984 की स्थिति के अनुसार सरकार के पास 21 लाख एकड़ भूमि थी और केवल 12.5 लाख एकड़ भूमि वितरित की गई थी।

सरकारी सेवाओं में, चाहे राज्य की हों या केन्द्र की, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बकाया पड़े पदों को विशेष सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा भरने के लिए तत्काल क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ? बीस सूत्री रोस्टर का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। यदि कोई अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो उसे अवश्य ही दण्ड दिया जाना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि न केवल नौकरशाहों बल्कि केन्द्र सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस (इ) दल के नेताओं के दिलों से पूर्वाग्रह समाप्त करने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्याक्ष महोदय, आज यहां एक बहुत महत्त्वपूर्ण सवाल को ले कर बहस कर रहे हैं। आप भी जानते हैं और सरकार भी जानती है लेकिन फिर भी इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन की मुख्य धारा से अपनी जाति के एक वर्गविशेष को अलग-थलग रखने वाला देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज वही हालत हमारे देश में है। जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ा वर्ग-विशेष भारतवर्ष में ऐसा है जिनकी रोज हत्याएं की जा रही हैं, जिनके घर लूटे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। ऐसी घटनाएं प्रतिदिन हमारे देश में हो रही हैं। इसका मुख्य कारण क्या है ? कारण यह है कि आपने आर्थिक और सामाजिक शोषण को न केवल बरकरार ही रखा है बल्कि इसको और तेज किया है। इसलिए ये बातें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। अभी जो बात माननीय सदस्य बोल चुके हैं

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

वह मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो घटनाएं हमने अपनी आंखों से देखी हैं वह बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के उस सिंहपुर गांव में मैं भी गया था। वहां पर मैंने देखा और लोगों से बात की तो मालूम हुआ कि सचमुच में मानवता से हट कर वहां पर काम हुआ है। राम किशन जो जाति के बैठा थे उनके परिवार के 6 आदमियों को काटा गया है। उनका एक बेटा जब गोलियां चल रही थीं तो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर भाग चला और एक दूसरे घर में गया। लेकिन वहां पर भी उस को नहीं छोड़ा। वहां भी जाकर उसकी हत्या कर दी गई। राम किशन का दोष यही था कि उसका परिवार पढ़ लिख गया था। सामाजिक शोषण का वह विरोध करता था। वह प्रधान का चुनाव लड़ा था। यह कारण था जिससे वह सदा सर्वदा के लिए इस संसार से विदा कर दिया गया। यह आपका राज है।

दूसरी घटना आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले की है जहां करमचेडू गांव में हरिजनों के पानी पीने के सवाल पर छः हरिजन काटे गए और पांच सौ हरिजन गांव छोड़कर भाग गए। लेकिन फिर अखबारों में यह भी मैंने देखा कि घटना के एक दिन बाद मुख्य मंत्री घटनास्थल पर पहुंच गए, लेकिन मुख्य मंत्री के आगे पीछे कौन थे? वही अपराध करने वालों की जमात घूम फिर रही थी। **(व्यवधान)** मुझे ये लोग डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? मुझे बोलने क्यों नहीं देते? हम यह नहीं कहते कि उनके रिश्तेदार थे या नहीं थे। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो लोग हत्या किए हों वही घूमते हों तो उनको पुलिस कैसे गिरफ्तार कर सकती है? किसी पक्ष या विपक्ष की बात यहां कोई न बोले। जब आप लोग यहां आए हैं हरिजनों की बात करने तो ईमानदारी के साथ बोलिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सरकार जबसे बनी और हमारे नवयुवक प्रधान मंत्री बने तो मैं बिहार की बात करता हूं, बिहार में जनवरी से लेकर अभी तक अगर मैं गिनती गिनाऊँ तो जिस क्षेत्र में मैं हूं, उसके अगल बगल में सौ से ज्यादा नौजवान हरिजन काटे गए हैं और कारण क्या है काटे जाने का? कारण यह है कि जो आपने कानून बनाया है न्यूनतम मजदूरी का और बीस सूत्री कार्यक्रम चलाया जिसमें कि भूमि हद्बन्दी कानून लागू कर दिया, तमाम रेडियो और दूरदर्शन से उसका प्रचार किया और उन लोगों को जगाया, तो जब लोग जाग गए हैं तब उनको इस तरह से

3.30. म०प०

(श्री वक्कम पुरुषोत्तम पीठासीन हुए)

काटा जा रहा है। दो तरह से काटा जा रहा है। एक तो पुलिस के जरिए से और दूसरे गांवों में जो बड़े सामन्तवादी ताकतवर लोग हैं उनके जरिए से उनको काटा जा रहा है। वहां पर भूमि सेना का निर्माण किया गया है तो वह किससे लड़ने के लिए है? बड़े शर्म की बात है कि आपने हथियार किसके हाथ में दिए हैं? हमारे गृह मन्त्री जी पता लगाएं कि कितने हरिजनों को हथियार दिए गए हैं और कितने हथियार मध्यमवर्गी लोगों के हाथ में दिए गए हैं। यह भी बतलाना चाहिए कि यह भूमि सेना, ब्रह्मर्षि सेना और कुंवर सेना का निर्माण किस प्रयोजन के लिए हुआ है? इनका निर्माण हरिजन आदिवासियों का खातमा करने के लिए ही किया गया है। यदि आप उनको नक्सलवादी कहते हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि उनको पैदा किसने किया, इस स्थिति में उनको किसने पहुंचाया है? इसका कारण यह है कि सन्तुलित विकास नहीं हुआ। एक तरफ तो

विकास का दर्जा बहुत ऊंचा रहा और दूसरी तरफ की खाई बहुत गहरी रह गई। ऐसी स्थिति में यदि वे उग्र नहीं होंगे तो क्या होगा ? आज लोग अन्न के अभाव में मर रहे हैं उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। आपने संघर्ष करना भी सिखाया है फिर अगर वे संघर्ष करते हैं तो आपकी पुलिस उनको नक्सलवादी कहकर, घरों से निकाल कर गोली मार देती है।

मैं यहां पर कोई भाषण नहीं कर रहा हूं, मैं जानना चाहूंगा कि आप बतलाने की कृपा करें कि कौन से प्रोग्राम आप लागू करंगे ? अभी औरंगाबाद जिले के कैथी गांव में दस हरिजनों को मारा गया, नक्सलवादियों से मुठभेड़ बताकर। तो सारा सामान, सारे हथियार तो आपके पास होते हैं। अगर कोई बन्दूक बनाते हैं और अपने बचाव के लिए रखते हैं तो आपके पास तो राइफल वगैरह सारे हथियार हैं। पुलिस ने मुठभेड़ दिखाकर उनको मार दिया। मैंने इस सम्बन्ध में आपको पत्र भी लिखा तो जवाब मिला कि नक्सलवादी एक्टिविटीज, में पुलिस के साथ मुकाबला हुआ था। ऐसी राज्य सरकार की रिपोर्ट है लेकिन इसके लिए कोई जांच कमेटी नहीं बिठाई गई जिससे कि पता चल सके और आगे इस प्रकार की घटनायें न होने पायें।

इसी प्रकार की घटना कटिहार में हुई है जहां पर आदिवासी मारे गए हैं। मनिहारी प्रखण्ड में एक सिरवा पर्व मनाया जाता है हजारों वर्षों से, जिसमें कि लोग मछली मारते हैं और खाते हैं। तो वहां पर प्रमुख ने मछली का ठेका लिया हुआ था। इन लोगों ने उस दिन मछली मारी तो प्रमुख ने बिना मैजिस्ट्रेट के ही वहां पर गोली चलवा दी जिसमें चार आदिवासी मार दिए गए और चार घायल हो गए। इसी प्रकार से आपकी पुलिस ने साहबगंज जिले में 15 आदिवासी प्रदर्शनकारियों को गोली से मार दिया आखिर उनके पास ऐसी क्या चीज थी जिससे कि आपको खतरा पैदा हो गया था। यदि किसी खुशहाल परिवार का कोई आदमी गुण्डागर्दी करता हुआ मारा जाए तो आप कह देते हैं कि उसको नक्सलवादी हरिजनों ने मार दिया है। मेरे क्षेत्र में ब्रह्मर्षि सेना के कमाण्डर आपकी ही पार्टी के एक राज्यसभा मेम्बर हैं (मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता)। वे चीफ कमाण्डर हैं और आपकी ही पार्टी के एक विधानसभा-सदस्य कमाण्डर हैं। बड़े अफसोस की बात है कि वे लोग 18 फरवरी को घोंसी प्रखण्ड के धारखण्ड स्थान में ब्रह्मर्षि सेना के काफी लोग जमा हुए, तमाम राइफलें जमा की गईं और गोलियां चलीं तथा यह कहा गया कि अगर कोई आदमी ज्यादा बदमाशी करे तो उसका सिर काट लो। और यह भी कहा कि अब नौजवान प्रधान मन्त्री बने हैं, उनके हम बड़े भाई हैं — इस प्रकार का प्रचार इलाके में किया जाता है। नतीजा यह हुआ कि 5 मार्च, 1985 को घोंसी प्रखण्ड कुकरसा गांव में बच्चू पासवान व शिवनन्दन पासवान के सिर काट लिए गए और वह लाकर उनको दिखाए गए। आजतक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। आपके लोगों के संरक्षण में यह सब हो रहा है। मैंने दर्जनों पत्र लिखे लेकिन आजतक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

सभापति महोदय, मैं यह और बताना चाहता हूं कि 14 जुलाई को काको प्रखण्ड के पिंजौरा ग्राम में मजदूर किसान संग्राम समिति की ओर से एक मीटिंग हो रही थी, जिसमें 4 हजार आदमी इकट्ठा हुए थे। पुलिस ने मीटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए लाठी चार्ज किया और जब भागा-भागी हुई, तो वोखारी राम को गोली मार दी गई। वह गृह रक्षा वाहिनी का जवान था और उसका नं० 11592 था। यह आदमी चनौती प्रखंड में मरने से चार दिन पहले खजाने पर ड्यूटी देता था। पुलिस यह कहती है कि यह दो साल से नक्सेलाइट था। अगर यह नक्सेलाइट था, तो इसको नौकरी से क्यों नहीं हटाया गया। जब वह मर गया, तो उसको नक्सेलाइट कह दिया गया।

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

इसलिए मेरा कहना यह है कि इसके लिए एस०पी और डी०एस०पी० दोषी हैं और यह ऐसा इशू है, जिस पर आपको सोचना होगा। गरीबों पर आज जुल्म हो रहे हैं। गोली मार देने के बाद एक मनगढ़ंत बात कह दी गई कि वह नक्सेलाइट था। आज इनके नौकरी में प्रोमोशन में भी गड़बड़ी की जाती है। ऊंची क्लास के जो लोग हैं, वे नहीं चाहते कि ये लोग उनके ऊपर आकर काम करें। मैं तो यह कहता हूं कि पालियामेंट में भी इन लोगों के लिए रिजर्वेशन नहीं होता, तो ये लोग न आ पाते। वे आरक्षण की बदौलत ही पालियामेंट में आए हैं ....**(व्यवधान)**....आप यह देखें कि ग्राम पंचायतों में रिजर्वेशन नहीं है और आज एक भी हरिजन मुखिया नहीं है। चाहे वह कितना ही ईमानदार हो, कर्मठ हो, बिना आरक्षण के नहीं आ सकता। ···**(व्यवधान)**···

मैं आपको यह भी बताऊं कि मनमोहन सिंह की जो कमेटी बनी थी, उसने कानून व व्यवस्था के ऊपर अपनी रिपोर्ट दी है और यह कहा है कि पूरे देश के अन्दर बंगाल में ही कानून व्यवस्था अच्छी है। बिहार में सरकार कहती है कि कानून की व्यवस्था ठीक है लेकिन फिर भी गांवों में पुलिस चौकी बनाने का क्या मतलब है। इससे साबित होता है कि कानून व व्यवस्था बिहार में बहुत ही गिरी हुई है। हमारे क्षेत्र में 200 गांवों में पुलिस चौकियां हैं। इससे साबित होता है कि वहां व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। ····**(व्यवधान)**···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप जो कुछ भी कहेंगे वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। प्रिय मित्र, आपका इतना कुछ कहने का कोई लाभ नहीं है। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री भट्टम।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : हमें टाइम दिया गया है। यह रिकार्ड पर कैसे नहीं जाएगा। ····**(व्यवधान)****

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसे प्रकाशित भी नहीं किया जाएगा। क्या लाभ है ?

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप जो भी कहेंगे, कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री नारायण चौबे : महोदय, तानाशाह मत बनिये। गलत क्या है ? इसे अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए ?

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : आप इस प्रकार नहीं बोल सकते। नहीं, नहीं, कुछ नहीं होगा। श्री भट्टम।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : वह जब तक असंसदीय नहीं बोलते आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने असंसदीय कुछ भी नहीं कहा है।

सभापति महोदय : यह मेरा विनिर्णय है। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिक समय लिया है। आपको अवश्य ही अध्यक्षपीठ का कहना मानना चाहिए। समय का विनियमन अध्यक्ष पीठ करती है। श्री भट्टम

(व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : कृपया ऐसा मत कीजिए।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : इसे अवश्य ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : महोदय, हरिजनों पर निर्बाध अत्याचार हो रहे हैं। देश का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जहाँ अत्याचार न हो रहे हों। दुर्भाग्यवश, यह देश भर में हो रहा है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए गए कड़े उपायों के बावजूद यह क्रूरतापूर्ण कार्य और अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार की कई मिसालें मिलती हैं। हमारा चाहे किसी भी राजनीतिक दल से संबंध हो, हमें एक साथ मिलकर दिल से इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति की निन्दा करनी चाहिए। इस व्यापक और घृणित मानवीय त्रासदी से राजनीतिक लाभ उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता। राजनीतिक दलों को भी अपने लिए एक सामान्य आचरण संहिता बनानी चाहिए। संभव है कि इन अत्याचारों में संलग्न व्यक्तियों का कतिपय राजनीतिक दलों से संबंध हो। अतः सभी राजनीतिक दलों का सर्वप्रथम कर्तव्य यह देखना है कि इन लोगों को इन दलों से निकाल दिया जाए और अन्य किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित न किया जाए और उन्हें किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य न बनाया जाए। इस प्रकार की कोई सहमति होनी चाहिए और यह बात नहीं है कि हम यहाँ यह पता लगाने के लिए हैं कि क्या इसे बन्द किया जा सकता है और हम यहाँ एक दूसरे का दोष निकालने के लिए नहीं हैं और इसलिए भी नही हैं कि एक दूसरे के दोष का अधिकाधिक फायदा कैसे उठाया जा सकता है और इसी उद्देश्य से चर्चा आरम्भ नहीं की गई थी।

मैं जब पुरजोर यह कहता हूँ कि हम इन घटनाओं की, चाहे वे कहीं हों और कभी हों, निन्दा करते हैं, और हम इनमें सम्मिलित व्यक्नियों की भी निन्दा करते हैं, तो हम केवल उनकी निन्दा नहीं करते बल्कि सरकार की, चाहे वह किसी भी दल की हो, सहायता करते हैं और उन लोगों को समाप्त करने के लिए, आरम्भ में ही खतम करने के लिए उसका समर्थन करते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है।

दुर्भाग्यवश, यह सामाजिक-आर्थिक स्थिति चल रही है। धनी और निर्धन हैं और उनके बीच झगड़ा है और तनाव है। धनी लोगों का निहित स्वार्थ है और वे अपने स्वार्थ की रक्षा करने

[श्री एस०एम० भट्टम]

का प्रयास करते हैं। दुर्भाग्यवश इस प्रक्रिया में कमजोर वर्ग, हरिजन और गिरिजन अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां इसका शिकार बनती हैं, और निहित स्वार्थों का प्रभुत्व रहता है। वे अच्छे और घृणित काम करते हैं और वे इन लोगों को खतम कर देते हैं, उनकी हत्या कर डालते हैं। यही सब हो रहा है। अत. महोदय, मूलतः यह सामाजिक-आर्थिक समस्या है। यह धनी और निर्धन के बीच संघर्ष की बात है और यह जारी है। जब ये लोग अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, तो ये घटनाएं होती ही रहती हैं और इसीलिए हमें मूलतः इस मामले की ओर ध्यान देना चाहिए और यह बात भी नहीं है कि हम हमेशा इसका राजनीमिक लाभ उठा सकते हैं और किसी को बदनाम कर सकते हैं और किसी के विरुद्ध अभियान चलाए रह सकते हैं। यह तरीका नहीं है।

अब महोदय, मैं अपने राज्य का उल्लेख करता हूँ। आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में करम-चेडू नामक स्थान पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। इस वर्ष 16 जुलाई को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसके एक दिन बाद पाँच हरिजनों की नृशंस हत्या कर दी गई और 18 को गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया। अधिकांश हरिजनों को वह स्थान छोड़ कर भागना पड़ा और अन्यत्र शरण लेनी पड़ी। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना करमचेडू में हुई जिसके लिए हम सबको धक्का लगा है। हम सभी को आश्चर्य हुआ है और हम पूरे दिल से इसकी निन्दा करते हैं। केवल इतना ही नहीं, मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश विधान सभा ने करमचेडू में हुई दर्द-नाक घटना की भर्त्सना करते हुए आज सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है और वह आन्ध्र प्रदेश विधान सभा का निर्णय है अतः आन्ध्र प्रदेश की विधान सभा ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया है। आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने की दृष्टि से और इस बात पर विचार न करते हुए कि इस मामले में चाहे कोई भी व्यक्ति शामिल क्यों न हो पूरे दिल से इसकी भर्त्सना करके बहुत अच्छा कार्य किया है।

अब यह कहते हुए कि हो सकता है कि यह एक ही घटना हो जिसके लिए आन्ध्र प्रदेश की सरकार को, आंध्र प्रदेश के लोंगों को खेद प्रकट करना पड़ा है लेकिन देश के अन्य भागों में क्या हो रहा है और अन्य राज्यों में क्या हो रहा है? हमें इस पर विचार करना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आयोग का एक प्रतिवेदन मेरे पास है। इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रख दिया गया है और हमें परिचालित कर दिया गया है। जब यह प्रतिवेदन आंकड़े बताता है तो यह बहुत ही स्पष्ट है। यह किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। आन्ध्र में एक ही घटना हो सकती है लेकिन अन्य राज्यों में क्या हुआ है? देश के अन्य भागों में क्या हो रहा है? हमें इस पर विचार करना चाहिए।

उदाहरण के लिए मैं बिहार राज्य को लेता हूँ, क्योंकि यह ऐसा राज्य है जिसे यहां सबसे पहले बताया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1979 में अत्याचार के मामलों की संख्या 2,152 बतायी गयी है। वर्ष 1980 में इसकी संख्या 1,900 थी। वर्ष 1984 में 1,845 थी। अतः यह बिहार का कार्य निष्पादन का दावा है जहां से हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री आए हैं। (व्यवधान) मैं विशेषरूप से उन्हें किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ इस बारे में मुझे और स्पष्ट करना है। क्योंकि फिर भी उनके राज्य की ऐसी स्थिति है जिसके लिए वह जिम्मेवार नहीं हो सकती हैं। यह कुछ नहीं कर सकती हैं। उन्हें अपने राज्य में स्थिति का ध्यान रखना चाहिए।

उनके राज्य बिहार में हम देखें कि वर्ष के पहले तीन महीनों – जनवरी, फरवरी और मार्च 1985 में क्या हुआ। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह जबाव दिया था और मैं इसे उत्तर से पढ़ रहा हूँ :

> "गत तीन महीनों में 20 हत्याएं हुई। बलात्कार के 24 मामले हुए और आगजनी की 57 घटनाएं हुई थीं"

इस वर्ष के पहले तीन महीनों में उनके राज्य में यह हुआ, यह प्रगति है। यह उस राज्य की उपलब्धि है जिस राज्य से गृह राज्य मंत्री श्रीमती राम दुलारी सिन्हा आई हैं।

अब मैं अन्य राज्यों के बारे में उल्लेख करता हूँ क्योंकि आखिरकार हम देश में इसी तरह की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है ? महोदय, वर्ष 1979 में अपराधों के 4,102 मामले बताये गए या अत्याचार के 4,102 मामले हुए। वर्ष 1980 में 4,279 मामले बताये गए। वर्ष 1984 में 4,200 मामले हुए। वर्ष 1985 में पहले छः महीनों के दौरान अर्थात जनवरी से जून तक 1,563 मामले उत्तर प्रदेश में हुए। जनवरी से मार्च 1985 के तीन महीनों में हत्याओं के 83 मामले उत्तर प्रदेश में हुए, बलात्कार के 66 और आगजनी के 192 मामले उत्तर प्रदेश में हुए। यह उत्तर प्रदेश की स्थिति है। महोदय, यह वह राज्य है जो पूरे देश का नेतृत्व करता है। यह वह राज्य है जहां प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है और यह स्थिति देश के इस भाग में है। मैं केवल इसलिए नहीं कह सकता कि ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस स्थान से आए हैं, इसलिए यह हो रहा है या अमुक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से इसके लिए जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ। यह उत्तर प्रदेश की स्थिति है।

अब हम देखें कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। इसी तरह से जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है मैं कुछ आंकड़े उद्धृत करता हूँ, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ भी तेजी से मुकाबला कर रहा है।

> 1979 में मध्य प्रदेश में 3,866 मामले हुए थे। 1983 में अत्याचार के 3,877 मामले हुए। वर्ष 1984 में अत्याचार के 5,195 मामले हुए। मध्य प्रदेश में अब तक ये सबसे अधिक मामले हुए हैं।

गत तीन महीनों के दौरान जनवरी से मार्च तक उत्तर प्रदेश में इस तरह के 1713 मामले हुए। मध्य प्रदेश में हत्याओं के 25, बलात्कार के 63 और आगजनी के 79 मामले हुए। यह स्थिति है।

इसी तरह से मंत्री जी द्वारा सभा में दिए गए वक्तव्य से हम आंकड़े सदस्यों को दे रहे हैं। लेकिन मेरी इसमें कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है कि मैं सभी आंकड़े दूं और सदन का समय लूं।

पूरे भारत में यह स्थिति है वहां चाहे कोई शासन करे और जहां कांग्रेस का ही शासन क्यों न हो। ऐसे मामले कुछ न कुछ तो हैं ही और इसलिए क्या हम राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं। क्या यह हमारा प्रयास होना चाहिए ? क्या हमें समस्या को इस तरह से देखना चाहिए। निस्सन्देह मैं समस्या को इस तरह से नहीं देख रहा हूँ। इसके साथ-साथ मैं यह भी आरोप लगाता हूँ कि इस तरह की घटनाओं को समाप्त करने के लिए यह सरकार अक्षम है और वह इसे रोक नहीं सकती।

[श्री एस०एम० भट्टम]

जब गृह राज्य मंत्री ने हाल ही में आन्ध्र प्रदेश का दौरा किया और करमचेडू नामक स्थान पर गईं जहां की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का मैंने उल्लेख किया है जो 17 जून को हुई थी। तो उन्होंने क्या किया ? वहां उन्होने कहा था 'सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।'

सभापति महोदय : वह मंत्री के रूप में वहां नहीं गईं थीं। वहां वह निजी घर में गई थीं।

[हिन्दी]

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : आपका कोई मिनिस्टर हमें रिसीव करने भी नहीं आया।... **(व्यवधान)** मैं श्री के० एस० राव सांसद की गाड़ी में गई थी।

[अनुवाद]

श्री एस० एम० भट्टम : उन्होंने कहा था कि वहां की सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह उनका वक्तव्य है। उनके अपने राज्य में क्या स्थिति है ? क्या वहां उनकी सरकार को बने रहने का अधिकार है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यदि कोई मंत्री निजी कार में जाता है तो वह मंत्री पद से तो नहीं हट जाता है। इस बारे में हमको बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए।

श्री एस० एम० भट्टम : उन्होंने भी यही किया। उन्होंने यह भी कहा, "समय आएगा जब आक्रमण के बारे में केन्द्र जांच शुरु कराएगा। वह चुप नहीं बैठ, सकता।"

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं और अधिक समय की अनुमति नहीं दे सकता हूँ। आपने 15 मिनट ले लिये हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० एम० भट्टम : यह वह मामला है जिस पर हमने नोटिस दिया है। इसके लिए वह अपनी मर्जी से सब कहते रहेंगे और क्या हम चुप रहेंगे ?

(व्यवधान)

मैं जानता हूँ कि यह मामला··· ····किस प्रकार हुआ।

(व्यवधान)

मैं यहां "इंडियन एक्सप्रेस" से पढ़ता हूँ... वह अपने तीखे वक्तव्यों, असावधानी और गैर जिम्मेदारी से दिए गए अपने वक्तव्य के लिए, तथा वह प्रधानमंत्री के दूत के रूप में वहां जाने का दावा करती हैं हम किसी के कहीं भी जाने पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं। आखिरकार, कोई भी मंत्री देश के किसी भी भाग में जा सकता है।वह प्रधान मंत्री के नाम पर गई हैं। लेकिन इसके साथ ही जब वह राज्य के प्रतिनिधि के रूप में जाती हैं तब सरकारी कार उपलब्ध होती है। परन्तु वह सरकारी कार में नहीं जाती हैं वहां एक निजी ठेकेदार है। और वह उस कार में कांग्रेस चिन्ह के साथ तथा

उस कार में हाथ के चिन्ह के साथ गईं और इस स्थान से उस स्थान की यात्रा की। क्या सरकार के एक प्रतिनिधि को इस तरीके से काम करना चाहिए? जहां तक ऊस विशेष क्षेत्र में दुर्भाग्यपूर्ण घटना का संबंध है क्या वह एक दल के हितों को या राजनैतिक किसी प्रयोजन को पूरा करेंगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री भट्टम मुझे खेद है। कृपया अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करें। कार्य मंत्रणा समिति ने चर्चा के लिए समय नियत किया है।

श्री सी० माधव रेड्डी : हम आधी रात तक बैठ सकते हैं। कोई समय नियत नहीं किया गया है। कृपया उन्हें भाषण जारी रखने की अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय : श्री भट्टम, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं नहीं समझ सकता हूँ कि वह गुस्से में क्यों हैं। प्रमुख राजनैतिक दलों के नेताओं ने कार्य मंत्रणा समिति में एक निर्णय लिया है कि चर्चा के लिए अमुक समय नियत किया जाये और समय को विभिन्न दलों के बीच उनकी संख्या के अनुसार बांट दिया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : ठीक अभी कार्य मंत्रणा समिति में इस बात पर सहमति हुई है कि यदि आवश्यक हुआ तो हमें आज अधिक समय तक बैठना चाहिएं।

सभापति महोदय : मैं नहीं जानता हूँ।

प्रो० मधु दण्डवते : उस सिफारिश के पूर्वानुमान में आप उन्हें अधिक समय दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० एम० भट्टम : गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री जी ने कहा है कि मुख्य मंत्री के अलावा कोई भी वहां नहीं गया। 17 तारीख को यह घटना हुई। ठीक उसके अगले दिन 18 तारीख को मुख्य मंत्री विमान से उस विशेष क्षेत्र में गए। परन्तु वहां जाने के बाद वह कहती हैं कि मुख्यमंत्री ही गए और कोई नहीं गया। वास्तव में, मुख्य मंत्री जी के दौरे के बाद कई लोग वहां गए। **(व्यवधान)** एक अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कालाहांड़ी है जहां लोग भूख और अर्द्ध-भूख से मर रहे हैं वहां केवल प्रधानमंत्री जी गए थे। क्या मैं गृह राज्य मंत्री से पूछ सकता हूँ कि वह वहां क्यों नहीं गई थीं। इस तरह के कितने स्थानों का उन्होंने दौरा किया है? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : मैंने यह नहीं कहा था कि केन्द्र जांच शुरु कराएगा। शायद आपको पता नहीं, मैं अपने बिहार राज्य में भी गई थी जो मेरा अपना स्टेट है। पिछले दिनां अप्रैल के महीने में जब वहां 15 आदिबासियों की हत्या हुई थी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिए आपको समय मिलेगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम उनको सुनना चाहते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय सदस्य स्वीकार कर रहे हैं ।

सभापति महोदय : आपको निर्णय नहीं लेना है । अध्यक्षपीठ इस बात पर निर्णय लेगी । श्री भट्टम, कृपया अपनी बात को समाप्त करें ।

श्री एस० एम० भट्टम : जहां तक घटना का संबंध है.......

श्री के० एच० रंगनाथ (चित्रदुर्ग) : एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

सभापति महोदय : व्यवस्था का क्या प्रश्न है ।

श्री के० एच० रंगनाथ : हरिजनों पर किए गए अत्याचारों के बारे में माननीय सदस्य बहुत खुश दिखाई देते हैं । अध्यक्ष महोदय ने इस विषय पर चर्चा करने के लिए अनुमति दी है । लेकिन इस समय का प्रयोग गृह राज्य मंत्री ने क्या कहा उस पर आपत्ति करने हेतु नहीं ।........ **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । श्री भट्टम, कृपया अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करें । आपने 20 मिनट ले लिए हैं । आपको अध्यक्षपीठ की आज्ञा का पालन करना चाहिए ।

श्री एस० एम० भट्टम : मैंने नोटिस दिया है । मुझे बोलने का अधिकार है । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री भट्टम, आप इस तरह भाषण जारी नहीं रख सकते । कृपया अपनी बात को एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री एस० एम० भट्टम : यहां एक ऐसा मामला है जिसमें मुख्य मंत्री ने न्यायिक जांच के लिए सही घोषणा की है । इतिहास में पहली बार ऐसा किया गया है । और यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ही नहीं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा । क्या पहले कभी कहीं ऐसा किया गया है ?

मेरे मित्र ने एक उदाहरण दिया है जिसमें छः हरिजनों की निर्दयतापूर्वक हत्या की गई थी ।

4.00 म० प०

एक महिला की भी अमानवीय और असभ्य तरीके से हत्या की गई थी ।

(व्यवधान)

और वहां पर क्या हुआ है ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । मैं क्या कर सकता हूं । मैं यह सब नहीं सुन सकता ।

श्री एस० एम० भट्टम : आंध्र प्रदेश में 8 मार्च को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण विभाग द्वारा आदेश जारी किये गये कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जन-जातियों के प्रति अत्याचारों के शिकार होने वाले व्यतियों को राहत दी जाए और उनका पुनर्वास किया जाये। यह एक व्यापक आदेश है जो मार्च में ही जारी किया गया था। महोदय उसमें उल्लेख है कि अस्थायी असमर्थीकरण के मामले में 2000 रुपए, प्रत्येक मृत्यु के मामले में 10,000 रुपए, अत्यधिक चोट के मामले में 1000 रुपए, बलात्कार के मामले में 5000 रुपये मकानों को हुई आंशिक क्षति के मामले में 1000 रुपए दिये जाएंगे। इसी प्रकार बहुत सी सुविधायें दी गई हैं। इन घटनाओं के अभागे पीड़ितों के लिये, हरिजनों के लाभ के लिए 10000 मकान बनाये जायेंगे।

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री एस० एम० भट्टम : आपको इसे स्वीकार करना पड़ेगा। यह तरीका है जिसमें मंत्री महोदय····

(व्यवधान)

महोदय, मुझे अपना भाषण समाप्त करने की अनुमति दें।

प्रो० मधु दण्डवते : अब आप एक जटिल वाक्य बना सकते हैं।

श्री एस० एम० भट्टम : वहां पर एक पुलिस चौकी खोली गई है। लोगों की रक्षा के लिए पुलिस की दो गश्तें की गई थीं तथा राहत कार्य किया गया। मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों को रोजगार दिये गये। इतना ही नहीं, इन लोगों का कोई रोजगार होना चाहिए अन्यथा वह कैसे जीवन-यापन कर सकते हैं। उसी आवास में रोजगार दिये जाने चाहिए। अधिक धन दिया जाना चाहिए। सिंहपुर इसी प्रकार की जहां अधिक दर्दनाक घटनाएं हुईं, न्यायिक जांच के आदेश भी नहीं दिये गये और न ही राहत दी गई। हमें इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिये हमें यहां पर खामियां नहीं ढूंढनी हैं। इन घटनाओं को मंत्री महोदय स्पष्ट करें। हमें दलीय आधार को त्याग कर इस बात पर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि ये घटनाएं फिर से न हों। आंध्र प्रदेश में हम तबतक चैन से नहीं बैठेंगे जबतक इसका पूरी तरह उन्मूलन नहीं कर दिया जाता और हम पूरी तरह से इसके लिये वचनबद्ध हैं........

(व्यवधान)

हमने 65 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है। मंत्री महोदय इसकी घोषणा करें।

सभापति महोदय : श्री भूपति, कृपया कही गई बात को न दोहरायें।

[हिन्दी]

श्री जी० भूपति (पेद्दापल्ली) : सभापति जी, देश को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद गांधी जी ने एक बात बोली – स्वतंत्रता की इस ज्योति को, स्वतंत्रता की इस रोशनी को ले जा कर आप हरिजनों की झोंपड़ियों में रखें। मगर कांग्रेस के नेताओं ने बड़े दुख की बात है कि ये काम नहीं किया। इस ज्योति को, रोशनी को बड़े-बड़े बंगलों, करोड़पतियों के मकानों में रखने के लिए इन लोगों ने कोशिश की है और उसमें ये सफल हुए हैं।

[श्री जी० भूपति]

देश में कहीं न कहीं रोज ही हत्याएं होती जाती हैं, हरिजनों को मारते हैं, बेइज्जत करते रहते हैं। सरकार की यह नीति है, पालिसी है कि अगर कहीं 6 या 6 से ज्यादा एक ही जगह, एक ही गांव में, एकदम अगर कहीं हत्या कर दी जाती है तो इस सदन में उस पर चर्चा आयेगी। अगर कहीं एक दो हरिजनों की हत्या करते हैं तो यहां उसे चर्चा में नहीं लेते हैं।

हरिजनों को पहले से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस गर्वनमेंट पर बहुत विश्वास है, मगर, कांग्रेस के नेताओं को हरिजनों पर कभी विश्वास नहीं रहता है। जब चुनाव शुरु होते हैं तो ये हरिजनों पर शक करते हैं कि हरिजन हमको वोट नहीं देंगे। उस समय ये हरिजनों को पट्टा दिलायेंगे, नहीं तो 200, 400 का छोटा सा घर बनायेंगे, इस तरह ये स्टार्ट होते हैं। हरिजन कांग्रेस पार्टी को वोट देते रहे हैं और अभी तक देते रहे हैं।

(व्यवधान)

दूसरी बार दूसरे चुनाव आते हैं। तो फिर कांग्रेस के नेता सिखाते हैं वहां जाने के बाद वह लोगों को डराना शुरु कर देते हैं। बन्दूक ले जाते हैं और कहते हैं कि अगर हमको वोट नहीं देंगे तो तुम्हारे घर जला देंगे, नहीं तो तुमको मार देंगे। इस तरह वह डर के मारे वोट डालते रहे हैं।

श्री राम स्वरूप राम (गया) : यह कांग्रेस की नीति नहीं है।

श्री जी० भूपति : और सुनिये। मैं 4 मर्तबा असैम्बली का चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़ा हूं। कांग्रेस के नेताओं ने हरिजनों को इतना परेशान कर दिया है कि कहीं वह लोग उनको शराब देते हैं कहीं पैसा देते हैं। अगर उन्हें कहीं दुःख होगा तो उसको नहीं देखते। ये कांग्रेस के नेता उन्हें इलैक्शन में दारू पिलाते हैं। कोई हरिजन अगर आज शराब पीते हैं तो वह कांग्रेस के नेता ही पिलाते हैं।

श्री राम स्वरूप राम : प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम प्यारे पनिका : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : कृपया उनके भाषण में बाधा न डालें। जब आपकी बारी आये आप उन्हें उत्तर दे सकते हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : यह हम कैसे कह सकते हैं ? वह एक राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। वह चर्चाधीन मामले पर नहीं बोल रहे हैं।

सभापति महोदय : आपको भी अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। यह एक निश्चित समुदाय के ऊपर लांछन लगाना अन-पर्लियामेंटरी है। इसको प्रोसीडिंग्ज से एक्सपंज करना चाहिए।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : इसको एक्सपंज करना चाहिए ।

[अनुवाद]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : सभापति महोदय, यह एक जाति पर लगाया गया आरोप है। इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिये ।

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम : सभापति महोदय, इनके द्वारा कांग्रेस पर जो दोषारोपण लगाया जा रहा है इसको एक्सपंज किया जाना चाहिए ।

श्री जी० भूपति : महोदय, स्वामी विवेकानन्द ने आध्यात्मिक प्रचार के लिये विदेशों की यात्रा की थी, विदेशों में इनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ । इंडिया में वापिस आने पर लाखों और हजारों लोग उनके रास्ते पर, उनका स्वागत और आशीर्वाद लेने के लिए कई मीलों तक खड़े थे। वह उनके पांव पड़ गये और उनसे कहा कि हमारी समस्यायें दूर करें। जब वह मीलों दूर तक जा रहे थे तो एक हरिजन छोटा मिट्टी का पानी का बर्तन लेकर खड़ा हो गया । उसने स्वामी जी से कहा कि आप बहुत थके और उदास हैं, इसलिये यह पानी पी लो और अपनी थकान दूर कर लो। स्वामी जी ने वह पानी पी लिया और उससे कहा कि तुम्हारे हृदय में एक अच्छी पवित्रता है, तुम्हारे चेहरे और सेहरे पर मैं ईश्वर को देखता हूं। ऐसी बात कह कर स्वामी जी ने उसे आशीर्वाद दिया और चले गये। उस हरिजन ने स्वामी विवेकानन्द जी से उसके बदले में कुछ भी नहीं मांगा। इसलिये हम भी इस सरकार से और क्या मांगे ? मैं तो आपसे यही कहूंगा कि हम खुद मेहनत कर सकते हैं, खुद जी सकते हैं, हमें अपने हाल पर रहने दो, आप हरिजनों की हत्या न करो ।

मैं अब आंध्र प्रदेश के बारे में बोलना चाहूंगा। हमारी मैडम सिन्हा जी वहां गई थीं। उनकी हरिजनों पर कोई मेहरबानी नहीं थी। वह तो श्री चव्हाण की सीट पर बैठना चाहती हैं। ....(व्यवधान)

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : आप हममें झगड़ा नहीं लगा सकते । हम सब एक हैं।

श्री जी० भूपति : यह मैडम बहुत गलत रास्ते पर जा रही हैं। हमको प्राइम मिनिस्टर पर विश्वास है, वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वह हरिजनों के लिए कुछ काम अवश्य करेंगे। हम उनके साथ हैं, मगर बीच में यह मैडम हैं। मैडम ने हमारे लीडर श्री रामाराव जी को डिसमिस करने के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है। मैडम जी, आप हमारी माता हैं, आप ऐसा काम मत करें, आप अच्छे रास्ते पर चलिए। हम रसवाल गए थे, सिंहपुर गये थे, वहां भी जाकर हमने देखा। आन्ध्र प्रदेश में हमारी तेलगू देशम् की सरकार दो साल से चल रही है, आप कम्पेयर कर लीजिए, वहां हरिजनों के लिए क्या किया है कांग्रेस सरकार ने 30 साल में और दो साल में तेलगू देशम् ने क्या किया है। दोनों को कम्पेयर कर लीजिए। एक ही मिसाल बताऊंगा। आन्ध्र प्रदेश में छः रिजर्व्ड सीटें हैं और उन छः की छः में हम बैठे हुए हैं, कांग्रेस का एक भी नहीं है। हरिजनों को हमारी पार्टी पर कितना विश्वास है इसका अनुमान आप इसी से लगा लीजिए। हमारे साथी सिंहपुर रसवाल भी गये थे। वहां की परिस्थिति देख कर हम चार घण्टे उनके पास बैठे। आखिर आपने हरिजनों के लिए किया क्या है ? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस गर्वनमेंट अगर यह बोलती है कि स्वतन्त्रता के बाद हमने देश की तरक्की के लिए इतना काम किया है तो

[श्री जी० भूपति]

यह बात गलत है। 70 प्रतिशत हरिजनों ने रोड्स बनायीं हैं, रेलवे लाइनें बनाई हैं, डेवलपमेंट के और सारे काम किए हैं। किसी अमीर आदमी ने अपनी ताकत से यह सब चीजें नहीं बनाई हैं। यह सब कुछ हरिजनों ने किया है जिससे देश ने उन्नति की है जिसमें वह लोग आराम से अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं। हरिजनों की हत्या करना बहुत बुरी बात है। मैं किसी पार्टी की निन्दा नहीं कर रहा हूं। जो गुंडे हरिजनों को मारते हैं उनके बारे में मेरी शिकायत है और उनको पकड़ने की जिम्मेदारी उन अफसरों की है जो घूस और रिश्वत लेते हैं, उनके बारे में हमें शिकायत है। अगर सच्चाई से कोई हरिजनों की भलाई करना चाहता है, हरिजनों की उन्नति के लिये काम करना चाहता है, और अगर किसी ने कुछ किया है तो चाहे वह कोई भी पार्टी हो, वह ठीक है। सच्चाई से हर पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को भी हरिजनों की उन्नति के लिए काम करना चाहिए और अगर आप करना चाहते हैं तो करिए। लेकिन मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको सही रूप में हरिजनों की उन्नति करनी है तो कांस्टीच्यूशन में एक संशोधन लाइए। सिर्फ तीन साल के लिए 75 परसेंट हमको रिजर्वेशन दे दीजिए। यह पार्लियामेंट बन्द कर दीजिए। सिर्फ तीन साल के लिए रिजर्वेशन दे दीजिए।

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि इसे आन्ध्र प्रदेश में, तेलगू देशम् सरकार से पारित करवायें और तब इस सभा में लायें। क्या आप कृपया इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री जी० भूपति : तीन साल के बाद चाहे जितनी बन्दूकें ले कर आइए हरिजनों को मारने के लिए, तीन साल के बाद फिर आप आइए मैदान में, हम भी देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं? इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गंगा राम (फिरोजाबाद) : मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं, विशेषकर संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी का जिनकी बड़ी कोशिश के तथा बड़ी मेहनत के बाद हम लोगों को यह मौका मिल सका कि कालिंग-अटेंशन नोटिस को 193 की बहस में तब्दील किया गया। हमको बड़ा दुःख हो रहा था जब हम लोगों को यह अवसर नहीं दिया जा रहा था क्योंकि यह खेद की बात होती कि जब देश में गरीब हरिजनों की भयंकर और नृशंस हत्यायें हो रही हों और हमको बोलने भी न दिया जाय। मैं आपका व मंत्री जी का बड़ा आभारी हूं कि 193 की बहस में इसको परिवर्तित करके हमको बोलने का मौका दिया।

हमारे साथी जो कानपुर जिले के ग्राम सिंहपुर गये थे वे भी बड़े उपेक्षित थे, वे भी माननीय स्पीकर साहब से अलग से मिले थे, परन्तु संसदीय प्रक्रिया के कारण मौका नहीं मिल सका लेकिन हमने बड़ी कोशिश की और मैं आपका आभारी हूं कि वे लोग जो मारे गये हैं, जो अब जीवित नहीं हो सकते, जो बेजबान थे, उनके लिए कुछ बोलने के लिए आपने अब हमें अधिकृत कर दिया है। अभी यहीं मैं सदन में देख रहा था, उस सदन में जो 70 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है,

जहां समूचे देश का चिन्तनशील वर्ग बैठा है, विचारशील लोग बैठे हैं, लेकिन मैं यह देख रहा था कि जब हरिजनों की बात आ रही थी, और उनकी निर्मम हत्यायें हो रहीं थो तो हरिजनों की लाशों और उनकी हत्याओं को राजनीतिक रूप दिया जा रहा था। यह बड़े शर्म की बात है। वास्तव में हरिजनों की सुरक्षा एक अराजनीतिक समस्या है और इसका समाधान देश के विद्वानों तथा समाज-सुधारकों को, एवं यहां पर जो जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं, उनको ठंडे दिमाग से सोचकर हल करना चाहिए और विचारना चाहिए कि इन दलाल को किस तरह से सुधार सकते हैं। हम आन्ध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आन्ध्र वाले कहते हैं कि हमारी राज्य मंत्री जी वहां पर क्यों गईं और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं गईं। वे कहां गईं कहां नहीं गईं बहस का मुद्दा यह नहीं है, बात तो हरिजनों के सामूहिक नरसंहार की है। जो हरिजन मारे गये हैं वे तो अब जीवित नहीं हो सकते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि हमारी राज्य मंत्री आन्ध्र क्यों गईं और यू०पी० क्यों नहीं पहुंच पाईं। यह तय हो चुका था कि आन्ध्र प्रदेश के लिए हमारे 8-10 कांग्रेसी संसद सदस्यों का दल जायेगा लेकिन दुर्भाग्य तथा विधि की विडम्बना से एक बड़ी दुःखद घटना घट गई, हमारे नवयुवक सांसद श्री ललित माकन को गोली मार दी गई लिहाजा हमारे कांग्रेसी संसद सदस्यों का दल वहां नहीं जा सका लेकिन हम अनुगृहीत हैं अपनी राज्य मन्त्री जी के कि वे समय निकाल कर आन्ध्र प्रदेश गईं और उन्होंने वहां की घटना का अध्ययन किया।

कानपुर का जो सिंहपुर रसवल गाँव है, वहां वे क्यों नहीं पहुंची, इसका भी जबाब है। हमारे कांग्रेस के अनेक संसद सदस्य वहां पर पहुंचे, उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी पहुंचे, हमारे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष पहुंचे, तथा केन्द्र सरकार के राज्य मंत्री श्री वीरसैन पहुंचे। वहां पहुंचने वालों की भीड़ लगी हुई थी (**व्यवधान**) लेकिन सवाल यह नहीं है कि कहीं कोई पहुंचा या नहीं—सवाल यह है कि इस समस्या का हल क्या हो। मैं समझता हूं कि हम सब बिना उत्तेजित हुए तथा स्थितप्रज्ञ होकर बड़ी शांति के साथ इस समस्या को सुलझाने का प्रयास करें।

मैं, यह निवेदन करूंगा कि चाहे हमारा शासन हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विरोधी दल का हो, सभी का माथा नीचे हो जाता है जब देश में इस प्रकार की अमानुषिक घटनायें घटती हैं। इस देश में लगभग 70 करोड़ जनता है और उसमें 1981 की जनगणना के अनुसार 12 या 13 करोड़ हरिजन वर्ग के लोग कहलाते हैं, जिनकी 229 जातियां अनुसूचित हैं, ये लोग बड़े गरीब और दुःखी हैं, मेरी मान्यता रही है कि जब से समाज बना होगा बल्कि मैं तो कभी-कभी कहता हूं जबसे सृष्टि आरम्भ हुई होगी तभी से देश में हरिजनों को समाज से अलग तरीके से केवल सेवा करने के लिये तैयार कर दिया गया है, और उनको दुःखी जीवन जीने के लिये विवश किया गया है, अतः अब उसी समाज की जिम्मेदारी है कि वह अपने से कमजोर भाइयों की देखभाल करे और उनकी जानमाल की हिफाजत करे। मैं देख रहा हूं कि सन् 1936-37 से हमारी कांग्रेस की सरकार हुकूमत में रही है, और इस अवधि में उसने कोई ऐसा उपाय नहीं छोड़ा है जो इन दलितों तथा हरिजनों की हालत को सुधारने के लिए किया जाना सम्भव है लेकिन क्या किया जाए, यहां पर तो भगवान को भी यदि प्रधान मंत्री बना दिया जाए, या गृह मन्त्री बना दिया जाए तो वह भी देश की सामाजिक व्यवस्था में एकदम से परिवर्तन नहीं कर सकता है। इस बात से आप सब सहमत होंगे। लिहाजा हमको और आप सबको यह देखना है, और विचारना है कि कैसे इस समस्या से जूझा जाए। जहां तक हरिजनों के उत्पीड़न के विवरण का

[श्री गंगाराम]

सवाल है, मेरे पास अभिलेख उपलब्ध है, जिसमें सब कुछ दिया हुआ है, इसमें हरिजन हत्याओं का विवरण बहुत लम्बा चौड़ा दिया हुआ है। मैं सन् 1977 और 1978 में उत्तर प्रदेश में आयुक्त, अनुसूचित जाति और जन-जाति के पद पर कार्यरत था। वहां पर इस संबंध में एक बैठक हुई और वहां पर यह कहा गया कि जनता पार्टी जबसे हुकूमत में आयी है, हरिजनों का उत्पीड़न कम हुआ है। मैंने पन्नावलि में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर बताया था कि जितने अत्याचार और जितनी एट्रोसिटीज इस हुकूमत में हुई हैं, उतनी पहले कभी नहीं हुई। मेरे पास एक लिस्ट रखी हुई है और 1977-79 के बीच में जो घटनायें हुई थीं उसके बारे में, अगर आप समय दें, तो मैं पढ़ कर सुना दूं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इसमें केवल उत्तर प्रदेश का ही ब्यौरा नहीं है बल्कि पूरे देश में हरिजनों पर अब तक हुए उत्पीड़न का ब्यौरा है। नागालैन्ड को छोड़ कर देश के अन्य सभी प्रान्तों में हरिजन पाए जाते हैं। चाहे तमिलनाडू हो, चाहे आन्ध्र प्रदेश या आसाम हो या राजस्थान हो, या मध्य प्रदेश, हर प्रदेश में हरिजन रहते हैं और हर जगह उन पर एक ही ढंग के अत्याचार जातीयता के आधार पर होते हैं। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के अत्याचारों की अधिक घटनाओं के कारण अधिक जनसंख्या है, जहां जनसंख्या अधिक है वहां स्वभावतः सभी घटनायें अधिक होंगी। इसलिए वहां पर अत्याचार ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इस बात को कह देना कि हरिजनों पर अत्याचारों की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ गई या मध्य प्रदेश में घट गयी या आन्ध्र प्रदेश में बढ़ गयी, अर्थहीन है और यह तर्क संगत नहीं है। यह एक नंगा सत्य है कि भारतवर्ष के कौने-कौने में हरिजनों का उत्पीड़न हो रहा है।

मैं आपके सामने एक नम्र निवेदन और करना चाहूंगा। जब हरिजन मारे जाते हैं, या धर्म परिवर्तन करते हैं तभी यह समाज उत्तेजित होता है, तभी यहां के लोग आवेश में आते हैं तभी लोग सो कर जागते हैं। पहले से ही न कोई इन्तजाम होता है, न उनकी मदद करने के लिए ही कोई आता है। केवल घड़ियाली आंसू बहाने से काम चलने का नहीं है। शासन की जो जिम्मेदारी है और शासन ने जो नीति निर्धारित की है, उसके अनुसार जो सहायता इन लोगों की हो सकती है, की जाती है। इस दुःखमय घड़ी में मुझे इस वक्त फना कानपुरी का एक शेर याद आ जाता है, जो मैं सुनाना चाहता हूं :

> "साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर,
> अफसोस तो करते हैं इम्दाद नहीं करते।"

डूबने वाले की तथा पीड़ितों की कोई मदद करने के लिए नहीं जाता है और उसके दुःखदर्द को समझने की कोई कोशिश नहीं करता है। जब हरिजनों की हत्यायें हो जाती हैं, तो हर जगह भाषणों की बौछारें होने लगती हैं। "दैनिक जागरण" के सन् 1981 के सम्पादकीय में से कुछ अंश पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

> "उसकी स्थिति सम्मेलनों से सुधारी नहीं जा सकती और न लच्छेदार भाषणों से और न कोरे आश्वासनों से हरिजनों के हृदय में जो ज्वार उठा है उसे नहीं रोका जा सकता है। ऐसे समाज का हरिजन अंग क्यों बना रहे जो उसे निकृष्टतम व्यक्ति मानता है। किस कारण से हरिजन नीचा है और सवर्ण ऊंचे हैं? जब तक सवर्णों के इस अहंकार को ध्वस्त नहीं किया जाता तब तक एक श्रेष्ठ हिन्दू समाज की संरचना सम्भव ही नहीं।"

मान्यवर सवाल यह है कि यह विकट समस्या है और इसको हम सब मिलजुल कर ही इसको हल करें।... (व्यवधान) मैं कहता हूं कि मुझे बोलने दिया जाय, मैंने बड़ी मेहनत की है समय लेने के लिए। मैं दुःखी दिल की कुछ बातें कहना चाहता हूं। मेरे दिल में दर्द है, चीख है और घनीभूत वेदना है। मैं इसको बयान करना चाहता हूं और मुझे कहने दीजिए।

मान्यवर अभी चार ताजी हरिजन हत्याओं की घटनायें हाल ही में हुई हैं। जैसाकि मैं कह चुका हूं, पिछली घटनाओं का ब्यौरा मेरे पास है। अभी आन्ध्र प्रदेश में एक घटना घटी थी। इन सब घटनाओं के पीछे एक ही आधारभूत कारण है। कारण न राजनीतिक है और न प्रशासनिक। कारण सामाजिक है। इस देश में हमारे समाज की मनोवृत्ति ही कुछ ऐसी बन गई है कि जब किसी हरिजन बालिका के साथ बलात्कार होता है तो प्रत्येक दल के लोग चिल्लाने लगते हैं। उस गरीब बच्ची के सतीत्व को चौराहे पर लाकर नंगा करके दिखाया जाता है और जब किसी हरिजन की हत्या होती है, तो उसकी लाश पर रोया जाता है, आंसू बहाये जाते हैं और उसके कफन की नौचा खसौटी की जाती है। कभी कोई राजनैतिक दल कुछ कहता है और कभी कोई दूसरा दल कुछ कहता है। यह मात्र कहना इस भयंकर समस्या का कोई हल नहीं है। अभी जो आन्ध्र प्रदेश में हरिजनों की हत्याएं हुई हैं उसको मेरे मित्र समझने की कोशिश तो करें। मैं उनकी भावनाओं की इज्जत करता हूं और उनमें जो आवेश है, उसको भी मैं समझता हूं। वहां पर एक तालाब बना हुआ है जिससे हरिजनों के पीने के पानी की अलग व्यवस्था है। इस देश में अभी भी हरिजनों के लिए अलग से कुएं बनाये जाते हैं। आप गांवों में जाकर देखें कि इन लोगों की क्या दुर्गति है, क्या दुर्दशा है। आंध्र के करमचेडू गांव में अलग पानी का टैंक हरिजनों के लिए बना हुआ है। उसमें कुछ सवर्ण लोग अपनी भैंसों को नहलाने के लिए लाए और जब हरिजन महिलाओं ने ऐसा करने के लिए मना किया तो जात्याभिमान के दुराग्रह को मन में समेटे सवर्णों ने आन्ध्र प्रदेश में प्रकाशम जिले के करमचेडू गांव में ऐसा घृणित अत्याचार कर डाला जिसके फलस्वरूप छः आदमियों को मरना पड़ा और 23 घायल हो गये वह भी सिर्फ इस बात पर कि हरिजनों के पीने के पानी में सवर्णों की पवित्र भैंसें नहलाई जा रही थीं। यह घटना मनु स्मृति के काले युग की याद दिलाती है, जिसमें शूद्र को नीच मानते हुए यह भी अधिकार छीन लिया गया है कि वह स्वच्छ जल पी सके, और इज्जत से रह सके।

मैं जानता हूं कि गाँवों में सवर्णों द्वारा हरिजनों को विभिन्न तरीकों से तंग करने की मनोवृत्ति व्याप्त है। इसी मनोवृत्ति ने सिंहपुर की घटना को जन्म दिया है। यह कहना सही नहीं है कि वहां जमीन या जमीन के पट्टे पर झगड़ा था। जब हम लोग सिंहपुर के हरिजनों से मिले तो हमको यही वजह मालूम हुई कि जो सदियों से इस समाज में चली आ रही है। वहां के ठाकुरों ने कहा कि इन हरिजनों का दिमाग खराब हो गया है और ये हमारे खिलाफ गाँव सभा प्रधान के चुवाव में खड़े होते हैं। ये अब हमसे राम-राम करते हैं, और जुहार नहीं करते और जब हम इनके मुहल्लों से होकर गुजरते हैं, तो ये बददिमाग हमारे सम्मान में उठकर खड़े नहीं होते हैं।

श्रीमन् यह मनोवृत्ति आज सारे समाज में समायी हुई है, समाज के अंग-अगं में समाई हुई है। किन्तु इस पर गुस्सा करने या आवेश में आने से काम नहीं चलेगा। इस पर हम सब मिल विचार करें और गहन चिन्तन करें। शासन से जितना कुछ हो सकता है वह कर रहा है। शासन के साधन सीमित हैं। उसके पास जितने धन की व्यवस्था है, जैसा ढांचा उसके पास है, उसके

[श्री गंगाराम]

अन्दर जितनी वह कोशिश कर सकता है, उतनी कोशिश वह कर रहा है। मैं समझता हूं कि समाज को सोचना चाहिए। संस्कृत के विद्वान ने कहा है—

विद्या विवादाय धनं मदाय
शक्ति परेषाम् पर पीडनाय
साधोर्दुष्टो विपरीत एतत
ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय

समाज में जो भले आदमी हैं, जो सज्जन हैं, वे विद्या को ज्ञान के लिए इस्तेमाल करते हैं, धन को दान के लिए इस्तेमाल करते हैं। भगवान ने जिनको शक्ति दी है वे निर्बल और कमजोर की रक्षा करते हैं। अतः समाज का जो शक्तिशाली वर्ग है जिसको भगवान ने शक्ति दी है वह इन गरीबों की रक्षा करे, न कि उन्हें पीड़ित और उन पर अत्याचार करें।

इसके साथ-साथ मैं कुछ थोड़े से सुझाव देना चाहता हूं। अभी पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। आंध्र में वहां के माननीय मुख्य मंत्री ने कुछ आर्थिक सहायता दी, हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने 75 हजार रुपये की सहायता दी है। हमारी गृह राज्य मन्त्री जी वहाँ गईं और उन्होंने वहां इस समस्या का अध्ययन किया। वहां किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, यह बहुत छोटी-सी बात है, इस पर किसी को उत्तेजित नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1 लाख 70 हजार रुपयों की वित्तीय सहायता दी है। मुझे पता नहीं कि केन्द्रीय शासन की तरफ से भी कोई वित्तीय सहायता वहाँ की गई है या नहीं। लेकिन सहायता देने की बात अपनी जगह पर है, हम सबको यह जान लेना चाहिए कि एक रामलखन धोबी तथा उसके 15 साल के बेटे को गोलियों से भून कर खाट पर डाल कर जला दिया। उसकी बहू गीता, जिसको सात महीने का गर्भ था, और उसकी दो साल की बच्ची को गोलियों से छलनी कर दिया। उसके युवा पति को खदेड़-खदेड़ कर गोलियों से भून डाला। इसलिए सवाल इस बात का है कि क्या हम इन घटनाओं पर केवल बोलते या चिल्लाते ही रहें या समाज या शासन की तरफ से केवल वित्तीय सहायता देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लें। इससे क्या होगा ? हमको एक ऐसी व्यवस्था बनानी है, समाज में एक ऐसा माहौल तैयार करना है, और एक ऐसी योजना बनानी है जिससे इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। यही मेरा आपसे नम्र निवेदन है।

जहां तक हरिजन उत्पीड़न और एट्रोसिटीज की रोकथाम की बात है, मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए एक पद है, भारत सरकार में भी एक ऐसा डी०आई० जी० सेल है। जिस राज्य को जब मौका मिलता है वह वहां पर इस प्रकार की पुलिस की व्यवस्था करता है। लेकिन मैं अपने माननीय गृह मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि ऐसे कामों की तफ्तीश करने के लिए अलग से गठित पुलिस को कानूनी शक्ति दें। आज तक जितने भी मामले हुए हैं उनमें इन्वेस्टीगेशन या तफ्तीश के कोई रिजल्ट ठीक ढंग से निकल कर नहीं आये हैं। यह मेरा एक सुझाव है कि हरिजनों के उत्पीड़न को रोकने के लिए अलग से स्वतन्त्र पुलिस दल गठित किये जायें।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि समाज में लोगों को आगे आना चाहिए और उन्हें भेद-भाव की भावना को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। महात्मा गाँधी के बाद, स्वामी विवेकानन्द, बाबा डा० अम्बेदकर तथा ऋषि दयानन्द के बाद इस समाज में कितने समाज सुधारक यहां पैदा हुए हैं यह मैं पूछना चाहता हूं ? वास्तव में आज उनकी आत्माएं रो रही हैं। इस देश में क्या हो रहा है इसको देखकर उनको दुःख हो रहा होगा। आज देश में जो नई पीढ़ी आई है इसमें से कोई स्वामी विवेकानन्द बन जाये, कोई महात्मा गांधी बन कर तैयार हो जाए, कोई ऋषि दयानन्द पैदा हो जाए और कोई इन्दिरा गांधी जन्म ले ले, जो इस समस्या को हल कर सके। इस समस्या का हल शासन से नहीं हो पायेगा या बहस से नहीं हो पायेगा बल्कि समाज सुधारकों द्वारा हो सकेगा, ऐसा मेरा मत है।

एक सुझाव और देना चाहता हूं। आपका जो दूरदर्शन सिस्टम है, यह जो आज जगह-जगह पहुंच गया है उसे भी हरिजनों की दशा सुधारने के लिए प्रचार माध्यम के रूप में प्रयोग करना चाहिए। मेरी मन्त्री जी से रिक्वेस्ट है कि समाज की इस व्यवस्था के बारे में रोजाना नहीं तो दूसरे दिन इसके बारे में कोई न कोई व्यवस्था करें।

एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सिंहपुर गांव में हुई घटना के कारणों के बारे में मैंने वहां के नौजवानों से बात की तो उन्होंने बताया कि वे 6 महीने तक दौड़ते रहे कि उनकी जान को खतरा है, हमको मार डाला जाएगा, हमको आर्म्स लायसेंस दे दीजिए, हथियार दे दीजिए। आप जानते हैं कि अगर एक तरफ 500 आदमी निहत्था हों और एक आदमी के पास 315 बोर की रायफल हो तो 500 आदमी मारे जायेंगे या वह एक मारा जायगा। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि वे राज्यों के सभी मुख्य मंत्रियों को लिखने की कृपा करें कि इन गरीब लोगों को अधिक से अधिक आर्म्स लायसेंस दें।

समय नहीं है, बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहता था, और भी बहुत लोग बोलने वाले हैं, समय बहुत कम है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, आज हम बड़े कृतज्ञ हैं अध्यक्ष जी के और खासतौर से गृह मंत्री महोदय के कि जो कालिंग अटेंश्न आया था, उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया 193 के अन्तर्गत डिसकशन करा दिया।

मान्यवर यह दुःखद बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 37-38 वर्ष के बाद आज भी हम सदन में हरिजनों के उत्पीड़न, हरिजनों और आदिवासियों के ऊपर अत्याचारों की चर्चा करें। मान्यवर, मुझे बहुत तकलीफ हुई जब इधर के कुछ साथी समस्या पर न बोलकर समस्या के निराकरण पर सुझाव न देकर कुछ राजनीतिक झंझावात में उलझ गए। आज हम सब लोग चाहे इधर के हों या उधर के, कोई फर्क नहीं है। आज विचार करना है उस देश पर, जिसकी संस्कृति में "वसुधैव कुटम्बकम, सर्वेजन: सुखिनो भवन्तु" का नारा है। आज उस संस्कृति में इतनी विकृतियां आ गईं, हमारी स्थिति यह है कि आज हरिजनों पर अत्याचार होते हैं, आदिवासी मारे जाते हैं और तमाम किस्म के उनके ऊपर अत्याचार ढाए जाते हैं। मान्यवर, इसके मौलिक कारण क्या हैं, अभी हमारे साथी श्री गंगाराम जी ने ठीक ही कहा है कि जो एक सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है, वर्ण व्यवस्था में जो विकृतियां हैं, हमारा समाज स्वतंत्रता के इतने समय के बाद भी उससे ऊपर नहीं उठ पाया है। तो मैं सरकार से पहली बात यह कहना चाहता हूं कि जो संवैधानिक सुविधाए

[श्री राम प्यारे पनिका]

हमको आपने दी हैं अनुसूचित जातियों और जन-जातियों को, उनको टाइम-बाउंड प्रोग्राम के जरिए पूरा करें। यह बहुत दिनों तक नहीं चलाया जाना चाहिए, हमको आंकड़ों में भी नहीं फंसना चाहिए, चाहे सर्विस का मामला हो, चाहे इकनामिक डेवलपमेंट की बात हो, सामाजिक सुधार या शिक्षा सुधार की बात हो, हम टारगेट प्राप्त नहीं कर सके हैं। उनको प्राप्त करने के लिए हमको तेज गति से काम करना चाहिए।

1980 में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मन्त्री बनीं तो उन्होंने तमाम मुख्यमंत्रियों को डायरेक्शन दी कि सबसे पहला काम सरकार का है हरिजनों और आदिवासियों का जो उत्पीड़न हो रहा है, उसको रोकें, लेकिन दुख की बात है कि ला एण्ड आर्डर राज्यों का विषय होने के कारण समस्या जटिल हो जाती है। जो यहां से डायरेक्शन जाते हैं, जो नीति होती है, सरकारें उनका पालन नहीं करतीं। मुझे याद है कि अगर कहीं दो लोग, एक ही गांव के बंदूक के लायसेंस के लिए दरख्वास्त दें, एक सवर्ण और एक आदिवासी-हरिजन तो हरिजन-आदिवासी की रिकमण्डेशन वह दरोगा नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आज देश में लायसेंस देने के लिए पैसा चलता है। हरिजन और आदिवादियों के पास पैसे नही हैं। आज पुनः सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा कि कब तक उनकी रक्षा हेतु आयुध देने जा रहे हैं या नहीं और कब तक उन लोगों को लाईसेंस देने का अधिकार रखेंगे जो पैसे के बल पर रिकेमन्डेशन लेते हैं। आप यह देखें कि जो उत्पीड़न हुई है वह किन बातों को लेकर हुई है। मैं बिहार का अध्ययन कर रहा था। मुझे बड़ा दुख हुआ कि हम यहां पर मंडल आयोग की बात करते हैं। वह सही बात है। लेकिन बिहार में हरिजनों पर एट्रीसिटिज हो रही है। समाज में ऐसी रचना रची हुई है कि चमार से धोबी, धोबी से पासी, पासी से अहीर और अहीर से फला ऊंचा है। यह जो व्यवस्था बन गई है, इस पर सारे राजनीतिक दलों का बैठकर सोचना पड़ेगा। गुजरात में जो पिछले दिनों हुआ या और जगहों पर हो रहा है, यह डेमोक्रेसी के लिए चुनौती का प्रश्न है। यदि हमने राष्ट्रीय एकीकरण की भावना से महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर विचार नहीं किया तो यह स्थिति और भयावह हो सकती है। अभी जो यहां पर रिजर्वेशन का मामला आया उसमें राष्ट्रीय कंसेशन्स की बात आई। इसको मैं मानता हूं। यह मोटी-सी बात है कि हरिजन और आदिवासियों की पच्चीस परसेंट यहां पर आबादी है। रेशनेलाइजेशन की बात सन् 67 से शुरु हुई है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने होम मिनिस्ट्री के बार-बार लिखने के बाद भी यह सूचना नहीं दी है कि अपने प्रदेश के हरिजन और आदिवासी कौन से लोग हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों का कर्तव्य हो जाता है कि हम लोग बैठकर इस बारे में विचार करें। आइ०ए०एस० और आइ०पी०एस० में हरिजन और आदिवासियों का कोटा भर गया है। लेकिन हम विचार करें चतुर्थ और तृतीय श्रेणी पर कि उनके लिए कौन-सी योग्यता थी जिसको हम संविधान की मंशा के अनुसार जो 38 साल पहले बनी थी, उसको क्रियान्वित नहीं कर पाए। इसीलिए दो तरह से हरिजन और आदिवासी पीड़ित हो रहे हैं। एक तरफ समाज यह कहता है कि रेडियो और टेलीविजन पर हरिजनों के लिए प्रचार होता है कि सरकार यह करना चाहती है। दूसरी तरफ वह पूरा नहीं होता। प्रचार कार्यान्वित न होने से वह हरिजनों के लिए अभिशाप हो रहा है। मेरी पहली मांग है कि हरिजन और आदिवासियों के लिए जो भी आपकी घोषित नीति है, उसका क्रियान्वयन कीजिए। मैं यह बात सदन में कह रहा हूं कि आइ०आर०डी०पी० और एन० आर०इ०पी० के अन्तर्गत प्रोग्राम सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। पन्द्रह सौ रुपए की भैंस

तीन हजार रुपए में आदिवासियों को मिल रही है। क्या यह सही नहीं है कि 37-38 वर्षों के बाद भी जो जमीन सीलिंग से निकली उसका आधा भाग भी हम हरिजनों में आबंटित नहीं कर सके हैं। जो किया है, क्या उसका कब्जा मिल गया है। पट्टे दे दिए लेकिन मुकदमे चल रहे हैं। सरकार को इस मामले में आगे आना चाहिए। यदि आपने जमीन का पट्टा दिया है तो आपका कर्तव्य है कि उनको कब्जा दिलवाया जाए। आपने हरिजन और आदिवासियों को और कठिनाइयों में डाल दिया है। हम यह सोचें कि इनको कैसे दूर करें। एट्रोसिटिज तीन-चार बातों पर होती है। हरिजन आज जाग रहा है। वह जानता है कि उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। अगर उसकी बहू-बेटी की इज्जत उछाली जाती है तो वह उसका सामना करने के लिए तैयार है। दूसरी बात यह है कि जैसा अभी एक मित्र ने कहा कि हरिजन चारपाई पर नहीं बैठ सकता। जो हरिजन आफिसर्स हैं उनके साथ आज भी कैसा व्यवहार होता है। आज भी यदि वह गांव में चला जाता है तो उसके साथ समान व्यवहार नहीं होता और उसको अलग से शीशे के गिलास में पानी पीने के लिए दिया जाता है। इस तरह से कैसे उन लोगों का मनोबल ऊंचा हो सकता है। इसीलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, क्योंकि रिजर्वेशन अधिक दिनों तक नहीं चलाया जा सकता, और चलाना भी नहीं चाहिए, बल्कि हमारे समाज के जो लोग पिछड़े हुए हैं, उनको एक समान स्तर पर लाने के लिए एक टाइम-बाउन्ड प्रोग्राम बनाये जाने की आवश्यकता है, उनको शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। जिला परिषद में जो होता है या तमाम स्कूलों में जिस तरह की शिक्षा हम ट्राइबल्स और हरिजनों को दे रहे हैं, उससे इनको एक-समान स्तर पर नहीं लाया जा सकता।

जहां तक इन लोगों को छात्रवृत्ति देने का सम्बन्ध है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें भी हरिजन छात्रों के साथ किस तरह का उत्पीड़न किया जाता है। हमारी सरकार तो चाहती है लेकिन उनको कभी समय से वजीफा नहीं मिलता, सारा साल बीत जाता है। यह बात एक-दो जगह की नहीं है, सारी जगह ऐसा ही हाल है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा जो बजट है, हर मिनिस्ट्री में उसको कोडिफाई करने की जरूरत है। आप स्वयं देख सकते हैं कि आज तक कितने हरिजनों या ट्राइबल के लोगों को इंडस्ट्री के लाइसेंस मिले हैं, कितने लोगों को कल्चरल फैसिलिटीज मिली हैं। आई०आर०डी० के तहत उनको जरूर कुछ मदद मिली है, काम मिला है। आज वह जागा है।

यहां मैं एक निवेदन आपसे यह करना चाहता हूँ कि हमारे हरिजन, गिरिजन और ट्राइबल्स के लोग तभी ऊपर उठ सकते हैं जब उनके ऊपर उठने के लिए वातावरण तैयार किया जाए। क्योंकि हमारे ट्राइबल्स के लोग एक विशेष परिस्थितियों में रहते हैं और उन विशेष परिस्थितियों के अनुसार जब तक उनको सुविधायें नहीं दी जातीं तब तक स्थिति सुधर नहीं सकती। आज उनके जितने पुराने राइटस या कन्सेशन्स थे, वे सब समाप्त हो रहे हैं। उसका नतीजा यह हो रहा है कि बिहार में यदि आप देखें तो बिहार में क्या नक्सलाइटस नहीं हैं। वे अपने हकों की मांग करते हैं तो उनको नक्सलाइटस कह दिया जाता है। उसी तरह जहां भी ट्राइबल्स हैं, वे अपने को अलग समझते हैं। चाहे आप बस्तर में चले जाईये। आज मुझे खुशी है कि हमारे देश के सुयोग्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके हित में कुछ काम हो रहे हैं, हरिजनों, गिरिजनों और ट्राइबल्स के लिए विशेष प्रोग्राम बनाये गए हैं ताकि उनको ऊपर उठाया जा सके और इस सरकार के वे सारे प्रोग्राम खुलकर सामने आये हैं। पहले वाली स्थिति अब नहीं रह गई है, मान्यवर। इसलिए अब समय आ गया है कि हम किसी चीज को छिपायें नहीं और उनकी एजूकेशन के लिए, उनकी इकानामिक

[श्री राम प्यारे पनिका]

डेवलपमेंट के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए एक वातावरण बनाया जाए। चाहे हम इधर के लोग हों चाहे उधर के लोग हों, दोनों को उसमें अपना पूरा सहयोग देना चाहिए।

यहां मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, जहां तक संविधान में समता का अधिकार दिया हुआ है, जब तक उस समता को प्राप्त करने के उनको समान अवसर नहीं दिए जाएंगे, उस समय तक देश के हरिजनों और गिरिजनों की तरक्की नहीं हो सकती। जब तक हम उस संविधान में दिए हुए समता के अधिकार को चरितार्थ करने के लिए दिल से काम नहीं करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। वह भी चाहता है कि उसको समता का अधिकार मिले। जिस तरह से किसी घर में जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको अच्छा स्वस्थ होने तक हम अच्छा खाना देते हैं, आज उसको भी वैसा ही व्यवहार चाहिए। आज वह आपसे उसी तरह के व्यवहार की अपेक्षा करता है। वह आपसे भ्रातृत्व की भावना चाहता है, प्रेम की भावना चाहता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हरिजन, गिरिजन और ट्राइबल्स के लोग ही नहीं, दूसरे लोगों को भी इस मामले में आगे आना चाहिए, उनको भी अपनी आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए, सिर्फ हमने ही बोलने का ठेका नहीं लिया हुआ है। आज मधु दण्डवते जी को बोलना चाहिए, नारायण चौबे जी को आगे आना चाहिए क्योंकि जब जब भी आदिवासियों और हरिजनों पर अत्याचार का विषय इस सदन में आता है, हम लोग तो बोलते हैं, लेकिन दूसरे लोग उसमें योगदान नहीं देते। इसलिए आज हम सबको आगे आकर देश के उन लाखों करोड़ों लोगों को आश्वस्त करना होगा कि अब देश में फिर कहीं पर गुजरात की स्थिति को नहीं दोहराया जाएगा। यदि कभी ऐसी स्थिति पैदा होगी तो सारा हिन्दुस्तान उठकर हरिजनों और आदिवासियों के पीछे होगा ताकि उनकी रक्षा हो सके, सुरक्षा हो सके।

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : सभापति जी, एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय पर आज हम सब लोग इस सदन में चर्चा कर रहे हैं। यह भी बहुत दुख की बात है कि आज पूज्य बापू के इस देश में, जिन्होंने इस देश को मानवता का संदेश दिया, जिन्होंने इस देश को अहिंसा का संदेश दिया, देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह की घृणित घटनाएं हो रही हैं, जिनसे हम सब का सिर शर्म और लज्जा के कारण झुक जाता है।

जब यहां पर चर्चा चल रही है और मैं माननीय सदस्यों के विचार सुन रहा हूँ तो मैं बड़े ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये घटनाएं किसी प्रदेश विशेष में नहीं घट रही हैं, केवल आन्ध्र प्रदेश में ही नहीं घट रही हैं, दूसरे प्रदेशों में भी घटी हैं। जहां हम एक तरफ उत्तर प्रदेश का नाम लेकर आलोचना कर रहे हैं, वहीं पर हम उत्तर-प्रदेश की बात करके अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, लेकिन सत्य यह है कि आन्ध्र प्रदेश में भी घटनाएं उसी तरह से घटी हैं जिस तरह से कानपुर में घटी हैं।

मैं कानपुर में देहात में, सिहपुर रसवल गाँव गया था, उसमें संसद सदस्य श्री गंगाराम जी, हमारी कांग्रेस पार्टी के महा-अध्यक्ष, श्री महावीर प्रसाद जी गये थे, हमारे केन्द्रीय राज्य मंत्री भी गये थे, उसके पहले हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री भी वहां जा चुके थे, प्रदेश के दो और वरिष्ठ मंत्री भी जा चुके थे, और उन्होंने काफी राहतों की घोषणा की। इसी तरह से हमारे आंध्र के साथियों ने भी कहा कि वहां पर उनके मुख्य मंत्री गये थे, उन्होंने राहतों की घोषणा की, यह

अलग विषय है। किन्तु मुख्य विषय यह है कि वहां पर भी नरसंहार हुआ और उसी क्रम में कानपुर में भी सामूहिक नरसंहार हुआ, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में भी सामूहिक नरसंहार की घटनाएं घटी हैं। एक साथ, एक महीने में चार प्रदेशों में सामूहिक नरसंहार की घटनाएं घटी हैं और हम यह देख रहे हैं कि हर जगह घुमा-फिरा कर वही सारी बातें हैं, जिन बातों के सन्दर्भ में, जिन बातों को लेकर वे घटनाएं घट रही हैं वे सब बातें आपको अच्छी तरह से मालूम हैं।

सभापति जी, मैं ज्यादा बातें तो नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मेरे साथियों ने सभी बातों पर प्रकाश डाल दिया है। मैं संक्षिप्तरूप में दो-तीन मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये घटनाएं जो खासतौर से कानपुर में घटी हैं, पहले मैं उन्हीं को ले रहा हूं क्योंकि वहां हमारी सरकार है, उसके बाद मैं आंध्र प्रदेश की बातों को लूंगा, नहीं तो मेरे विरोधी साथी कहेंगे कि हमें पहले कह रहे हैं। मैं सिंहपुर रसबल गया था और सभापति जी मुझे इसमें यह कहते हुए कोई हिचक नहीं है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने वहां पर लापरवाही बरती है और जिसकी वजह से इतनी दुखद घटनाएं घटी हैं अन्यथा ये घटनाएं न घटतीं। मैं आपको बताऊँ, वहां हरिजनों का विवाद ठाकुरों से प्रधान पद के चुनाव को लेकर शुरु हुआ और उसी समय से उनको बराबर जान-माल की धमकी मिल रही है। मैं आपको एक विवरण केवल 1984 वर्ष के बारे में बता रहा हूं—दिनांक 31-5-84 को एक हरिजन को मारा गया, दिनांक 8-6-84 को एक हरिजन का फूंस जला दिया गया, दिनांक 12-7-84 को झींझक जो पुलिस चौकी है, वहां पर लिखित सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्यवाही पुलिस चौकी इंचार्ज ने नहीं की, दिनांक 17-7-84 को मंगलपुर थाने में कार्यवाही के लिए बात की गई, लेकिन वहां से भी कार्यवाही नहीं हुई, 19-6-84 को मात्र चारपाई पर बैठने के कारण दो हरिजनों को मारा गया कि तुम चारपाई पर क्यों बैठे, और जब इस बात को लेकर वहां के हरिजन अधिकारियों से मिले और उन्होंने यह बात की, तो अधिकारी द्वारा हंसकर टाल दिया गया और कोई कार्यवही नहीं की गई। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि वहां जब उपरोक्त घटनाएं घटीं तो वहां चौकी इंचार्ज आर०एस० सेंगर साहब थे, जो ठाकुर थे, जब वहां पर थाने में मामला गया, तो वहां पर एक दरोगा उड़नबीर सिंह साहब थे, उन्होंने कार्यवाही नहीं की, जब यह मामला डिप्टी एस०पी० के पास गया तो एक एस०के० सिंह साहब थे, उन्होंने कार्यवाही नहीं की। दिनांक 27-6-84 को उन हरिजनों ने हरिजन सेल के जो इंचार्ज थे, प्रभारी थे, उनसे जब शिकायत की, तो वहां से जो दरोगा जी जांच के लिए भेजे गये, वे रंजीत सिंह भेजे गये। मैं आपसे इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि मैंने वहां स्वयं जाकर देखा है, जब ये उपरोक्त अधिकारी जांच करने जाते थे तो उन्हीं के दरवाजे पर बैठकर जांच कर रहे थे जिन व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत रहती थी, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे जांच हो सकती है, और कैसे इंसाफ मिल सकता है। सभापति जी, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जब उन हरिजनों, आदिवासियों ने दिनांक 28-6-85 को एस०पी० कानपुर देहात श्री आर०के० तिवारी को लिखित में दिया कि हमारे जानमाल को खतरा है और किसी भी समय कोई भी गम्भीर घटना घट सकती है, तो आपको ताज्जुब होगा कि उन्होंने भी उस शिकायत को "सीन, फाइल" कर दिया और कोई कार्यवाही नहीं की, और 21 जुलाई को यह घटना घट गई और 6 हरिजन मारे गये, तो यह जो घटनाक्रम है, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। अगर इस पर स्थानीय पुलिस ने एवं वरिष्ठ प्रसाशनिक स्वर के अधिकारियों ने सख्त कार्यवाही की होती, तो यह घटना नहीं घटती।

[श्री राम प्यारे सुमन]

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं जिन अभियुक्तों ने एक साल में इतने हरिजनों को मारा था जिनका मुकदमा चल रहा है और जिस मुकदमे की 29-7-85 को तारीख थी, उन अभियुक्तों का लाइसेंस जप्त नहीं किया गया है तथा वहां पर उन हरिजनों ने एक साल से गन लाइसेंस हेतु लगातार दरख्वास्त दीं कि हमको गन का लाइसेंस दिया जाए, लेकिन उनको तो लाइसेंस नहीं दिया गया, बल्कि उन्हीं अभियुक्तों में से दर्शनसिंह, जो प्रधान हैं, उनका भतीजा है गोपाल सिंह, उसको लाइसेंस एक महीने में दे दिया गया। और उसी गन का इस्तेमाल इस घटना में किया गया है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हमारे अधिकारियों ने, जो पुलिस फोर्स में थे, सख्ती से कार्यवाही की होती तो यह दुखद घटना नहीं घटती और एक शर्मनाक बात यहां न आती और हम इस पर चर्चा नहीं करते। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर कार्यवाही सख्ती से होनी चाहिए।

मुझे याद है कि कानपुर देहात में इधर कई सालों से लगातार घटनाएं घट रही हैं, चाहे बेहमई कांड हो, अस्तावाद कांड हो, दस्तनपुर कांड हो, चाहे सिंहपुर रसवल कांड हो। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा कि क्यों और कहां कमी है। मैं अपनी बात को स्वयं कह रहा हूं, हमारे विपक्षी साथी शेम-शेम जरूर करेंगे। आप पर यह बात लागू नहीं होती है, हमारे यहां लागू होती है, यह बहुत दुखद घटने वाली घटना है। इसको आप महसूस नहीं कर रहे हैं मगर हम अपनी बात को महसूस कर रहे हैं।

बेहमई कांड हुआ, उसमें 20 ठाकुर मारे गये, डायरेक्टर जनरल हटा दिया गया। दस्तनपुर कांड हुआ 9 मल्लाह मारे गये, मुख्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। वहीं पर सिंहपुर रसवल में कांड हुआ तो सिर्फ चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है बाद में दरोगा को। एक तरफ मौत हुई, एक तरफ कत्ल किया गया, डायरेक्टर जनरल हटा दिया गया और उधर कत्ल हुआ तो चौकी इंचार्ज सस्पेंड किया गया। अगर यही नीति रही, ऐसे ही काम करेंगे तो कैसे इन्साफ मिलने वाला है ?

हम तो जानते हैं कि आज जो वर्ण व्यवस्था है, जो समाज में नियम हैं, जो छूत-छात, ऊंच-नीच और जात-बिरादरी की भावना फैली हुई है, उसका जहर इस कदर समाज में फैला हुआ है कि उसकी वजह से आज घटनाएं घट रहीं हैं। जब कहीं ऐसी बात होती है तो यह प्ली लिया जाता है।

कानपुर देहात की बात है। वहां के एक अधिकारी ने कहा कि उसमें से एक हरिजन ने कुछ दिन पहले कत्ल किया था। इस तरह से घटना को मोड़ा जा रहा है। जब वहां पर घटना की रिपोर्ट पुलिस में मामले को दर्ज कराने के लिए गये तो इसे धारा 396 आई पी सी में दर्ज किया गया धारा 302 आई पी सी में दर्ज नहीं किया गया इसलिए कि मामला साफ करने के लिए कैसे गलत रिपोर्ट लिखकर मामला कमजोर किया जाये। उसको डकैती में दर्ज किया गया, कत्ल में दर्ज नहीं किया गया। यह भी हरिजनों को कहा जाता है कि हम ही गुनाहगार थे। एक शायर ने कहा है—

गुनाहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नावाकिफ हूं।
सजा तो जानता हूं, पर खुदा जाने खता क्या है।

आज जो स्थिति समाज में है, इसका जो रूप आप देख रहे हैं, इसी तरह से आन्ध्र में हुआ है। आन्ध्र के बारे में हमारे साथी श्री गंगाराम जी ने कहा, हमारे कुछ मित्रों ने उस समय शेम-शेम नहीं कहा। आन्ध्र में कितनी घृणित घटना घटी, उसका समाचार अखबारों में पढ़कर बहुत अफसोस हुआ। वहां के मुख्य मंत्री ने इस बात से इनकार कर दिया कि उन हरिजनों को कानूनी सहायता देंगे, इसलिये कि हरिजन मारे गये हैं इसलिए कानूनी सहायता नहीं मिलेगी।

मारने वाले कौन हैं? जब मुख्य मंत्री जाते हैं तो उनके साथ कौन थे, पूरे काफिले में कौन थे? उस काफिले में.........**.........शामिल थे। यह शर्म की बात है। उसके लिए आपको शर्मिन्दा होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे सुमन : मैं इस बात को चेलेन्ज करता हूं। यह शर्म की बात है और इसके लिए आपको शर्मिन्दा होना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस०एम० भट्टम : इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन : मैं आपका नाम दे दूंगा। आप कृपया सुनें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आप सभी खड़े हो जायेंगे तो मैं आपको सुन नहीं सकता। एक समय में एक ही व्यक्ति बोले।

(व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : वह बता रहे हैं कि मुख्य मंत्री वहां नहीं गये। मुख्य मंत्री इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की मदद कर रहे हैं। यह सब सरासर झूठ है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी बारी पर कहें कि यह सच नहीं है। आप इसे सुधार सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन : ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं जो हरिजनों के नाम पर आंसू बहाते हैं।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[श्री राम प्यारे सुमन]

5.00 म०प०

(व्यवधान)

महोदय, यह बहुत शर्मनाक घटनायें हैं और इसको रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। इसके लिए हम चाहेंगे कि जहां भी ऐसी घटनायें घटें, चाहे वहां पर कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, आपको सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री वी० तुलसी राम : सभापति महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है? किस नियम के अंतर्गत है? इसे किस नियम के अधीन होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसी राम : सभापति महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : किस नियम के अंतर्गत ?

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसी राम : सर, प्वाइंट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने आपसे पूछा था कि किस नियम के अधीन आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। किसी नियम का उल्लंघन न होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ है तो कौन से नियम का ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह आरोप लगा रहे हैं।

सभापति महोदय : आपको इनकार करने की छूट है।

श्री एस०एम० भट्टम : ऐसा मत होने दें। वह मुख्य मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन : महोदय, यह बहुत शर्मनाक घटनाएं हैं, इसको रोकने के लिए हमें कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। हमारे आंध्र प्रदेश में यह घटनाएं बहुत हो रही हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस०एम० भट्टम : आप उन्हें क्यों अनुमति दे रहे हैं ?

सभापति महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। यदि इसमें कोई बात आपत्तिजनक है तो मैं उसे निकाल दूंगा।

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसी राम : महोदय, यह एलीगेशन हम पर लगाया जा रहा है, इसलिए इसको एक्सपंज किया जाये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। सर्वप्रथम आप इसे सुधार सकते हैं। यदि उनकी बात गलत है तो आप इसे सुधार सकते हैं।

दूसरी बात, यदि किसी नियम का उल्लंघन हुआ है, तो मैं उस पर विचार करूंगा तथा उसे सुधार दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : वह आरोप लगा रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को अपना भाषण समाप्त करने दें। आप सभी कृपया बैठ जायें। यदि नियम का कोई उल्लंघन हुआ है तो उसे सुधार दिया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : आप उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दें।

सभापति महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त को देखूंगा।

अब, माननीय सदस्य को अपना भाषण समाप्त करने दें।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन : महोदय, विरोधी दलों के सदस्यों ने जो बातें अपने भाषण में कही थीं, वह बातें इस सदन के सम्मुख आ गई हैं और मैं यह साबित करना चाहता था कि उनके मन में क्या है। वह कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इनकी कथनी और करनी में फर्क है।

यह बात सही है कि जो वीकर सैक्शन के लोग हैं, हरिजन, आदिवासी और गरीब हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन इसको रोकने के लिये हमारी सरकार को सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और जहां पर भी ऐसी घटनायें घटें वहां पर डिस्ट्रिक्ट एथोरटी को, खास तौर से पुलिस अधीक्षक को, तुरन्त हटा देना चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वास्तविकता के आधार पर कार्यवाही होनी चाहिए। साथ में एक सुझाव यह देना चाहूंगा कि जो स्थान रिक्त पड़े हैं जैसे कमिशनर आदि का स्थान, उसको शीघ्र भरना चाहिए। आज उन गरीब हरिजनों का बहुत शोषण हो रहा है, इसलिये उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिये सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

5.06 म० प०

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

***श्री बाजूबन रियान** (त्रिपुरा पूर्व) : सभापति महोदय, आज हम हरिजनों और गिरिजनों पर अत्याचारों पर चर्चा कर रहे हैं। हम इस समस्या पर प्रत्येक सत्र में चर्चा करते हैं। परन्तु महोदय, कांग्रेस, शासित राज्यों में हरिजनों, गिरिजनों पर अत्याचार दिन-प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अत्याचारों की यह घटनाएं कांग्रेस सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके द्वारा हरिजनों, गिरिजनों की सुरक्षा के लिए बनाये गये कानूनों का सीधा परिणाम है। उनकी भूमि तथा उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किये गये उपाय उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किये जा रहे हैं। उसके परिणामस्वरूप हरिजन अत्याचारों का शिकार हो रहे हैं। और ऐसी घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। सरकार द्वारा गठित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के आयोग ने हरिजनों एवं गिरिजनों पर किये जा रहे अत्याचारों के कारणों का विश्लेषण किया है, जिसे निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है :

1. भूमि विवाद,
2. आर्थिक समस्याएं,
3. पुलिस द्वारा अत्याचार,
4. व्यक्तिगत शत्रुता,
5. अस्पृश्यता।

ऐसी घटनाओं के अन्य कारण हैं :

बलात्कार, अपहरण, उत्पीड़न, डकैती, ठेकेदारों द्वारा शोषण इत्यादि।

वर्ष 1984 के लिये सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार हरिजनों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर बलात्कार, कत्ल आगजनी आदि की घटनाओं की कुल संख्या 20159 थी। उनमें से अनुसूचित जातियों से संबद्ध घटनाएं 15,936 थीं और अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध 4223। श्री अमर राय प्रधान, जोकि पहले बोले थे, ने बताया कि ऐसे अत्याचारों की संख्या में मध्य प्रदेश सबसे आगे है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश आता है। इन सभी राज्यों में रिपोर्ट की अवधि 1984 में कांग्रेस सत्ता में थी। मैं विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचारों की संख्या की राज्यवार पृथक गणना करता हूं।

यह सरकारी आंकड़ों के अनुसार है :

राज्य	कुल अपराध	अनुसूचित जातियों पर	अनुसूचित जन जातियों पर
मध्य प्रदेश	8681	5537	3144
उत्तर प्रदेश	4200	4200	शून्य
बिहार	2048	1845	203
आंध्र प्रदेश	244	190	54
पश्चिम बंगाल	33	18	15

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

परन्तु श्रीमान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा जैसे राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों तथा आदम जातियों के लोगों की संख्या कम नहीं है। अतः हम देखते हैं कि इन राज्यों में जहां गैर कांग्रेसी सरकारें अथवा विपक्षी दल सत्ता में है, हरिजनों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों की संख्या कांग्रेस शासित राज्यों की तुलना में बहुत कम है। यह कहा जा सकता है कि उन राज्यों में जहाँ विपक्षी दल सत्ता में हैं, केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सम्बन्ध में बनाये गये कार्यक्रम और आर्थिक नीतियाँ अधिक प्रभावशाली ढंग से लागू की जा रही हैं। यही कारण है कि इन राज्यों में हरिजनों आदि पर अत्याचारों की घटनाएं कांग्रेस-शासित राज्यों की तुलना में काफी कम हैं। श्रीमन् केन्द्र सरकार ने देश और राष्ट्र के हित में कई बड़ी परियोजनाएं प्रारम्भ की हैं जैसे भारत कोकिंग कोल तथा बहुत से लोहा और इस्पात कारखाने, तथा विभिन्न जल-विद्युत परियोजनाएँ आदि। श्रीमन्, ये परियोजनायें अधिकतर उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित की जा रही हैं जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग बसते हैं। इन परियोजनाओं के कारण भी ये गरीब लोग अपने मूल आवास स्थानों से उजड़ रहे हैं और विस्थापित हो रहे हैं। जैसे-जैसे उनकी जमीन अर्जित की जा रही है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार को इन परियोजनाओं को शुरु नहीं करना चाहिये। आखिर ये देश के हित में हैं, उनके कारण देश निश्चित रूप से फलेगा-फूलेगा और विकसित होगा, लेकिन साथ ही मैं यह भी कहूँगा कि सरकार को उन हरिजनों, गिरिजनों आदि की ओर भी उचित ध्यान देना चाहिये जो कि इन परियोजनाओं के कारण उजड़ रहे हैं और विस्थापित हो रहे हैं। इन लोगों को उनकी शिक्षा तथा अन्य योग्यताओं के अनुरूप इन्हीं परियोजनाओं में काम दिया जाना चाहिये, उन्हें अपनी जमीन तथा मकानों आदि के लिये पूरी क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिये जहाँ से वे विस्थापित किये जा रहे हैं। यदि सरकार ने इन समस्याओं पर ध्यान दिया होता तो उन पर होने वाले अत्याचारों की संख्या में कमी आ जाती, लेकिन दरअसल हम क्या देखते हैं? पिछले सात वर्षों में भारत कोकिंग कोल की खानों में, जो कि बिहार में स्थित हैं, अनुसूचित जनजाति के 50000 श्रमिकों की या तो छँटनी कर दी गयी थी या वे निकाल दिये गये थे, वे अवश्य कम-मजदूरी वाले कामों में लगे हुए थे, इस प्रकार विभिन्न सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्विन के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग अधिकाधिक अत्याचार और परेशानी भुगत रहे हैं।

श्रीमन्, वनों के संरक्षण के नाम पर उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। ये आदिवासी, हरिजन और गिरिजन हमेशा से ही वनों और वन-उत्पादों पर इस प्रकार आश्रित रहे हैं जैसे कि वह उनका जन्मजात अधिकार हो या उनकी सामाजिक-आर्थिक प्रणाली हो। वे जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं और अपनी आर्थिक वन सम्पदा पर ही, गतिविधियों एवं जीविका के साधनों के लिये आश्रित करते हैं। वन उनकी अर्थव्यवस्था का आधार हैं और उन्हें भोजन प्रदान करते हैं, इस सरकार के सत्ता में आने के बाद आदिवासियों को उनके प्राकृतिक परिवेश से खदेड़ बाहर किया गया और वन उत्पादों पर उनके अधिकार पर रोक लगा दी गयी। उन लोगों के विरुद्ध झूठे मामले प्रारम्भ कर दिये गये और उन्हें उजाड़ा और विस्थापित किया जा रहा था, ठेकेदारों को जंगल में नियुक्त किया जा रहा है जो मूल्यवान वन-सम्पदा को नष्ट कर रहे हैं और वे इन हरिजनों और गिरिजनों से बहुत कम मजदूरी पर काम करा रहे हैं। यह भी हरिजनों और गिरिजनों पर अत्याचार का एक तरीका है यद्यपि सरकार इन्हें इस रूप मे नहीं गिनती और इन्हें सरकारी आँकड़ों में स्थान नहीं दिया जाता। जब जनजातियों और आदिवासियों ने इस आधार पर आन्दो-

[श्री बाजू बन रियान]

लन किया तो पुलिस ने इन असहाय लोगों पर गोली चलायी। बिहार के मांजु नामक स्थान में इसी वर्ष अप्रैल में इसी सदन के भूतपूर्व सांसद श्री एंथनी मुरमू पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से मारे गये। मेरे पास आंकड़े हैं जो बताते हैं कि 1978 और 1982 के बीच पुलिस द्वारा आदिवासियों और जनजातियों पर गोली चलाये जाने की 14 घटनाएं हुईं जिनमें 25 लोग मारे गये और कई हजार आदिवासी और हरिजन घायल हो गये। इन घटनाओं के लिये सरकार उत्तरदायी है। वनों के संरक्षण के नाम पर तथा अपनी विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वन के नाम पर उसने जनजातियों पर पुलिस द्वारा गोली चलवायी। हरिजनों पर अत्याचार के उन कारणों, जिनको कि मैं गिना चुका हूं, के अतिरिक्त मैं एक और कारण का उल्लेख करूंगा और यह संयोग से एक राजनैतिक कारण है।

श्रीमन्, भारत के बड़े राजनैतिक दल विशेषकर कांग्रेस दल, जो कि आजकल सत्ता में है और सरकार चला रहा है, विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय सांप्रदायिक दलों से विशेषकर जनजातियों और हरिजनों द्वारा बनाये गये दलों से सहयोग कर रहा है। छोटे क्षेत्रीय सांप्रदायिक दलों को कांग्रेस दल अपने राजनैतिक लाभ के लिये गुमराह कर रहा है और उनका शोषण कर रहा है। इस प्रकार देश की एकता और अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। श्रीमन्, पूर्वोत्तर राज्यों जैसे नागालैण्ड, मिजोरम और त्रिपुरा में क्या हो रहा है? मेरे राज्य त्रिपुरा में एक उग्रवादी दल है जिसका नाम है "ट्राइबल नेशनल वालंटीयर्स" यह "त्रिपुरा उपजाति युवा समिति" जो कि त्रिपुरा का एक क्षेत्रीय दल है, की भूमिगत आतंकवादी शाखा है। यह टी० एन० वी० उनके राजनैतिक हित में बनायी गयी है। अब, ये टी० एन० वी० मांग कर रही है कि त्रिपुरा में एक स्वतंत्र जनजातीय राज्य बनाया जाय। वे चाहते हैं कि स्वतंत्र जनजातीय राज्य में केवल जनजाति के लोग रहेंगे अन्य कोई नहीं। मैं समझता हूं कि यह एक गलत विचार है और गलत सोच है। यदि हम अपने को बाकी भारत से पृथक कर लें और मुख्यधारा से अलग-थलग हो जायें, तब हम जनजाति के लोग, और अन्य जो कि उस राज्य में रह रहे हैं घाटे में रहेंगे और हम और अधिक दुःख उठायेंगे और कमजोर हो जायेंगे।

इस त्रिपुरा उपजाति युवा समिति का प्रयोग और उपयोग चुनाव कार्यों के लिये किया जा रहा है। 1983 में पिछले त्रिपुरा विधान सभा चुनावों के दौरान, 1985 में पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान और जनजातीय क्षेत्रों की स्वशासित जिलापरिषदों के चुनावों में जो कि छठी सूची के अन्तर्गत 30 जून 1985 को हुए, कांग्रेस दल ने इस क्षेत्रीय सांप्रदायिक दल के साथ चुनावी समझौता किया। इस 'युवा समिति' के सहयोग से तथा इसकी भूमिगत आतंकवादी शाखा टी० एन० वी० की मदद से निःसन्देह कांग्रेस ने चुनावों के परिणामों में अस्थायी सुधार प्राप्त कर लिया। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस की ये राजनीति और नीतियां एक ओर स्वयं जनजातीय लोगों के मध्य तथा दूसरी ओर जनजातीय और गैर-जनजातीय लोगों के बीच संघर्ष और वैमनस्य पैदा कर रही है। यह टी० एन० वी० न केवल त्रिपुरा में जनजातीय लोगों की हत्या करती रही है बल्कि इन्होंने कई बंगालियों की भी, जो कि अधिक प्रगतिशील थे, हत्या की है, वे लोगों को हत्या करने के लिये उकसा रहे हैं और उस उकसाने के परिणामस्वरूप कई निर्दोष जनजातीय लोगों की हत्या हो रही है।

यहां, इससे पहले एक माननीय सदस्य ने अपने भाषण में उल्लेख किया कि 1980 में त्रिपुरा में जनजातीय लोगों का नरसंहार हुआ, मैं उन्हें बता दूं कि यह केवल जनजातियों का ही नरसंहार नहीं था वरन् बंगालियों और जनजाति के लोगों दोनों का ही नरसंहार था। वह दरअसल में एक दंगा था। वहां का कांग्रेस दल, 'युवा समिति' और 'आमरा बंगाली' दल ये सब उस दंगे के लिये सम्मिलित रूप में उत्तरदायी थे। हमने इसको जहां कहीं सम्भव हुआ बार-बार स्पष्ट रूप में कहा है।

आखिर में मैं यही कहूंगा कि यदि कांग्रेस अपनी नीतियां नहीं बदलती है तो हरिजनों और गिरिजनों पर ज्यादतियों की घटनाएं कभी भी रोकी नहीं जा सकतीं। सरकार ने कहा है कि वह विभिन्न राज्यों को 1980 में निर्देश जारी कर चुकी है। उन्होंने उन निर्देशों के कार्यकरण और प्राभाविकता की जांच कर ली है। उसकी समीक्षा करने के बाद, अप्रैल 85 में उन्होंने राज्यों को नये संशोधित निर्देश जारी कर दिये हैं। हमें इन्तजार करना चाहिये और देखना चाहिये कि ये संशोधित निर्देश कैसे काम करते हैं। मैं जानता हूं कि पिछले पुराने निर्देशों में हरिजनों और गिरिजनों को अपनी रक्षा के लिये बन्दूकों का लाइसेंस नहीं दिया गया।

श्रीमन्, मुझे साफ-साफ याद है कि इस सदन में श्री जैल सिंह जी ने, जो इस समय माननीय राष्ट्रपति हैं, कहा था कि जनजातियों के लोगों, हरिजनों और गिरिजनों को आत्म-रक्षा के लिये प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंस जारी किये जायेंगे। मैं नहीं जानता कि देश के किसी भाग में, कहीं भी इसका कार्यान्वयन किया गया है?

वास्तव में मैं यह नहीं सोचता कि उनको बन्दूकों के लाइसेंस दिलवाने से ही पूरी समस्या का समाधान हो जायेगा। यदि उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी और आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाया जाय, यदि उन्हें आजीविका के स्वतंत्र साधन प्राप्त हो सकें, तभी समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा। भारत में गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वालों का एक बहुत बड़ा भाग, लगभग 90% अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का है।

उन्हें दूसरों के पास जाना पड़ता है और अपने भोजन तथा आजीविका के लिये दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी कारण उन पर हर प्रकार की ज्यादतियां की जाती हैं और वे लगातार बढ़ रही हैं। उनको बचाने का और उनको एक मनुष्य की तरह रहने देने के लिये एक ही उपाय है, वह है देश में वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकना और समाजवाद तथा समाजवादी सरकार की स्थापना करना। मुझे दूसरा कोई तरीका नहीं सूझता। मैं समझता हूं केवल यही उपाय है। जिस प्रकार रूस और चीन में गरीब वर्गों के लोग उठे, जागे और आगे बढ़े और जीवित रहने के लिये अपना रास्ता प्राप्त कर सके उसी प्रकार हमें भी वैसा ही रास्ता चुनना है। दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री के० एस० राव।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : मंत्री महोदय कब उत्तर देने वाले हैं ?

सभापति महोदय : जो सदस्य बोलना चाहते हैं उनकी संख्या काफी है। हम देखेंगे।

श्री के० एस० राव (मछलीपट्टनम्) : सभापति महोदय, मैं पूर्व-स्वतंत्रता युग का नहीं हूं। मैं स्वतंत्रता के बाद के युग का हूं। फिर भी, जो भी जानकारी हमारे पास है, मैं उससे समझ सकता हूं कि विदेशियों के शासन को और दमन के शासन को उखाड़ फेंकने में राष्ट्र एक हो गया

[श्री के० एस० राव]

था चाहे हम किसी भी जाति अथवा समुदाय अथवा मत या धर्म से सम्बन्ध रखते हों । आज देश के कुछ विशेष भागों में गरीब वर्गों के बीच, विशेषकर दलितों और हरिजनों में, हम ऐसी ही भावनाएं देखते हैं। हालांकि राजनैतिक रूप से और कुछ हद तक आर्थिक रूप तथा सामाजिक रूप से स्वतंत्रता है। वे अभी भी यह नहीं महसूस करते कि उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है और उन्हें देश के कुछ विशेष भागों में अपने ढंग से रहने नहीं दिया जा रहा। इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। पिछले कुछ दिनों में ही आंध्रप्रदेश में ही नहीं बल्कि कुछ अन्य भागों में भी हमने ऐसा देखा है।

मैं कुछ विपक्षी सदस्यों को सभा से यह कहते सुनता आ रहा हूं कि कांग्रेस ने हरिजनों के लिए कुछ नहीं किया है। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि यह कांग्रेस दल है जिसने गरीब वर्गों के मन में यह विश्वास पैदा किया है कि यही एक सरकार है जो उन्हें कठिनाई के समय बचायेगी, उस समय बचायेगी जब उन्हें निर्दयता से पीटा जाता है। यदि कोई कहे कि उन वर्गों में उतना आर्थिक विकास और प्रगति नहीं हुई है जितना कि होना चाहिए तो मैं निश्चित रूप से सहमत होऊंगा।

लेकिन इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि इन वर्गों में राजनीतिक स्वतंत्रता तथा सामाजिक चेतना की भावना है, विशेषकर श्रीमती गांधी के समय उनमें से हर कोई यह महसूस करता था कि यदि उनमें से किसी के प्रति यदि कोई अन्याय होगा, तो उनकी सरकार हमारी रक्षा करेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो घटनायें हुई हैं उनसे लगता है कि अब वह प्रवृति बदलने लगी है। यदि बीच के उस समय में जनता दल शासन में नहीं आया होता जिस दौरान देश में हरिजनों पर इतनी ज्यादतियां हुईं तो विरोधी दलों की ओर से और भी तीखी आलोचना होती। इसी प्रकार, आंध्र प्रदेश में चाहे जो भी नारे हों, चाहे जो भी भाषण वे दे रहे हों, हम जानते हैं कि वहां आज क्या हो रहा है। मैं जानता हूं कि यदि ये घटना आंध्र प्रदेश में नहीं होती तो वे कितने जोरदार ढंग से और बैंचों को कितना थपथपा कर सदन में हमारी आलोचना करते कि कांग्रेस ने यह नहीं किया और वह नहीं किया। मैं समझ सकता हूं कि संघवाद का मतलब वे क्या लगाते हैं। सम्भवत: उनके अनुसार संघवाद का अर्थ यह है कि वे यह नहीं चाहते कि भारत सरकार के मन्त्री किसी विशेष क्षेत्र में यह पता लगाने को जायें कि वहां क्या हुआ था।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जब आप बोल रहे थे तो ये आपको धैर्य से सुन रहे थे। जब वे बोलते हैं। आपको भी उन्हें सुनना चाहिए। आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं ?

श्री के० एस० राव : सम्भवत: वे अभी यह नहीं समझ पाये हैं कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां प्रत्येक नागरिक जानता है कि उसके अधिकार क्या हैं तथा उसके कर्तव्य क्या हैं। एक ऐसे समय में जबकि पूरी अज्ञानता है, एक पति, यदि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी होती, यह दावा कर सकता था कि किसी को इस मामले में दखल देने का अधिकार नहीं है क्योंकि उसने अपनी ही पत्नी की हत्या की है। लेकिन वह आज ऐसा नहीं कर सकता।

आंध्र प्रदेश में भले ही उन्होंने विधान सभा चुनावों में बहुमत जीत लिया हो, लेकिन भारत सरकार भी है और भारत सरकार के प्रधान मन्त्री या गृह मन्त्री को पूरा अधिकार है कि वे किसी विशेष क्षेत्र में जायें और पता लगायें कि उस विशेष स्थान में क्या ज्यादतियां की गयीं।

मैं फिर भी इस बात को समझ सकता हूं कि विरोधी सदस्य सरकार से पूछें कि केन्द्र सरकार ने उन भागों में सम्बन्धित मन्त्री या किसी अन्य मन्त्री को क्यों नहीं भेजा जहां ऐसी घटनायें हुई हैं। लेकिन मैं इस बात का कोई कारण नहीं खोज पाता कि भारत के प्रधान मन्त्री, राजीव गांधी ने गृह मन्त्री को क्यों भेजा है और किसलिये भेजा है? मैं इस बात की अपेक्षा नहीं करता कि किसी राज्य का मन्त्री, केन्द्र सरकार के किसी मन्त्री को, जो कि सच्चाई से अवगत होने को खुद आया है, प्रश्न पूछ कर तंग करे। जिस दिन श्रीमती राम दुलारी सिन्हा आयी थीं मैं उनके साथ था, मैंने उनका विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर स्वागत किया और मैं उन्हें ले गया। हम साथ ही गये।

श्री एस० एम० भट्टम : क्या निजी कार में गए थे?

(व्यवधान)

श्री के० एस० राव : आंध्र प्रदेश में हमारे दल ने प्रबन्ध किया था, गुंटूर अस्पताल में घायलों को देखने के बाद मन्त्री महोदया ने चिराला में अपने भाषण में.......

सभापति महोदय : यदि उन्होंने कोई निजी कार इस्तेमाल की थी, तो उसमें क्या गलत बात है?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या मन्त्री महोदया राज्य सरकार को सूचना देकर आंध्र प्रदेश में गयी थीं?

श्री के० एस० राव : श्रीमती राम दुलारी सिन्हा ने चिराला में अपने भाषण के दौरान राज्य के गृहमन्त्री श्री नागेश्वर राव को बताया कि.......

"मैं समझता हूं कि करमचेडू में हुए अत्याचारों की सत्यता का पता लगाने के लिये प्रधान मन्त्री द्वारा गृह मन्त्री को वहां भेजने के औचित्य के बारे में आपने प्रश्न उठाया है......."

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : किसी ने भी प्रश्न नहीं किया।

श्री के० एस० राव : प्रधान मन्त्री एक राज्य का प्रधान मन्त्री नहीं होता है। वह सारे देश का प्रधान मन्त्री होता है। आन्ध्र प्रदेश में ही क्यों उसे देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को भेजने का अधिकार है। श्रीमती राम दुलारी सिन्हा ने कहा था, "मैं यहां प्रधान मन्त्री की सलाह पर आई हूं। लेकिन इस देश की गृह मन्त्री होने के नाते मुझे आपके राज्य में आने और इन सब बातों की सच्चाई का पता लगाने का हक है।" अगर यह सब बातें गलत होतीं, अगर उन्हें इस बारे में इतना हल्ला मचाना पड़ा तो मेरे विचार से देश का भविष्य अगर संघवाद के हाथों में होता और सत्ता विपक्ष के पास होती तो भारत सरकार का कोई भी मन्त्री किसी भी राज्य में नहीं जा सकता था।........

(व्यवधान)

जी हां, मेरे मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस दल ने हरिजनों के लिए कुछ नहीं किया है। सभापति महोदय, विरोधी..........

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, उन्होंने राज्य सरकार को सूचित नहीं किया था।

श्री के० एस० राव : विपक्षी दलों के माननीय सहयोगी अनेक दावे कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश के सारे हरिजन बाड़े में एक निष्पक्ष जांच दल भेजा जाए जो मूल्यांकन करके सत्यता का पता लगाए। यह दल प्रेस वालों का या संसद सदस्यों का या किन्ही भी लोगों का हो सकता है। उन्हें पता लगाने दिया जाए कि क्या आन्ध्र प्रदेश के हरिजन कांग्रेस दल की सरकार के हाथों सुरक्षित हैं या तेलगू देशम दल की सरकार के हाथों में।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वे तेलगू देशम दल की सरकार से ज्यादा खुश हैं।

श्री के० एस० राव : श्रीमती राम दुलारी सिन्हा द्वारा वहां का दौरा करने के बाद एक न्यायिक जांच आयोग के गठन की घोषणा की गई लेकिन आज हमें पता चला......

श्री एस० एम० भट्टम : पहले ही दिन 18 तारीख को मुख्य मन्त्री ने न्यायिक जांच की घोषणा कर दी थी।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : आप क्यों आरोप लगाते हैं ? हम सभी कांग्रेस के हैं। आप बेकार में बात का बतंगड़ बना रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने जो कहना था वह कह चुके। अब, मैंने उन्हें उनकी बात कहने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया गया है। वह जो कुछ कहना चाहते हैं उन्हें कहने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री के० एस० राव : मैं उनमें से नहीं हूं जो ऐसी दुर्घटनाओं का समर्थन करते हैं भले ही ऐसी घटनाएं दिल्ली में ही क्यों न घटें। राज्य के किसी भी हिस्से में या किसी दूर दराज भाग में, वहां कांग्रेस दल की सरकार हो या किसी गैर कांग्रेसी दल की ऐसी घटनाएं क्यों हों। लेकिन यह मामला अर्थात् करमचेडू का मामला अन्य मामलों से बिल्कुल भिन्न है.......

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कैसे ?

श्री के० एस० राव : घटना इस प्रकार है। 16 तारीख की शाम को समाज के प्रतिष्ठित वर्ग का एक आदमी एक भैंस को गांव के तालाब के समीप ले गया और तालाब में गिरने वाले पानी से उसे नहलाने की कोशिश करने लगा। कमजोर कर्ग के एक युवक ने इस पर आपत्ति की। उसने कहा कि, "इस तालाब का पानी समाज के सभी वर्गों के लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप बेकार में इसे गन्दा और कलुषित क्यों कर रहे हैं ? इस पर उस आदमी ने तत्काल युवक की पीटना शुरू कर दिया। इसके लिए मैं निश्चय ही किसी दल विशेष को दाषी नहीं ठहरा रहा।

लेकिन उच्च वर्ग में यह अहंकार और चाहे वे कहीं भी हों समाज के कमजोर वर्गों के प्रति उनका यही रवैया होता है। विशेषरूप से ग्रामीण इलाकों में ये घटनाएं अधिक हो रही हैं जहां धनी लोगों की संख्या अधिक है और उनमें एकता है, जबकि कमजोर वर्गों में इतनी एकता नहीं है। मेरा विचार है कि करमचेडू में ही नहीं बल्कि आन्ध्र प्रदेश के अन्य गांवों में भी ऐसी घटनाएं होंगी·········

श्री एस०एम० भट्टम : यह आपकी भविष्यवाणी है ?

श्री के० एस० राव : देश आपके यह कहने से खुश नहीं हो सकता कि मुख्य मन्त्री जी ने गांव का दौरा किया है, "हमने 10,000 रुपए दिए हैं, हम मकान बनवाएंगें" आदि आदि। हम किए गए उपायों की निश्चित ही सराहना करते हैं। लेकिन यह कोई हल नहीं है कि पहले उन्हें पैसा या रोजगार दो और फिर सभी तरह की यातनाएं दो। वे झगड़े में नहीं मारे गए। यह दो व्यक्तियों के बीच हुई लड़ाई नहीं है। यह दो परिवारों के बीच हुई लड़ाई नहीं है। यह समाज के अमीर वर्ग के अहम और कमजोर वर्ग के अहम के बीच हुई लड़ाई है। उन्हें अन्धाधुन्ध बेदर्दी से मारा गया बच्चे-बूढ़ों या औरत का लिहाज किए बिना। यही नहीं, उन्होंने मीलों तक उनका पीछा किया और उन्हें मार डाला या घायल कर दिया।

दूसरे दिन हमारा दल वहां गया। इसमें कोई बुराई नहीं। ऐसा करना बिल्कुल ठीक है। हमें जाकर सच का पता लगाना चाहिए। यहां बैठकर गृह मन्त्री की, जोकि वहां गई थीं, गलतियां निकालने से कोई फायदा नहीं। गृह मन्त्री जी वहां गई थीं, सभी घरों में गईं थीं। वह स्वयं पूछना चाहती थीं लेकिन पीछे से कोई कलक्टर को कहने लगा कि वह गृह मन्त्री के पास जाकर बताएं कि क्या हुआ है। वह बोलीं, "मैं यहां आई हूं। मैं निश्चय ही आपकी बात सुनूंगी। लेकिन मैं यहां स्थानीय जनता से स्वयं पूछताछ करके तथ्यों का पता लगाने आई हूं।" लेकिन उस व्यक्ति का यह प्रयास था कि सूचना कलक्टर द्वारा दी जाए और गृह मन्त्री वह सूचना लेकर चली जाएं···

श्री एस० एम० भट्टम : रिर्पोट क्या है ?

श्री के० एस० राव : मैं तो कहूंगा कि गृह मन्त्री जी दिल्ली से चलकर कलक्टर या पुलिस अधीक्षक से सूचना या रिपोर्ट लेने और वापस जाने के लिए नहीं आई थीं। अगर ऐसा होता तो उन्हें दिल्ली से करमचेडू आने की क्या जरूरत थी। वहां जो कुछ हुआ उसका वह स्वयं पता लगाने आई थीं। इस बीच एक अन्य पक्ष के व्यक्ति ने टिप्पणी की, "यह गृह मन्त्री हैं जो मृतकों के नाम पर से राजनीतिक फायदा उठाने आई हैं"। यही उनका नारा है। यही उनका सोचने का ढंग है। इस तरह उन्होंने भारत सरकार और गृह मन्त्री पर दोषारोपण किया।

ऐसी घटनाओं की निन्दा की जानी चाहिए भले ही वे कहीं भी हों। मेरे विचार में कि देश के अन्य भागों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति से बचने के लिए तत्काल सख्त उपाय किए जाने चाहिए। ऐसी घटनाओं को, देश की नैत्यक न्याय प्रणाली के हाथों में सौंपना या सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं के हवाले करना काफी नहीं है। इसमें समय बहुत लगता है और हो सकता है न्याय भी न मिले या इस दौरान हो सकता है कि प्रमाण ही न रहे या वे लोग गवाहों को ही खरीद लें पैसा देकर या प्रत्यक्षदर्शियों को अपने पक्ष में करलें और सभी अपराधी साफ निकल जाएं। इससे, करमचेडू के कमजोर वर्ग ही नहीं बल्कि देश भर के कमजोर वर्ग अपना विश्वास खो बैठेंगें। वे अभी भी महसूस करते हैं कि उन लोगों के खिलाफ अगर कोई कार्यवाही की गई तो उन्हें उपयुक्त समय

[श्री के०एस० राव]

पर उसका पता चल जाएगा। हमें एक या दो सालों में पता चलेगा कि उन लोगों का क्या हुआ—क्या वे छूट गए या उन्हें सजा दी गई। अगर राज्य सरकार का इरादा स्पष्ट है तो हमें प्रशंसा करनी चाहिए। उन अपराधियों को सजा मिलने पर ही हम कहेंगे कि राज्य सरकार अच्छी है। इस घटना और पुलिस के व्यवहार को देखते हुए मैं आज पूरे दावे से कह सकता हूं कि उन्होंने उस प्रकार कार्यवाही नहीं की जिस प्रकार उन्हें करनी चाहिए थी।

महोदय, उस दिन मैं वहां था। गांव वालों ने मुझसे शिकायत की कि कुछ निर्दोष गांव वालों को पुलिस ने उस वक्त पकड़ लिया जब वे सड़क पर जा रहे थे। इस पर मैं कल्याण मंडयम गया जहां उनको बंदी बना कर रखा गया था। वहां मैंने जिला पुलिस अधीक्षक से उनको बंदी बनाने का कारण पूछा। उसने हकलाते हुए कहा कि उसने इन लोगो को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बंदी बनाया है। उन्होंने मेरे कहने पर उन्हें तत्काल रिहा कर दिया। रिहा होने पर वे कमरे से निकलकर बरामदे में चले गए लेकिन वहां से बाहर नहीं निकले क्योंकि बारिश हो रही थी। तब जिला पुलिस अधीक्षक ने मुझसे कहा कि आपके कहने पर मैंने उन्हें रिहा कर दिया है लेकिन वे जा नहीं रहे हैं। इसके बाद मैंने उन लोगों से कहा आप अगर एक दिन बारिश में भीग जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। कृपया बाहर चले जाइए। इसके बाद मैंने दूसरे स्कंध में, बन्दी बनाए गए 40 अन्य लोगों के बारे में पूछताछ करनी चाही। लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक ने मुझे उन लोगों से बातचीत करने की अनुमति नहीं दी। तब मैंने उप पुलिस अधीक्षक से ही पूछा कि इन लोगों को क्यों बन्दी बनाया गया है। उसने बताया कि उसने इन लोगों को धारा 144 के अन्तर्गत उन्हें बन्दी बनाया है। लेकिन जब मैंने उनसे यह पूछा कि क्या उन्हें उन लोगों की नेकनीयती पर संदेह है और उन्हें इस धारा के अन्तर्गत पर्याप्त चेतावनी दी गई थी तो उसने दोबारा हकलाते हुए कहा, "महोदय, मुझे खेद है मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उन्हें रिहा नहीं कर सकता।"

श्री एस० एम० भट्टम : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। न्यायिक जांच होने वाली है। पुलिस अधिकारियों पर आरोप क्यों लगाया जा रहा है? न्याय के हित में संबंधित पुलिस अधिकारी का तबादला किया जा चुका है।

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री के०एस० राव : और जब मैंने कहा कि पुलिस उप महा निरीक्षक या पुलिस अधीक्षक से मेरी वायरलैस या टेलिफोन पर बात कराई जाए तो उन्होंने कहा कि वायरलैस तथा टेलिफोन दोनों खराब पड़े हैं। इस तरह का उन्होंने व्यवहार किया। तब आप कैसे आशा कर सकते हैं कि लोग विश्वास करें? उन्होंने कुछ पैसा या मकान दिए होंगे। लेकिन क्या यह उचित है कि अमीर और प्रतिष्ठित लोग कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की पहले तो हत्या करें और उसके बाद अपने घरमें से कुछ पैसा उन्हें दे दें? क्या इस तरह समस्या सुलझाई जाती है?

महोदय, असल में सभी को करमचेडू के निवासियों की सराहना करनी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से सहायता लेने से इंकार कर दिया। साथ ही मैंने किसी को यह कहते भी सुना कि राज्य मन्त्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा ने उनसे सहायता स्वीकार न करने के लिए कहा। यह

सूचना गलत है। उन्होंने सहायता लेने से स्वयं इंकार किया था। मुख्य मंत्री जी वहां 19 तारीख को पहुंचे थे और घटना 17 तारीख को घटी थी। समाचार माध्यमों से पता चला है कि उन्होंने मुख्य मंत्री द्वारा दिए फूल तथा फल लेने से इंकार कर दिया था।

महोदय, अगर निष्पक्ष तथा पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर जांच कराई जाती है तो इसके लिए उनकी प्रशंसा करेंगे। मेरा सभा, सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय तथा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि ऐसे मामलों से शीघ्र निपटने के लिए तत्काल इस प्रकार का कोई कानून बनाने पर विचार किया जाए जिससे अपराधी बिना सजा पाए साफ न छूट जाएं और अमीरों के मन में भय तथा समाज के कमजोर वर्गों में विश्वास की भावना पैदा हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री मानकूराम सोडी (बस्तर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मध्यप्रदेश के बस्तर जिले के बारे में कहना चाहता हूं, जो सबसे अधिक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां के हरिजन सैकड़ों साल से दलित, पीड़ित और शोषित रहे हैं और आज भी कुछ अंश में हमारे सामने मौजूद हैं, उनका कुछ उदाहरण मैं आपके सामने सूक्ष्म रूप में रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने यह बताना चाहता हूं कि आज भी कुछ उन्नत लोग, अपने को प्रगतिशील बताने वाले लोग, हमारे बस्तर जिले की आदिवासी लड़कियों को रखैल के रूप में रख करके उनके नाम से जमीन वहां पर खरीद करके उस जमीन का कब्जा लेकर भूस्वामी बन जाते हैं। जब उस रखैल से लड़का हो जाता है, तब उसके नाम पर जमीन को ट्रांसफर करके अपने नाम पर ट्रांसफर करा लेते हैं और लैंड लार्ड बन जाते हैं। यह पहली प्रकार का शोषण है।

महोदय, दूसरी प्रकार से शोषण इस प्रकार का होता है कि घर में काम करने के लिए नौकर रखते हैं। उन आदिवासी नौकरों के नाम से आदिवासियों की जमीन को खरीदते हैं और स्वयं उस भूमि के मालिक होते हैं, लेकिन आदिवासी जिसके नाम की जमीन खरीदी गई है, वह नौकर ही रहता है। वह सारी की सारी जमीन का मालिक बन जाता है और वह आदिवासी जिसके नाम से जमीन खरीदी गई है, वह बेचारा नौकर ही बना रहता है। कई बार महोदय, ऐसी जमीन भी खरीदी जाती है जिसमें लाखों रुपयों की सागौन की ईमारती लकड़ी होती है, वह उन्हीं आदिवासियों के नाम पर जिनको नौकर रखा जाता है, खरीदी जाती है क्योंकि वहां पर कानून बना हुआ है कि आदिवासी की जमीन को आदिवासी ही खरीद सकते हैं और किसी जाति का व्यक्ति उस जमीन को नहीं खरीद सकता है। उस जमीन में से लाखों रुपयों की सागौन की लकड़ी काट-काट कर बेचते रहते हैं और स्वयं लखपति बने रहते हैं और वह बेचारा आदिवासी नौकर ही बना रहता है।

महोदय, इसके बाद हम दुखी हैं आरक्षण के कारोबार से। इस आरक्षण के कारोबार से हम इसलिए दुखी हैं कि हमारे आदिवासी क्षेत्र के, हमारे पहाड़ी क्षेत्र के, हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र के, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई कुछ नहीं होती है क्योंकि एक गुरुजी और पांच कक्षा वाली पढ़ाई चलती है। पहली बात तो वहां पर गुरु जी नहीं आते हैं, और यदि आते हैं तो महीने में पन्द्रह दिन ही आते हैं, फिर तनख्वाह लेने चले जाते हैं। इस प्रकार महीने में मुश्किल से स्कूल में 8-10 दिन की ही पढ़ाई हो पाती है। इस प्रकार के स्कूलों से जब लड़के निकलते हैं, तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि वे कौन-सी डिवीजन लेकर निकल सकते हैं, थर्ड डिवीजन लेकर निकलते हैं। उस थर्ड डिवीजन

[श्री मानकूराम सोडी]

वाले की आपकी महफिल में कोई कीमत नहीं होती । ऐसे लड़के और ऐसे क्षेत्र किस ढंग से उन्नति कर सकते हैं, यह आप समझ लीजिए । ये उन्नत कहलाने वाले लोग, जिन्होंने अंग्रेजों की खुशामद करके, सौ साल तक चापलूसी करके, बड़े-बड़े पूंजीपति, लखपति और करोड़पति बने, उन लोगों ने बड़े-बड़े कॉलेजों में बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूट्स में अपने बच्चों को पढ़ाया और पढ़ा रहे हैं और अपने लड़कों को आई०ए०एस और आई०पी० एस० सब कुछ बना लिया, लेकिन हम कैसे बनाएं, हमें तो चपरासी की जगह भी नहीं मिलती है । हमारे क्षेत्र के लड़के तो कहीं चपरासी भी नहीं बन पाते हैं । यह हमारे यहां के लड़कों की स्थिति है । अगर हमारे यहां कोई इंडस्ट्री खुल गई, और वहां पर मैनेजमेंट वाला अधिकारी किसी और प्रदेश का आ गया तो वह हमारे यहां के लड़के को चपरासी तक नहीं बनाता है, इस प्रकार की हमारे यहां स्थिति है । इस प्रकार का जो असंतोष है और इस प्रकार की असंतोष की जो भावना है, वह बढ़ती ही जा रही है । इसलिए आज हमारे यहां के लड़के जब पढ़-लिख कर सामने आ रहे हैं, और इस प्रकार की चीज को देखते हैं, तो उनके दिमाग में इस प्रकार की भावना पैदा होती है और उससे क्रांति की भावना निकलती है, लेकिन हम लोग उनको कोई ऐसा कार्य नहीं करने देते, जो देश के लिए अहितकर है, हम लोग उनके बीच में हैं और इस कोशिश में लगे हुए हैं कि आगे चल करके हम शासन को सुझाव देंगे कि सरकार उनके लिए कोई ठीक कार्य करे ।

इसके बाद हम प्रवेश के लिए रिजर्वेशन में कुछ एक छूट इसलिए चाहते हैं कि उस थर्ड डिवीजन के लड़के को कहीं और किसी स्थिति में प्रवेश नहीं मिल सकता है, इसलिए उनके लिए प्रवेश पाने हेतु रिजर्वेशन होना चाहिए और जितने भी लड़के हैं उनको जितनी भी मैडीकल और टैक्नीकल क्लासेस हैं, निश्चित सीटे हैं, उनमें प्रवेश के लिए जगह दीजिए, एक बार हमें घुसने के लिए जगह दीजिए । एक बार हमको घुसने दीजिये, और उसके लिये हम चाहते हैं कि थोड़े नम्बर कम कर दीजिये क्योंकि हमारा लड़का उस जगह का है जहां एक गुरुजी और 5 कक्षा हैं । इसलिये उसके लिये थोड़े नम्बर कम कर दीजिये ताकि हम लोग वहां घुस जायें । घुसने के बाद जब डिग्री के लिए पास करना हो तो हमको पूरा पास करने के बाद डिग्री दीजिये, वहां कोई दया नहीं दीजिये ।

लेकिन अभी जो तमाम एजीटेशन गुजरात वगैरह में चल रहा है, उसके हिसाब से लगता है कि 100 साल तक हम जो अंग्रेजों के समय में चाकरी करते थे, गुलामी करते थे, बेकारी करते थे, उन लोगों ने 37 साल में जरा भी नहीं सोचा कि हमारे साथी भी कदम से कदम मिलाकर चलें । हमको वह सैकड़ों कदम पीछे ही रखेंगे और कहेंगे कि हमने स्वतंत्रता पा ली । हमारे ग्रामीण के आदिवासी और हरिजनों ने महात्मा गांधी और उन लोगों का साथ दिया जो स्वतंत्रता पाने के लिये लड़े थे, तब जाकर यह देश आजाद हुआ है । यहां पर जितने भी शहर के व्यावसायी, राजे-महाराजे, चापलूस जो कि अंग्रेजों की खिदमत करते थे उन्होंने सम्पत्ति बनाई है, लेकिन हम गरीब लोग, जंगल और पहाड़ों में रहने वालों का दिल गांधी जी और प्रजातंत्र की लड़ाई के साथ जुड़ा हुआ है । इसलिये हमारा हक बनता है । हम सोचते हैं कि ये भाई जो यहां हैं उनको 37 साल में उतनी जलन न हो जाये । यह शहर के लोग जलन कर रहे हैं देहात में कोई उतना नहीं कर रहे है ।

हम तो कहते हैं कि आप दस कदम आगे रहिये, हमको दो कदम पीछे रखिये । हम दो कदम पीछे रहकर धीरे-धीरे कोशिश करेंगे । हमारे बच्चे पहले चपरासी बनेंगे तो वह अपने लड़के

को आठवों तक पढ़ायेंगे । उसके बाद आठवीं वाला अपने लड़के को मैट्रिक तक पढ़ायेगा । इसी तरह मैट्रिक वाला अपने लड़के को बी० ए० तक पढ़ायेगा और धीरे-धीरे चलेगा । इस तरह अगर वह आपके समकक्ष नहीं भी आयेगा तो आपके पास तो पड़ा रहेगा ।

जितने भी हमारे हरिजन और आदिवासी नौकरी करते हैं, उनमें चापूलसी की भावना कम है । हम खुशामदखोर नहीं हैं । यह बात हमारी प्रकृति में लिखी नहीं है, माइन्ड में बैठती नहीं है । यह हमें खराब लगती है । हम जी-हजूरी नहीं कर सकते ।

आज किसकी सी० आर० अच्छी लिखी जाती है । जो अफसर रैस्ट हाउस में अधिकारियों की चापूलसी करते हैं, रातभर रैस्ट हाउस में उनकी सेवा और चापूलसी करते हैं, उनकी सी० आर० बहुत अच्छी, गुड हो जाती है । हमारे जो लोग मेहनत करके, पब्लिक के साथ, क्षेत्र के साथ, हर परिस्थिति को समझकर काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी सी० आर० अच्छी नहीं होती । जब प्रमोशन का समय आता है तो कह देते हैं कि आपकी सी० आर० तो बिल्कुल ठीक ही नहीं है, आपको कैसे हम प्रमोशन दे दें । यह भी हम में असंतोष की भावना है ।

इन तमाम चीजों को पूरा करने के लिये रोस्टर प्रणाली का तरीका निकाला गया है । इसमें एक बार यदि नम्बर नहीं जम पाये तो कम-से-कम आने वाले समय में रोस्टर के आधार पर उसको पहला नम्बर मिलेगा । लेकिन वह भी ईमानदारी से नहीं मिलता है ।

हम और आप जब भी पब्लिक में भाषण देंगे बात लम्बी चौड़ी कह देते हैं । हम कहते हैं कि हम समाजवादी समाज की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन जब बंटवारे का सवाल आता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं ।

इस प्रकार की हमारे यहां असंतोष की स्थिति है । हमारे लोग, नवयुवक जो पढ़कर सामने आ रहे हैं उनको तोड़-फोड़ की बात नहीं आती है । वह शहर वालों के साथ तोड़-फोड़ में सम्मिलित हो जाते हैं । अपने मनसे सम्मिलित नहीं होते । यह आक्रोश जब हम एनरोलमैंट कराने के लिये एम्पलायमैंट में करते हैं तो हमारा नम्बर पीछे चला जाता है । हमारे मा० पनिका साहब ने कहा कि वही आदमी बढ़ जाता है जो पैसा देने वाला है । देने के लिये हम हैं ही नहीं । अंग्रेजों की लड़ाई के समय जब उन्हें तंग किया था गरीब जंगल में भाग गये और उन्होंने पहाड़ों में रहना शुरु किया । जिस पहाड़ पर वह आज बसते हैं, वह सम्पत्ति भरा है । उस सम्पत्ति को खोदने के लिए उनको वहां से उठाते हैं कि आप कहीं और चले जाओ । वह बेचारे गरीब कहां जायें, वह तो दर-दर भटकते हैं । यह सम्पत्ति तो प्रकृति की देन है, उसने सोचा होगा कि किसी जमाने में यदि अच्छी दुनिया आयेगी तो यह सम्पत्ति उसकी जैनरेशन के काम आयेगी, लेकिन वह सम्पत्ति छोड़कर उनको भागना पड़ रहा है ।

ठीक वैसे ही पहाड़ी क्षेत्र में जब बांध बनाने का कार्यक्रम बनाया जाता है तो उन गरीबों की सब उपजाऊ जमीन उस कमांड एरिया में आ जाती है जिसे छोड़कर भाग जाना पड़ता है या फिर खदान आदि यदि खोदनी हो तो उस जमीन के अन्तर्गत यदि हमारा गांव पड़ गया तो उसमें से भी उन्हें भाग जाना पड़ता है । उसके बदले में जो मुआवजा राजस्व विभाग का मिलता है वह चवन्नी के बराबर होता है जा कि बाजार रेट से बहुत कम है, जिसमें न किसान मकान बना पाता है और न ही एक एकड़ जमीन खरीद पाता है । उसके सामने दर-दर भटकने के सिवाय कोई दूसरा सहारा नहीं होता । इसलिये यदि उन गरीबों को वहां से हटाया जाता है तो उनके रिहैबिलटेशन का पूरा

[श्री मानकूराम सोडी]

प्रबन्ध आपको करना होगा। 37 साल की आजादी के बाद इस सदन को इस बारे में अवश्य सोचना होगा और ईमानदारी से और सही ढंग से इसका हल निकालना होगा तभी हमारे इस देश का उत्थान हो सकेगा।

श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली (मद्रास दक्षिण) : महोदय, अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर किये गये अत्याचारों पर और अपराधों पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का आपने जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिये मैं आपकी आभारी हूँ। सर्वप्रथम, मैं न तो विस्तार में जाना चाहूँगी और न ही आंकड़े अथवा व्यर्थ की टिप्पणीयाँ देना चाहूँगी जैसा कि यहाँ उपस्थित विरोधी दल के हमारे माननीय विद्वान सदस्यों ने की हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वह स्वयं ही असंगत टिप्पणी है।

श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली : विशेषकर, जिस प्रकार वे लोग हमारे मन्त्री महोदय के बारे में बात कर रहे थे, मेरे विचार से वह बहुत ही असंगत था। क्योंकि मन्त्री होने के नाते उन्हें इस बात का पूर्ण अधिकार है कि लोगों से सच्चाई का पता लगायें न कि केवल समहर्त्ता से प्रतिवेदन प्राप्त कर दिल्ली वापस आ जायें। इसलिये, उन्होंने जो कुछ भी किया वह सर्वथा उचित था और मेरे विचार से विरोधी दल के सदस्यों को इस प्रकार की व्यर्थ की टिप्पणीयाँ करना उचित नहीं है।

श्री एस० एम० भट्टम : उनके जाने का स्वागत है। वह बिहार भी जा सकती हैं।

श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली : वह अवश्य जायेंगी।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : तब वह क्यों नहीं गईं ?

श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली : मुझे यह कहते हुए खेद है कि विपक्ष के लोग समझते हैं कि गरीब लोगों का हित करने वाला केवल एक ही राज्य है। वे सोचते हैं कि वे पूरे देश की रक्षा कर सकते हैं। वे ऐसी बातें कर रहे हैं। परन्तु वे, वह कार्य नहीं कर सकते जो हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया है ? क्या वे कर सकते हैं ? इस पर मैं उन्हें चुनौती देती हूं। और ठीक वही कार्य हमारे प्रगतिशील प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी कर रहे हैं।

हमारा बड़ा देश है और हमारे देश में 10.5 करोड़ लोग अनुसूचित जातियों जन-जातियों के हैं जिनके साथ अत्यन्त बुरा व्यवहार होता है। उनके दिमाग में डाल दिया गया कि वे निचली जाति के हैं तथा उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा समझ कर स्वीकार कर लिया। दासों, बन्धुआ श्रमिकों जैसा व्यवहार कर उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य समुदायों से घुलने मिलने नहीं दिया गया। एक समुदाय की दूसरे समुदाय के प्रति इस शोचनीय तथा लज्जाजनक कार्यवाही के मूल कारणों का हमें धैर्यपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए। गीता जैसे महान ग्रन्थ में कहा गया है कि सभी मानव समान हैं। कर्म ही एक दूसरे को अलग करते हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि कमजोरी के कारण ही मुसीबतें पैदा होती हैं। शारीरिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति को रोग होते हैं। समाजिक-आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति पर मजबूत तथा धनी व्यक्ति हमला करता है। कमजोर समाज पर शक्तिशाली समाज का प्रभुत्व रहता है। एक कमजोर देश पर शक्तिशाली देश आक्रमण करता है। यही सम्पूर्ण स्थिति का और सम्पूर्ण समस्या का मर्म है।

शताब्दियों की दासता तथा शोषण के कारण हमने अपने लोगों को अलग-थलग कर दिया और उन्हें अस्पृश्य माना। हमने अपने ही लोगों को अवमानवीय माना ताकि उनसे ऐसा श्रम करा सकें जोकि हम स्वयं नहीं करना चाहते। हमने उन्हें जानबूझ कर शिक्षा से वंचित रखा ताकि कहीं वे समझदार और बुद्धिमान बन कर अपने अधिकारों की मांग न करने लगें, उस सब में से अपना हिस्सा और लाभ न मांगने लगें जो हमने उनके परिश्रम से प्राप्त किया है। हमने उनसे अपना फायदा तो उठा लिया और उन्हें तब तक कुछ नहीं दिया जब तक कि गांधी जी, पंडित नेहरू, डा० अम्बेदकर तथा हमारी प्रिया प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी उनके बचाव के लिए आगे नहीं आये। महोदय, जब तक गांधी जी ने हरिजनों की गंदी बस्तियों में रहना शुरु नहीं किया, जब तक पंडित नेहरू आदिम जातियों के लोगों के साथ बाहों में बाहें डाल कर नृत्य करने नहीं गए तब तक उनके साथ अत्यन्त निर्दयता और निष्ठुरता का व्यवहार किया गया। हमारी संवेदनशीलता उनके प्रति तब तक जागृत नहीं हुई जब तक कि श्रीमती इन्दिरा गांधी उन उपेक्षित लोगों के आंसू पूछने नहीं गईं, चाहे वे कहीं पर हों, देश के किसी भी भाग में हों। वे उनकी मदद के लिए चाहें वे अत्याचारों से अथवा प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित रहे हों हाथी पर सवार होकर भी वहां पहुँची। मेरी विपक्ष के नेताओं को चुनौती है कि क्या उन्होंने उनमें से किसी ने ऐसा किया। उनके पद-चिन्हों पर हमारे प्रगतिशील प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी चल रहे हैं। हमारे विपक्ष के नेताओं से समाचार-पत्रों में यह नहीं पढ़ा कि हमारे प्रधान मंत्री दूर दराज गांवों में भी गये हैं तो यह खेद की बात है। उनका यह चित्र सभी समाचार पत्रों में छपा था, यदि उन्होंने इसे देखा नहीं तो मुझे इसका खेद है। उनके सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन का उनके पराश्रित होने का शोषण खुले आम हो रहा है। इससे साम्प्रादायिक भेदभाव पैदा होता है जिसे न कानून द्वारा न विधान बना कर अपितु उनकी आर्थिक दशा सुधार कर उन्हें शिक्षा देकर दूर किया जाना चाहिए ताकि वे स्वयं अपने बारे में सोच सकें। आज इन लोगों को केवल समृद्ध लोग या कोई एक समुदाय विशेष ही परेशान नहीं कर रहा आज गुरिल्ला भी उन लोगों की हत्या कर रहे हैं, जैसा कि समाचार-पत्रों में देखा जा सकता है। मैं अधिक विवरण में नहीं जाना चाहती। यह कार्य विपक्ष का है। मैं इस सम्मानित सभा में, सभी माननीय सदस्यों से, चाहे किसी दल के हों, निवेदन करती हूँ कि उनकी सुरक्षा, कल्याण और मुक्ति की जिम्मेवारी हम सबकी होगी ताकि उन्हें लज्जापूर्ण भययुक्त तथा सम्मान रहित जीवन न बनाना पड़े। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और योजनाओं का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इनके लिए आबंटिन धन का लाभ उन तक पहुंचना चाहिए और उनका कल्याण होना चाहिए तथा इस धन का प्रयोग अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मुझे कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कई राज्यों में, जिनमें मेरा राज्य भी सम्मिलित है, धन का लाभ उन्हें समुचित रूप में नहीं मिल पाता, इसका प्रयोग अन्यत्र कर दिया जाता है, अतः इसे रोका जाना चाहिए।

जहां तक अत्याचारों का संबंध है, जिन क्षेत्रों में गम्भीर अपराध होते हैं उन क्षेत्रों में थाना अध्यक्ष, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में से होने चाहिए।

6.00 म०प०

एक मात्र रूप से अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों के विरुद्ध अत्यचारों तथा अपराधों के मामलों से निपटने के लिए लोक अभियोजक होने चाहिए, ताकि इनके लिए जिम्मेदार

[श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली]

लोगों को दण्ड दिया जा सके। यह एक महान राष्ट्रीय कार्य है और हमारे सम्मुख महत्त्वपूर्ण मामला है। मानवीय जीवन में परस्पर कोई अंतर नहीं हो सकता। राज्यों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे दलीय दृष्टिकोण के पृथक होते हुए भी सरकार के साथ सहयोग करें। हम तभी पिछड़े हुए गरीब भाई बहनों के हितों को संरक्षित कर सकते हैं और हम पृथक रूप से सबका ध्यान रख सकते हैं, और यह हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : चूंकि इस विषय पर बोलने वाले सदस्यों की संख्या अधिक है अत: मेरा सुझाव है कि इस विषय पर चर्चा का समय दो घंटे और बढाया जाये, ताकि अधिक से अधिक सदस्य बोल सकें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम एक घन्टा आज अधिक बैठ सकते हैं और एक घन्टा कल।

श्री सी० माधव रेड्डी : हम दो घंटे और आज तथा दो घंटे और कल बैठ सकते हैं।

सभापति महोदय : अतः इस वाद-विवाद का समय दो घंटे अर्थात 8 बजे तक बढाया जाता है।

***श्री एन० महालिंगम** (नागा पट्टिनम) : सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी द्रमुक की ओर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर देश में हो रहे अत्याचारों पर वाद विवाद में भाग लेते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूँ।

हमारे युवा तथा सक्रिय प्रधान मंत्री उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहां अनुसूचित-जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग रहते हैं और व्यक्तिगत रूप से पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या उनके कल्याण के लिए बनी योजनाओं से अपेक्षित लाभ हो रहा है। उनकी तात्कालिक प्रतिक्रिया से पता चलता है कि लोगों को इन योजनाओं से कोई लाभ नहीं पहुंचा है। उन्होंने मध्य प्रदेश में बस्तर तथा उड़ीसा में कुछ जन-जातीय क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने बस्तर जिले की जन जातियों के लिए एक कल्याण योजना घोषित की, इसी बात से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि कल्याण योजनाएं धीमी गति से तथा लापरवाही से क्रियान्वित की जा रही हैं।

पिछले एक वर्ष से लगातार गुजरात में अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षण के विरुद्ध चलाए जा रहे आन्दोलन के कारण उनमें भय पैदा हो गया है। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में चल रहा आन्दोलन दबा दिया गया। उसकी हम सबको प्रशंसा करनी चाहिए। गुजरात आन्दोलन में कई व्यक्तियों की जानें गईं। करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट कर दी गई। मैं मांग करता हूँ इससे पहले कि गुजरात आन्दोलन देश के अन्य भागों में फैल जाये इसे रोकने के लिए दृढ़ कार्यवाही की जाये।

हमने समाचार पत्रों में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में छः अनुसूचित जातियों के लोगों को मारे जाने तथा आंध्र प्रदेश के एक गाँव में छः और लोगों को मारे जाने का समाचार पढ़ा है। ऐसी घटनाएं हमारे देश में आम हो गयीं हैं। अनुसूचित जातियों के लोगों की इस प्रकार की हत्या को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए। जब हम सभा में इस बारे में प्रश्न उठाते हैं। हमें बताया जाना है कि कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। हमें नहीं मालूम कि अपराधियों को दण्ड देने के लिए राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

*तमिल में दिये गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों संबंधी संसदीय समिति इन गरीब लोगों की समस्याओं का समाधान करने में कोई रुचि नहीं ले रही है। कृपया 1969 में समिति के गठन के बाद उसके कार्य पर ध्यान दें। इस समिति की स्थापना इस विशेष निदेश के साथ की गई थी कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा की जाए और बाद में समिति सभा को बताये कि प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई हैं अथवा नहीं। यह वास्तव में खेद की बात है कि पिछले 16 वर्ष के दौरान इस समिति ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के केवल एक प्रतिवेदन की समीक्षा की है और उसे सभा में प्रस्तुत किया है। संसदीय समिति अपने कार्य को केवल इसी बात तक सीमित रखती रही है कि भारत सरकार के किस-किस विभाग में आरक्षण नीति का समुचित रूप से पालन हो रहा है। जब हम इसके बारे में पूछताछ करते हैं तो हमें बताया जाता है कि चूंकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों पर लोक सभा में नियमित रूप से चर्चा होती रहती है इसलिये उन पर समिति द्वारा अलग से विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

इसके अतिरिक्त, जनता सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याणार्थ अलग से एक आयोग नियुक्त किया था जिसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य थे। आज-कल इस आयोग में केवल अध्यक्ष और दो सदस्य हैं। इस आयोग को संविधान की स्वीकृति नहीं मिली है, क्योंकि इससे पहले कि इस उद्देश्यार्थ संविधान नें संशोधन किया जाता, जनता सरकार सत्ता में ही नहीं रही। कांग्रेस सरकार भी, इस सम्बन्ध में, कोई आवश्यक संविधान संशोधन विधेयक नहीं लायी। यह आयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के बारे में दो या तीन सिफारिशों वाले प्रतिवेदन प्रस्तुत करता रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि स्वयं आयोग भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों की दुर्दशा को सुधारने का प्रयास नहीं कर रहा है।

इस आयोग के गठन से पूर्व, संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिये, सरकार अनु-सूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त की नियुक्ति किया करती थी। संविधान में इस उद्देश्यार्थ एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति हेतु एक मात्र उपबन्ध है और अनुसूचित जाति/अनु-सूचित जनजाति आयुक्त से उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाया करती थी। इस आयोग के गठन के बाद, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने अपना वार्षिक प्रतिवेदन देना भी बन्द कर दिया। इससे पहले, वह अपने वार्षिक प्रतिवेदन इस सभा को नियमित रूप से प्रस्तुत करते रहे हैं। इस आयुक्त को इस आयोग का सदस्य बना दिया गया। अब दुर्भाग्य से आयुक्त के पद को भी नहीं भरा गया है, यद्यपि भूतपूर्व प्रधानमंत्री महोदया ने एक विश्वविद्यालय के उप कुलपति के नाम की स्वीकृति दी थी। हम यह तो नहीं जानते हैं कि यह नियुक्ति अव तक क्यों नहीं की गई। इसके अतिरिक्त आयोग में एक सदस्य की जगह खाली है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त, जो कि एक संवैधानिक प्राधिकारी हैं, को अब तक सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है। संविधान के बाहर गठित आयोग भी अनु-सूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याणार्थ प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। आयोग को संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिये कोई कदम नहीं उठाए गये हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बनी संसदीय समिति भी इन पददलित लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही है। इन परिस्थितियों में आप भली भांति कल्पना कर सकते हैं कि इन लोगों की समस्याएं कैसे हल होंगी।

[श्री एन० महालिंगम]

प्रथम, मैं सुझाव देता हूँ कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ बनी संसदीय समिति को निदेश दिये जाने चाहिये कि वह उनकी समस्याओं को हल करने में व्यक्तिगत रुचि ले। दूसरे, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आयुक्त नियुक्त करने के बाद, उसे आयोग के अध्यक्ष के स्थान पर मुख्य आयुक्त का पद दिया जाना चाहिये और आयोग के सदस्यों को आयुक्त घोषित किया जाना चाहिये। यदि ऐसा किया जाता है तो सरकार सरलता से संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता से बच सकती है। मुख्य आयुक्त के प्रभाराधीन यह आयोग, संवैधानिक स्वीकृति से, देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उत्थान के लिए कार्य करेगा।

महोदय अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां कुल जन संख्या का 25% हैं। आरम्भ में उनके हितों का ध्यान गृह मंत्रालय करता था और उसके बाद यह काम शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया। फिर यह गृह मंत्रालय के प्रभाराधीन आ गया है। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए अलग विभाग होना चाहिये और तभी प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वियन हेतु कुछ स्थायी हल निकाले जा सकते हैं। हमारे यहां खेल मंत्री और सांस्कृतिक कार्य मंत्री हैं। मेरी मांग है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कल्याणार्थ केन्द्रीय सरकार में अलग से एक मंत्री होना चाहिये। अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं सुझाव दूंगा कि हमें एक दूसरे की निन्दा करने से बाज आना चाहिये और हमें उन लोगों की सहायतार्थ कार्य करना चाहिये जो कि जीते जी मर रहे हैं। अपनी शक्ति को राजनीतिक विवादों में खोने की बजाय, हमें उन लोगों की सहातार्थ अर्थोपाय ढूंढने में अपनी शक्ति को केन्द्रित करना चाहिये जो सदैव विपत्ति के मारे हुए हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ (बड़ौदा) : एक लम्बी प्रतीक्षा के बाद, मुझे हरिजनों और अनुसूचित जन जातियों पर किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

मैंने इस समस्या के बारे में माननीय सदस्यों को बोलते हुए सुना है परन्तु इस समस्या का सामना करने के लिए बहुत ही कम सुझाव दिए गये हैं। दुर्भाग्य से मुझे यह देखकर बड़ा दुःख हुआ है कि बड़ी संख्या में दोनों ही ओर के सदस्यों ने इसे हल करने के सुझाव देने की बजाय इसे राजनीतिक मामला बना दिया है और सारा जोर सभा में भावुकतापूर्ण और जोशीले भाषण देने में लगा दिया जिससे कि उनका समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार हो सके।

महोदय, यह एक ऐसी समस्या है जो सदियों से चली आ रही है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, गृह मंत्री महोदय को परेशान किया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : कई गृह मंत्री हैं। एक मंत्री महोदय सुन रहे हैं।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : यह भी एक ऐसी समस्या है जिसे बहुत थोड़े समय में दूर नहीं किया जा सकता है। जाति प्रथा के विरुद्ध पूर्वाग्रह इतने सघन और गहन रहे हैं कि हमारे माथे पर लगे इस कलंक को धोने के लिए हमें सीधे इसके कारणों के मर्म में पहुंचना होगा।

प्रश्न यह नहीं है कि किसी विशेष क्षेत्र में हरिजनों और अनुसूचित जन जातियों के विरुद्ध अत्याचार के कितने मामले हुए हैं और उस क्षेत्र में कौन शासन कर रहा है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि एक भी घटना यह सिद्ध करती है कि उस क्षेत्र में पूर्वाग्रह विद्यमान है। बात यह नहीं है कि कोई भी सरकार या व्यक्ति गलती पर है, मुख्य कारण तो पुराने पूर्वाग्रहों की ये गहरी जड़ें हैं, भावनाएं हैं और समझ-बूझ है। प्रारम्भ में चार वर्ण थे अर्थात क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण व्यक्ति के काम को लेकर बनाये गये थे, परिवार के आधार पर नहीं। अन्ततः ऐसा हुआ कि वही काम बच्चा करता था और यह एक प्रकार से परिवार का व्यवसाय या व्यापार बन गया। उसी से इस बुराई का जन्म हुआ और एक बड़ी सीमा तक रामायण और महा-भारत जैसे महाग्रंथों में भी इस समस्या का काफी उल्लेख है जिसका कि हम आज सामना कर रहे हैं।

मैं बड़े गर्व के साथ यह कह रहा हूँ कि मेरा शासकों के उस परिवार से सम्बन्ध है, जिन्होंने इन पूर्वाग्रह का उन्मूलन करने का प्रयास किया था। यहां मैं अपने दादा महाराज श्री शियाजी राव गायकवाड़ के नाम का उल्लेख करना चाहूँगा, वह ऐसे शासक थे, जिन्होंने इस पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए और पिछड़े लोगों के उत्थान हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए थे। बाबा साहेब अम्बेदकर इसी कार्यक्रम की एक मिसाल थे। कुछ अन्य हरिजन नेता भी उसी की देन थे। उन्होंने पद-दलितों और हरिजनों को शिक्षित करने के लिए अनेक शिक्षा संस्थायें स्थापित कीं। जब ब्राह्मण अध्यापकों ने उन्हें पढ़ाने से इन्कार कर दिया तो उन्होंने पिछड़े वर्गों और हरिजनों को पढ़ाने के लिये मुसलमान अध्यापक रखे। इस प्रकार पिछड़े वर्ग और हरिजन आगे बढ़ सके। अतः, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो यह भी समझना बड़ा कठिन है कि किसी हरिजन को हमारे से नीचे क्यों माना जाए। उसके दो हाथ हैं, दो आखें हैं, दो कान हैं और सब कुछ है। वह सब कुछ कर सकता है और कभी-कभी हमसे भी अच्छा काम कर सकता है। परन्तु फिर भी उसे जाति बहिष्कृत समझा जाता है। तो फिर इसे कैसे दूर किया जाए। इस पर हमें गम्भीरतापूर्वक और ईमानदारी से विचार करना चाहिये, अन्यथा गत 35-40 वर्ष से हो रहे अत्याचार होते ही रहेंगे और जातिवाद इस देश से कभी समाप्त नहीं होगा। यहां तक कि हमारे राजनीतिक क्षेत्र में भी जब टिक्ट दिए जाते हैं तो हम जाति प्रथा की बात सोचते हैं, फिर चाहे हम इसे चाहें या न चाहें। यदि हम स्वयं इस तरह की बातें सोचना बन्द नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें इस बात की वकालत करने का क्या अधिकार है कि जाति-प्रथा समाप्त होनी चाहिये? यह देखना हमारा उत्तरदायित्व है कि पिछड़े लोगों को और जो हमसे पीछे हैं, उन्हें अवसर मिले और अपने स्तर तक लाने के लिए हमें उनके लिए अवसर जुटाने चाहिये जिससे कि वे अपना सिर ऊंचा करके रह सकें। यह शर्म की बात है कि हम सदैव गलतियां भूलने का प्रयास करते हैं। कुछ मामलों में सच हमेशा कड़वा होता है और यदि हम अपने देश और जनता की स्थिति सुधारना चाहते हैं तो हमें कटु सत्य का सामना करना ही पड़ेगा। दूसरी ओर हरिजन भी कृत्रिम संरक्षण में रह कर उसके आदी हो गये हैं। उनके पास हमारे से कम कोई भी चीज नहीं है परन्तु हम उन्हें उन योग्यताओं का उनकी अपनी शक्ति, समझ और मस्तिष्क से काम लेकर सही उपयोग करने का अवसर प्रदान नहीं कर रहे हैं। उदाहरणस्वरूप जब कोई छात्र मेडिकल कालेज जाने की अवस्था में पहुँचता है तो उसे दूसरे छात्रों के साथ प्रतियोगिता में बैठने की अनुमति क्यों नहीं देते? यदि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उसमें दिमाग है, बुद्धि है तो फिर उसे उसमें भाग लेना चाहिये या फिर कालेज में उसे प्रवेश इस कलंक के कारण दिया जा सकता है परन्तु उसे प्रतियोगिता में बैठना ही चाहिये

[श्री रणजीतसिंह गायकवाड़]

और उच्च स्थान प्राप्त करने और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए जो उसमें व्यक्त किया गया है कठोर परिश्रम करना चाहिये। निरन्तर वित्तीय सहायता देते रहने और आगे बढ़ाते रहने से उनको अपनी शक्ति और मस्तिष्क का उपयोग करने में कोई सहायता नहीं मिलेगी।

जैसा कि एक अन्य माननीय सदस्य ने यहां पर कहा है मैं भी उनके इन विचारों से सहमत हूँ कि युवकों के मन को यह सोचने के लिए परिवर्तित किया जा सकता है कि सभी बराबर हैं। युवा पीढ़ी, युवा बच्चों को आसानी से सही दिशा में सोचना सिखाया जा सकता है। बुढ्ढे लोग ही युवकों के मन में ये विचार पैदा करते हैं और इसीलिए इस पूर्वाग्रह को समाप्त नहीं किया जा सका है। हमें विशेष पाठ तैयार करने चाहिये और जब साहित्य की कक्षाएं ली जाएं तो उन्हें यह बताने के लिए कि यह जातिवाद कैसे उत्पन्न हुआ और किस प्रकार यह सोचना गलत है कि ये लोग हमसे नीचे हैं और समाज में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं।

हरिजनों के विरुद्ध अत्याचार मुख्यतया इसलिये होते रहे हैं क्योंकि उन्हें समाज में स्वीकार नहीं किया गया है। मेरी उन हरिजनों के प्रति बड़ी प्रबल भावना है और उनका बड़ा ही समर्थन करता हूँ जो इन पूर्वाग्रहों के कारण ऊपर उठने का समुचित अवसर कभी प्राप्त नहीं कर सके। इसीलिए, मैं निवेदन करता हूँ कि इन पिछड़े वर्गों या हरिजनों के लिए जो भी कार्यक्रम शुरु किया जाए या उनके लिए जो कुछ भी किया जाए, उसकी इस दृष्टि से कि वे किस प्रकार चल रहे हैं और क्या उनमें कोई कमी तो नहीं रह गई है या कुछ गलत बात तो नहीं हो रही है बार-बार पूर्णतया निगरानी रखी जानी चाहिये और तदनुसार उन कार्यक्रमों में संशोधन किये जाने चाहिये। केवल तभी यह उत्थान का कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है, अन्यथा हम वहीं के वहीं बने रहेंगे जहाँ हम हैं और हम फिर भी इस सभा में वे ही भावात्मक और गतिशील भाषण देते रहेंगे, जो कि वे भाषण बनकर रह जायेंगे जिन्हें केवल ग्रन्थालय में पढ़ा जा सकता है और उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। धन्यवाद।

[हिन्दी]

डा०बी०एल० शैलेश (चायल) : सभापति महोदय, बहुत दुख का विषय है कि जिसके लिए आज यहां सदन में चर्चा हो रही है। ये घटनाएं कितनी दर्दनाक हैं। देश के लिए और हम सब के लिए यह बड़े शर्म की बात है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि नैतिक मूल्यों की रक्षा करने वाली भारतीय संस्कृति का घोर पतन कैसे हो रहा है। जैसा कि संसद में इस पर काफी चर्चा हो चुकी है, इसलिए महोदय, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता पर इतना अवश्य कहूंगा कि इस तरह से ये जुल्म गरीब हरिजनों, असहायों पर क्यों हो रहे हैं। समाज ने सबल लोगों को क्षत्रित्व की उपाधि से इसलिए सम्मानित किया था कि अपनी शक्ति का प्रयोग कमजोर गरीबों, दीनहीनों की रक्षा में करेंगे। उनकी शक्ति रक्षा के लिए ही समर्पित थी, किन्तु यह विधि की बिडंबना है कि अपने ही देश में, अपने ही गांव में अपनी शक्ति का प्रयोग अब उल्टे इन असहाय गरीब हरिजनों पर करते हुए गर्व का अनुभव करते हैं। इन्होंने ऐसी वीरता दिखाई कि सभी मान्यताएं उल्टी हो गईं। स्थिति यह है कि जिनकी उन्हें रक्षा करनी थी, वे रक्षक ही भक्षक बनकर उनके परिवारों को सदा के लिए उजाड़ रहे हैं। चाहे वह आंध्र-प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो। हरिजनों की इन सामाजिक हत्याओं ने देश में ऐसा दूषित वातावरण फैला दिया है कि देश के ऐसे तत्व जो कि मात्र अपनी

स्वार्थ सिद्धि हेतु लाभ उठाने के प्रयास में शांति एवं एकता के स्थान पर विपरीत परिस्थितियां पैदा करने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि यह बेचारे ग्रामीण हरिजन गरीबी में पले हैं। गरीबी में ही जवानी आते-आते अमीरों का बोझा ढोते-ढोते जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं। घोर गरीबी ने उनका शोषण करके उन्हें बेसहारा बना दिया और इन गरीब बेसहारा हरिजनों के साथ ऐसा घोर अनर्थ अत्याचार किया।

मान्यवर मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि इस स्वतंत्र देश में स्वतंत्रता के 38 साल के बाद भी यह खेल अभी कितने दिनों तक खेला जाएगा। इन गरीबों के साथ इन हृदयविदारक घटनाओं से हम सब चिंतित हैं, यह सदन चिंतित है। दुखी परिवारों के साथ आज हम मातम मना रहे हैं।

महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कुसूर था इन गरीबों का जो इतनी बड़ी दर्दनाक सजा इनको मिली। यही न कि ये गरीब हरिजन हैं, बेसहारा हैं, असहाय हैं, जो अपनी गरीबी की मजबूरी में जूझ रहे हैं। दूसरा कुसूर था इनका कि अब वे इक्कीसवीं सदी की ओर आशामयी नजरों से स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक बनकर सम्मान के साथ रहना चाह रहे थे, क्योंकि भारत की माता स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जीवन-पर्यन्त हरिजन एवं गरीबों के हर दुखों को दूर करने के लिए समाज में सबको बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए एक नया वातावरण तैयार किया था, एवं उसके परिणामस्वरूप इन हरिजनों को समाज में मान्यता में वृद्धि होने लगी थी और उसी क्रम में जैसा कि आजकल युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव जी केवल अपने ही देश एवं समाज को नहीं बल्कि समस्त मानव जाति को इक्कीसवीं सदी में पदार्पित होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मध्यप्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के गरीब आदिवासियों के हर तरह के कल्याण एवं विकास के लिए ही अपना एकमात्र आकस्मिक दौरा किया और इन गरीब असहायों के दुख-सुख का हर तरह का जायजा अपने आप लिया, जिससे लगता है कि समाज के कुछ स्वार्थी तत्वों को यह बातें खटक रही हैं। प्रधानमन्त्री के इन कार्यकलापों से जो कि वे अपने माध्यम से सबको बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, सबको खुशहाल देखना चाहते हैं, यह सब बातें उन समाज विरोधी तत्वों को खटक रही हैं और वे लोग इन राजनीतिक गतिविधियों से लाभ उठाकर समाज में अलगाव-विलगाव का जाल बिछाकर राजनीतिक लाभ उठाने में ही जुटे रहते हैं, यह एक बड़ी साजिश है। ऐसे देशद्रोही एवं समाज विरोधी तत्व अपने इन क्रियाकलापों का सारा दायित्व सरकार के नाम थोपकर ये लोग अलग हो जाते हैं। आज यह क्रिया पिछले 38 सालों से लगातार दोहराई जाती रही है।

मान्यवर मैं आपके माध्यम से बड़े दुःख के साथ गृह मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि इस विषमता को शीघ्र ही दूर करने का प्रयास करें अन्यथा हमें भय है कि यह कहावत कहीं सच न हो जाए कि "मुई खाल की सांस से लौह भसम होय जाए" एवं इन अत्याचारों से पीड़ित मरी ठठरियों में कहीं जान न आ जाए और वे बगावत करने पर आमादा न हो जाएं। समाज में आज कानून के व्यवहार एवं कानून के अर्थ दोहरे मापदण्डों में इस्तेमाल हो रहे हैं और सभी लोग तमाशबीन बनकर इसे देख रहे हैं। आज देश का हरिजन अपने को द्वितीय श्रेणी का नागरिक मानने के लिए विवश है और वह स्वतंत्र देश में गुलामी की जिंदगी जी रहा है। बड़े दुख का विषय है कि राज्य सरकारें आंख पर पट्टी बांधे हुए हैं। इन गरीब तथा मजबूर लोगों के नरसंहार को मामूली घटना समझ कर उनकी जानमाल की हिफाजत में लीपापोती कर रही हैं।

[डा० बी०एल० शैलेश]

मान्यवर, पुलिस प्रशासन तथा गुप्तचर एजेंसिया भी अपना मौलिक अस्तित्व खो चुकी हैं। इन घटनाओं की पूर्व सूचना प्राप्त होने पर भी इन गरीबों के प्राणों की रक्षा नहीं हो सकी। मान्यवर ऐसा प्रतीत होता है कि इस अन्याय के साथ प्रदेश की पुलिस की तथा शासन व्यवस्था की मिली भगत है। मुझे खेद है कि बार-बार चेतावनी देने पर भी यथोचित कदम नहीं उठाए गए और कार्यवाही करने में लापरवाही बरती जा रही है। अन्त में, मैं आपके माध्यम से अपने प्रधान मन्त्री जी से निवेदन करते हुए आशा करुंगा कि आप जैसे समाजवादी, निर्बल, प्रेमी तथा स्वच्छ प्रशासन देने वाले के नाते अविलम्ब अपने माध्यम से अपने ही सचिवालय में एक विशेष सैल बनाकर अपनी नीतियों को परिपूर्ण करें तथा राज्य सरकारों को निर्देश दें कि हरिजनों तथा निर्बलों के प्रति जो सरकारी नीतियां है, उन्हें ठीक से पालन करें तथा पालन करने में जो भी दोषी लोग हैं जिसकी सही सूचना आप तक नहीं पहुंचाई जाती, उसकी समय-समय पर जांच हो सके और उचित निर्देश दिए जा सकें, जिससे वर्षों से यह पीड़ित समाज जो हरिजन होने से ही पीड़ित है। आपके साहसिक प्रयासों से सामाजिक न्याय पा सके।

श्री राम स्वरूप राम (गया) : सभापति महोदय, आज यह सम्मानित सदन एक गंभीर विषय पर विचार कर रहा है। मैं इसको कोई राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहता क्योंकि यह एक मानवता का प्रश्न है। इसको मानवता की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे विरोधी पक्ष के तेलुगु देशम के नेताओं का जिन्होंने इसमें राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। ···(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, कांग्रेसी जन, अत्याचारों में अपना तीन-चौथाई भाग होने का दावा क्यों नहीं करते।

[**हिन्दी**]

श्री राम स्वरूप राम : हम बहुत ही आभार प्रकट करेंगे अपनी राज्य मंत्री श्रीमती सिन्हा का जिन्होंने आन्ध्र हो या बिहार, यह कोशिश की है कि सही रूप से वस्तुस्थिति का पता लगाया जाए। बिहार में जहां 15 आदिवासियों की हत्या हुई थी, वहां ये गई थीं और आन्ध्र प्रदेश में भी गईं। आन्ध्र प्रदेश में तेलुगु देशम की सरकार जबसे बनी है तबसे हरिजनों पर तीन जघन्य अपराध हुए हैं। मैं आपको पढ़कर बता देना चाहता हूँ। तीन वर्षों में हरिजनों और सवर्णों के अत्याचार पर लोम-हर्षक दास्तान है। इससे पूर्व जिला चितूर के पादरीकुपम, 1983, महबूबनगर के पेधापुरम, 1984 और करमचेडू में 17 जुलाई 85 को घटनाएं हुई हैं।

6.29 म०प०

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**]

जैसे ही रामा राव साहब की सरकार बनी थी तो उस वक्त मैं सातवीं लोक सभा में था मैंने एक कालिंग अटेंशन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था कि उस सरकार के बनते ही 84 घर हरिजनों के जला दिए गए। यह क्या था? क्योंकि वहां के हरिजन कमिटेड

था एक प्रोग्राम के साथ। उनके मुताबिक वह नहीं चल पाए। इसी के रिएक्शन में इस तरह घटना हुई। जहां तक करमचेड़ू की हत्याओं का प्रश्न है, वहां पर रामा राव साहब के दामाद डा० वेंकटेश्वर राव विधान सभा का चुनाव लड़ रहे थे। हरिजनों ने उनको वोट नहीं दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि......(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : श्री वेंकटेश्वर राव उस निर्वाचन क्षेत्र के नहीं अपितु किसी और क्षेत्र के उम्मीदवार हैं। यह गलत है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह वहां के उम्मीदवार नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई बात आपत्तिजनक है तो मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम : इन हरिजनों ने कांग्रेस को वोट दिए थे। यह गांव वहां के मुख्यमन्त्री श्री एन० टी० रामाराव के दामाद डा० डी० वैंकटेश्वर राव के चुनाव क्षेत्र परचूर के अन्तर्गत आता है और इस गांव के सवर्ण डा० वेंकटेश्वर राव के रिश्तेदार हैं। तमाम रिलेशन्स हैं। (व्यवधान)

वे रामाराव साहब के सन-इन-लॉ हैं, उनकी बात मैं कह रहा हूँ। जहां पर इस तरह की घटना हुई है। कहीं पर जमीन का झगड़ा होता है तो उसको मान भी लिया जाए लेकिन हरिजनों के लिए पीने के पानी का तालाब बनाने की व्यवस्था मेरी सरकार ने नहीं की, उसकी व्यवस्था रामाराव साहब ने नहीं की, हमारी कांग्रेस सरकार और इन्दिरा जी के समय में उसकी व्यवस्था की गई थी। लेकिन पीने के पानी में भैंसे नहलाना यह कितना घृणित कार्य है और, इनह्यूमन काम है। यदि सही तौर से देखा जाए तो गेरुवे वस्त्र धारण करके झूठ कृष्ण का नाटक करके आप गरीबों की और हरिजनों की मदद नहीं कर सकते। आप जिस तरह से उनके चहेते बनना चाहते हैं, उसमें आप कभी भी सफल नहीं होंगे। हमें ऐसे कृष्ण नहीं चाहिये जो सिर्फ नाटक करें। आज ऐसे कृष्ण को हमें आन्ध्र प्रदेश से निकालना होगा जो हरिजनों की मदद के नाम पर अपने दामाद की मदद करे। ऐसे कृष्ण को आन्ध्र प्रदेश से खत्म करना होगा (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : महोदय, वह केवल आंध्रप्रदेश की ही बात क्यों कर रहे हैं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : ये घटनायें बिहार और उत्तर प्रदेश में हर रोज घट रही हैं।

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप राम : महोदय, मुझे संरक्षण प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको संरक्षण प्रदान कर रहा हूँ, फिक्र न करें।

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम : हमारी सरकार हरिजनों की प्रौब्लम्स के बारे में काफी सीरियस रही है। आज हमारी पार्टी का नेतृत्व हमारे डायनामिक लीडर राजीव जी के हाथों में है और वे हरिजनों और आदिवासियों के हर झोंपड़े में खुद जाकर उनकी समस्याओं को देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि एन आर ई पी और आई आर डी के तहत उनको क्या मदद मिल रही है, क्या काम हो रहे हैं, क्या फायदा पहुंचाया जा रहा है। उसी का नतीजा है कि हमारी सरकार से पहले इस देश में 54 प्रतिशत लोग पावर्टी लाइन के नीचे थे, अब उनकी संख्या घट कर 37 परसेंट ही रह गई है यानी पावर्टी लाइन के नीचे रह गए हैं। उसका कारण यह है कि राजीव जी के नेतृत्व में नई सरकार बनने के तुरन्त बाद हमारे होम मिनिस्टर साहब ने तमाम प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर्स को एक पत्र लिखा --

[अनुवाद]

"अनुसूचित जातियों पर हो रहे अपराधों से संबंधित मामलों पर केन्द्रीय सरकार ने बाद में गंभीरतापूर्वक विचार किया। अनुसूचित जाति के श्रमिकों में 48 प्रतिशत से अधिक खेतिहर मजदूर हैं। अनुसूचित जातियों में सबसे बड़ा व्यावसायिक ग्रुप उनका है। अधिकांश मामलों में यह होता है कि गरीब अनुसूचित जाति के खेतिहर मजदूर जब भी कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दिये जाने के अपने अधिकार का दावा करने का प्रयास करते हैं, संभवत : तभी उन्हें प्रतिशोध लिये जाने की धमकी मिलती है और उन पर अत्याचार किये जाते हैं।"

[हिन्दी]

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने हरिजनों या आदिवासियों पर कहीं भी एट्रोसिटीज न हों, इसके बारे में काफी मौनिटरिंग किया है। इनकी प्रौब्लम्स के प्रति हमारी सरकार काफी जागरुक है। मैं कोई ढोल नहीं पीटना चाहता हूँ लेकिन यह बात सही है कि चाहे उत्तर प्रदेश हा या मध्य प्रदेश, गुजरात हो या आन्ध्र प्रदेश हो अथवा देश के किसी दूसरे प्रान्त में हरिजनों या आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं होती हैं तो मानवता की हत्या होती है, गरीबों की हत्या होती है और उस पर हमें आंसू बहाने चाहिए, उस पर गम्भीरता से सोचना चाहिए, चाहे हम हों या आप हों। अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए कोई भी हरिजनों का चहेता नहीं बन सकता और इस तरह से उनके मसलों को दूर नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ उनकी बातें करके ही उनके चहेते नहीं बन सकते जब तक हम उनके हित में काम भी न करें, आवाज न उठायें क्योंकि यह आवाज हम देश के एक-दो परसेंट लोगों के लिए नहीं उठा रहे हैं, इस देश में हरिजन और आदिवासियों की संख्या, पूरी जनसंख्या का लगभग 25 परसेंट है। इसलिए आज हम देश के 14-15 करोड़ लोगों के सवालों को इस हाउस में डिस्कस कर रहे हैं, यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है।

हम कहते कि आप उनको मकान बना कर दीजिए, लैंड रिफार्म्स भी आप नहीं करेंगे और पीने के पानी में भैंस नहलाते हैं और उल्टे आप हरिजनों की हत्या कर देते हैं और उसको फिर राजनैतिक हवा देंगे, क्या इस तरह से वहां की सरकार कोई अच्छी बात कर रही है ? कहीं की भी सरकार हो, जहां पर हरिजनों और गिरिजनों तथा आदिवासियों पर एट्रोसिटीज की घटनाएं होती हैं, उस सरकार को हम कन्डैम करते हैं और उसके साथ आपको भी कन्डैम करते हैं। आप देख लीजिए कि आज क्या हो रहा है और गुजरात में कौन लोग एजीटेशन कर रहे हैं,

कौन लोग गांधी जी की भूमि, बापू की नगरी में एजीटेशन कर रहे हैं, जहां हरिजनोद्धार का नारा लगा था। वहां पर हरिजनों के खिलाफ ही वे लोग बोल रहे हैं जो जनता पार्टी के साथ हैं और अपोजीशन के साथ हैं, वे ही पटेल लोग ही उस एजीटेशन को वहां चला रहे हैं। आप उनको हवा दे रहे हैं। आपने कभी नहीं सोचा कि इस देश में 15 करोड़ लोग हरिजन और आदिवासी हैं। उनके गांवों के घरों को जाकर देखे, उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास खाने की, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, जो आपकी सामंती व्यवस्था है, उसके जो भाई रहते हैं, पुलिस वाले, वे उनको गोली मार देते हैं, उनकी स्त्रियों पर बलात्कार करते हैं, स्कूलों और कालेजों में उनकी उपेक्षा होती है। 38 वर्ष की आजादी के बाद भी ऐसी स्थिति है, इस पर आपको सोचना होगा, यह सरकार की कमी नहीं है, यह सोसायटी की मनोवृत्ति की देन है। मनु स्मृति को जलाना होगा, मनु स्मृति को जलाकर एक नए सिरे से हिन्दुस्तान की रचना करनी होगी, जैसा कि हमारे राजीव जी चाहते हैं। आधुनिक भारत में न कोई शोषक होगा और न कोई शोषित होगा, बल्कि एक शुद्ध समाज होगा, जहाँ न किसी को कोई तंग करेगा और न कोई तंग करने वाला रहेगा। यह तभी हो सकता है जब पुरानी पद्धति पर बने हुए इस समाज की व्यवस्था को तोड़ करके, मनुस्मृति को जलाकर एक नए समाज का निर्माण करेंगे। आज मैं इस ऑगस्ट हाउस में इस बात का आह्वान करता हूँ, हमको इसको सोचना होगा। सिर्फ राजनैतिक दांव-पेच में हरिजन की लाश को उछालें, चुनाव क्षेत्रों में उछालें, या सदन में उछालिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ज्यों-ज्यों दवा दी जा रही है, त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता जा रहा है। असल में इसका इलाज नहीं हो रहा है। उसके लिए भूमि सम्बन्धी जो सुविधाएं थीं वे नहीं दी गईं उसके लिए जो रिजर्वेशन था, वे जगहें नहीं भरी गई उनको भरना चाहिए था इस पर किसी ने नहीं सोचा।

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि बिहार में एट्रोसिटीज का प्राविन्स रहा है कास्टिज्म की वजह से जहां कास्टिज्म होगा वहां एट्रोसिटीज होंगी ही, इसीलिए वहां पर इस तरह की घटनाएं काफी होती हैं। लेकिन मुझे खुशी होती है जब हरिजनों को मारा जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इट इज ए इरा आफ अवेकनिंग, एक इरा है अवेकनिंग की, वहाँ तबाही हुई है, जिसका शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज वह तैयार है, लेकिन हमारी एक सामंती व्यवस्था है, जो लैंड लार्ड हैं गांवों में उनके साथ पुलिस के लोग मिल करके एट्रो-सिटीज करते हैं, ये पुलिस के छुटभैये मिलकर के हरिजनों पर जुल्म करते हैं। इसलिए मैं श्रीमती सिन्हा से कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस विभाग को आप देखती हैं, लैंड लार्ड से पुलिस के छुटभैये मिल करके एट्रोसिटीज करते हैं, इस बात को सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि जितनी भी एट्रोसिटीज की घटनाएं घटती हैं वहां पर मिनिमम वेजेज के सवाल को लेकर घटती हैं, लैंड के सवाल को लेकर घटती हैं, चाहे किसी भी सवाल पर घटती हैं, वहां पर पुलिस लैंड लार्ड से मिलकर उनको नक्सलाइट करार देती है। वे कहते हैं कि ये तो नक्सलाइट हैं। मैं आपको नई दिल्ली से प्रकाशित 5 जनवरी 1985 के नव भारत टाइम्स अखबार की एक खबर बताता हूँ, औरंगाबाद और बिहार में कैंथी गांव में 10 हरिजनों की हत्या की गई। हरिजन बेचारे मजदूरी करके गाँव में आए, वे थके थे, हर कोई जो थका होता है, वह आराम करता है, वे भी आराम कर रहे थे, किसी लैंड लार्ड ने जाकर कह दिया कि वहां पर नक्सलाइट इकट्ठे हो रहे हैं, पुलिस छुटभैये गए, जो लैंडलार्ड से पहले ही मिले हुए थे, गोली चला दी, उसमें मरने वालों के नाम इस प्रकार हैं— सुरेश मिस्त्री, सतेंद्र मिस्त्री, उमेश मिस्त्री,

[श्री राम स्वरूप राम]

नत्थू दुसार, फिरंगी दुसास्ध। इसमें सुरेश मिस्त्री, सतेंद्र मिस्त्री और उमेश मिस्त्री तीनों भाई थे, सबको गोली से भून दिया गया। वहां पर सवाल था कि जमीन पर उनको हक नहीं मिल रहा था। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस प्रोग्राम को स्टॉप करिए फिर तो एट्रोसिटीज नहीं होंगी, अगर आप इस प्रोग्राम को करना चाहते हैं, तो फर्म डिटरमिनेशन के साथ करना होगा। लेकिन आज मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि आज से तीन साल पहले, जब मैं इतिहास के पन्ने उलट कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि सदर्न इन्डिया में एट्रोसिटीज बढ़ रही हैं, नार्थ इंडिया में कम हैं, लेकिन सदर्न में जहां आंध्र है, वहां तो हरिजनों की हत्या या गुलछर्रे उड़ा रहे, हैं वहां एट्रोसिटीज बढ़ रही हैं, क्योंकि वहां तो कृष्णावतार हैं। कृष्ण का राज चल रहा है।····

श्री नारायण चौबे : इसको जरा क्लेरिफाई करिए, ये कृष्णावतार समझाइए, क्या है ?

श्री राम स्वरूप राम : सर, मैं ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहता हूँ कुछ सुझाव निवेदन के तौर पर देना चाहता हूँ, लेकिन अब ये पूछ रहे हैं, तो कृष्णावतार को क्लेरिफाई करना पड़ेगा— वहां पर कृष्ण का अवतार राज्य कर रहा है, जहां पर हरिजनों को मारने की आदत सिखाई जाती है और जिनकी आप यहां पर बैठकर वकालत करते हैं। वे कृष्णावतार बने हुए हैं। कृष्ण की भूमिका रही थी कि अत्याचार के खिलाफ लड़ना और अत्याचारियों का दमन करना, लेकिन आपके कृष्ण की भूमिका है अत्याचारियों का साथ देना और गरीबों को दबाना।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : नहीं, नहीं।

श्री राम स्वरूप राम : यह आपके माथे पर कलंक है, आन्ध्र के माथे पर कलंक है और नवोदित कृष्ण के माथे पर कलंक है। इस कृष्ण को निकालना पड़ेगा, यह हरिजनों की आत्मा की पुकार है।

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : आप झूठ बात को दस बार दोहरायें किन्तु वह सच नहीं हो सकती हैं।

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम : हमारा कृष्ण है गरीबों का पक्षधर और तुम्हारा कृष्ण है गरीबों का भक्षक।

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी : वह 'कृष्ण' का नाम क्यों लें रहे हैं, जो यहां उपस्थित नहीं है। वह रावण हो सकता है, किन्तु 'कृष्ण' यहां नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम : वहां पर जो कमेटी बनी है, जुडिशियल इन्क्वायरी की बात आई है, मैंने अखबारों में देखा है कि 2 दिम पहले जो जज इन्क्वायरी कर रहे थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है।

(व्यवधान)

रिजाइन कर चुके हैं, उन पर शायद प्रैशर पड़ा होगा। मैं चाहता हूँ कि हाउस की एक कमेटी बनाई जाये जो आन्ध्र का विजिट करे।

[अनुवाद]

श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव : हम इसका स्वागत करते हैं। वह आंध्र प्रदेश या किसी भी अन्य स्थान का दौरा करें। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम : वह कमेटी वहां जाकर देखे कि सही क्या बात है। क्योंकि जो नये कृष्ण ने दबाव दिया होगा, इसी के रिएक्शन में उन्होंने रिजाइन किया है। इसलिये स्थिति बिगड़ी हुई है, इसीलिये हाउस की कमेटी बननी चाहिये। **(व्यवधान)** इस तरह की एट्रोसिटीज के लिये स्ट्रांग लैजिएलेशन लाना चाहिये। अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा मिलना चाहिये, जिससे जातीय विवाह बैन हो जायें। हालांकि यह कठोर कदम होगा, देश को नहीं सूट करेगा लेकिन इसके लिये आपको कुछ करना चाहिये, इससे नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगी, सद्भाव का वातावरण होगा।

जिस जिले में एट्रोसिटीज हों, वहां के डी० एम० और एस० पी० की पूरी जवाबदेही फिक्स-अप करनी चाहिये।

सोशियो-इकनामिक डैवलपमैंट करना चाहिये और जो 2.5 लाख हैक्टर सरप्लस लैंड हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिये।

हम आपको धन्यवाद देते हैं और अपने राज्य मन्त्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने स्ट्रांग एक्शन लिया।

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज अपने देश के हरिजन और गिरिजन देश की मुख्य-धारा से अलग-थलग पड़े हैं। जब तक ये मुख्य धारा में नहीं आयेंगे तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। किसी भी देश की सीमा के भीतर रहने वाले लोगों को, हर जाति, वर्ग धर्म और समुदाय के लोगों को जब तक इज्जत की जिन्दगी और ईमान की रोटी नहीं मिलेगी, उस देश को प्रगतिशील देश नहीं कहा जा सकता।

अपने देश में हरिजन और गिरिजन की विशेष स्थिति है। यह बड़ी विडम्बना है कि कोई हरिजन या गिरिजन इज्जत की जिन्दगी और ईमान की रोटी की इच्छा जाहिर करे, यह बात तो दूर की है कि वह स्वप्न भी देख सकता है, लेकिन जब वह स्वप्न देखता है और इच्छा जाहिर करता है तो सिवाये मौत के घाट उतारने के और कोई उसके लिये चारा नहीं है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहाती जिले के सिंहपुर रसवल की घटना का यही कारण है। ठाकुर रोशन सिंह दर्शन सिंह के खिलाफ राम किशन नाम के एक हरिजन ने कोई कसूर नही किया था, कोई जुर्म नहीं किया था, दर्शन सिंह को अपमानित नहीं किया था। अगर उसका कोई कसूर था तो संविधान के तहत पाये गये अपने अधिकारों का उसने उपयोग किया था और दर्शन सिंह के खिलाफ प्रधान का चुनाव लड़ा था और हार गया था। उसका यही कसूर था कि ठाकुर दर्शनसिंह

[श्री राम बहादुर सिंह]

ने प्रधान होने की हैसियत से जो घपला किया था, उसकी जांच उसने करवाई थी। यदि राम किशन ने कोई कसूर किया था तो उसमे यही कसूर किया था कि वह हरिजन परिवार का है। इसकी विधवा की जमीन को जब ठाकुर दर्शन सिंह के परिवार वालों ने घपला देकर फर्जी तरीके से अपने नाम से लिखवा लिया था तो उसने उसका विरोध किया था। इसी कसूर के चलते 21 जुलाई की रात में दर्शन सिंह के परिवार वालों ने अपने लठैतों के साथ राम किशन के परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी। जिन लोगों की हत्या की गई, उसमें राम किशन भी था, साथ में उसकी दो बेटियां, गर्भवती पतोह और राम किशन की दो साल की पोती और राम किशन का मामा जो 65 वर्षीय था। इसकी सूचना राम किशन ने स्थानीय थाना में दे दी थी। यह घटना कोई एक दिन में नहीं हुई, ऐसी घटनायें कोई एक दिन में नहीं होती हैं, इसकी कहानी बहुत पहले से चली आ रही थी। इस घटना की सम्भावना राम किशन को बहुत पहले हो चुकी थी, इसलिए उसने इसकी रिपोर्ट स्थानीय थाना में दी थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने कोई निगाह नहीं डाली, इसको नजर अंदाज कर झूठा साबित किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि 21 जुलाई की रात में राम किशन सहित राम किशन के परिवार के 6 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई।

इसी तरह की घटना बिहार के कटिहार जिले की है। बिहार में अप्रैल के महीने में सिरवा पर्व मनाया जाता है। उस पर्व के अवसर पर सामूहिक रूप से गांव के लोग गांव के जलाशय में मछली मारते हैं। उसमें जात-पात का भेद नहीं रहता है। 12 अप्रैल को गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से मछली मारने का काम किया। जब वह मछली मार कर जा रहे थे तो उस थाने के प्रमुख विश्वनाथ सिंह के साथ वहां के स्थानीय दरोगा आर०पी० तिवारी चार बंदूकधारियों के साथ वहां मनिहारी थाने पहुँचे, जाते ही उसने किसी न किसी बहाने से गोली चलवायी, जिससे तीन आदिवासी जटलू गुरुईमुरमू और संग्राम सोरन की मृत्यु हो गई।

इसी तरह की घटना बरारी थाना के, उसी जिला के भंडार तल के आराही जलाशय में हुई जहां कोरे लाल उड़ाऊ मारा गया और एक 13 साल का रमेश लड़का जो कि नौवी कक्षा में पढ़ता था, आज भी जेलों में पड़ा सड़ रहा है। वहां के लोगों ने सरकारी अधिकारियों को इसकी सूचना दी, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने मिलजुल कर साजिश करके दरोगा एवं प्रमुख को बचाने की कोशिश की साजिश की गई। यह आदिवासी लोग हथियार लेकर आये थे, आदिवासी लोग कोशिश कर रहे थे कि बन्दूक छीन ली जाये और इसी की वजह से गोली चलानी पड़ी। मैं पूछना चाहता हूं कि जब कोई 10 हजार की भीड़ हथियार लेकर जाये और दूसरी ओर चार बन्दूकधारी सिपाही हों और उनके साथ दरोगा एवं विश्वनाथ सिंह हों तो 6 लोगों में से किसी को भी कहीं भी चोट या खरोंच लग सकती है। महोदय, आदिवासी लोग बड़े सेंटीमेंटल वाले आदमी होते हैं, वह जब तीर कमान लेकर जायेंगे और हिंसक हो जायेंगे तो चार बन्दूकधारियों की हिम्मत नहीं कि उनका मुकाबला कर सकें, लेकिन वह बिना हथियार के थे, हिंसा पर उतारु नहीं थे, इस बीच विश्वनाथ सिंह पुलिस बन्दूकधारी सिपाहियों के साथ बिना मजिस्ट्रेट के साथ गया और उन्हीं की रक्षा के लिये उसने गोली चलायी और तीन आदिवासियों का कत्ल करवा दिया। उस दरोगा को बचाने के लिये साजिश करने वालों में कोई छोटे आदमी नहीं थे, बल्कि उनमें वहां का डी०आई०जी०, कलेक्टर, कमिश्नर और एस०पी० था। इन चार लोगों ने जाकर कटिहार

के आई०बी०आई० में साजिश की और साजिश करके आदिवासियों पर मुकदमा किया गया। इस घटना के बाद में मैंने अपने साथी भूतपूर्व सांसद युवराज जी एवं श्री सुरेन्द्र मोहन जनता नेता और चार माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर करवा कर एक मैमोरेंडम गृह मंत्री श्री चव्हाण सहाब को मई के महीने में दिया। मैंने उनसे निवेदन किया था कि इसकी व्यापक जांच करवायी जाये क्योंकि इन आदिवासियों के ऊपर अत्याचार और जुल्म किया गया है और उनको झूठे मुकदमे में फंसाया गया, लेकिन चव्हाण साहब ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। उनको इतना भी गवारा नहीं हुआ कि गृह मंत्री होने के नाते जब चार माननीय सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर से इस तरह की घटना के सम्बन्ध में पत्र दिया है तो उसके जवाब में एक खत ही लिख देते। लेकिन बड़ी चर्चा है, बड़ा दर्द दिखाते हैं कि हरिजनों के लिए उनके मन में बड़ा प्यार है। यदि आपके मन में आदिवासियों और हरिजनों के लिए प्यार है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस घटना की जांच सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना कर करवाइये, मृतकों के परिवार को मुआवजा दें। इससे सारी बातें साफ-साफ सामने आ जायेंगीं।

इसी तरह से मेरे यहां सारन जिले के एकमा प्रखण्ड जहां से मैं आता हूं, वहां एक भूमि खण्ड पर पिछले पचास वर्षों से हरिजन लोग रहते आ रहे हैं। उस जमीन का नाम है लेदुरहा। लेकिन पिछले पन्द्रह वर्षों से स्थानीय प्रशासन के लोग वहां के भूमिपतियों के साथ मिलकर हरिजनों को परेशान कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि वह अपनी मांग रखते हैं तो उनके ऊपर अभियोग लगाया जाता है कि हरिजन तीर उठाते हैं। वह इज्जत की जिन्दगी जीना चाहते हैं तो इस तरह की घटनाएं होती हैं।

अन्त में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जब चव्हाण साहब ने आन्ध्र की घटना की चर्चा की तो आश्चर्य व्यक्त किया कि गृह राज्य मंत्री ने सारी सीमाओं को तोड़कर आन्ध्र प्रदेश की घटनाओं को लेकर काम किया····

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : अभी तक आपको कसक है ?

श्री राम बहादुर सिंह : कसक नहीं है। मैं अपनी बात कहता हूं। मेरे दिल में दर्द है।

लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। वह इसलिए कि जिस परम्परा से वह आती हैं उस परम्परा में यही शिक्षा दी जाती है कि मीठा-मीठा गप्प और तीता-तीता थू। मेरे यहां एक कहावत है। एक गांव के कुछ लड़कों ने एक गदहे को मार दिया। उसके बाद तमाम लड़के गांव के पंडित जी के पास गये और कहा कि हम बड़ी मुसीबत में पड़ गये हैं, हमने बड़ा भारी अपराध कर दिया है। इससे बचने का कोई उपाय बताइये। पंडित जी ने कहा कि इसके लिए भारी प्रायश्चित करना पड़ेगा। उसी में से एक लड़का कहता है, लेकिन पंडित जी, मारने वालों में आपका लड़का संतोष भी था। पंडित जी की नीति बदल गई। उन्होंने झट कहा—

सात पांच लड़का एक संतोष।
गदहा मारे कौन है दोष ॥

यही हालत इनकी है। आन्ध्र प्रदेश में यदि तेलगूदेशम की सरकार है और वहां कोई एट्रीसिटी होती है हरिजनों पर तो बहुत बुरा है। यहां असवल कांड होता है तो वहां जाने के लिए फुर्सत नहीं है नारायणपुर में जब काण्ड हुआ था, मुझे याद है तब बनारसी दास जी उत्तर प्रदेश के मुख्य

[श्री राम बहादुर सिंह]

मंत्री थे। मुझे याद है कि जब नारायणपुर में काण्ड हुआ तो उस सरकार के राज्य मंत्री मोहन सिंह जी ने विधान सभा में उसकी निन्दा की थी। लेकिन फिर तत्कालीन राजकुमार का वहां पदार्पण होता है और तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी का पदार्पण होता है। एक फरमान जारी होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अक्षम है। उत्तर प्रदेश की सरकार हरिजनों की रक्षा नहीं कर सकती है तो इस सरकार को बने रहने का अधिकार नहीं है। यदि उत्तर प्रदेश की सरकार को बने रहने का अधिकार नहीं था तो तेलगूदेशम की सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। आप में हिम्मत हो तो आप बरखास्त कीजिए आन्ध्र प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और बिहार की सरकार को। लेकिन यह तो मैं जानता हूं कि आप नहीं करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो, चाहे आन्ध्र प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, तमाम घटनाओं का मान एक ही है। इन घटनाओं के पीछे तात्कालिक कारण चाहे जो भी हों, लेकिन सबसे प्रमुख कारण और स्थायी कारण यह है कि पिछले पांच हजार वर्षों से जो अपने देश की बनावट है वह बनावट बार-बार मजबूर करती है कि आये दिन हरिजनों पर अत्याचार होता है। इसलिए आपको ठण्डे दिल से, साफ दिमाग से और स्वच्छ मन से इस पर विचार करना चाहिए। इस देश के सामने हजारों समस्याएं हैं। यदि इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो देश की अखण्डता भी खतरे में पड़ जायेगी। जब-जब इस तरह की समस्या इस देश में उठी है, जाति पाँति, छुआछूत का झगड़ा हुआ है तब-तब देश पतनोन्मुख हुआ है और देश लांछित हुआ है। इसलिए आप तमाम विरोधी दल के लोगों को इकट्ठा करें, देश के जो समाज सुधारक लोग हैं उनको इकट्ठा करें, जो अर्थशास्त्री हैं, राजनीति शास्त्र के जानने वाले हैं, समाज-शास्त्र के जानने वाले लोग हैं उन तमाम लोगों को इकट्ठा करें, और चिन्तन-मन्थन करवायें तथा उसके बाद जो बात निकलती है उसको प्रचारित करने के लिए, उसको प्रसारित करने के लिए आप संगठन बनायें जिसमें कि अधिक से अधिक युवा लोग हों उनको आप ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसा प्रशिक्षण दीजिए कि मिशनरी जील के साथ वे गांव-गांव, घर-घर और टोले-टोले में जायें, हरिजनों, गिरिजनों, सवर्णों के यहां जायें तथा सभी को शिक्षा दें कि जब तक समाज के सभी वर्गों का विकास नहीं होगा तब तक देश का समुचित एवं सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं है।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि आपने आई०आर०डी०पी०, एन०आर०ई०पी, आर०एल०-जी०पी० की जो योजनायें चला रखी हैं उनका आप मूल्यांकन करवायें क्योंकि जिस वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए आपने इनको चलाया है, उनके पास इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाया है।

मेरा तीसरा सजेश्चन यह है कि प्राथमिक पाठशालाओं में इस तरह के पाठ्यक्रमों को चालू किया जाय जिनको पढ़ने के बाद स्कूल में जाने वाले बच्चों के मन से छुआ-छूत, जात-पांत के नाम पर फैली नफरत को दूर किया जा सके।

इसके साथ साथ मेरा यह भी निवेदन है कि आप अपने प्रशासन को चुस्त कीजिए ताकि वह इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए तत्पर हो अन्यथा इस प्रकार की घटनाएं हमेशा होती रहेंगी। साथ ही मैं यह भी आग्रह करूंगा कि आपकी जो आरक्षण की नीति है उसको आप ईमानदारी व मजबूती के साथ लागू कीजिए क्योंकि पिछले 37 वर्षों में, आपकी जो नीति चल रही है उसके द्वारा हरिजनों, गिरिजनों को उनका वाजिब हिस्सा नहीं मिल सका है।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति के लोगों के विरुद्ध अत्याचार की घटनायें देश के किसी भी भाग में हों तो वह शर्मनाक हैं । उन घटनाओं को लेकर न जाने कितने बार इस माननीय सदन में चर्चायें हो चुकी हैं । सभी लोगों ने, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने और नेताओं ने इस विषय पर गम्भीर रूप से बराबर चिन्ता व्यक्त की है और बराबर इस बात पर बल दिया है कि इन घटनाओं को किसी न किसी प्रकार से रोका जाना चाहिए । यह हमारा एक राष्ट्रीय कलंक है, जो थोड़े-थोड़े दिनों के बाद उभर कर सामने आता है। हरिजन या आदिवासी संविधान के अनुसार आजादी के साथ जीने का उतना ही हक रखते हैं जितना कि कोई दूसरा नागरिक रखता है। लेकिन फिर भी इनके खिलाफ अत्याचार की घटनायें रुक नहीं रही हैं। कभी-कभी कम तो हो जाती हैं लेकिन रुक नहीं रही हैं। बहुत से आंकड़े यहां पर दिए गए कि मध्य प्रदेश में 5 हजार घटनायें हुईं, उत्तर प्रदेश में 4 हजार घटनायें हुईं, बिहार में तीन हजार घटनायें हुईं लेकिन यह जो आंकड़े हैं वह रिपोर्टेड हैं परन्तु अत्याचार की बहुत-सी ऐसी घटनायें हैं जिनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है । बहुत जगहों पर रिपोर्ट लिखाने के लिए तो जाते हैं लेकिन रिपोर्ट लिखी भी नहीं जाती है। इस प्रकार से वास्तविक घटनायें बहुत ज्यादा हैं। हमारे आंध्र प्रदेश के दोस्त को नाराजगी हो रही है लेकिन इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। आंध्र प्रदेश सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है न उत्तर प्रदेश की सरकार की ही कोई गलती है। सरकार ने न मारा है, न मारेगी न कभी मारने के लिए कहा है। हमारी सामाजिक व्यवस्था जो है, जो समाज में वर्ण-व्यवस्था है, जो ऊंच-नीच का भेद-भाव है, उसको कैसे समाप्त किया जाए, इस बात की तरफ हम लोगों को विचार करके युद्ध-स्तर पर काम करना चाहिए तभी यह घटनायें घटेंगी। आंध्र प्रदेश की सरकार को भी वही करना होगा, और

7.00 म०प०

उत्तर प्रदेश की सरकार को भी वही करना होगा और भारत की सरकार को भी वही करना होगा। अत्याचार की घटनायें ही नहीं कि लोगों को मार दिया जाता है, सामूहिक हत्यायें हो रही हैं, व्यक्तिगत हत्यायें हो रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी राजनीतिक हत्या हो रही है, जिसकी तरफ किसी भी हमारे माननीय सदस्य ने ध्यान नहीं दिलाया है। बहुत से स्थानों पर आज हरिजनों को वोट देने से रोका जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, सभी लोग जानते हैं, सरकार भी जानती है कि देश में बहुत से स्थान ऐसे हैं, जहां राजनीतिक दलों के बहुत बड़े-बड़े नेता लोग चुनाव लड़ते हैं, हरिजनों के लिए आंसू बहाने वाले लोग वहां से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उन चुनाव क्षेत्रों में हरिजनों को वोट नहीं देने दिया जाता है।

श्री हरीश रावत : आप बागपत की बात तो नहीं कर रहे हैं।

श्री जैनुल बशर : बागपत में तो आज तक हरिजनों को वोट नहीं देने दिया गया है। वहां तो हरिजन वोट देने नहीं जाता है, सवाल ही पैदा नहीं होता है । लेकिन बागपत के अलावा ऐसे बहुत से स्थान हैं, जहां हरिजनों और आदिवासियों को वोट नहीं देने दिया जाता है । हममें से बहुत से सदस्य इस सदन में बैठे हैं जिनके चुनाव क्षेत्रों में हरिजनों और आदिवासियों को वोट नहीं देने दिया जाता है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, इस राजनीतिक अत्याचार का इलाज वे किस प्रकार करेंगे ? चुनाव में आप कौन से सुधार की बात ला रहे हैं ? देश का एक बहुत बड़ा तबका जो अपनी सरकार को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, जिसको कि आज वोट

[श्री जैनुल बशर]

नहीं देने दिया जाता है, पोलिंग स्टेशन पर जाने नहीं दिया जाता है, उसको वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाता है, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं ?

यह तो राजनीतिक अत्याचार हुआ, लेकिन इसके साथ आर्थिक अत्याचार भी कम नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने उनके लिए बहुत से कार्यक्रमों के अन्तर्गत बहुत सी सुविधायें दी हैं। भूमिसुधार से लाभ पहुंचाया गया है। जगह-जगह जो सीलिंग से जमीनें निकाली हैं, ग्राम-समाज की जमीनों के पट्टे हरिजन लोगों को, आदिवासी लोगों को खेती के लिए बांटे गए हैं। उनमें इन जमीनों को आबंटित किया गया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी जमीनों पर उनको कब्जा मिला है ? शायद एक भी जमीन पर उनको कब्जा नहीं मिल पाया है । जगह-जगह बड़े-बड़े आदमी जबरदस्ती कब्जा किए हुए बैठे हैं। सरकारी मशीनरी कब्जा छुड़ाकर हरिजनों को जमीन दिलवाने में कामयाब साबित नहीं हो पायी है । कहीं-कहीं पर अदालतों से स्टे-आर्डर आए हुए हैं। इस बारे में कितनी बार इस सदन में कहा गया है, इसके लिए आपको कानून बनाना चाहिए कि इस प्रकार का आबंटन करने वालों के खिलाफ अदालतों में मामले न जा सकें, लेकिन ऐसा कोई कानून अभी तक नहीं आया है।

मैं आपको अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं। सैकड़ों चिट्ठियां हर महीने में जिला प्रशासन को लिखता हूं कि फलां जमीन पर हरिजन को कब्जा नहीं मिल पाया है उसे कब्जा दे दिया जाए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। यह आपने जो मशीनरी प्रशासन की, शासन की बना रखी है, जब तक यह प्रभावकारी तरीके से दखलनदाजी नहीं करेगी, फेर-बदल नहीं करेगी, तब तक यह अत्याचार कम नहीं होगा। अभी एक माननीय सदस्य मिसाल दे रहे हैं, फलां सिंह और वह सिंह—जब यह जातिवाद की बात चलती रहेगी, तो यह हरिजन तो बेचारा तो अलग रहेगा, दूर रहेगा, और जो स्वर्ण जाति के लोग कहे जाते हैं—ब्राह्मण, अहीर, मुसलमान—इस प्रकार की भावनायें फैलायेंगे और जब तक यह मनोवृत्ति इस देश में काम करती रहेगी, तब तक हरिजनों पर, आदिवासियों पर अत्याचारों की घटनायें कम नहीं होंगी। अब हरिजन जाग गया है, आदिवासी आज जाग गया है, अब वह अपने को पहचानता है और जानता है कि उसके क्या अधिकार हैं और समाज में वह इज्जत के साथ कैसे जी सकता है ।

आज बहुत से एन्टी पावर्टी कार्यक्रम हैं और उनका कुछ लाभ उनको पहुंचा है और कुछ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं और उनमें कुछ सम्पन्नता भी आई है और आज उनके अन्दर मुकाबला करने की हिम्मत आई है। इसलिए भी ये घटनाएं बढ़ रही हैं, इनमें वृद्धि हो रही है। आज वे डरने को तैयार नहीं हैं और आज वे लड़ने को तैयार हैं। आज अगर कोई उनको कुछ कहता है तो वे चुप नहीं हो जाते और आज जवाब देने को तैयार हैं। इसलिए उनकी रक्षा करनी चाहिए और इस प्रकार की व्यवस्था कायम की जानी चाहिए सरकार के द्वारा कि उनके अन्दर विश्वास पैदा हो और कार्यक्रमों का उनको पूरा लाभ मिले।

मुझे खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने दौरे शुरु किये हैं और वे आदिवासी इलाकों में जा रहे हैं और वहां जा कर देख रहे हैं कि जो सरकारी कार्यक्रम हैं, उनका लाभ उनको पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है और वे किस तरह रहते हैं और किस तरह गरीबी में जीवन विताते हैं। वे उड़ीसा गये, राजस्थान गये और मध्य प्रदेश गये। और प्रदेशों में भी वे जायेंगे और मैं समझता हूं

कि वे आदिवासी इलाकों की तरह हरिजन इलाकों में भी जायेंगे। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है और जिस बात के लिए हम पिछले पांच सालों से कह रहे थे कि आई० आर० डी० पी० का लाभ ठीक प्रकार से गरीबों को नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने इस बात को सदन में भी स्वीकार किया है और बाहर भी स्वीकार किया है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : हरिजन इलाकों में भी प्रधान मंत्री जी गये हैं।

श्री जैनुल बशर : जी, हां। यह कहा जाता है कि जो बातें माननीय सदन में कही जाती हैं, वे सरकार के कान में नहीं बैठती और सरकार के लोग उन जगहों में जा कर अपनी आंखों से उन चीजों को नहीं देखते। इसलिए अगर हमारी श्रीमती राम दुलारी सिन्हा आंध्र प्रदेश चली गईं, तो उन्होंने एक अच्छा काम किया है। वे खुद वहां देखने गईं कि किस प्रकार का अत्याचार हुआ है और किस प्रकार से उनके खिलाफ ज्यादती हुई है। अगर वे सरकारी गाड़ी में नहीं गईं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वे प्राइवेट कार में बैठ कर गईं और अगर सरकारी गाड़ी में बैठ कर जातीं, तो भी मिनिस्टर रहतीं और उसमें कोई फर्क न पड़ता। इसलिए आंध्र प्रदेश के दोस्तों को उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं यह समझता हूं कि हमारी मंत्री जी अगर सरकारी गाड़ी में चली जातीं तो कोई हर्ज नहीं था।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : कोई लेने नहीं आया। न तो हैदराबाद एयरपोर्ट पर और न विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर कोई मिनिस्टिर रिसीव करने नहीं आया।

श्री सी० माधव रेड्डी : यह सही नहीं है। मिनिस्टरों को इन्फोर्म नहीं किया और न कोई प्रोग्राम भेजा।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : सारे प्रोग्राम स्टेट गवर्नमैंट को जाते हैं।

श्री जैनुल बशर : अन्त में मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों और आदिवासी लोगों को जो सुविधाएं सरकार दे रही है, प्रभावकारी तरीके से उस पर अमल किया जाना चाहिए। जब वे सुविधाएं उन तक ठीक प्रकार से पहुंचेंगीं, तभी उनमें आर्थिक सम्पन्नता आएगी और वे समाज के और लोगों के बराबर आने में सक्षम होंगे। इसमें दो राय नहीं है कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा जन समूह हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचारों के विरुद्ध है और बहुत थोड़े से लोग ऐसे हैं, जिनकी मनोवृत्ति खराब है और उन थोड़े से लोगों पर काबू पाया जा सकता है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि चुनाव के कानून में संशोधन होना चाहिए क्योंकि आज बहुत बड़ी संख्या में हरिजन पोलिंग स्टेशनों पर अपना वोट डालने नहीं पहुंच पाते हैं और इस तरह से जो यह राजनीतिक अत्याचार हो रहा है, इसको दूर किया जाना चाहिए। हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचारों के विषय में बहस करते-करते हम थक गये हैं और इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि इस सदन में फिर इस पर बहस करने की जरूरत न पड़े।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, आज फिर हरिजन और आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों की इस हाऊस में चर्चा हो रही है। आजादी के 37-38 सालों के बाद भी देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। यह हाऊस इन घटनाओं की भर्त्सना करता है।

जब देश आजाद हुआ था तो सब लोगों ने, जितने भी हमारे नेता थे, उन सभी ने यह कहा था कि हम देश के सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे। आज ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये इसलिए हो रही हैं कि कांग्रेस पार्टी ने लोगों को जगाया है। जब लोग जागते हैं, उनको उनके अधिकार मिलते हैं तो दूसरे जो लोग हैं, जो शासन करते हैं, चाहें वे अमीर लोग हों, चाहे वे किसी और चीज में विश्वास रखते हों, उनको कहीं-न-कहीं इससे कुछ तक्लीफ होती है। जिस दिन उनकी तक्लीफ खत्म हो जाएगी, जिस दिन विचारों की जो लड़ाई है वह मिट जाएगी, उस दिन से ये घटनाएं नहीं होंगी।

आज गुजरात के अन्दर कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन खत्म करो रोस्टर खत्म करो। वे लोग यह नारा लगा रहे हैं। जब इस सारे हाऊस ने, इस संसद् ने यह कानून बनाया है कि जब तक ये हरिजन और आदिवासी सब लोगों के बराबर नहीं आ जाते तब तक यह रिजर्वेशन रहेगा तो फिर ये बातें क्यों हो रही हैं। हमारे जो अपोजिशन के भाई हैं वे हाऊस के अन्दर कुछ बोलते हैं और हाऊस के बाहर क्या बोलते हैं। हमें उन पर कंट्रोल करना होगा। आज राज्य सरकार उनसे बात कर रही हैं जो ये कहते हैं रोस्टर खत्म करो। यह बात वह क्यों कर रही है? यह बात उस राज्य में चल रही है जहां सर्वोदय आन्दोलन चला, जहां महात्मा गांधी ने अपनी सारी जान खपा दी। वहां यह बात की जा रही है। चाहिए तो यह था कि ऐसे लोगों से हम बात नहीं करते।

देश के अन्दर जो प्रजातंत्र है वह हरिजन और आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्र की एकता और अखंडता हरिजन और आदिवासियों से जुड़ी हुई है। उनके खून-खून में प्रजातंत्र है, उनके खून-खून में भारत के प्रति वफादारी है। आज उन पर अत्याचार हो रहे हैं।

मुझे खुशी है कि हमारे भारत के प्रधान मंत्री आदिवासी इलाकों में गये, हरिजनों की झोंपड़ियों में गये। उन्होंने हरिजनों की झोंपड़ियां में जाकर उनसे पूछा कि उन्हें खाना पहुँच रहा है या नहीं, उनके मवेशियों के लिए उनके पास चारा है या नहीं। पहली बार इस देश का प्रधान मंत्री उन लोगों की झोंपड़ियों में पहुंचा है और उसने जा कर यह देखा है कि उनके लिए सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं उन पर कितना काम हुआ है। उन्होंने वहां जा कर कहा कि जिन लोगों ने काम नहीं किया है, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और उन्होंने एक्शन लिया। बीस सूत्री कार्यक्रम बनाया गया, आई० आर० डी० पी० के अन्तर्गत उन लोगों के लिए योजना बनायी गई जिनसे कि उन लोगों का लाभ मिले।

मैं राजनीति के झगड़े में नहीं जाना चाहता। आंध्र के बारे में कहा गया। हमारे एक भाई ने यह कहा कि आंध्र में सारी की सारी सीटों पर उनकी पार्टी के हरिजन भाई जीत कर आये हैं। अगर ऐसा है तो आंध्र में किसी हरिजन को चीफ मिनिस्टर बनाइये और उनको पावर दीजिए। मगर वह तो आप करेंगे नहीं, यहां कहने को कुछ भी कह देंगे।

हरिजनों और आदिवासियों पर जो घटनाएं हो रही हैं वे क्यों हो रही हैं? ये घटनाएं मुख्य रूप से गांवों के अन्दर ही होती हैं। मैं किसी जाति-विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूं।

वहां ये घटनाएं इसलिए होती हैं कि वहां हरिजन, आदिवासियों के पास पोलिटिकल पावर नहीं है। जब तक आप उन्हें पोलिटिकल पावर नहीं देंगे तब तक ये घटनाएं कम नहीं होंगी। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर कोई सरकारी अधिकारी दूसरी कास्ट की मदद नहीं करे और हरिजन और आदिवासी की नियम और कायदे के अनुसार मदद करे तो ये घटनाएं खत्म हो जाएंगी। हमको वैसे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने अधिकारियों से कहें कि वे हमको दबाएं नहीं। जब वे हमको दवाना छोड़ देंगे, उसी दिन से हम लोगों पर ये घटनाएं होनी बंद हो जाएंगी। आज गांव का आदमी पढ़ा-लिखा है, जागरुक है। आपने हमारे लिए बहुत सारे कानून बनाये, हमें जमीन के पट्टे भी दिये लेकिन किसी हरिजन और आदिवासी भाई ने जमीन का टुकड़ा नहीं देखा। जब वे लेने जाते हैं तो गांव का मुखिया बंदूक लेकर खड़ा हो जाता है। उसकी बंदूक छीन ली गई तो मैं समझता हूं कि हरिजन-आदिवासी ताकतवर हो जाएगा, जागरुक हो जाएगा और श्रीमती गांधी का बीस सूत्रीय कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। उन पर दबाव डाला जाता है और वोट देने की बात जो की गई वह यू०पी० में हो सकती है, लेकिन मेरी कांस्टीट्वेंसी में एशिया का सबसे क्रांतिकारी और जागरूक आदिवासी रहता है। अगर उनकी औरत और जमीन को कोई लेता है तो सबसे पहले तीर-कमान लेकर उसको खत्म करने के लिए चल देता है, मगर उसको भी थानेदार दबाता है। अगर थानेदार उसको मदद कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह से जो जमीन के झगड़े हैं या दूसरे प्रोग्राम हैं, उन सबको पूरा करने के लिए आप किस तरह के लोगों को वहां पर भेजते हैं। चाहे हरिजन जिला हो या आदिवासी जिला हो, सबसे कंडम अधिकारी उस जिले में भेजे जाते हैं। आप उन लोगों को चुनिए जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जो अधिकारी गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, उनको वहां पर भेजिए। महात्मा गांधी जब भी कहीं जाते थे तो सबसे पहले हरिजन की झोंपड़ी में जाकर रहते थे। इस भावना के अधिकारियों को उन जिलों में भेजिए, तभी उनका कुछ कल्याण हो सकता है।

उपाध्याक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस राष्ट्रव्यापी समस्या पर चर्चा हो रही है और इस पर सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार दिए। कुछ अच्छे विचार भी आए और कुछ पार्टी क्रिटीसिज्म की बात भी कही गई। मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक पार्टियों का ताल्लुक है, उसको किनारे रख देना चाहिए, इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं होना चाहिए। हमें उन आदर्शों को लेना है जिनसे इंसानियत कायम रहे। हिन्दुस्तान के अंदर आज जो अत्याचार हो रहे हैं वे किन लोगों पर हो रहे हैं? चाहे सर्विस में देख लीजिए, चाहे पब्लिक अंडरटेकिंग्स में देख लीजिए, हिन्दुस्तान में कहीं भी किसी भी सर्विस में लगे हुए हों, कहीं भी हरिजन को पूरी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप उनको पूरी सुरक्षा प्रदान नहीं करते तब तक वे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम इस देश को दिया, लेकिन उसमें क्या हुआ? इमरजेंसी के समय में जिनकी जमीन पर कब्जा मिल गया, उनको मिल गया, उसके बाद उनके ऊपर अत्याचार का बोलवाला हो गया। यह किसी एक राज्य की बात नहीं है बल्कि हर राज्य की बात है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने आदिवासियों की मुश्किलात को समझने के लिए जो कदम उठाए हैं, वे बहुत अच्छे हैं और उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं और इस चीज को अन्य मंत्रियों को और राज्य में बैठे मंत्रियों को भी अपनाना चाहिए। वे हरिजन-आदिवासियों की बस्ती में जाकर देखें। उनके लिए

[श्री के० डी० सुल्तानपुरी]

शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है। आज जो कंपीटीशन होता है उसमें शहर और गांव के बच्चे बैठते हैं, लेकिन गांव के बच्चे उसमें नहीं आ पाते, चाहे वे राजपूत के बच्चे हों या ब्राह्मण के या और किसी जाति के, वे सबसे पीछे रह जाते हैं और कहीं कंपीटीशन में हमारे बच्चे नहीं आ पाते, बैंकों के कंपीटीशन में भी नहीं आ पाते। आज ब्यूरोक्रेट्स सब जगह छाए हुए हैं, हमारे मंत्री महोदय भी वही जवाब देते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स लिख कर दे देते हैं। उनको अपने ढंग से सारी जांच करनी चाहिए। चाहे आंध्र प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश हो, आज जब कोई सदस्य अपने क्षेत्र में जाता है तो उसके सामने यही बात आती है कि वहां पर हरिजन-आदिवासियों के काम नहीं हो रहे हैं। हमारे अधिकार में कुछ नहीं है। आज हम सारे देश में देखते हैं कि जहां-जहां भी हरिजन-आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन रखा गया है 15 फीसदी या22 फीसदी, वहां पर उनको नहीं रखा जाता है, कह दिया जाता है कि क्वालिफाई नहीं किया है, क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन स्वीपरों की अगर जगहें होंगी तो वहां पर सारे पद उन्हीं के द्वारा भरे हुए पाए जाएंगे। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इस बात की जांच करें कि जो भी आप हुक्म देते हैं, जो चिट्ठियां राज्य सरकारों को लिखते हैं, उन पर कार्यवाही होती है या नहीं। इस चीज को पहले आपको देखना चाहिए कि उन पर हिन्दुस्तान के अन्दर किस तरह से कार्यवाही हो रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश या अन्य मैदानी क्षेत्रों में अत्याचार बहुत होते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर इन्सान इन्सानियत को कायम रखे तो कोई झगड़ा नहीं हो सकता है। जबसे हमारी प्रधान मंत्री जी ने जमीन बांटना व अन्य कार्यक्रम शुरु किए और बैंक नेशनेलाइजेशन किए तथा गरीब लोगों के लिए यह प्रावधान किया कि उनको पैसे मिले तब से ये अत्याचार शुरु हुए। हमारे एक साथी ने कहा कि हर जिले में एक जिलाधीश होना चाहिए जो कम से कम हरिजन और आदिवासियों की हिफाजत करे। आज यह होता है कि किसी आफिसर को पनिशमेंट देना हो तो उसको हरिजन तथा आदिवासियों की सेवा करने के लिए भेज दिया जाता है। वह लोगों को भड़काता है जिससे उसका ट्रान्सफर हो जाए। जब तक राज्य सरकारें आपकी हिदायतों को इम्पलीमेंट नहीं करेंगी तब तक नौकरियों में भी हरिजनों के लिए आना मुश्किल रहेगा। अगर कोई राज्य सरकार इम्पलीमेंटेशन का काम नहीं करती है तो आपको मुख्य मत्रियों की एक बैठक बुलानी चाहिए। जब मंत्री पद पर होते हैं तो हरिजनों की याद नहीं आती लेकिन मंत्री पद से हटने के बाद हरिजनों की याद आती है। आई०ए०एस० आफिसरों ने ऐसा कैडर बना लिया है जिससे कि उन्हीं के रिश्तेदार नौकरियों में भर जाते हैं, हरिजनों को कोई नहीं पूछता है क्योंकि वे कंपीटीशिन् में भी नहीं आ पाते। एम्पलायमेंट एक्सचेंज से भी हरिजनों को कार्ड इश्यू नहीं होता। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर ईमानदारी के साथ राष्ट्र को एक मार्गदर्शन देना है तो हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। हमारे विद्वान साथी यहां पर बहुत क्रिटीसाइज करते हैं। आन्ध्रा की सरकार या हमारी सरकार गोली चलाने के लिए नहीं कहती है। यहां पर यह कहा गया कि मंत्री जी वहां पर गईं। वे राष्ट्र की मंत्री है और हर जगह जा सकती हैं। उनको गरीबों की बात को सुनना पड़ता है। हमारे प्रधान मंत्री जी भी जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एम० पीज० को भी जाना चाहिए। मैं प्रधान मंत्री जी से यह कहना चाहूँगा कि पार्लियामेंट के मैम्बर भी जाएं और आपको रिपोर्ट दें कि किस प्रकार हरिजनों पर ज्यादती हो रही है और प्रधान मंत्री जी के जो प्रोग्राम हैं उनको ब्यूरोक्रेट्स इम्पलीमेंट कर रहे हैं या नहीं। हमारे प्रधान मत्री जी विपक्ष की बातों को भी मानते हैं। उनकी पूरी बात मानी जाती है। विपक्ष का भी फर्ज

है कि वह सरकार को सहयोग दे कि हमें इकट्ठे होकर इस देश को आगे ले जाना है और अत्याचारों को खत्म करना है। एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहेंगे तो यह राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकेगा। हर महीने में एक प्रोग्राम बनाया जाए कि हमें गरीब आदमी का भला करना है। इससे उन आफिसर्स का भी पता रहेगा जो इस काम के लिए लगाए गए हैं कि उन्होंने कितना काम किया है। जिलाधीश के साथ न मिल जाएं कि तुम्हारा ट्रांसफर रुकवा देंगे या कोई और काम करवा देंगे। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारे आफिसर्स हैं उनकी देखभाल करना भी हमारा फर्ज है। जितने ये आई०ए०एस० आफिसर हैं उन्होंने हमारा काम खराब करके रख दिया है, हमारे देश को खराब कर दिया है और आपस में लड़ाई पैदा कर दी है। वैसे तो ब्रिटिश जमाने में भी ये लोग थे लेकिन अब वह समय आ गया है जब हमें इस पद्धति पर फिर से विचार करना होगा और बदलना होगा। इनके विचार को बदलना होगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, पद्धति में सुधार नहीं लायेंगे, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता।

इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आन्ध्र प्रदेश में कहीं हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं, एट्रीसिटीज हुई हैं, वे अत्याचार वहां आगे न होने दें, इस तरह की व्यवस्था हमें करनी चाहिए, तभी हमारी इज्जत बढ़ेगी। चाहे मध्य प्रदेश का सवाल हो या उत्तर प्रदेश का हो, सभी जगह हम एट्रोसिटीज को बंद करने का प्रयत्न करें। जब हमारे होम मिनिस्टर साहब इस बहस का उत्तर देंगे, वे इस समस्या का कोई समाधान अपने उत्तर में ढूंढ़ कर बतायेंगे और लोगों को ठीक जिन्दगी बसर करने का अवसर देंगे, ऐसी मैं उनसे आशा करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री किशोर चन्द्र देव।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। मेरे विचार से सभा का कोरम पूरा नहीं है। इस चर्चा को हम कल जारी रखें।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से कोरम पूरा है।

श्री पीयूष तिरकी : अत्याचारों के बारे में सुनने के लिए यहां अनेक माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। यहां बोलने का क्या लाभ होगा ?

एक माननीय सदस्य : मंत्रियों में भी केवल एक मंत्री यहां उपस्थित हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : हम जैसे व्यक्तिओं को छोड़कर, जिन्हें बोलना है, वे सभी यहां उपस्थित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : तीन मंत्री भी हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : किन्तु गृह मन्त्री यहां मौजूद नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह यहां हैं। गृह मंत्री यहां हैं। श्री किशोर चन्द्र देव, आप भाषण आरम्भ कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : हम लोगों पर आठ बजे तक अत्याचार होता रहेगा।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, जब मुझे बोलने का अवसर मिला है तो मैं इतना अवश्य कहूंगा कि यह शर्म की बात है कि इस सम्माननीय सदन में

[श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव]

इस प्रकार की बातों पर पुनः चर्चा करने की आवश्यकता पड़ गई है। इससे पहले भी, पिछली लोक सभाओं में भी इस सदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा हरिजनों पर किये गये अत्याचारों के विषय में अनेक बार चर्चा की जा चुकी है। सदन के सभी पक्षों के अनेक सदस्य इस विषय पर अपनी राय दे चुके हैं। अनेक मंत्री, एक के बाद उत्तरोत्तर सत्तारुढ़ होने वाले गृह मंत्री अनेक बार आश्वासन दे चुके हैं।

श्री पीयूष तिरकी : महोदय, उनके बाद मुझे बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : विभिन्न गृह मन्त्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों तथा इस सदन के सभी पक्षों के सदस्यों द्वारा अपने-अपने विचार व्यक्त किये जाने के बावजूद देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की घटनायें यदा-कदा छुट-पुट में नहीं अपितु आये दिन बहुतायत से घटती रहती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन शोषित वर्ग और समाज के अन्य वर्ग के लोगों के बीच बराबर असमानता बनी हुई है और कमजोर वर्गों पर अत्याचार किये जाने का यही प्रमुख कारण है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और इन पहलुओं पर अनेक सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। किन्तु इन आर्थिक कारणों के अलावा, मैं इस सम्माननीय सदन के समक्ष यह विचार प्रकट करना चाहता हूं कि जो घटनायें घटती रही हैं उनके पीछे राज-नैतिक कारण भी रहा है। दूसरे पक्ष के अनेक सदस्यों ने भी इस बात का उल्लेख किया है तथा उन्होंने दिवंगत श्रीमती इन्दिरा गांधी को हरिजनों तथा कमजोर वर्गों का समर्थक बताया है। श्रीमती गाँधी अनेक वर्ष पर्यन्त सत्तारूढ़ रही थीं। फिर भी हरिजनों और कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति यथावत रही है? बल्कि बद से बदतर हो गई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी बातें कहने से पहले सदस्यों को कम से कम सोचना तो चाहिये।

वे लोग आन्ध्र प्रदेश की बात करते हैं और वर्तमान सरकार पर दोषारोपण करते हैं। क्या उन्हें मालूम है कि यह सरकार 1983 में सत्ता में आई थी? यदि उनका उद्धार करने के लिए इन्दिरा गांधी थीं तो उन्होंने उनका कितना उद्धार किया?

महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हरिजनों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के विकास के लिए देश के विभिन्न भागों में तथा मेरे राज्य में भी बहुत अधिक धन व्यय किया गया है। किन्तु वह धन कहां गया? क्या इससे उनको वास्तव में कोई लाभ हुआ है? करोड़ों रुपया व्यय किया गया, विशेष परियोजनायें चलाई गईं, अनेक तेजस्वी व्यक्तियों, अति विशिष्ठ व्यक्तियों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों और मंत्रियों ने इन स्थानों का दौरा किया। किन्तु इससे लाभ अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के लोगों को नहीं हुआ। मैं ऐसा इसलिये कह सकता हूं क्योंकि मैं अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और मुझे पता है कि इन क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में भेजे गये समस्त धन का क्या हुआ। माननीय सदस्यगण चाहे कुछ भी महसूस करते हों और कुछ भी कहते हों, सामान्य धारणा यह है कि यह किसी एक सदस्य का आपकी अथवा मेरी या किसी राज्य की विधान सभा के किसी सदस्य की चिंता का विषय ही नहीं है अपितु पूरे राष्ट्र की चिंता का विषय है। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के मामले पर यह सम्माननीय सदन एक मत होकर विचार करेगी।

दूसरे पक्ष के सदस्यों की ओर से कुछ और हवाले भी दिये गये थे। विभिन्न राज्यों में किये गये अनेक अत्याचारों की कुछ घटनायें निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की प्रधानता है। इसलिये यदि वे लोग हरिजनों पर कोई अत्याचार करते हैं तो न्यायिक जाँच का कोई आदेश नहीं दिया जायगा। वहां कोई मंत्री नहीं जाता और न कोई कार्यवाही की जाती है। कहीं-कहीं पर भूमिहार भी अत्याचार करते हैं किन्तु उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। किन्तु यदि आंध्र प्रदेश या कर्नाटक में कोई घटना घट जाती है तो आप सभी वहाँ दौड़कर पहुंच जाते हैं इस तरह के दोहरे मानदण्ड से कोई लाभ होने वाला नहीं है। श्रीमती गाँधी अब जीवित नहीं हैं किन्तु वर्तमान सरकार कुछ मामलों में उनका ही अनुसरण कर रही है।

इस सरकार की प्रक्रिया ही यह रही है उच्च जाति के व्यक्तियों को शक्ति प्रदान करना, व्यापारी वर्ग से धन प्राप्त करना और निम्न जाति के लोगों से वोट प्राप्त करना। अब कुछ मामूली-सा परिवर्तन आया है। व्यापारी वर्ग का स्थान बहुराष्ट्रिक कम्पनियों ने ले लिया है। इसलिये सामान्य गुणवत्ता में मामूली-सा परिवर्तन हुआ है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप हर समय देश वासियों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आप कुछ समय के लिये उन्हें थोड़ा-सा बेवकूफ बना सकते हैं। किन्तु आप हमेशा हर व्यक्ति के लिये ऐसा नहीं कर सकते हैं। संक्षेप में कहा जाये तो यही हो रहा है। मैं किसी पर आक्षेप लगाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं अपितु मैं वही बात कह रहा हूं जो मैं आमतौर पर महसूस करता हूं।

सत्तारूढ़ दल के सदस्यों का कहना है कि गृह मन्त्री के किसी राज्य में जाने में कोई बुराई नहीं है? वास्तव में इसमें कोई बुराई है भी नहीं। हममें से किसी ने यह नहीं कहा है कि किसी मुसीबत के समय में किसी राज्य का, गृह मन्त्री या गृह राज्य मन्त्री द्वारा दौरा किए जाने में कोई बुराई है। किन्तु जिस प्रकार से यह दौरा किया गया था उससे हमें निश्चित रूप से यह सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि वह केवल राजनैतिक कारणों से किया गया था।

वस्तुतः मन्त्री महोदया किसी की भी मोटर कार में, चाहे वह किसी ठेकेदार की हो अथवा गैर-सरकारी व्यक्ति की या राज्य सरकार की हो, दौरा करने के लिए स्वतन्त्र हैं। उन्होंने यह कहा था कि उनका स्वागत करने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं था। इस मामले के बारे में मुझे जानकारी मिल गई है। मैंने इस बात की पुष्टि न केवल तेलुगु देशम् पार्टी के सदस्यों से की है अपितु राज्य में उपलब्ध अन्य स्रोतों से भी कर ली है कि मन्त्री महोदया का स्वागत करने के लिये एक सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। किन्तु उन्होंने किसी ठेकेदार की कार में जाना पसंद किया। यदि इस देश का संचालन किसी ऐसे दल द्वारा किया जायगा जो ठेकेदारों के हाथ की कठपुतली है तो इस देश की रक्षा भगवान भी नहीं कर सकता है। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे। उस स्थान पर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि वह मुख्य मन्त्री को हटवा कर रहेंगी और वह इस मामले में हस्तक्षेप करेंगी। महोदया, मैं भी आपके समान ही राजनीति का छात्र रहा हूं। संघीय राज्य व्यवस्था के मूल भूत मानदण्डों अथवा सिद्धान्तों से परिचित हूं। किन्तु उसकी भी एक सीमा होती है। किसी समय यदि कानून और व्यवस्था बनाये रखने की बात आती है, तो आप कहते हैं कि यह राज्य का विषय है। इस तरह के मामलों में, जब वातावरण आपके अनुकूल होता है तो आप वहाँ सीधी पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि, "मैं मुख्य मन्त्री को दल-बल सहित निकलवा दूंगी।" उन्होंने मुख्य मन्त्री पर यहां तक आरोप लगाया कि मुख्य मन्त्री को संविधान के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस तरह के मामले में इस प्रकार के अभद्र आरोप लगाने से क्या

[श्री वी० किशोर चन्द्र एस०देव]

उसका राजनैतिक लाभ उठाने से स्थिति और भी बिगड़ेगी और समाज में और अधिक तनाव बढ़ेगा । गृह राज्य मन्त्री ने यहां तक कह दिया कि चूंकि मुख्य मन्त्री कम्मा जाति के हैं और इस मामले में जिन लोगों का हाथ है वे भी कम्मा जाति के हैं, इसीलिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई । तब उन्होंने इस आशा से कि कोई न कोई परिणाम निकल आयेगा, न्यायिक जांच क्यों करवाई थी ? चाहे वे लोग कम्मा हों अथवा रेड्डी अथवा किसी और जाति के, उन्हें अवश्य ही सजा मिलनी चाहिए अथवा यदि आपके विचार से कहीं कुछ गड़बड़ है तो आप अपनी जांच कराइये और सिद्ध कीजिये कि जो कुछ भी किया गया है वह किसी जातीय विद्वेष के आधार पर किया गया है । राजनैतिक लाभ उठाने के लिए केवल झूठे आरोप लगाने को मैं बहुत ही घृणित अपराध समझता हूं । यह अत्याचारों से अधिक कुत्सित है । ऐसा साम्प्रदायिक दंगों को भड़काने के लिए किया जा रहा है । मुझे नहीं मालूम कि क्या वह वहां समस्या का अध्ययन करने तथा समाधान ढूंढने गई हैं, अथवा आग में घी डालने अथवा घाव पर नमक छिड़कने के लिए वहां गई हैं । मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है । मैं राज्यवार मामले नहीं उठाना चाहता हूं किन्तु बिहार में जैसाकि जनता दल के मेरे मित्र ने भी उल्लेख किया, जब एक गांव में जनजातीय लोग मछलियां पकड़ने गए थे तो कुछ लोग, जो उनके विरुद्ध थे, एक पुलिस दल लेकर आए और उन्होंने गोलियां भी चलायीं — माननीय मन्त्री को इस बात का ज्ञान होगा—और तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई । इन पुलिस अधिकारियों को हिरासत में लिए जाने के बदले जो जनजातीय लोगों के विरुद्ध उन लोगों के साथ साठ-गांठ कर रहे थे, जनजातीय लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया । क्या बिहार में एन० टी० रामा राव का शासन है ? आप विभिन्न राज्यों में अपनी सुविधा अनुसार विभिन्न मापदण्ड निर्धारित नहीं कर सकते हैं । इस प्रकार की राजनीति से वास्तव में देश का पतन हुआ है और हमें इस स्थिति तक पहुंचाया है । मैं आपसे कह सकता हूं कि चाहे यह हरिजनों पर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अथवा कमजोर वर्गों पर अत्याचार हो, अधिकतर मामलों में इसके पीछे किसी का हाथ रहा है, मेरा मतलब इसके पीछे किसी प्रकार का राजनीतिक प्रोत्साहन काम करता रहा है । आप कई मामलों का अध्ययन कर सकते हैं और इन सबमें यही दिखाई देगा । अतः मैं माननीय मन्त्री से, जब वह कल उत्तर देंगे जानना चाहूंगा, कि पिछले पांच वर्षों में इस प्रकार के कितने मामले हुए, कितने मामलों में उन्होंने मुकदमा चलाया और कितने लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें दण्ड दिया, और कितने मामलों में जहां जांच हो रही थी, उस जांच को समाप्त कर दिया गया । इस प्रकार हुई नृशंहताओं के लिए कौन जिम्मेदार थे । मैं प्रत्येक मामले का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि इनकी संख्या बहुत होगी और मैं सभी को याद भी नहीं रख सकता । किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि उन आयोगों का क्या हुआ जिनका गठन पिछले पांच वर्षों में इस प्रकार के मामलों के सम्बन्ध में किया गया था । इस प्रकार कार्य हो रहा है । मैं यहां तेलुगु देशम दल अथवा कांग्रेस (ई) दल का समर्थन नहीं कर रहा हूं । मेरा इन दोनों में से किसी के साथ भी सम्बन्ध नहीं है । किन्तु मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि चाहे यह जनता पार्टी हो अथवा कोई अन्य दल हो इस प्रकार की दिखावटी सहानुभूति प्रकट करने से, संसद में आना और विभिन्न प्रकार के आंकड़ों अथवा एक-दूसरे पर आरोप लगाने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है । सबसे पहले आपको निश्चित करना चाहिए कि आप इस प्रकार की स्थिति से कोई राजनैतिक लाभ नहीं उठाएंगे । यह एक ऐसा

सिद्धान्त है, जिसे आप निःसन्देह किसी विधेयक द्वारा स्थापित नहीं कर सकते हैं, यह केवल प्रथा से हो सकते हैं। जब तक आप अपने मन के प्रेरणा से ऐसी स्थितियों में हस्तक्षेप करने से परहेज नहीं करेंगे, इस प्रकार की स्थिति अवश्य उत्पन्न होती रहेगी। निःसन्देह इन सभी के पीछे मुख्य बात तो आर्थिक पहलू है, और मुझे विश्वास है, कि कमजोर वर्गों में, हरिजनों में, अनुसूचित जन-जातियों में समृद्धि आने तथा जीवन-स्तर ऊंचा उठने से ऐसी घटनाओं में भी स्वतः ही कमी हो जाएगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को लाइसेंस न देने के सम्बन्ध में चर्चा की है। मैं यह नहीं पूछूंगा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों को लाइसेंस क्यों नहीं दिए गए, किन्तु मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि कितने मामलों में उन लोगों से शस्त्र छीन लिए गए जिन्होंने इनका प्रयोग अनुसूचित जातियों, अथवा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अथवा कमजोर वर्गों के विरुद्ध किया अथवा उन व्यक्तियों से जो संदिग्ध थे अथवा उन लोगों से जो ऐसे मामलों से संबद्ध थे। मैं उच्च वर्ग के उन लोगों से मैं उन शस्त्रों की संख्या, मामलों की संख्या, जब्त की गई लाइसेंसों की संख्या, पकड़े गए शस्त्रों की संख्या जानना चाहता हूं जो उच्च वर्ग के उन लोगों से पकड़े गए हैं जो इस प्रकार की गति-विधियों में भाग लेते थे। बस मुझे इतना ही कहना था। किन्तु मैं अपने पूछे हुए मुद्दों का गृह मन्त्री द्वारा उत्तर दिए जाने की अपेक्षा करूंगा। निःसन्देह वह यहां नहीं हैं, किन्तु मेरा विचार है कि राज्य मन्त्री ने सही सही वह प्रश्न नोट किए हैं जो मैंने पूछे हैं। मैं गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री से एक स्पष्टीकरण की भी मांग करता हूं क्योंकि मेरा यह आरोप है कि वह उन कारणों से जिनका उल्लेख मैंने पहले ही किया है वह वहां राजनैतिक लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करने के लिए गयी थीं। यदि उन्होंने मेरी बातें सुनी हैं तो वह इसका स्पष्टीकरण दे देंगी।

श्री सलीम आई० शेरवानी (बदायूं) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा में भाग लेने का एक अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ऐसी घटनाएं देश के अधिक भागों में हो रही हैं। जो कुछ मैं स्वयं महसूस करता हूं उसे मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् गत 38 वर्षों के भारत ने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में भारी प्रगति की है किंतु एक क्षेत्र में हमने कोई विशेष उन्नति नहीं देखी है और वह है मानव संबंध। हर समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों पर होने वाले अत्याचारों के विषय में हम पढ़ते और सुनते रहते हैं। यह वह देश है जहां महात्मा गांधी ने प्यार तथा सहनशीलता का सन्देश दिया। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस देश की प्रगति तथा समृद्धि के लिए कार्य किया। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस देश की एकता के लिए अपना जीवन दे दिया, किन्तु अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज के कमजोर वर्गों, अनु-सूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग करके भारत की प्रगति की गति को अस्थिर करने का प्रयत्न करते हैं। हाल ही में मैं बदायूं में था और एक ऐसा मामला मेरे ध्यान में लाया गया जिसमें एक हरिजन अपने घर जाते हुए किसी के खेत में से होकर निकल गया। वह खेत अभी जोता भी नहीं गया था और उस हरिजन की बेदर्दी से पिटायी की गई थी। सौभाग्यवश मैं वहीं पर था और मैंने इस घटना की बात पुलिस अधिक्षक को बतायी, और मुझे प्रसन्नता है कि तुरंत कार्रवाई की गई। किन्तु ऐसे कितने मामलों के विषय में रिपोर्ट की जाती

[श्री सलीम आई० शेरवानी]

है ? डर के मारे बहुत से मामलों के संबंध में रिपोर्ट ही नहीं लिखाई जाती। किसी भी सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वह ईमान्दारी, सचाई, निर्भयता तथा क्षमाशीलता का वातावरण पैदा करें। हमारे लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि हम हो रही दुर्घटनाओं की संख्या का रिकार्ड रखें, किंतु इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि हम उन मामलों में की गई कार्यवाही तथा उन अपराधों के लिए दण्डित व्यक्तियों की संख्या का एक लेखा तैयार करें। 5 अगस्त, 1983 को राज्य सभा में वाद-विवाद का उत्तर देते हुए आदरणीय गृह मंत्री ने कहा, "राज्यों को पहले ही कहा गया है कि वे इस बात के लिए, विशेषकर कमजोर वर्गों के मामलों में अधिकारियों पर इस ओर ध्यान देने के लिए जोर डाला जाये।" हाल ही में 15 अप्रैल को माननीय गृह मंत्री ने सभी मुख्य मन्त्रियों के नाम एक अर्ध-सरकारी पत्र में कुछ निदेश दिए और कहा, "देखा गया है कि विभिन्न उपायों के बावजूद अनुसूचित जातियों के लोगों को ही सबसे अधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं और जिन्हें अपराध तथा तिरस्कार का सबसे अधिक शिकार होना पड़ता है।" अपने मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उन्होंने उल्लेख किया है कि "विशेष संरचना बल के कुछ एककों, को जो अत्यन्त गतिशील और उपकर्णों से पूरी तरह लैस हों उन्हें संवेदनशील क्षेत्रों में लगाया जाये; बल की रचना इस प्रकार होनी चाहिए जिससे अनुसूचित जातियों में विश्वास की भावना पैदा हो और अपराधियों को अपराध करने से रोका जा सके।

कुछ अन्य मार्ग दर्शी सिद्धान्त भी हैं जिनके विस्तार में मैं जाना नहीं चाहूँगा किन्तु इस समय मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि कुछ उपाय किये जाने चाहियें, और कुछ क्षेत्र जहां इस प्रकार की घटनाएं बार-बार होती हैं इन पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए और जानकारी प्राप्ति के लिए एक त्रुटिरहित प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए ताकि तुरंत कार्यवाही की जा सके। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जाए ताकि समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों का प्रशासन में विश्वास पैदा हो।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि यदि किसी प्रकार का सुधार नहीं होता है तो कानून द्वारा कड़े उपाय किए जाने चाहिये और कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए जैसे आधे अपराधियों की जमानत मंजूर न किया जाना।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : महोदय, आरम्भ में ही मेरा निवेदन है कि इस समस्या के प्रति मेरा दृष्टिकोण दलगत नहीं है, मैं राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इस समस्या को देखता हूँ। यह भारत के संविधान के प्रति वचनबद्धता है, यह कोई दलीय अथवा राष्ट्रीय वचनबद्धता नहीं है। सामाजिक समानता होनी चाहिए और सभी की बराबर प्रतिष्ठा होनी चाहिए। उस पृष्ठभूमि में यदि पूरे मामले की जांच की जाए, तो यह आसानी से पता चलेगा कि कौन लापरवाही बरतता है। इस संदर्भ में मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि वर्ष 1960 के सितम्बर महीने में तत्कालीन गृह मंत्री ने सभी राज्य सरकारों को, संवेदनशील जिलों में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिक्षक नियुक्त करने के आदेश दिए थे। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि कितने जिलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जमजातियों के पुलिस अधिक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए ? यदि हमें वह मालूम होगा तो उससे ज्ञात होगा कि गृह मंत्रालय के आदेश कहां तक राज्यों द्वारा लागू किए जाते हैं। दल के आधार पर मैं कोई

आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ। वर्ष 1978-79 में, यदि मुझे ठीक-ठीक याद है, गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को हरिजनों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर हुए अत्याचारों के सम्बन्ध में मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायलय स्थापित करने को आदेश दिया। कितने राज्यों ने ऐसा किया है ? वह कौन से राज्य हैं जहां ऐसा नहीं हुआ है ? गृह मंत्रालय में हरिजनों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी उपायों की जानकारी के लिए एक कक्ष बना हुआ है। क्या मैं जान सकता हूँ कि वह कौन से राज्य हैं जिन्होंने मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है ? भारय सरकार ने उन्हें यह याद दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की है कि भारत सरकार द्वारा आरंभ किए हुए कार्यों को पूरा किया जाये ? विपक्ष के कुछ सदस्यों का आरोप है कि गृह मंत्री आंध्र प्रदेश क्यों जाते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश भारत का अंग नहीं है। यदि किसी गाँव में आग लग जाती है और यदि मंत्री वहां जा सकती हैं तो यह अत्यन्त वांछनीय बात है। आपको उनके दौरे के पीछे किसी शरारत का आभास क्यों हो रहा है ?

महोदय, मैं केवल एक बात पर बल देता हूँ; अनुसूचित जातियों में कुछ कमजोर वर्ग हैं। इनमें कुछ उपजातियां हैं। अब समय आ गया है कि सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कमजोर वर्गों की ओर अधिक ध्यान दे उन्हें और लोगों के बराबर लाया जाना चाहिए। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने आनुबंशिक्ता के संबंध में एक नई विचार-धारा का विकास किया है। उनका विचार है कि आनुबंशिक्ता बालक के उच्च स्तर तथा बुद्धि के लिए एक तत्त्व है। जहां तक भारतीय विश्लेषण का संबंध है, आर्थिक स्थिति समान होने पर हरिजन बालक हिन्दू बालकों से कहीं अधिक योग्यता से कार्य करते हैं। यह हमारे सामाजिक जीवन में अत्यन्त जानकारी देने वाला तत्त्व है। वास्तव में सदा यही भावना रही कि वे बौद्धिक रूप से बहुत ही नीचे हैं, जो झूठ निकली है।

अब दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे झूठे लोग हैं जो हरिजनों में धर्म-परिवर्तन का प्रचार करते हैं और कहते हैं कि धर्म-परिवर्तन से उनका भाग्य सुधर जाएगा। वे कहते हैं आप इस्लाम धर्म अथवा ईसाई धर्म अथवा किसी अन्य धर्म को स्वीकार करो। किंतु उससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। वास्तव में आप जानते ही हैं कि काले लोग और नीग्रो लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित होते हैं, किंतु उससे स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। मुसलमानों में भी और ईसाइयों में भी गरीब लोग हैं। अतः वह इस समस्या का हल नहीं है। इसके विपरीत उन्हें उस सहायता तथा आरक्षण सुविधा से वंचित होना पड़ेगा जो उन्हें अब उपलब्ध है। अतः यह इसका हल नहीं है। मेरा अनुरोध यह होगा कि जाति पर आधारित आन्दोलन से उनका भाग्योदय नहीं हो जाएगा। अब समय आया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भारत की कठिन परिश्रम करने वाली जनता और समाज के गरीब वर्गों के आन्दोलन में सम्मिलित होना चाहिए यानी उन लोगों के साथ जो देश के विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं। वास्तव में यही एक सच्चा संघर्ष है जिससे उनका भाग्य सुधर सकेगा। ऐसा नहीं है कि जाति के आधार पर हम कोई आंदोलन चला कर उनकी सहायता करेंगे चाहें यह अनुसूचित जाति का आंदोलन हो या अनुसूचित जनजाति का आंदोलन हो। यह ऐसी बात नहीं है। यह सामाजिक आर्थिक समस्या है। इसका सामना करने के लिए उन्हें देश के मेहनतकश लोगों के आंदोलन में शामिल होना चाहिए। केवल इसी से उनकी हालात में सुधार हो सकेगा।

जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का संबंध है, उनकी हालत को सुधारने में सबसे महत्त्वपूर्ण उपाय भूमि सुधार है। जब तक भूमि सुधारों में तेजी नहीं लायी जाती तब

[श्री बृजमोहन महन्ती]

तक उनकी दशा नहीं सुधरेगी। मेरा यह निजी अनुभव है। जब तक भूमि के स्वामित्व के मामले में आमूल परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक उनकी दशा को सुधारना बहुत मुश्किल है। वास्तव में हम राजनैतिक दलों के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं परन्तु इस बारे में राजनैतिक समन्वय का महत्व बहुत कम है। असम में बंगाली असमी के संघर्ष के दौरान सभी राजनैतिक दलों से संबंधित सभी असमी चाहें वे किसी भी राजनैतिक दल से संबंध रखते थे, वे सब एक तरफ हो गए। इसी तरह विभिन्न राजनैतिक दलों से संबंधित सभी बंगाली एक तरफ थे। अत: भारत में दल से प्रतिबद्धता उतनी मजबूत नहीं है। अत: जब भी हरिजनों और सवर्ण हिन्दुओं के बीच कोई संघर्ष होता है तो सभी सवर्ण हिन्दू एक तरफ होते हैं और सभी हरिजन दूसरी ओर, चाहे वे किसी भी दल से संबंधित हों। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें उनकी स्थिति में सुधार करने, और सामाजिक समानता लाने तथा सामाजिक जीवन से उनके तिरस्कार को दूर करने के लिए उपाय करने चाहिए।

अभी हाल ही में, शायद पिछले वर्ष, गृह मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस बुराई के विरुद्ध प्रचार का कार्यक्रम शुरु किया और प्रेमचंद के उपन्यास तथा सत्यजीत रे की सदगति नामक फिल्म को दूरदर्शन पर दिखाया गया और सदगति की कहानी यही है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : इसे क्या कहते हैं?

श्री बृजमोहन महन्ती : सत्यजीत रे ने एक फीचर फिल्म सदगति तैयार की है। सदगति का विषय यह है कि एक ब्राह्मण पंडित ने एक हरिजन पर अत्याचार किए और अन्त में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उस फिल्म को दिखाया गया था तो गृह मंत्रालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने सोचा कि उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा किया है। लेकिन तुरंत ही पूरे देश में विवाद पैदा हो गया था। उन्होंने कहा कि यह उपन्यास समस्या का हल नहीं है। यह केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोग जो अपनी अन्त:चेतना को शुद्ध करना चाहते हैं उनके लिए है। अत: यह केवल समस्या का विश्लेषण है और इसमें कोई समाधान नहीं दिया गया है। अभी भी इस देश में यह बुराई बनी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसलिए वह समय आ गया है जबकि भारत के प्रत्येक नागरिक को चाहे वह किसी भी दल से सम्बद्ध हो, चाहे उसकी कोई भी राजनैतिक बचनबद्धता हो, चाहे उसका धार्मिक विश्वास हो; भारत के हर नागरिक को इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए काम करना है। केवल हिन्दु समुदाय में ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय में भी, हालांकि वहां कोई इस प्रकार का जात-पात नहीं है, फिर भी समाज में ऊंच-नीच तो है। जो लोग अरब देशों से आते हैं वे उन लोगों से ऊंचे होने का दावा करते हैं जिन्होंने यहां धर्म परिवर्तन किया हुआ है इसी तरह ईसाई समुदाय में भी ऊंच-नीच है। अत: यह एक सामाजिक कुरीति है और लोगों के संयुक्त प्रयास से ही इसका सामना किया जाना चाहिए।

श्री कमोदोलाल जाटव (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति पर हो रहे अत्याचार के संबंध में हमारे विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष के लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनको भी मैं आभार प्रकट करता हूं क्योंकि मैं अनुसूचित जन-जाति का हूं और मेरे समाज की आज इस सदन में चर्चा हो रही है।

भारत में 38 साल पहले केवल अनुसूचित जन-जाति के दो ही कार्यकर्ता — श्री जगजीवन राम और डा० अम्बेदकर थे। जो सन् 1947 से पहले हमारे अनुसूचित जन-जाति के कर्णधार थे। लेकिन 1947 के बाद हमारे देश में लाखों हरिजन आई० ए०एस० और आई०पी०एस० बनें, लेकिन जब देश के अन्दर गरीब लोग अपनी प्रगति करते हैं, तो देश के अन्दर अत्याचार भी होते हैं। अत्याचारों के केवल दो कारण हैं। एक तो पंचायत का चुनाव और दूसरा जमीन के पट्टे। पंचायत के चुनाव में कई बार हमारे विरोधी पक्ष के लोग हरिजनों को सहयोग करते हैं कि आप पंचायत में खड़े हो जाओ और उसके बाद जब हार और जीत हो जीती है, तो विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं कि इस हरिजन ने तुम्हारी तौहीन की है और फिर अत्याचार होता है। इस तरह से पंचायत के चुनाव में हरिजनों पर अत्याचांर होते हैं।

इसी तरह से बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत जो पट्टे हरिजनों को मिले हैं उसमें हमारे निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 75 परसेन्ट ऐसे भूमि के पट्टे मिले हैं जिनकी आज तक व्यवस्था नहीं हो पाई है। जब भूमि के पट्टे मिलते हैं, तो लोग कोर्ट में चले जाते हैं और स्टे ले लेते हैं। अगर हरिजन मुकाबला करता है, तो उस पर अत्याचार होते हैं; इसलिए मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि अगर हरिजनों और आदिवासियों को पट्टे दिये जाएं, तो लोग अदालत में न जाएं। इससे देश के अन्दर अत्याचार खत्म हो सकते हैं। पिछले समय कई सदस्यों ने कहा है, और हमने कई बार कहा है कि इस तरह का एक विधेयक लोक सभा में लाया जाए ताकि हरिजनों और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार खत्म हो सकें।

इन शब्दों के साथ आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : महोदय, हरिजनों, आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों पर अत्याचारों के बारे में सदन में दोनों ओर से बहुत से माननीय सदस्यों ने बातें कही हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने ऊंची जात के लोगों को इसका दोषी ठहराया जो हरिजनों तथा अन्य पिछड़े लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं।

परन्तु मेरे मतानुसार यह सही नहीं है क्योंकि सैंकड़ों और हजारों वर्षों से सभी जातियां ऊंची या नीची, हरिजन तथा अन्य साथ-साथ रहते हैं। लेकि न सरकार को महसूस करना चाहिए कि क्या हो रहा है। पिछड़े और गरीब लोग विशेषकर आदिवासी कड़े परिश्रमी होते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में, कुछ निहित स्वार्थी लोग कुछ साहूकार, ठेकेदार, व्यापारी और इसी तरह के अन्य लोग आसानी से पैसा कमाना चाहते हैं तथा इन गरीब लोगों से पैसा हथियाना चाहते हैं। यदि आप समस्या का उचित मूल्यांकन करते हैं तो देश के सभी भागों में अत्याचारों का मुख्य कारण यही साहूकार, ठेकेदार आदि लोग हैं। जब कभी ये गरीब लोग मुसीबत में होते हैं तो ये साहूकार और ठेकेदार पिछड़े लोगों के बीच साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा करते हैं क्योंकि जब तक वे साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा नहीं करते तब तक पुलिस बीच में दखल नहीं देगी। पुलिस की मदद से ये निहित स्वार्थी लोग गरीबों के लिए समस्याएं पैदा करते हैं। इसलिए देश में सभी साम्प्रदायिक दंगों के लिए ऊंची जाति के लोगों को पूरा दोषी ठहराना उचित नहीं है। यह सच नहीं है। भारत के सभी क्षेत्रों में चाहे वह बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या देश को कोई भी भाग हो ये साहूकार पुलिस बल की मदद से हरिजनों तथा अन्य पिछड़े वर्गों पर अत्याचार करते हैं।

[श्री पीयूष तिरकी]

हमारा समाज क्या है ? आप हमारे भारतीय समाज के बारे में क्या सोचते हैं ? आप हमारी भारतीय राजनीति के बारे में क्या सोचते हो ? हरिजन किस चीज के लिए लड़ रहे हैं ?

8.00 म०प०

उनको केवल सहारा देते रहने से उनका विकास नहीं होगा। भारतीय लोग ब्रिटिश के विरुद्ध किस कारण लड़े थे ? हमें महसूस करना चाहिए कि राजनैतिक शक्ति की आवश्यकता है। उन्हें अभी तक राजनैतिक शक्ति नहीं दी गई है। जब तक उन्हें राजनैतिक शक्ति नहीं दी जाती तब तक वे राष्ट्रीय मुख्य धारा तथा अन्य जातियों के, जिन्हें हम ऊंची जाति, कहते हैं बराबर नहीं आ सकते। अतः राजनैतिक शक्ति की आवश्यकता है और इसीलिए वे आंदोलन कर रहे हैं। यदि ऊंची जाति पर दोष जाता है तब यहां कोई दल नहीं रह सकता। वास्तव में शायद आर० एस०पी० के अलावा जिसका मैं यहां नेता हूँ किसी भी दल का प्रमुख हरिजन नहीं है। केवल मैं ही जनजातीय नेता हूँ। भारत में किसी भी दल का नेता या प्रधान कोई भी जन-जातीय नहीं है क्योंकि वे दल के प्रधान के रूप में किसी पिछड़े वर्ग के लोग को मान्यता नहीं देना चाहते हैं। श्री जगजीवन राम बहुत सक्षम व्यक्ति हैं परन्तु उनकी जाति के कारण उन्हें देश का नेतृत्व करने का मौका नहीं दिया गया था। यदि उनको वह मौका दिया जाता तो पूरी राजनैतिक पद्धति में परिवर्तन हो गया होता।

भारतीय राजनीति में हमने यह स्वीकार किया है कि यहां सबसे अधिक सक्षम व्यक्ति ही ठहर सकता है। यदि आप भारतीय राजनीति के लायक नहीं हैं तो आप बने नहीं रह सकते हैं और शताब्दियों से इन लोगों को ठीक नहीं समझा गया है। इस राजनैतिक पद्धति में, इस लोकतंत्र में आप किसका अनुसरण कर रहे हैं ? आप पूंजीवादी सरकार का अनुसरण कर रहे हैं। पूंजीपति शोषक हैं। केवल वे ही सर्वोच्च पदों को पाते हैं। हमारा समाज ऐसे लोगों की प्रशंसा और आदर करता है जिनके पास बहुत कम शारीरिक काम है या जिनके पास ऐसा कोई काम नहीं है। शारीरिक श्रम के लिए कोई सम्मान या प्रतिष्ठा नहीं है। गांव में जनजातियों के और हरिजन लोग कठोर परिश्रमी होते हैं और वे काम से प्यार करते हैं। ये साहूकार और ठेकेदार जो वहां जाते हैं वे कोई शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, वे केवल शोषण करके उत्पाद में हिस्सा बल्कि मुख्य हिस्सा लेते हैं। जनजातियों के और हरिजन लोग इस तरह की चीजों को सहन नहीं कर सकते हैं। अतः वे संघर्ष में शामिल हो जाते हैं। और सरकार क्या कर रही है ? पुलिस वहां जाती है और सम्पत्ति का संरक्षण करती है। हमारे देश में निजी सम्पत्ति रखना मूल अधिकार है। हमारे पास असीमित निजी सम्पत्ति रखने का अधिकार है। पुलिस उन पैसे वाले लोगों की सहायता करती है और ये निहित स्वार्थी लोग इस तरह के संघर्ष को साम्प्रदायिक झगड़े का रूप दे देते हैं। सरकार को महसूस करना चाहिए कि देश में सब जगह तथाकथित साम्प्रदायिक दंगों के लिए निहित स्वार्थी जिम्मेदार हैं। अतः जब भी कहीं कोई अत्याचार का मामला हो तो सरकार को यह देखना चाहिए कि क्या यह वास्तव में साम्प्रदायिक झगड़ा है या निहित स्वार्थों द्वारा ऐसा किया गया है। अन्यथा पूरी राज्य व्यवस्था बरबाद हो जाएगी। भारतीय समाज के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने पहले ही बोला है मैं इसको दोबारा से नहीं बताना चाहता हूँ कि यह जातीय आधार पर कहा गया है। यदि आप जातियों पर प्रहार करते हैं और उनको खतम करने की

कोशिश करते हैं तो हिन्दू धर्म भी खतरे में पड़ जाएगा। हिन्दू धर्म जातियां पैदा करता है और इसी तरह अन्य धर्म भी जातियां पैदा करते हैं। ईसाई, मुस्लिम तथा अन्य सभी धर्मों के लोग भी उसी ढंग से चल रहे हैं क्योंकि वे सभी हिन्दू धर्म से प्रभावित हुए हैं। ईसाई धर्म में भी वे भिन्न प्रणाली का अनुसरण नहीं कर पाये हैं।

जन जातियों के या हरिजन लोग धार्मिक दृष्टि से अधिक योग्य होने के बावजूद भी वह प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते जो अन्य जातियों के लोगों को प्राप्त है। यह सामाजकि समस्या है। उनको क्या हो गया है? कुछ जनजाति के लोगों ने हिन्दू धर्म अपना लिया है तथा कुछ अन्य ने ईसाई धर्म को अपनाया है। लेकिन उनको इससे क्या प्राप्त हुआ? उन्हें हीन भावना मिली। वे कहते हैं कि वे अन्य धर्म में मिल गए हैं लेकिन उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा है; उन्हें नीचे के स्तर पर रखा जाता है। हीन भावना वहां है।

महोदय, इस समाज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों की बहुत संख्या है। एक सौ से भी अधिक संसद सदस्य हैं। वे भारत सरकार का संतुलन सम्भाल सकते हैं। वे अपनी सरकार बना सकते हैं उतना बहुमत उनके पास है। परन्तु राजनैतिक शक्ति कहां है, मतपत्र पेटी की शक्ति कहां है? मतपत्र-पेटी को भी पैसा प्रभावित कर रहा है। जन-जाति के लोगों और हरिजन तथा अनुसूचित जाति के लोगों के नेताओं को क्या हुआ है? बहुसंख्यक वर्ग या उच्च वर्ग के नेताओं के लिए उन्हें काम करना है। बाहर आने का कोई मौका नहीं है। अतः सरकार को मूल वास्तविकता का पता लगाना है कि अत्याचार कहां से हो रहे हैं।

महोदय, इसके अलावा केवल हरिजन और आदिवासी ही नहीं बल्कि तथाकथित उच्च वर्ग भी नीचे आ रहा है और वह दिन दूर नहीं है जब वे अपने आपको बचाने के लिए नीचे आकर मिल जायेंगे क्योंकि शोषक तो पहले से ही एक जुट हो गये हैं। जिनके पास धन है उन्होंने पहले से ही वर्ग बना लिया है। उन्होंने हर जगह पांव जमा लिए हैं। वे गरीबों से पैसा लेना जानते हैं।

महोदय, यह स्थिति है। मैं किसी अन्य वर्ग या किसी दल या किसी व्यक्ति पर दोष लगाने में विश्वास नहीं करता हूं। ऐसा करना पूरी तरह से गलत होगा। जहां कहीं या जब कहीं अत्याचार होता है तो कृपया इसकी जांच की जाए कि इसमें कौन-से निहित स्वार्थों का काम है जो अपने को बचाने के लिए साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं तथा पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था को दोष दे रहे हैं। (समाप्त)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी कल जबाव देंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : केवल मंत्री जी को सुनने के लिए इतने घण्टों से हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसी तरह की समस्या कल भी होगी। मंत्री जी को 6.30 बजे के बाद जबाव देना है। अगले दिन छुट्टी होने के कारण सदस्य जाना चाहते होंगे।

कार्य मंत्रणा समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

8.09 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 14 अगस्त, 1985/23 श्रावण, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।